

हकीकत किताबेवी प्रकाशन न० : 22

किताब उस-सलात
नमाज़ की किताब

तैयार करदा

हुसैन हिल्मी इशिक

पहली इशाअत



हकीकत किताबेवी

दार्शुशफेका जद, पी.के : 35 **34083** फातिह-इस्तानबुल/तुर्की
फोन: 90.212.523 4556 - 532 5843 फैक्स: 90.212.523 3693
<http://www.hakikatkitabevi.com>
e-mail: info@hakikatkitabevi.com

अप्रैल – 2015

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

इंसानी मर्तलूक के लिए ज़िंदगी की तीन शकलें हैं: दुनिया में ज़िन्दगी, कब्र में ज़िन्दगी और आखिरत में ज़िन्दगी। इस दुनिया में जिसम रूह के साथ है। रूह इन्सानों को ताकत और रूहानियत देती है। जब रूह जिसम को छोड़ जाती है तो इन्सान मर जाते हैं। रूह फना नहीं होती जबकि जिसम कब्र में मिट जाता है और मिटटी बन जाता है या जल जाता है या एक खूँखार जानवर के ज़रिए जाने की वजह से हलाक कर दिया जाता है। फिर कब्र में ज़िन्दगी शुरू होती है। कब्र की ज़िन्दगी में एहसास होता है लेकिन हरकत नहीं होती। इन्साफ़ वाले दिन, एक जिसम तर्ज़लीक किया जाएगा, और फिर जिसम और रूह हमेशा के लिए जन्नत या दोज़ख में एक साथ रहेंगे।

इस दुनिया और आखिरत में खुशियाँ हासिल करने के लिए लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वे मुसलमान हों। इस दुनिया में खुशियाँ हासिल करने का मतलब है के बग़ैर मुश्किल के जीना। आखिरत में खुशियाँ हासिल करने का मतलब है जन्नत में दाखिल होना। चूँकि, अल्लाह तआला अपने बन्दों पर बहुत ज़्यादा रहम करता है, इसलिए उसने अपने नबियों के ज़रिए अपने बन्दों को खुशियों के तरीकों से आगाह किया। इस वास्ते के लोग अपने दिमाग के असबाब के ज़रिए नेअमत के वो रास्ते तलाश नहीं कर सकते। कोई भी नबी अपनी सोच को इस्तेमाल करते हुए कुछ नहीं कह सकते। उन सबने सिर्फ़ उससे आगाह किया जो अल्लाह तआला ने उन तक पहुँचाया। नबियों के ज़रिए जो नेअमत का रास्ता बताया गया उसे मज़हब कहते हैं। जो मज़हब मुहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़रिए बताया गया उसे इस्लाम कहते हैं। आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़ारों नबी आए। मुहम्मद अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं। जो मज़हब दूसरे नबियों/पैगम्बरों के ज़रिए मतलाह किए गए, वो वक्त के गुज़रने के साथ विगड़ गए। अब, नेअमत हासिल करने के लिए इस्लाम सीखने के अलावा कोई

चारा नहीं है। इस्लाम ईमान के इल्म (अक़ीदे) की पहचान पर मुश्तमिल होता है जिसे दिल से और एहकाम-ए-इस्लामिया के इल्म (इस्लाम के एहकाम और मुमानियत) पर यकीन किया जा सकता है जिस्मानी तौर पर अदाएगी करके। ईमान का इल्म और एहकाम-ए-इस्लामिया सिर्फ अहल-ए-सुन्नत के आलिमों की किताबों के ज़रिए सीखा जा सकता है। ये फ़रेवी लाइल्म और गुमराह लोगों की किताबों से नहीं सीखा जा सकता। हिजरी साल (हिजुरा कैलैण्डर) के 1000 साल पहले इस्लामी मुल्कों में बहुत सारे अहले-सुन्नत के आलिम थे। अब, कोई नहीं बचा है। उन आलिमों के ज़रिए अरबी और फ़ारसी में लिखी गई किताबें और उनके तर्जुमें बहुत सारे हैं जो दुनिया भर की लाइब्रेरियों में हैं। हकीकत किताबेवी (हकीकत बुकस्टोर) के ज़रिए शाय की गई सारी किताबें इन्हीं ज़राओं से ली गई हैं। नेअमत हासिल करने के लिए हकीकत किताबेवी की किताबों को पढ़िए!

खबरदारः ईसाई मिशनरी तशहीर करने की कोशिश कर रहे, यहूदी बड़े पैमाने पर telmud के लिए काम कर रहे हैं, हकीकत किताबेवी (बुकस्टोर), इस्तांबुल में, इस्लाम की इशाअत की कोशिश कर रही है, और देहरिए मज़हबों को पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक शख्स समझ, इल्म और हिस के साथ इस बात को समझेगा और ये मानेगा के इनमें से सही कौनसा है और इस निजात को इंसानियत में फैलाने में मदद करेगा। इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है ना ही कोई और कीमती चीज़ के इंसानियत की इस तरीके से सेवा की जाए। यहाँ तक कि ईसाई और यहूदी आलिम भी ये कहते हैं कि मज़हबी किताबें जिन्हें तौरैत और वाइबल कहते हैं आज लोगों के ज़रिए लिखी गई हैं।

कुरआन अल करीम पाक है क्योंकि इसे अल्लाह तआला के ज़रिए भेजा गया है। सारे ईसाई पादरियों और यहूदी मज़हबी आदमियों को हकीकत किताबेवी के ज़रिए इशाअत की गई किताबों को ध्यान से और इंसाफ़ के साथ पढ़ना चाहिए। उन्हें इनको समझने की कोशिश करनी चाहिए।

तुर्की में टाईपसेट और तबाअत करदाः

एहलास गज़ेटेसिक ए.एस.

मर्कज़ माह. 29 एकिम काड. एहलास प्लाज़ा न०ः 11 A/41

34197 येनिबोसना - इस्तांबुल फ़ोनः 90.212.454 3000

ये हमेशगी के खज़ाने की चाबी है

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

दिबाचा

मैं अऊजू और बिस्मिल्लाह कहते हुए इस नमाज़ की किताब को लिखना शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह तआला की हमद (तारीफ़) हो। उसके चुने हुए प्यारे बंदों और उसके आला, हज़रत मुहम्मद अलैहिस्सलाम पर रहमत और अमान हो। सारी नेक दुआएँ उसकी अहल अल-वैत पर और उनके हर एक ई मानदार और जान निसार साथियों (अस-सहावत अल-कराम) “रिज़वानअल्लाही तआला अलैहिम अजमाईन” पर हों!

दुनिया में, अच्छी और फ़ाएदेमंद चीज़ें बुरी और नुकसानदायक चीज़ों के साथ मिल गई हैं। नेअमत, आराम और सुख़ हासिल करने के लिए, ये ज़रूरी है के हर वक्त अच्छे और फ़ाएदेमंद काम किए जाएँ। चूँकि अल्लाह तआला सबसे ज़्यादा रहम वाला है, उसने एक ताकत तज़लीक की है जो अच्छी चीज़ों को बुरी चीज़ों से अलग बताती है। इस ताकत को **अक्ल** (समझ) कहते हैं। एक पाक और माकूल समझ अपने काम कामयाबी के साथ अदा करती है। ये किसी भी वक्त धोके में नहीं गिरती। नफ़स की तकलीद (एक मख़लूक जो आदमी के अपने अंदर होती है जो हमेशा बुराई को उकसाई है और नुकसान वाली चीज़ें करवाती है) करके, गुनाह करना समझ और दिल को बीमार करता है। ये बुराई में से अच्छाई की पहचान नहीं कर पाएगी। अल्लाह तआला ने हम पर रहम फरमाया। अपने नबियों/पिग़म्बरों के ज़रिए, उसने अच्छे कामों की आगाही दी और हमें उन्हें करने का हुक्म दिया। उसने बुरी चीज़ों से आगाही दी और उन्हें करने की मुमानियत करी। ये एहकाम और मुमानियत दीन

(मज़हब) कहलाता है। जो मज़हब मुहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़रिए बताया गया उसे **इस्लाम** कहते हैं। आज, दुनिया में सिर्फ़ एक मज़हब है जिसे विगाड़ा नहीं गया। वो एक मज़हब इस्लाम है। आराम हासिल करने के लिए, ये ज़रूरी है के इस्लाम की तकलीद की जाए, वो ये के मुसलमान होना। एक मुसलमान होने के लिए, कोई ज़ाहिरदारी होना ज़रूरी नहीं, जैसे के किसी मुफती या इमाम के पास जाना। सब लोगों के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है के दिल से ईमान (अकीदा, यकीन) रखना। उसके बाद, ये ज़रूरी है के इस्लाम के एहकाम और मुमानियतों को सीखना और उन्हें आगे बढ़ाना।

ईमान होने के लिए, कलिमा-ए-शहादत पढ़ना और उसके मआनी को जानना ज़रूरी है। कलिमा-ए-शहादत के मआनी पर सही तौर पर यकीन रखने के लिए, ये ज़रूरी है के जैसा अहल-अस-सुन्नत के आलिमों ने अपनी किताबों में बताया है उसपर यकीन रखना। वो जो अपने आपको अहल अस सुन्नत के आलिमों के ज़रिए लिखी गई सही किताबों के मुताबिक ढालते हैं उनको सौ शहीदों का इनाम मिलेगा। वो आलिम जो मुसलमानों के चार मसलकों में से किसी एक भी मसलक से मुनसलक हों वो **अहल अस-सुन्नत के आलिम** हैं। ईमान के सतून तफ़सील से “**ईमान और इस्लाम**” किताब में वाज़ेह किए गए हैं, जो के तुर्की किताब (**हरकेसे लाज़िम ऑलान ईमान**) का तर्जुमा है। हम तुम्हें वो किताब पढ़ने की सिफ़ारिश करेंगे।

आज ज़मीन पर मुसलमान तीन गुपों में बंटे हुए हैं। पहला गुप सच्चे मुसलमानों का है जो असहाब-ए-किराम के तकलीद किए गए रास्ते पर चलते हैं। उन्हें **अहल अस सुन्नत** या **सुन्नी मुसलमान** (सुन्नी) या **फिरका-ए-नाज़िया** (वो गुप जो दोज़ख़ से महफूज़ है) कहते हैं। दूसरे गुप में असहाब-ए-किराम के दुश्मन हैं। उन्हें **शीयास** (शियत) या, **फिरका-ए-दाल्ला** (देहरिया गुप) कहते हैं। तीसरा गुप न सिर्फ़ शीयाओं बल्कि सुन्नियों की तरफ़ भी मुख़ालिफ़ हैं। उन्हें **वहाबी**, या **नजदीस** कहते हैं, जो अरेबियन सूबे नजद से आए हैं, जो इनकी

मज़हबी उसूलों की ख़िलाफ़ वरज़ी की पैदाइशी जगह है। तीसरे गुप को **फिरका-ए-मलऊना** (मलामत किया हुआ गुप) भी कहते हैं। दरअसल, ये हमारी (तुर्की) किताबों **कियामत वे आहिरेत** और **सआदत-ए-अबदिया**, (और हमारी अंग्रेज़ी इशाअतों, जैसे के मुसलमानों के लिए सलाह, और सुन्नी रास्ता के चौथे बाव में) में लिखा है कि ये मुसलमानों को 'काफ़िर' बोलते हैं। हमारे नबी ने उस शख्स पर मलामत की है जिसने एक मुसलमान को काफ़िर कहा। मुसलमानों को इन तीन गुपों में तोड़ने की तदावीर यहूदी और अंग्रेज़ मंसूवे वाज़ों ने की थी।

कोई भी शख्स जो अपने नफ़स की अय्याश इच्छाओं में मशगूल होता है और बुरा दिल रखता है वो दोज़ख़ में जाता है, चाहे वो किसी भी गुप का हो। हर मुसलमान को अपने आपको बेएतमादी और गुनाहों जोके उसके अपने नफ़स के अंदर मौजूद हैं उनसे पाक रखने के लिए लगातार (**ला इलाहा इल्लल्लाह**) के लफ़ज़ कहते रहना चाहिए, [इस पाकी के काम को "तज़कीया-ए-नफ़स" कहते हैं], और अपने दिल को कुफ़्र और गुनाहों से पाक रखने के लिए जोकि उसके नफ़स में, शैतान से, बुरी संगत से या नुक़सान देने वाली और पामाल किताबों से सौदेबाज़ी करता है (**अस्तग़फ़िरुल्लाह**) के लफ़ज़ भी कहने चाहिए। अगर एक शख्स इस्लाम के (एहकामात और ममनुआत को) मानता है, तो एक शख्स की इबादत/दुआ ज़रूर कुबूल होगी। नमाज़ का (रोज़ाना की दस्तूरी इबादतें जिन्हें कहते हैं) अदा न करना, उन औरतों को देखना जिन्होंने अपने जिस्मों को सही ढंग से ढका हुआ नहीं हो या उन लोगों को देखना जिन्होंने अपने जिस्मों के उन हिस्सों को ज़ाहिर किया हुआ हो जिनका छुपाना लाज़िम हो, और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना जिन्हें (गलत तरीके से जिसे कहते हैं) हराम के ज़रिए हासिल किया गया हो, ये ऐसे शख्स की निशानियाँ हैं जो इस्लाम की नाफरमानी करे। ऐसे शख्स की इबादतें/दुआएँ कुबूल नहीं की जाएँगी।

ईमान होने के बाद, सबसे अहम हुक्म नमाज़ का है। ये हर एक मुसलमान के लिए फर्ज़-ए आईन है के रोज़ाना की पाँच नमाज़ें/इबादतें अदा करना। ऐसा न करना बहुत बड़ा गुनाह है हंवली मसलक के मुताबिक रोज़ाना की पाँच वक्त की इबादतों को उनके बताए गए वक्तों में अदा ना करना कुफ़्र का वाइस। **गायत उल्लाहकीक** नाम की छोटी किताब को देखिए! शबसे पहले इसे पूरी तरह और सही तरीके से अदा करने के लिए ये ज़रूरी है के नमाज़ के इल्म को सीखा जाए। हमें ये फ़ायदेमंद लगा के नमाज़ के इल्म की हालत जो हमारे मज़हब ने वाज़ेह की है उसे हमारी किताब में मुख़तसिर तौर पर खुलासा की जाए। हर मुसलमान को नमाज़ के इन हक़ाईक को सीखना चाहिए जो हमने बहुत सारे इस्लामी आलिमों की किताबों से जमा की हैं और इसी तरह उनको अपने बच्चों को भी सिखाएँ!

नमाज़ को सही तरह से अदा करने के लिए, नमाज़ में जो सूरेतें और दुआएँ पढ़ी जाती हैं उन्हें याद कर लेना चाहिए। कम से कम, ये ज़रूरी है के नमाज़ अदा करने लिए थोड़ी बहुत मिकदार उनकी एक ख्वाजा (मास्टर खासतौर से मज़हबी स्कूल में) से या अपने एक दोस्त से जो उन्हें अच्छी तरह जानता हो और जो उनका सही तलफ़ूज़ कर सके उनसे सीख ले।

कुरआन अल-करीम को सही तरह से पढ़ने के लिए, एक शख्स को कुरआन अल-करीम के कोर्स को पढ़ना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है के कुरआन अल-करीम को सही तरह से पढ़ना सीखना और अपने बच्चों को उसे पढ़ाना।

कुरआन अल-करीम को रोमन हर्फों के साथ लिखने की इजाज़त नहीं है। इसलिए, एक शख्स को इसे इसकी असली हालत में पढ़ना होगा। इसको पढ़ना बहुत आसान है। हमारे आका नबी “सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम” ने एक हदीस ए शरीफ़ में वाज़ेह किया, “**वो जो अपने बच्चों को कुरआन अल-करीम**

पढ़ाते हैं या जो उन्हें कुरआन अल-करीम के उस्तादों के पास भेजते हैं, कुरआन अल-करीम के हर हुर्फ के लिए उन्हें ऐसे ईनाम दिया जाएगा जैसे के वो दस बार ज़ियारत के लिए काबा गए हो। और योमुलहशर में उनके सिरों पर हाकमियत का एक ताज रखा जाएगा सब लोग ये देखेंगे और तारीफ करेंगे।”

अल्लाह तआला हमें उनमें से एक बना जो सही अकीदा रखते हैं, जो नमाज़ याद करते हैं और उसे सही अदा करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं।

मीलादी

हिजरी शम्सी

हिजरी कमरी

2001

1380

1422

फेहरिस्त मज़ामीन

दिवाचा	5
नमाज़ एक आला फरमान	20
हमारा ईमान और नमाज़	27
सबके लिए, ईमान मुककदम है	27
अकीदा सही होना चाहिए	29
अहल अस-सुन्नत का अकीदा	32
अहल अस-सुन्नत के अकीदे रखने की निशानियाँ/अलामतें	34
ईमान की बुनियादें	37
अल्लाह तआला में यकीन	37
अस-सिफ़ात [ख़ासियतें] अज़ ज़ातिया	39
अस-सिफ़ात [ख़ासियतें] अथ-सुबूतिया	40
फरिश्तों में यकीन रखना	41
आसमानी किताबों में यकीन रखना	42
नबियों में यकीन रखना	45

हमारे नबी मुहम्मद अलैहिस्सलाम	48
असहाब-ए-किराम	52
चार मसालिक के इमाम और दूसरे आलिम	54
कयामत में यकीन रखना	56
हमारी इबादतें और नमाज़ (रसूम इबादत)	60
इबादत बन्दगी क्या है?	60
मुकल्लफ़ किसे कहते हैं?	62
अफ़ाल-ए मुकाल्लफ़ीन (अहकाम-ए-इस्लामिया)	68
इस्लाम के दुश्मन	69
इस्लाम की बुनियादें	70
नमाज़ की अदाएंगी	73
किस के लिए नमाज़ एक फ़र्ज़ है (अहकाम/फरमान)?	75
जो नमाज़ अदा करते हैं उनके दर्जे	77
कहानीः नमाज़ जिसने एक शख्स को कैद से आज़ाद कराया	77
कहानीः उनका घर जल गया	80
कहानीः बर्तन में पानी	80
कहानीः पाँव में तीर	81

कहानीः बेहोशी की दवाई	82
कहानीः नमाज़ के लिए कुरबानियाँ	83
नमाज़ की किस्में	84
नमाज़, रोज़ाना पाँच वक्त	85
नमाज़ के फ़राईज़	88
नमाज़ की शर्तें	91
1- हदस से तहारत (बग़ैर वुजू या गुस्ल की हालत से पाकी	91
वुजू की अदाएगी [वुजू, अबदस्त]	91
रसूम वुजू के फ़राईज़	93
एक रसूम वुजू को कैसे अदा करें?	93
रसूम वुजू की सुन्नतें	98
रसूमी वुजू के अदाब	100
एक वुजू की अदाएगी में मुमानिअतें	103
मिस्वाक का इस्तेमाल	104
वुजू करते वक्त कुछ उसूलों का ध्यान करना	106
चीज़ें जो वुजू को ख़त्म करती हैं	107
चीज़ें जो वुजू को ख़त्म नहीं करती	110

बुजू की सहूलतें (मोंज़ों और ज़ख्मों पर मसह)	112
गुस्ल (ज़रूरी धोना)	115
एक गुस्ल के फ़राईज़	116
एक गुस्ल की सुन्नतें	117
गुस्ल किस तरह किया जाए?	117
बज़ाहत (मुलम्मा या भरे हुए दाँतों के बारे में)	118
हैज़ (माहवारी) और निफ़ास (ज़च्चगी)	120
औरतों की हालतें	120
तयम्मुम	123
तयम्मुम के फ़राईज़	125
तयम्मुम की सुन्नतें	126
तयम्मुम के मुतालिक तवज्जुह देने के लिए ज़ाएद पौइण्टस	127
तयम्मुम किस तरह क्या जाए?	130
चीज़ें जो एक तयम्मुम को ख़ारिज करती हैं?	132
बुजू, गुस्ल और तयम्मुम के फ़ायदे	132
2- निजासत से तहारत	134
3- सतर-ए-अवरत	139

(सतर-ए-अवरत और औरतों का अपने आपको ढाकना)	139
नख के रिश्तेदार	143
दूध तरफ (दूधशरीक) रिश्तेदार	144
सुसराली रिश्तेदार	144
4- इस्तिकवाले किव्ला	145
(किल्ले की तरफ मुँह)	145
5- इबादत के औकात	146
वज़ाहत	
(जुनूब और शुमाल कुतूबों पर नमाज़ और रोज़े की अदाएगी):	149
अज़ान और अक़ामत	150
अज़ान और अक़ामत कब कही जाएँ?	151
वज़ाहत	
(क्या लाउड स्पीकर के ज़रिए अज़ान देने की इजाज़त है?)	153
अज़ान की किरअत	155
अज़ान की अल्लमास	155
अज़ान में लफ़्ज़ों के मआनी	156
6- नीयत (इरादा)	157

7- तकवीर तहरीमा	158
नमाज़ के रुकन	158
1- कयाम	158
2- किरअत	159
3- रुकू	160
4- सज्दा	161
5- आखिरी कअदा/कअदा-ए-आखिरा	162
नमाज़ किस तरह अदा करें?	163
एक आदमी अकेले नमाज़ कैसे अदा करे?	163
एक औरत अकेले नमाज़ किस तरह अदा करे?	167
नमाज़ के वाजिबात	168
सज्दा-ए-सहू (छूटने या गलतियों की वजह से सज्दा)	170
सज्दा-ए-तिलावत	171
शुक्र का सज्दा	173
नमाज़ की सुन्नतें	173
नमाज़ के मुस्तहबात	175
नमाज़ के मकरूहात	176

जब नमाज़ अदा न कर रहे हों वो चीज़ें करना जो मकरूह हों	180
चीज़ें जो एक नमाज़ को मंसूख़ करती हैं	181
चीज़ें जो एक नमाज़ को तोड़ने के लिए जाईज़ है	183
चीज़ें जो एक नमाज़ को तोड़ने के लिए फ़र्ज़ हैं	183
जमाअत में नमाज़ (इजतमाअ)	184
इमाम बनने की शराइत	185
सही तरीके से इमाम की तकलीद करने के लिए दस शर्तों का पूरा होना चाहिए	189
नमाज़ के मख़ूक	191
इफ़्तिताह की तकवीर के फ़जाइल	195
कहानीः महल में मस्जिद का बनना	196
जुमा की नमाज़	197
जुमे की नमाज़ के फ़राइज़	199
जुमे की नमाज़ कैसे अदा की जाए?	200
जुमे के अदाव और सुन्नतें	203
ईदों की नमाज़/इवादतें	204
ईद की इवादत कैसे करें?	205

तकवीर तशरीक	206
मौत के लिए त्त्यारी	206
मौत क्या है?	208
मौत से फरार नहीं	209
जनाजे की नमाज़	210
नमाजे जनाजा के फराइज़	210
नमाजे जनाजा की सुन्नतें	211
नमाजे जनाजा कैसे पढ़ें?	212
तरावीह की नमाज़	213
तरावीह कैसे पढ़ें?	213
लम्बे सफ़र के दौरान नमाज़	215
बीमारी के दौरान नमाज़	220
कज़ा इबादतें/नमाज़ें	227
वज़ाहतः	
(क्या सुन्नत की जगह कज़ा नमाज़ों को अदा करने की इजाज़त है?) ...	232
कज़ा नमाज़ें कैसे पढ़ें?	233
वो जो नमाज़ नहीं पढ़ते	235

जो नमाज़ अदा करते हैं उनके फ़ज़ाइल	239
नमाज़ की हकीकी नोय्यत	252
नमाज़ की खुबियाँ/फ़ज़ाइल	254
नमाज़ के राज़	266
नमाज़ अदा करने के बाद गुज़ारिश करना	272
वज़ाहतः	
दुआएँ/गुज़ारिशें कुबूल होने की शर्तें)	274
तजदीद-ए ईमान नमाज़	275
नमाज़ में पोशिदा असबाव (नमाज़ और हमारी सहत)	276
इस्कात-ए-नमाज़	278
मरने वाले के लिए इस्कात और दोर	278
इस्कात और दोर कैसे करें	283
बत्तीस (32) और चौवन (54) फराइज़	293
बत्तीस फराइज़	294
चौवन फराइज़	297
कुफ़्र (बेयकीनी)	300
अपने ईमान को ख़ोना नहीं और बराबर बनाए रखना	326

चीज़ें जो एक ईमान वाले के मौजूदा ईमान को खोने का सबब बने	327
यहाँ बहुत सारे बड़े गुनाह हैं:	
[उनमें से बहत्तर नीचे हैं]	330
एक शख्स की आखिरी सांस में दस चीज़ें जो कुफ़्र का सबब बनती हैं ...	336
अहल अस-सुन्नत के अकीदे को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है के इन मसलों पर गौर किया जाए:	337
बुरे अग्रलाक:	338
नमाज़ की सूह और दुआँ	342
क्या सूरतों और दुआओं को लातेनी हर्फों के साथ लिख सकते हैं?	342
नमाज़ में दुआओं के मआनी	344
इस्तिग़फ़ार की दुआ (माफी के लिए मिन्नत)	363
तौहीद की दुआ	364

नमाज़ एक आला फरमान

आदम अलहेस्सलाम के दौर मे हर मज़हब में एक दिन में एक नमाज़ थी। जो कुछ अदा किया जाता था उसे यकजा किया गया और जो मुहम्मद अलैहिस्सलाम में अक़ीदा रखते थे उनके लिए इन्हें फ़र्ज़ (फरमान) बनाया गया। अगरचे नमाज़ अदा करना ईमान के उसूलों में से एक नहीं है, ये ईमान के लिए ज़रूरी है मानना के नमाज़ फ़र्ज़ है। नमाज़ मज़हब का अहम सुतून है। वो जो अपनी नमाज़ों को लगातार, सही और मुकम्मल अदा करता है वो अपना मज़हब कायम कराता है और इस्लाम की इमारत को मुकम्मल बनाता है। वो जो नमाज़ अदा नहीं करते वो अपने मज़हब और इस्लाम की इमारत को मिस्मार कर देते हैं। हमारे नबी “सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम” ने फरमाया, “हमारे मज़हब का सरबराह नमाज़ है।” जैसे के कोई इंसान बग़ैर सरबराह के नहीं रह सकता, तो ये मुमकिन नहीं है के बग़ैर नमाज़ के मज़हब होना।

इस्लाम में, ईमान रखने के बाद नमाज़ पहला फरमान/हुकूम-ए-इलाही है। अल्लाह तआला ने नमाज़ फ़र्ज़ की है ताकि उसके बंदे सिर्फ उसकी इबादत करें। अल्लाह तआला ने कुरआन अल-करीम की सौ से भी ज़ाइद सतरों में हुकूम दिया “नमाज़ अदा करो!” एक हदीस शरीफ में, ये वाज़ेह किया गया “अल्लाह तआला ने रोज़ाना पाँच वक्त की नमाज़ों की अदाएंगी का हुकूम दिया। अल्लाह तआला ने वादा किया के जो शख्स नमाज़ अहतराम के साथ अदा करेगा और रोज़ाना पाँच वक्तों की हालतों को मानेगा वो उसे जन्नत में डालेगा।”

हमारे मज़हब में नमाज़ सबसे कीमती इबादतों में से हुकूम की गई है। एक हदीस-ए शरीफ में वाज़ेह है: “एक शख्स जो नमाज़ अदा नहीं करता उसे इस्लाम से कोई हिस्सा नहीं मिलता।” एक दूसरी हदीस-ए-शरीफ में, ये

बयान था: “ये नमाज़ है जो मुसलमान को काफिर से आला करती है”; वो ये के, ईमान वाला नमाज़ अदा करता है और काफिर नहीं। मुनाफिक (हीलासाज़), ताहम, कभी कभी इसे अदा करते हैं और कभी कभी नहीं करते। मुनाफिकों को दोज़ख में बहुत सख्त अज़ाव मिलेगा। रसूलुल्लाह “सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम” ने फरमाया, “वो जो नमाज़ अदा नहीं करते अल्लाह तआला को योमुलहशर में बहुत गुस्से में पाएँगे।”

नमाज़ अदा करना अल्लाह तआला की अव्वलीयत को मानना है और उसके आगे खुद को अदना समझना है। एक शख्स जो ये सोच लेता है वो हमेशा अच्छी चीज़ें करता है। वो कभी बुरी चीज़ें नहीं करता। अगर एक शख्स इरादा करले के रोज़ाना वो पाँच वक्त अपने रब (अल्लाह) के सामने है, तो उसका दिल इख्तास (सदाकत) से भर जाएगा। हर काम जो नमाज़ में करने का हुक्म हुआ वो दिल और दिमाग को बहुत सारे फ़ायदे पहुँचाता है।

मस्जिदों में जमाअत में नमाज़ अदा करना मुसलमानों के दिलों को एक दूसरे से मिलाता है। ये उनके बीच में प्यार लाती है। वो ये मानते हैं के वो भाई हैं। बड़े छोटों के साथ नरमाई रखते हैं। और छोटे बड़ों का एहताराम करते हैं। अमीर गरीबों की मदद करते हैं, और ताकतवर कमज़ोरों की। सेहतमंद लोग बीमारों को उनके घर देखने जाएँगे क्योंकि वो उन्हें मस्जिद में नहीं पाते। इस वास्ते हदीस-ए-शरीफ में खुशी की बशारत की नेमत दी गई है, “अल्लाह उस शख्स का मददगार है जो इस्लाम में अपने भाई की मदद के लिए भागे,” वो एक दूसरे के लिए दौड़ें।

नमाज़ लोगों को गन्दे, बुरे और मना की हुई चीज़ों से रोकती है। ये गुनाहों के लिए तसल्ली है। एक हदीस-ए-शरीफ में वाज़ेह है, “रोज़ाना की पाँच नमाज़ें एक दरिया की तरह हैं जो तुम्हारे घर के आगे बह रहा है। अगर एक शख्स रोज़ाना उस दरिया में अपने आपको धोए, तो उस पर कोई गंदगी/धूल

नहीं बचेगी। इसी तरह, जो रोज़ाना पाँच नमाज़ें/इबादतें अदा करता है उसके छोटे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।”

अल्लाह और उसके नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान रखने के बाद, नमाज़ सारे दूसरे कामों और इबादतों में अव्वल है। इसलिए, ये ज़रूरी है के दूसरे फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नतें और मुस्तहबात को सोचते हुए इसे अदा किया जाए। हमारे नबी “सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम” ने अपनी एक हदीस-ए-शरीफ़ में बयान किया, “ए मेरी उम्मा (कौम) और मेरे साथियों! एक नमाज़ पूरे तौर पर उसके उसूलों को ध्यान करते हुए अदा की जाए तो वो सारे कामों से अफ़ज़ल है जो अल्लाह तआला को प्यारी हैं। ये नबियों की एक सुन्नत है। फ़रिश्ते इसे चाहते हैं। ये मारिफ़ा, ज़मीन और आसमानों की रोशनी है (मारिफ़ा: अल्लाह तआला की ज़ात [शख़्स] और सिफ़ात के मुतअल्लिक इल्म)। ये जिस्म की ताकत है। ये सहारे/खुराक के लिए बहुत ज़्यादा है। ये इबादतों/दुआओं को कुबूल कराने की वजह है ये मौत के फ़रिश्ते के खिलाफ़ हायल होती है। ये कब्र में एक सवाल है (कब्र में सवालात करने वाले फ़रिश्ते)। ये कयामत के दिन एक शख़्स की छाँव होगी। ये दोज़ख़ की आग और उसके बीच में एक खाई होगी। ये एक शख़्स को बिजली की तरह पुल सिरात पार कराएगी। ये जन्नत की चाबी है। ये जन्नत में एक शख़्स का ताज होगी। अल्लाह तआला ने मोमिनों/ईमान वालों को नमाज़ से ज़्यादा अहम कोई और चीज़ नहीं दी। अगर वहाँ पर कोई और अफ़ज़ल इबादत होती तो वो पहले ईमान वालों को वो बख़ाता। इस वास्ते, कुछ फ़रिश्ते लगातार कयाम में हैं, कुछ रूकू में, कुछ सज्दे में, कुछ तशहदुद में। उसने इन सबको नमाज़ की एक रकअत में जमा किया और ईमान वालों को एक तोहफ़े की तरह दे दिया। इस वास्ते, नमाज़ ईमान का सिर है, मज़हब का सतून, इस्लाम का लफ़ज़ और मोमिनों की मिराज/भिराज है। ये आसमान की रोशनी है। ये दोज़ख़ से बचाने वाली है।

एक दिन, हज़रत अली अपनी दोपहर बाद की नमाज़ उसके मुकर्रर वक्त में नहीं पढ़ पाए। अपने दुख की वजह से, उन्होंने अपने आपको ज़मीन पर फेंक दिया। रोकर और चिल्लाकर आहो ज़ारी करने लगे। जब हमारे नबी मुहम्मद मुस्तफ़ा “सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम” को इस बात का पता चला, अपने साथियों के साथ, आप हज़रत अली “रज़ी-अल्लाहु अन्ह” के पास गए। जब आपने उनकी हालत देखी, दुनियों के बादशाह, हमारे नबी, “सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम” रोने लगे। आपने अल्लाह तआला से दुआ करी। सूरज दोबारा निकल आया। हमारे आका रसूलुल्लाह “सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम” ने हज़रत अली से कहा, “ए अली! अपना सिर उठाओ। सूरज अभी निकला हुआ है।” हज़रत अली “रज़ी अल्लाह अन्ह” बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने अपनी नमाज़ अदा की।

एक रात, हज़रत अबू बकर सिद्दीक “रज़ी अल्लाहु अन्ह” ने बहुत ज़्यादा इबादत करी और रात के आखिरी हिस्से में सो गए। वितर की नमाज़ का वक्त ख़त्म हो गया। फ़ज्र की नमाज़ में, वो हमारे आका, नबी की तकलीद में आए। वो मस्जिद के दरवाज़े तक आए, और वो पुकारने लगे। वो भीख्र माँगने लगे, “या रसूलुल्लाह! मेरी मदद करें, मेरी वितर की नमाज़ का वक्त निकल गया।” हमारे आका रसूलुल्लाह भी रोने लगे। इस पर, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, “या रसूलुल्लाह! सिद्दीक से कह दो के अल्लाह तआला ने उन्हें माफ़ किया।”

एक रात हज़रत बाएज़ीद-ए बिस्तामी “कुद्दीसा सिरोह,” एक आला वाली, फ़ज्र की नमाज़ के लिए उठ नहीं पाए। वो इतना रोए और आहो ज़ारी करने लगे के उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, “ए बाएज़ीद! मैंने तुम्हारी इस गलती को माफ़ कर दिया। मैंने तुम्हारे रोने की वजह से तुम्हे सत्तर हज़ार नमाज़ों का सवाब दिया।” कई महीनों बाद, वो दोबारा नींद में मग़लूब हो गए। शैतान आया और उनके पाक पैर को पकड़ कर उन्हें उठाया। उसने कहा, “उठ

जाओ, तुम्हारी नमाज़ का वक्त खत्म होने वाला है!” हज़रत बाएज़ीद-ए-विस्तामी ने पूछा, “ओ मलऊन! तुम ऐसी चीज़ किस तरह कर सकते हो? तुम तो चाहते हो के हर कोई अपनी नमाज़ उसके मुकर्रर वक्त में अदा नहीं कर पाए। तुमने मुझे क्यों उठाया?” शैतान ने जवाब दिया, “तुमने अपनी सुबह की नमाज़ छुटने पर रोकर सत्तर हज़ार नमाज़ों का सवाब हासिल किया था। इस बात को सोचते हुए, मैंने तुम्हें जगाया ताकि तुम सिर्फ एक ही नमाज़ का सवाब हासिल कर सको, नाके सत्तर हज़ार नमाज़ों का!”

हज़रत जुनेद-ए-बग़दादी, एक आला वली ने कहा, “इस दुनियावी ज़िंदगी का एक घंटा योमुलइंसाफ़ के एक हज़ार सालों से बहतर है। क्योंकि, इस एक घंटे में, एक शख्स पाक और काबिले कुवूल काम कर सकता है; ताहम, उन एक हज़ार सालों में कुछ भी करना नामुमकिन है।” रसूलुल्लाह “सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम” ने फरमाया, “अल्लाह तआला एक शख्स को, जो एक नमाज़ उसके वक्त पूरा होने के बाद अदा करेगा, उसे अस्सी हुकबाओं के लिए दोज़ख में डालेगा।” एक हुकबा कयामत के बाद अस्सी सालों के बराबर है। कयामत का एक दिन एक हज़ार दुनियावी सालों के बराबर है।

इसलिए, ओ मेरे मज़हब के भाई! अपना वक्त फ़ालतू चीज़ों के साथ बरबाद मत करो। अपने वक्त की कीमत को सराहों। अच्छे काम करने में अपना वक्त गुज़ारों। हमारे प्यारे नबी अलैहि-सलाम ने फरमाया, “अपने वक्त को बेकार चीज़ों में गुज़ारना सबसे बड़ा दुख है!” अपनी नमाज़ों को उनके मुकर्रर ओकात में अदा करो ताकि तुम योमुलहशर में अफ़सोस महसूस न करो और तुम बहुत सारे ईनाम पा सको! एक हदीस-ए-शरीफ़ में, ये वाज़ेह है, “एक शख्स जो अपनी रोज़ाना की नमाज़ें उसके मुकर्रर वक्त में अदा नहीं करता और उसकी कज़ा अदा करने से पहले मर जाता है उसके लिए सत्तर हज़ार खाइयाँ खुल जाती हैं। वो (अपनी कब्र में) आखिरी दिन तक तकलीफ़ उठाएगा।” एक शख्स जो इरादतन अपनी नमाज़ उसके मुकर्रर वक्त में अदा नहीं करता;

वो ये के, अगर वो एक नमाज़ को अदा ना करने पर अफ़सोस नहीं करता जबकि उसका मुकर्रर वक्त ख़त्म हो गया, वो एक काफ़िर बन जाता है या जब तलक वो मरता है अपना ईमान ख़ो देता है। उनका क्या बनेगा जिन्हें नमाज़ याद नहीं या जो नमाज़ को एक फ़र्ज़ की तरह नहीं देखते? चारों मसलकों के आलिमों ने एक राए/इतेफ़ाक़ राए से ये वाज़ेह किया के जो कोई भी नमाज़ को छोटा समझेगा, जो इसे एक फ़र्ज़ की तरह कुबूल नहीं करेगा वो एक **मुरतदिद** हो जाता है, यानी काफ़िर। हज़रत अबदुलग़नी नबलुसी ने अपनी किताब “हदीकतुन नादिया”, के एक बाब जिसका उनवान “जुवान की तकलीफ़ें” हैं, उसमें भी फरमाया है, के एक शख़्स जो जानबुझकर नमाज़ अदा नहीं करता और जो उसकी कज़ा अदा नहीं करना चाहता और जो इस बात से नहीं डरता के इस वजह से उसे अज़ाब मिल सकता है वो एक **मुरतदिद** है, यानी एक काफ़िर।

हज़रत इमाम रब्बानी ने अपनी किताब **मकतूबात** की पहली जिल्द के दो सौ पिछत्तर (275) वें ख़त में इस तरह बयान कियाः तुम वो नेयमतेँ इस्लामी इल्म सिखाकर और फ़िकह के उसूलों को मशहूर करके हासिल कर सकते हो। उन जगहों पर जहालत कायम थी और विदअत ग़ालिब थी। अल्लाह तआला ने तुम्हें अपने प्यारों की तरफ़ दुलार के साथ रहमत किया। उसने तुम्हें इस्लाम फैलाने का एक ज़रिया बनाया। इस मामले में, अपनी पूरी कोशिश करो मज़हबी तालीम को पढ़ाने के लिए और फ़िकह के उसूलों को फैलाने के लिए। ये दोनों ऊँचे दरजों पर पहुँचने के लिए और निजात की वजूहात के लिए ये हिमायत के सबसे मुकददम हैं खुशियाँ हासिल करने के लिए। कोशिश करो! मज़हबी आदमी की तरह आगे आओ! अमर-ए-मारूफ़ और नहीं-ए-मुंकर अदा करो और जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन्हें सही रास्ते पर हिदायत करो! सूरह मुज़्जमिल की उन्नीसवीं आयत में, ये वाज़ेह है, “उन लोगों के लिए जो अपने रब की रज़ा चाहते हैं, ये बेशक एक सलाह है।”

आओ, नमाज़ अदा करो, और हमारे दिलों से आलूदगी साफ़ करो;
वहाँ अल्लाह तक कोई रसाई नहीं है, जब तक के नमाज़ अदा नहीं है!

जहाँ नमाज़ अदा की जाती है, गुनाह सारे झड़ जाते हैं;
आदमी कभी मुकम्मल नहीं होता, जब तक के नमाज़ अदा नहीं होती है!

अल्लाह तआला ने तारीफ़ की है नमाज़ की बहुत ज़्यादा कुरआन अल करीम
में;
“भैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा,” उसने कहा, “जब तक के नमाज़ अदा नहीं होती
है!”

एक हदीस-ए-शरीफ़ पढ़ी गई: ईमान की निशानी
अपने आप आदमी पर जाहिर नहीं होती, जब तक के नमाज़ अदा नहीं होती
है!

वाहिद एक नमाज़ को छोड़ना एक गुनाह है, एक बहुत बड़ा;
तौबा तुम्हें आज़ाद नहीं करती, जब तक के कज़ा अदा नहीं होती है!

वो जो नमाज़ को छोटा समझता है अपना ईमान खोता है, उसी वक्त;
एक शख्स एक मुसलमान नहीं होता, जब तक के नमाज़ अदा नहीं होती है!

नमाज़ तुम्हारे दिल को पाक करेगी, और बुराई से परे रखेगी;
तुम कभी भी रोशन नहीं हो सकते, जब तक के नमाज़ अदा नहीं होती है!

पहला हिस्सा

ईमान और नमाज़

सब के लिए ईमान मुकददम है

अल्लाह तआला चाहता है के लोग दुनिया में आराम और अमन से रहें और आखिरत में लामहदूद खुशियाँ हासिल करें। इस वजह से उसने फायदेमंद चीज़ों का हुकूम दिया जो खुशियों का सबब बनें और नुकसान वाली चीज़ों की मुमानियत की जो तकलीफों का सबब बनें। अल्लाह तआला का पहला फरमान है ईमान (अकीदा) रखना। ईमान रखना सब लोगों के लिए ज़रूरी है। ये हर एक के लिए लाज़िम है।

इल्मी तौर पर ईमान का मतलब है एक शख्स को जानता के वो मुकम्मल और सच्चा है और उसमें यकीन रखता है। इस्लाम में, ईमान का मतलब है इस हकीकत को मानन के रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) अल्लाह तआला के पैग़म्बर हैं; वो (नबी), हैं पैग़म्बर उसके ज़रिए चुने गए, और इसे दिल से कहना; और जो मुख़्तसिर आपने बताया उस मुख़्तसिर में यकीन रखना और जो आपने तफ़सील से बताया अल्लाह तआला की तरफ़ से तफ़सील में यकीन करना; और जब भी मुमकिन हो (कलिमा अश-शहादा) कहना। मज़बूत ईमान ऐसे है जैसे के, हमें पक्का पता हो के आग जल रही है, साँप ज़हर से मारते हैं और हम उनसे बचते हैं, हमें अल्लाह तआला और उसके सबब पर तजवीज़ करना चाहिए, और इस बात पर दिल से यकीन होना चाहिए, उसकी सलाह (रज़ा) की कोशिश करनी चाहिए और उसके हुस्न (जमाल) के लिए भागना चाहिए, और उसके गुस्से (ग़ज़ब) और अज़ाब

(जलाल) से खबरदार रहना चाहिए। हमें इस ईमान को दिल पर मार्बल के ऊपर नकश की तरह मज़बूती से कुंदा कर लेना चाहिए।

ईमान का मतलब है हर उस चीज़ को चाहना जिसे मुहम्मद अलैहिस्सलाम ने कहा और मंज़ूर किया, वो ये के दिल के ज़रिए यकीन करना। वो लोग जो इस तरह यकीन रखते हैं उन्हें **मोमिन** या **मुस्लिम** कहते हैं। हर एक मुसलमान को मुहम्मद अलैहिस्सलाम की तकलीद करनी चाहिए। उन्हें आपके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। आपका रास्ता कुरआन अल करीम के ज़रिए दिखाया गया रास्ता है। इस रास्ते को **इस्लाम** कहते हैं। आपकी तकलीद करने के लिए, सबसे पहले, ये ज़रूरी है के ईमान हो, फिर, इस्लाम के कानून को सीखें, फिर, फराइज़ (हुकूम-ए-इलाही) को अदा करे और हराम (ममनुअ चीज़ें या काम) से बचें, फिर सुन्नत अदा करे और मकरूहात से बचें। इन सबके बाद, हमें कोशिश करनी चाहिए के अपने आपको मुबहो में भी उनके जैसा बनाएँ।

हमारे मज़हब की बुनियाद ईमान है। अल्लाह तआला उन लोगों से ना तो प्यार करता है ना ही उनकी कोई इबादत या कोई अच्छे काम कुबूल करता है जो ईमान नहीं रखते। कोई भी शख्स जो एक मुसलमान बनना चाहता है उसे पहले ईमान रखना होगा। फिर, जब भी ये ज़रूरी हो उसे गुस्ल, वुज़ू, नमाज़ और दूसरे फराइज़ और हराम सीखने चाहिए।

अकीदा सही होना चाहिए

हवासे खमसा और दिमाग के ज़रिए पकड़ी गई इतलाआत ईमान हासिल करने के लिए फायदेमंद हैं। साईन्सी इल्म एक शख्स को ये समझने और जानने में मददगार हुआ के काएनात का तरीका, और बाकाएदगी हादसाती नहीं है और वहाँ पर एक तख़लीक करने वाला है। इस तरह से ये एक शख्स को ईमान हासिल करने में मदद करता है। ईमान का मतलब है हज़रत मुहम्मद अलैहिस्सलाम हमारे आख़िरी नबी के ज़रिए जो इल्म लाया गया अल्लाह तआला की तरफ़ से उसे सीखना और उनपर यकीन रखना। नबियों पर यकीन ना रखना अगर एक शख्स कहे, “मैं उनपर इस शर्त पर यकीन करूँगा के वो दिमाग से एकमत हैं।” मज़हबी इल्म की वजह पर काबिज़ होकर पाना नहीं है। जो हमारे नबी हज़रत मुहम्मद अलैहिस्सलाम ने नशर किया वो **अहल अस-सुन्नत** की किताबों से सीखा जा सकता है और वो उसके मुताबिक यकीन किए जाएँ। सही और काबिलेकुबूल ईमान होने के लिए, ये ज़रूरी है के मंदरजाज़ेल शर्तों को भी माना जाएः

1- ईमान लगातार और साबित कदम हो। हमें उसे एक लम्हे के लिए भी छोड़ने का इरादा नहीं करना चाहिए। कोई भी जो तीन साल बाद काफ़िर होने की इच्छा रखे वो जैसे ही ऐसा सोचता है उसी वक्त काफ़िर बन जाता है।

2- मोमिन का ईमान ख़ौफ़ (डर) और रज़ा (उम्मीद) के बीच होना चाहिए। हमें अल्लाह तआला के अज़ाब से डरना चाहिए, बहरहाल, हमें उसकी रहमत (अल्लाह की शफ़कत) से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हर एक गुनाह से ख़बरदार होना चाहिए; हमें ख़ौफ़ होना चाहिए के हमारे गुनाहों की वजह से हम अपना ईमान खो सकते हैं। चाहे अगर एक शख्स हर गुनाह का काम

करले, एक शख्स को अल्लाह तआला के ज़रिए माफ़ किए जाने की उम्मीद से महरूम नहीं होना चाहिए। हमें अपने गुनाहों के लिए पछताना चाहिए। इस वास्ते, वो जो अपने गुनाहों पर तौबा करते/पछताते हैं वो ऐसे हैं जैसे उन्होने कभी ये किए ही नहीं।

3- एक शख्स को अपनी रूह के गले (उसकी मौत के दौरान) एक पहुँचने से पहले ईमान रखना चाहिए। जब रूह गले/हलक तक पहुँच जाती है, एक शख्स को बाद के सारे वाक्यात नज़र आने लगते हैं। उस वक्त, हर काफ़िर ईमान चाहता है। ताहम, ईमान नज़र नहीं आता। ये ज़रूरी है इसे देखने से पहले इस पर यकीन करना। तुम्हारे इसको देखने के बाद, ये कोई ईमान नहीं रह जाता। बहरहाल/ताहम, उस वक्त मोमिन का पछतावा/माफ़ी कुबूल हो जाती है।

4- एक शख्स को सूरज के मगरिव से निकलने से पहले ईमान ले आना चाहिए। कयामत की एक सबसे बड़ी निशानी सूरज के मगरिव से उगने/निकलने की है। सारे लोग जो इसे देखेंगे वो यकीन करेंगे। ताहम, उनका ईमान कुबूल नहीं किया जाएगा। तौबा के दरवाज़े उस वक्त बंद हो चुके होंगे।

5- एक शख्स को ये मानना चाहिए के अल्लाह तआला के सिवा कोई ग़ैब, छिपी हुई चीज़ें नहीं जानता। यानी, सिर्फ़ अल्लाह तआला ग़ैब जानता है। जिन्हें वो ग़ैब की चीज़ों के बारे में बताता है वही उसके बारे में जान पाते हैं। फ़रिश्ते, जिन्नात, शैतान, यहाँ तक के नबी भी ग़ैब नहीं जानते। ताहम, अगर अल्लाह अपने नबियों या अपने प्यारे बंदों को खबर करना चाहे, तब वो भी इसे जान सकते हैं।

6- किसी भी मज़हब के उसूल ईमान या इबादत से तअल्लुक रखते हुए बग़ैर किसी ज़ोर ज़बरदस्ती या जान बुझकर ऐसा करते हुए, एक शख्स को

इंकार नहीं करना चाहिए। अहकाम-ए-इस्लामिया को छोटा जानना कुफ़्र है, यानी, इस्लाम के फरमान या ममनुआत में से कोई एक को, कुरआन अल-करीम की, फरिश्तों या नवियों में से किसी एक की खिल्ली उड़ाना, या वगैर ज़ोर ज़बरदस्ती के इंकार करना उनके ज़रिए किसी भी मवासलात को। वो जो मुहजुबानी अल्लाह तआला, फरिश्तों, फर्ज़, गुस्ल की खुबी या नमाज़ की मौजूदगी से इंकार करे, किसी सख्त ज़रूरत के तहत जैसे के कल्ल किए जाने की धमकी की वजह से, तो वो एक काफ़िर बन जाता।

7- एक शख्स को इस्लामी मज़हब के ज़रिए खुले तौर पर यकीनी ई लम के मवासलात पर शक या हिचकिचाहट नहीं करना चाहिए। अगर एक शक करता है के आया नमाज़ फर्ज़ है, या क्या शराब और दूसरे नशीलें शरबत पीना, जुआ खेलना, सूद (रिबा), रिश्वत हराम (ममनुअ) हैं तो ये कुफ़्र का बाइस है। जाने माने हलाल के लिए कहना के ये हराम है या जाने माने हराम के लिए कहना के ये हलाल है तो कुफ़्र का बाइस है।

8- इस्लाम ने क्या मवासलात की हैं उसी के मुताबिक ईमान होना चाहिए (ईमान इस्लाम पर मुबनी होना चाहिए)। दिमाग के ज़रिए चीज़ों में यकीन रखना, या फलसफियों के बयानात या गल्ल साईन्सदानों के मुताबिक मज़हब पर यकीन करना ईमान नहीं है। एक शख्स को मुहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़रिए बताए गए तरीके पर यकीन करना चाहिए।

9- जो ईमान रखते हैं वो सिर्फ अल्लाह तआला की रज़ा के लिए प्यार करते हैं और अल्लाह तआला की रज़ा के लिए वो मुख़ालफ़त रखते हों। ये ज़रूरी है के मुसलमानों को चाहना वो अल्लाह तआला के ज़रिए प्यार किए गए और जो अपने हाथ या कलम के ज़रिए इस्लाम की तरफ़ नफ़रत दिखाएँ उन लोगों को नापसंद करें। ये मुख़ालफ़त/दुश्मनी दिल में जगह करनी चाहिए।

[हमें गैर-मुस्लिम शहरियों या गैर-मुल्कियों को मुसकुराते चेहरे और नरम अलफाज़ में सुलूक करना चाहिए। हमारे खुबसूरत अख्लाक के साथ, हमें उन्हें अपने मज़हब के साथ प्यार कराने वाले बनाना चाहिए।]

10- ये ज़रूरी है के उस तरीके में यकीन रखना जिसे सच्चे मुसलमान जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के ज़रिए दिखाए गए सही रास्ते को नहीं छोड़ते। सही अकीदा होने के लिए, एक शख्स को अहल-अस-सुन्नत वल जमाअत के अकीदों के उमूलों के मुताबिक यकीन करना चाहिए। [एक शख्स जो अहल अस-सुन्नत के आलिमों के ज़रिए लिखी गई सही मज़हबी किताबों से जुड़ जाता है वो सवाब (तौहफें, इनाम आखिरत में) हासिल करता है उस सवाब की कुल मिकदार के बराबर जो उन सौ लोगों को मिलेगा जिन्होंने शहादत हासिल की। मुसलमानों के चार मसलकों में से किसी एक से जुड़े हुए आलिम (अहल अस-सुन्नत) हैं। इमाम-ए आज़म अबू हनीफा अहल अस-सुन्नत के आलिमों के रहनुमा है रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को उन हकीकतों के बारे में बताया जो अल्लाह तआला उन्हें लिखवाई /बताई। और सहाबा ने, अपनी वारी में, इन हकीकतों को अपने शागिर्दों (अहल-अस-सुन्नत के आलिमों) को बताया, जिन्होंने अपनी वारी में उन्हें अपनी किताबों में लिखा।]

अहल अस-सुन्नत का अकीदा

एक मुसलमान के लिए पहली ज़रूरत ईमान (यकीन, अकीदा) रखना है। सही ईमान अहल-अस-सुन्नत के अकीदे के मुताबिक यकीन रखने पर मुनहसिर करता है। वाशऊर और जवान मर्द और औरतों के लिए पहला फर्ज है अहल अस-सुन्नत के आलिमों की किताबों में लिखे हुए अकाइद के इल्म को सीखना और उनके मुताबिक यकीन करना। आखिरत में निजात हासिल करने

के लिए जो बताया गया है उसपर यकीन करने पर मशरूत है। वो जो दोज़ख़ से बचेंगे वो होंगे जो उनके तकलीद किए हुए रास्ते की तकलीद करेंगे। वो जो अहल अस-मुन्नत के आलिमों के रास्ते की तकलीद करेंगे वो (सुन्नी) या (अहल अस-मुन्नत) कहलाएँगे। तुर्की की किताब (इस्लाम अहलाका - इस्लाम के अख़लाक) के पाँच सौ तरेप्पनवें सफ़ेह पर छयालिसवें ख़त को देखिए।

ये एक हदीस-ए-शरीफ़ में बयान है, “भेरी उम्मत तेहत्तर गुपों में बंट जाएगी। उनमें से सिर्फ़ एक बचेगी दोज़ख़ से और दूसरी ख़त्म हो जाएँगी, वो दोज़ख़ में जाएँगी।” इन तेहत्तर गुपों में से हर एक इस्लाम को मानने का दावा करेगा। हर गुप कहेगा के वो एक गुप है जो दोज़ख़ से बचेगा। सुरत उल-मोमिनुन की चौवन वीं आयत और सुरत-उर-रोम की बत्तीसवीं आयत में वाज़ेह हुआ है, जिसके मआनी हैं: “हर पार्टी खुशी मनाएगी, ये मानते हुए के वो सही रास्ते पर है।” ताहम, इन बहुत सारे गुपों में से, उस एक की निशानी, अलामत जो महफूज़ रहेगा हमारे नबी “सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम” ने इस तरह दी है: “वो जो इस गुप में हैं वो हैं जो मेरे और मेरे सहाबा के ज़रिए तकलीद किए हुए रास्ते को मानेंगे।” एक शख़्स जो किसी भी एक असहाब-ए-किराम को प्यार नहीं करता वो अहल-अस-मुन्नत से परे हट गया। एक शख़्स जो अहल अस-मुन्नत पर ईमान नहीं रखता वो या अहल-ए-बिदअत, या हिलहादी मुसलमान, या एक मुल्हिद, एक काफ़िर बन जाता है।

अहल अस सुन्नत का अकीदा रखने की अलामतें

अल्लाह तआला उन मुसलमानों के साथ राज़ी रहता है जो अहल-अस सुन्नत के अकीदे के मुताबिक ईमान रखते हैं। इस तरह से ईमान रखने की कई शर्तें हैं। अहल-अस सुन्नत के आलिमों ने उन्हें मंदरजाज़ेल वाज़ेह किया है:

1- ये ज़रूरी है के आमन्तु के ईमान के छः अकीदों में यकीन रखना। यानी के, अल्लाह तआला के वुजूद और उसकी तौहीद में, उसका कोई साथी या सानी नहीं, उसके फरिश्तों में, उसकी किताबों में, उसके रसूलों में, कियामत के दिन में, और इस पर के अच्छी (ख़ैर) और बुरी (शर) तकदीर अल्लाह तआला की तरफ़ से होती है और मौत के बाद उठाए जाने पर यकीन रखना ज़रूरी है। (ये सब आमन्तु की दुआ में बयान है।)

2- ये ज़रूरी है के इस बात पर ईमान रखना के कुरआन अल-करीम अल्लाह तआला का कलाम है और उसके ज़रिए भेजी गई ये दायम और आख़िरी किताब है।

3- एक ईमान वाला/वाली कभी अपने ईमान पर शक नहीं लाता/लाती।

4- ये ज़रूरी है के सारे असहाब-ए-किराम से प्यार रखना जिन्हें हमारे नबी अलैहिस्सलाम जबके आप ज़िंदा थे को देखने और ईमान रखने की सआदत नसीब हुई। ये ज़रूरी है के कभी भी आपके चारों ख़लिफ़ाओं, आपके कुंवे के किसी रूकन या आपकी इज़ज़तदार वीवियों के बारे में कुछ बुरा न बोला जाए।

5- ये ज़रूरी है के इबादत के कामों को ईमान (यकीन) का हिस्सा तजवीज़ न करना। यानी के, इस बात की इजाज़त नहीं है के एक मुसलमान को जो इबादत के काम नहीं करता और जो गुनाहों का इर्तिक़ाद करता है उसे एक काफ़िर [मुशिरक] कहना। एक शख्स जो हराम को ग़ैरअहम तजवीज़ करता है, जो उनके बारे में नहीं सोचता या इस्लाम का मज़ाक उड़ाता है वो अपना ईमान खो देता है।

6- ये ज़रूरी है के जो लोग कहते हैं वो अहल-ए-किब्ला है और जो अल्लाह तआला और उसके नबी मुहम्मद अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं उन्हें, काफ़िर नहीं कहना चाहिए। चाहे अगर उनके कुछ हिल्हादी अकीदे क्यों ना हो। [बहरहाल, अगर एक शख्स के ईमान का अकीदा जो अहल-ए-किब्ला के नाम में हो वो पक्के ज़रिए के मुव़ालिफ़ हो जिसका मआनी साफ़ हो, तब ये यकीन कुफ़्र है। इस मामले में वो एक काफ़िर है, चाहे अगर एक शख्स नमाज़ अदा करता हो और बाकी दूसरे इबादत के काम करता हो।]

7- एक इमाम जो जाना जाता हो के उसने खुले तौर पर कोई गुनाह नहीं किया उसके ज़रिए तकलीद की गई नमाज़ अदा करने की इजाज़त है। ये फ़ैसला कमान्डरों और गवर्नरों के लिए भी जाइज़ है जो जुमें की नमाज़ों की रहनुमाई करते हैं।

8- मुसलमानों को अपने कमान्डरों और मुन्तज़िमों के ख़िलाफ़ बगावत नहीं करनी चाहिए। बगावत फ़ितने की वजह के बराबर है और फ़ितना बहुत सारी आफ़तों की जड़ है। हम दुआ करते हैं के वो अच्छे काम करें और हम उन्हें सलाह भी देते हैं – नरम अलफ़ाज़ के साथ- के अपने आपको ख़राब, गुनाहों के कामों से दूर रखें।

9- वुजू करते वक्त, चाहे अगर कोई उज़र या सख्त ज़रूरत न हो, दोनो आदमियों और औरतों के लिए ज़रूरी है के mests पर मसह (एक शख्स का गिले हाथों को रगड़ना) करें (एक mest ऐसा जूता है जिस पर पानी नहीं ठहरता वो पैर के उस हिस्से को ढकता है जो वुजू में धोना फ़र्ज़ है) वजाए पैरों को धोने से। खुले पैर या मोज़ों पर मसह करने की इजाज़त नहीं है।

10- ये ज़रूरी है के इस बात पर ईमान रखना के मेराज [हज़रत मुहम्मद की आसमानों पर रसाई] जिस्म और रूह दोनो के साथ हुई। कोई भी जो कहे, “के मेराज एकहालत है। यानी, वो ख्वाब में नाज़िल हुई” तो वो अहल-अस-सुन्नत से फ़िर जाता है।

दूसरी दुनिया में, मुसलमान अल्लाह तआला को जन्नत में देखेंगे। योमुल हिसाब में, पहले रसूल, फिर पाक, अच्छे लोग बोलेंगे। कब्र में सवाल जवाब सही है। कब्र में जिस्म और रूह दोनों पर अज़ाब नाज़िल किया जाएगा। करामात [करामते जो अल्लाह तआला अपने सबवों के उसूलों से वाहर अपने नेक बन्दों के हाथों के ज़रिए ज़ाहिर करवाता है] औलिया की सही/सच्ची हैं। करामात ग़ैर मामूली हालतें हैं जो अल्लाह तआला के प्यारे बन्दों में ज़ाहिर होती हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी आदत के ख़िलाफ़ है। यानी, वो जिस्मानी, किमयाई

या हयाताती कानूनों की हदों में नहीं हैं। करामतें बेशुमार हैं जिनसे इंकार नहीं किया जा सकता। रूहें अपनी कब्रों में सब जानती हैं और सुनती हैं के ज़िन्दा लोग क्या कह रहे हैं या कर रहे हैं। कुरआन अल-करीम के पढ़ने का सवाब पहुँचाना, ख़ैरात देना और चाहे हमारी सारी इबादतें, मुर्दों की रूहों को पहुँचाना, उनके लिए फ़ाएदेमंद है। ये उनकी सज़ाओं को कम करने या रिहा कराने का सबब बनती हैं। इन सब में यकीन रखना अहल अस-सुन्नत के अकीदे की अलामतों को रखने में से एक है।

ईमान की बुनियादें

ईमान की छः बुनियादें हैं। ये बुनियादें आमन्तु की दुआ में वाज़ेह की गई हैं। रसूलुल्लाह “सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम” ने फरमाया ईमान का मतलब है छः ख़ास चीज़ों में यकीन रखना। इसलिए, हर मुसलमान को अपने बच्चों की (आमन्तु) पढ़ाना चाहिए और इसे उन्हें याद कराना चाहिए।

आमन्तुः (आमन्तु बिल्लाहि व मलाइ क तिही व कुतुबिही व रूसुलिही वल यौमिल आख़िरी वल्फ़्द्री, ख़ैरिही व शरिही मिनल्लाहि तआला वल्बअसि बअ-दलमौत हक्कून, अशहदु अन लाइला-ह इल्लल्लाहु व अशहदु अन-न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू।)।

पहली बुनियाद अल्लाह तआला में यकीन रखना

आमन्तु बिल्लाह का मतलब है “मैं ईमान लाया अल्लाह तआला की मौजूदगी और उसकी तौहीद पर। मैं इस हकीकत को अपने दिल के साथ कुबूल करता हूँ।” अल्लाह तआला मौजूद है और वो एक है। “एक” के दो लुगाती मआनी हैं। पहला, नम्बर के तौर पर, ये दो का आथा है और नम्बरों की शुरूआत है। दूसरे का मतलब है एक होना ऐसे जिसका कोई साथी या सानी न हो। इसलिए, अल्लाह तआला एक है। इसका मतलब है उसका कोई साथी या सानी नहीं है। यानी, उसकी सिफ़ातों में या उसकी ज़ात में कोई साथी नहीं। जैसे के सारी मख़लूक की सिफ़ात या ज़ात उसके बनाने वाले की सिफ़ात या ज़ात

की तरह नहीं हैं, इसी तरह ख़ालिक की ज़ात या सिफ़ात उसकी मख़लूक के वरअकस हैं।

अल्लाह तआला वाहिद सारी मख़लूक के अज़ा और ख़लियों का ख़ालिक है। कोई भी अलाह तआला की ज़ात को नहीं जान सकता। दिमाग़ में जो चीज़ भी आए वो उन सब से परे है। उसकी ज़ात के बारे में सोचने की इजाज़त नहीं है। ताहम, कुरआन अल करीम में सिफ़ात के साथ उसकी पाकी को सच्चाई के साथ बोलना चाहिए। सारी उसकी सिफ़ातें और नाम माज़ी में लाज़वाल हैं (बग़ैर आगाज़ के होना) और दाएमी हैं। उसकी ज़ात कहीं भी नहीं है। वो छः जानी हुई सिमतों के बग़ैर है। यानी के, वो सामने नहीं है, वो पीछे नहीं है, दायें/सीधे नहीं, बायें नहीं, ऊपर या नीचे नहीं। एक शख़्स यही कह सकता है के वो वाहिद है जो हर जगह और हर वक्त हाज़िर [मौजूद] और दिख़ता है। लेकिन उसकी ज़ात मौजूद और उसकी नज़र बग़ैर वक्त और बग़ैर जगह के है, यानी बग़ैर उसकी हस्ती के हर जगह।

अल्लाह तआला की सिफ़ात चौदह हैं। **अस-सिफ़ात** [ख़ासियतें] **अज़-ज़ातिया** अल्लाह तआला की छः हैं। अल्लाह तआला की **अस-सिफ़ात** [ख़ासियतें] **अस-सुबूतिया** आठ हैं। इनके मआनी को याद करना और सीख़ना यकीनी है।

अस सिफ़ात [खासियतें] अज़ ज़ातिया

1- **अल वुजूदः** अल्लाह तआला मौजूद है। उसकी मौजूदगी माज़ी में लाज़वाल है। वो वाजिब अल वुजूद है; यानी, उसकी मौजूदगी ज़रूरी है।

2- **अल किदमः** अल्लाह तआला की मौजूदगी बग़ैर आगाज़ के है।

3- **अल-बकाः** अल्लाह तआला की मौजूदगी बग़ैर ख़त्म के है। उसकी हस्ती को कभी रोका नहीं जाएगा। जैसे के एक साथी की मौजूदगी का होना नामुमकिन है, इसी तरह उसकी ज़ात [हस्ती, महक] और सिफ़ात का ग़ैरमौजूद होना नामुमकिन है।

4- **अल-वहदानियाः** अल्लाह तआला की ज़ात, सिफ़ात और कामों में कोई साथी या सानी नहीं है।

5- **अल-मुखालफ़त-उन लिल-हवादिसः** उसकी ज़ात और सिफ़ात उसकी अपनी किसी तख़लीक की ज़ात और सिफ़ात से मुशाबह नहीं है।

6- **अल-कियाम बि-नफ़सिहीः** अल्लाह तआला अपनी ज़ात के साथ मौजूद है। उसे किसी जगह की ज़रूरत नहीं। जब कोई सामान या जगह नहीं थी, वो मौजूद था, क्योंकि वो किसी भी ज़रूरत से आज़ाद है। वो दाएमी मुसतकविल में भी हमेशा ऐसा रहेगा जैसे के वो इस काएनात को ग़ैरमौजूदगी से वुजूद में लाने से पहले था।

अस-सिफ़ात [खासियतें] अस-सुबूतिया

1- **हयातः** अल्लाह तआला ज़िंदा है। उसकी ज़िंदगी मख़लूक की ज़िंदगियों से नामुवाफ़िक है। उसकी ज़िंदगी, जो उसकी ज़ात के लिए लायक और अपने आप में एक मिसाल है वो माज़ी में और मुस्तकबिल में लाज़वाल है।

2- **इल्मः** अल्लाह तआला सब कुछ जानता है। उसका इल्म उसकी तख़लीक के इल्म से मिलता हुआ नहीं है। अगर एक चींटी अंधेरी रात में एक काले पत्थर पर चल रही हो, वो ये देखता है और जानता है। वो लोगों के दिलों में छुपे हुए ख्यालात और इरादों को जानता है। उसके इल्म में कोई फर्क नहीं आती। ये माज़ी और मुस्तकबिल में लाज़वाल है।

3- **समआः** अल्लाह तआला सुनता है। वो बग़ैर किसी ज़राए या सिमत/हिदायत के सुनता है। उसकी सुनने की ताकत तख़लीक की कुव्वते समाअत की तरह नहीं है। उसकी ये सिफ़त, उसकी दूसरी सिफ़ात की तरह, माज़ी में और मुस्तकबिक में भी, लाज़वाल है।

4- **बसरः** अल्लाह तआला देखता है। वो बग़ैर आलात और शर्तों के देखता है। उसका देखना आँखों के ज़रिए नहीं है।

5- **इरादाः** अल्लाह तआला चाहता है। वो जो चाहता है तख़लीक करता है। हर चीज़ उसके चाहने से वुजूद में आ जाती है। वहाँ पर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसके चाहने को रोके।

6- **कुदराहः** अल्लाह तआला कादिर-उल मुतलक है। कोई भी चीज़ उसके लिए मुशिकल नहीं है।

7- **कलामः** अल्लाह तआला के पास बोलने की सिफ़त है। उसका बोलना औज़ारों, ख़तों, आवाज़ों, या एक जुवान के ज़रिए नहीं है।

8- **तकवीनः** अल्लाह तआला तख़लीक करने वाला है। अल्लाह के बराबर कोई ख़ालिक नहीं है। हर चीज़ उसके ज़रिए तख़लीक की गई। हमें अल्लाह तआला के अलावा किसी को ख़ालिक नहीं कहना चाहिए।

उसकी सिफ़ात की सही ख़सलत को समझना नामुमकिन है। उसकी सिफ़ात में एक साथी या एक सानी कोई भी नहीं हो सकता।

दूसरी बुनियाद

फरिश्तों में अकीदा रखना

व मलाइकतिहीः इसका मतलब है 'मैं अल्लाह तआला के फरिश्तों में ईमान रखता हूँ। फरिश्ते अल्लाह तआला के बन्दे हैं। वो सब उसके एहकाम की फरमावरदारी करते हैं। वो कभी गुनाह करने का जुर्म नहीं करते। वो न तो आदमी होते हैं न औरत। उनकी शादी नहीं होती। वो ज़िंदा है। वो न तो खाते हैं न पीते हैं न ही सोते हैं। वो नूरानी (चमकीले, रूहानी) मख़लूक है जिनके पास अक़ल (समझ) होती है। सबसे आला फरिश्ते चार मुकर्रब फरिश्ते हैंः

1- **जिब्राईल** अलैहिस्सलामः उनका काम नबियों के पास वही (पैगामात) लाते थे और उन्हें ममनुआत और अहकाम के बारे में भी इतलाअ देते थे।

2- **इसराफ़ील** अलैहिस्सलामः उनके पास सूर फूँकने का काम है। उनकी पहली फूँक पर, अल्लाह तआला के सिवा, हर जानदार चीज़ जो ये आवाज़ सुनेगी वो मर जाएगी। उनकी दूसरी फूँक पर, सब ज़िंदा हो जाएंगे।

3- **मीकाईल** अलैहिस्सलामः रिज़क फराहम करने की सस्ता करने की, कस्त की मंहगाई की, कमी की, और हर चीज़ की तहरीक की उनकी ज़िम्मेदारी है।

4- **इज़राईल** अलैहिस्सलामः वो मखलूक की जान निकालने पर लगे हुए हैं।

इन चारों के बाद, यहाँ पर फरिश्तों के चार दर्जे हैं। **हमालात अल-अर्श** के चार फरिश्ते; पाकी की मौजूदगी में फरिश्ते, जिन्हें **मुकर्रबीन** कहा जाता है। अज़ाब वाले फरिश्तों के रहनुमा, जिन्हें **करुबियान** कहते हैं; और रहम करने वाले फरिश्ते, जिनके नाम **रूहानियान** हैं। जन्नत के फरिश्तों के सरबराह का नाम **रिज़वान** है। दोज़ख के फरिश्तों के सरबराह का नाम **मालिक** है। दोज़ख के फरिश्तों को **ज़बानीस** कहते हैं। सारी तखलीकों में, फरिश्ते सबसे ज़्यादा हैं। आसमान में ऐसी कोई खाली जगह नहीं है जहाँ फरिश्ते इबादत न करते हों।

तीसरी बुनियाद आसमानी किताबों में यकीन रखना

व **कुतुबिही**ः “इसका मतलब है अल्लाह तआला के ज़रिए नाज़िल की गई किताबों पर मैं यकीन रखता हूँ।” अल्लाह तआला ने इन किताबों को एक फरिश्ते जब्राईल के ज़रिए उनके मुबारक कानों में कहलवाते थे। कुछ को

उन्होंने तख्तियों पर कंदा किताबें भेंजी, और कुछ दूसरों को बगैर फरिश्तों के सुनवाया। ये सारी किताबें अल्लाह तआला के लफ़ज़ हैं। वो माज़ी में अमर हैं और हमेशा रहेंगी। ये मख़लूक नहीं हैं। वो सब सच्ची हैं। इन आसमानी किताबों में से, उसने हमें एक सौ चार की मौजूदगी के बारे में बताया है। **दस सहीफे** आदम (एडम) अलैहिस्सलाम पर उतरे, **पचास सहीफे** शीस (अलैहिस्सलाम) पर, **तीस सहीफे** इदरीस (अलैहिस्सलाम) पर, **दस सहीफे** इब्राहीम (अवराहम) (अलैहिस्सलाम) पर उतारे गए, **तीरैत** (असली तीरह) मूसा (मॉसेस) (अलैहिस्सलाम) पर उतरी, **ज़बूर** (असली मनाजात) दाऊद (अलैहिस्सलाम) पर, **इन्जील** (असली बाईबल) ईसा (जिस्स) (अलैहिस्सलाम) पर, **कुरआन अल-करीम** मुहम्मद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल किया गया।

अल्लाह तआला ने बहुत सारे नबियों के ज़रिए शुरु से पहले आदमी और पहले नबी हज़रत आदम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद अलैहिस्सलाम तक बहुत सारी किताबें भेंजी ताकि लोग इस दुनिया में आराम और अमन से रह सकें और आखिरत में न ख़त्म होने वाली खुशियाँ हासिल कर सकें। इन किताबों में, उसने ईमान और इबादत के सुतून वाज़ेह किए हैं। उसने इस मसले पर जानकारी दी है जिसकी इंसानियत को ज़रूरत होती है।

इन सब में से, कुरआन अल-करीम आखिरी पाक किताब है। कुरआन अल-करीम के नाज़िल होने के बाद, बाकी सारी पाक किताबों के उसूले और फैसले ख़त्म हो गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम (सबसे बड़े फरिश्ते ग़ब्राइल) कुरआन अल-करीम मुहम्मद अलैहिस्सलाम के पास लाए कुरआन अल-करीम थोड़ा थोड़ा करके उतरा और तेईस साल में उसका नुज़ूल पूरा हुआ। कुरआन अल-करीम में **114** सूरतें (बाब) और **6236** आयात (कतअ) हैं। कुछ किताबों में ये नम्बर मुख़लिफ़ लिखे हुए हैं इसकी वजह है के कुछ आलिमों ने ख़ास लम्बे कतए छोटे कतए माने हुए हैं। इसलिए, कुरआन अल-करीम के नाज़िल होने के बाद, इसे कभी बदला नहीं गया है और न ही बदला जा सकता

है। कुरआन अल-करीम अल्लाह का कलाम है इंसानी मख़लूक के लिए इतनी आला किताब को मुक्क़ब करना मुमकिन नहीं है। इसकी एक वाहिद सतर से मिलता हुआ कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है।

वह साल जब हमारे रसूल दूसरी दुनिया में अपनी मौजूदगी इज़्जत से बख़शने चले गए तो, हज़रत अबू बक्र, आपके पहले खलीफ़ा ने, पूरा कुरआन अल करीम को सफ़ेह पर जमा किया। इस तरह, एक किताब (मसूदा) जिसे (मुसहफ़) कहते हैं बनाई गई। सारे रसूल के असहाब ने एक राए से वाज़ेह किया के ये मुसहफ़ अल्लाह तआला का कलाम है। छः और मुसहफ़ लिखे जाने के बाद, हज़रत उस्मान ने, उन्हें कुछ सूवों में भेज दिया।

हमें कुरआन अल करीम को उसकी असली शक्ल अरबी में पढ़ना चाहिए। दूसरे हुरफ़ों से लिखे हुए किसी भी मतन को कुरआन अल-करीम कहना मुमकिन नहीं है।

a) एक शख़्स को इसको पकड़ते वक्त वुज़ू के साथ होना चाहिए। एक शख़्स को किल्बे की तरफ़ बैठना चाहिए और इसे पूरे ध्यान से पढ़ना चाहिए।

b) एक शख़्स को इसे आहिस्ता और खुशूअ (गहराई और आजिज़ी तअज़ीम) के साथ पढ़ना चाहिए।

c) एक शख़्स को मुसहफ़ को देखते हुए इसे पढ़ना चाहिए और हर बंद को सही किरअत से पढ़ना चाहिए।

d) तजवीद के कानूनों के मुताबिक़ एक शख़्स को इसे पढ़ना चाहिए।

e) एक शख्स को इस बात को दिमाग में रखना चाहिए के जो कुछ पढ़ा जा रहा है वो अल्लाह तआला का कलाम है।

f) एक शख्स को कुरआन अल-करीम के अहकामात और ममनुआत की इताअत करनी चाहिए।

चौथी बुनियाद नबियों पर ईमान रखना

व रूसुलिहीः इसका मतलब है “मैं अल्लाह तआला के रसूलों पर ईमान लाया।” नबी चूने हुए लोग होते हैं। उनका काम था लोगों को सच्चे रास्ते पर रहनुमाई करना जिसे अल्लाह तआला पसंद करता है। सारे नबी, आदम (अलैहिस्सलाम) से लेकर मुहम्मद (अलैहिस्सलाम) तक सबने एक जैसा ईमान पहुँचाया। ये ज़रूरी है इस बात को मानना के नबी (अलैहिस्सलाम) सात सिफ़ात रखते हैं

1- इसमअः वो कभी गुनाह नहीं करते। नबी कोई गुनाह नहीं करते, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, किसी भी सच्चे मज़हब में, जिसकी मुमानियत थी या होगी।

2- अमीन [भरोसे वाले]ः नबी हर लिहाज़ से भरोसे वाले होते हैं। वो कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ते।

3- सिद्कः नबी अपनी बातों में, कामों में या आदात में ईमानदार लोग होते हैं। वो कभी झूठ नहीं बोलते।

4- **फतानतः** नबी बहुत ज़्यादा अकलमंद और माकूल लोग होते हैं। अंधेपन या बहरेपन जैसी कमियों के साथ कोई भी नबी नहीं बन सकता। सारे नबी मर्द हैं। और कोई औरत नबी नहीं थी।

5- **तबलीगः** नबी हर चीज़ सीखते थे वो वही (ज़ाहिर होती थी) के साथ वाज़ेह करते थे जो अल्लाह तआला की तरफ़ से आती थीं। कोई भी एहकामात या मुमानियतें जो उनके ज़रिए वाज़ेह की जाती थीं वो उनकी ज़ाती सोचें नहीं होती थीं। वो सारी चीज़ें पूरी पहुँचाते थे जिनका उन्हें हुकूम मिलता था बताने के लिए।

6- **अदालत [इंसाफ़]ः** नबी कभी जुल्म या नाइंसाफ़ी नहीं करते। वो किसी की रज़ा के लिए इंसाफ़ के रास्ते से नहीं भटकते।

7- **अमनुल-अज़लः** वो नबूव्वत से हटाए नहीं जाएंगे। वो इस दुनिया में और आख़िरत में भी नबी रहेंगे।

वो नबी जिनके ज़रिए एक नया मज़हब नाज़िल हुआ वो **रसूल** होते हैं। वो पैग़म्बर जिनके ज़रिए कोई नया मज़हब नाज़िल नहीं हुआ वो **नबी** होते हैं। नबी लोगों को पहले मज़हब की तरफ़ बुलाते हैं। नबियों में ईमान रखने का मतलब है इस बात पर ईमान रखना के वो सारे भरोसे वाले और ईमानदार लोग हैं जो अल्लाह तआला की तरफ़ से बनाए जाते हैं। इनमें से किसी एक से भी इंकार करना उन सबसे इंकार करने के बराबर है।

नबूव्वत काम करके, बहुत ज़्यादा इबादत करके, भूखे रहकर या परेशानियाँ सहकर हासिल नहीं की जा सकती। ये सिर्फ़ अल्लाह तआला की महरबानी और पसंद से हासिल होता है। नबियों (अलैहिस्सलाम) की गिनती का पता नहीं। ये माना जाता है के वो एक लाख चौबिस हज़ार से भी ज़्यादा हैं। उनमें से छः अव्वल रसूल हैं जिन्हें **अव्वलुल अज़स** नबी कहते हैं। वो नबी

ये हैं: आदम (एडम), नूह (नोअह), इब्राहिम (अब्राहम), मूसा (मोसिस), ईसा (जिसस) और मुहम्मद मुस्तफा (अलैहिमुस्सलातु व असलाम)। मंदरजाज़ेल तेंतीस पैग़म्बर मशहूर हैं: आदम, इद्रीस, शीत (या शीस), नूह, हूद, स्वालिह, इब्राहीम, लूत, इस्माईल, इस्हाक, याकूब, यूसुफ, अय्यूब, शुऐब, मूसा, हारून, ख़िज़र, यूशा बिन नून, इल्यास, अलयसा, जुलकिफल, शमून, इश्मोइल, यूनस बिन मता, दाऊद, सुलेमान, लुकमान, ज़करिया, याहया, उज़ेर, ईसा बिन मरयम, जुलकरनएन और मुहम्मद (अलैहि व अलैहिमु स-सलातु व अस सलाम)।

इनमें से सिर्फ़ अटाईस के नाम कुरआन अल-करीम में लिखे हुए हैं। आलिम जुलकरनएन लुकमान, उज़ेर और ख़िज़र की नबूव्वत पर मुताफिक नहीं होते। ये भी पक्का नहीं है के अगर वो नबी हैं भी के नहीं। मकतूवात-ए-मासूमिया के दूसरी जिल्द के छत्तीसवें ख़त में लिखा हुआ है के ख़री ख़बरों से वाज़ेह है के ख़िज़र अलैहिस्सलाम पैग़म्बर थे। और एक सौ बयासी ख़त में इस तरह लिखा हुआ है: “ख़िज़र अलैहिस्सलाम (वकतन फवकतन) इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, और कुछ चीजे भी करते हे ये , ज़ाहिर नहीं करता के वो ज़िन्दा हैं।

अल्लाह तआला ने उनकी रूह को, साथ में दूसरे बहुत सारे पैग़म्बरों और वलियों की रूहों को इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होने की इजाज़त दी है। उनको देखना ये साबित नहीं करता के वो ज़िन्दा हैं।”

हमारे रसूल मुहम्मद अलैहिस्सलाम

आप अल्लाह तआला के पैग़म्बर हैं। मुहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के प्यारे हैं। आप सबसे अफ़ज़ल और पैग़म्बरों में से सबसे आखिरी हैं। आप के वालिद का नाम अब्दुल्लाह है। रसूल-ए-अकरम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) 12/बारह रबी उल अब्वल में, पीर की रात में, सहर के वक्त जो 571 ए.डी की अप्रैल की बीस तारीख़ से मुतावक़त रखती है। आपके वालिद जल्दी रहलत फरमा गए। जब आप छः साल के थे, आपकी माँ चल बसीं, और जब आप आठ साल के थे, तो आपके दादा चल बसे। फिर, आपके चाचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश करी। जब आप पच्चीस साल के हुए, तो आपकी शादी हज़रत ख़दीजाह रज़ी अल्लाहु अन्ह से हो गई। उनसे आपकी चार बेटियाँ और दो बेटे हुए। आपके पहले बेटे का नाम कासिम था। इस वजह से, आपको (अबुल-कासिम) कहा जाता था, यानी कासिम का बाप। जब आप चालीस साल के हुए, तो आपको बताया गया के आप सारी इंसानी मख़लूक और जिन्नातों के पैग़म्बर हैं। तीन साल बाद, आपने सबको ईमान की दावत देनी शुरू करदी। जब आप बावन साल के थे, तो एक रात, आपको मक्का से जेरूसलेम और वहाँ से आसमानों पर ले जाया गया। फिर आप ज़मीन पर वापिस आ गए। इस सफ़र को (मेराज) कहते हैं। इस मेराज में, आपने जन्नत, दोज़ख़ और अल्लाह तआला को देखा। इस रात में, रोज़ाना की पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ हुईं। अल्लाह तआला के हुकूम से आप मक्का से मदीना हिजरत कर गए। तारीख़दानों के मुताबिक, वो 622 ए.डी का साल था। इस सफ़र को (हिजरत) कहते हैं। मुसलमानों का (हिजरी शमसी) कलैण्डर आपके मदीना के गाँव कुवा में दाख़िल होने से शुरू हुआ, जोकि 20 सितम्बर थी, पीर में जो रबी उल अब्वल के महीने की आठ तारीख़ से मुतावक़त रखती थी। मुसलमानों का (हिजरी कमरी) कलैण्डर भी इसी साल शुरू हुआ। उस साल ये मुहर्रम के

महीने से शुरू हुआ। बारह कमरी महीने एक कमरी साल के बराबर हैं। जो के चाँद के दुनिया के इरद गिर्द बारह बार घूमने की वजह से होते हैं। आप पीर में, 12 रबी उल-अव्वल, 11 ही0. [632 ए.डी.] दोपहर से पहले रहलत फरमा गए। मंगल और बुध के बीच की रात में, जहाँ आपने रहलत फरमाई थी वहीं उसी कमरे में आपको तदफ़ीन कर दीया गया। जब आप गुजरे, तो शमसी कलैण्डर के मुताबिक आपकी उमर इक्सठ साल थी और कमरी कलैण्डर के मुताबिक तिरेसठ साल थी।

मुहम्मद अलैहिस्सलाम गोरे थे। आप सारी आलमियत में सबसे ज़्यादा खुबसूरत थे। आप अपनी खुबसूरती हर किसी पर ज़ाहिर नहीं करते थे। जो कोई भी अपनी ज़िन्दगी में एक बार, चाहे अगर वो उसके सपने में ही क्यों न हो, आपकी खुबसूरती देख लेता था, तो वो अपनी ज़िन्दगी मस्ती और खुशियों में गुज़ारता था। आप किसी भी वक्त में, और कहीं भी सारे लोगों में अफ़ज़ल हैं। आपके सबब, तर्क, खुबसूरत अतवार, आपके अज़ा की ताकत सारी दूसरी इंसानी मखलूक से अफ़ज़ल थीं।

जबकि आप बच्चे थे, आपने दमसकस की तरफ़ दो सफ़र किए और आप एक जगह बसरा से लौट आए। आपने कभी दूसरी जगह का सफ़र नहीं किया। आप उम्मी थे। यानी, आप कभी स्कूल नहीं गए थे। आपने कभी किसी से लिखना पढ़ना नहीं सीखा। बहरहाल, आप सबकुछ जानते थे, यानी, जब भी आप कुछ जानना चाहते थे, अल्लाह तआला आपको बताते थे। एक फरिश्ता जिनका नाम जिब्रैल अलैहिस्सलाम (फरिश्तों के सरदार जिब्रैल) था आते थे और जो आप सीखना चाहते थे उसके बारे में बताते थे। आपका मुबारक दिल पाक रोशनी (नूर) से चमक उठता था जैसे के वो सूरज हो। जो इल्म आपके मुबारक दिल से खारिज हुआ वो चारों तरफ़, ज़मीनों पर, आसमानों में रेडियो की लहरों की तरह फैला। अब, वो आपकी कब्र से निकल रही हैं। आपकी ज़हूर की ताकत हर लम्हा बढ़ रही है। जिस तरह रेडियो वुसूल करने वाला

ज़रूरी है बरकी रू को वुसूल करने के लिए, आपका नूर पाने के लिए, ये ज़रूरी है के एक ऐसा दिल रखना जो आप पर ईमान रखता हो और प्यार करता हो और आपकी तकलीद करके पाक रहता हो। एक शख्स ऐसे दिल के साथ इन नूर को हासिल करता है और फिर वो खुद भी नूर की रोशनी की इन किरनों को फैलाते हैं। ये आला लोग “वली” कहलाते हैं। जब एक जो उस वली को जानता हो और मुहब्बत रखता हो, एहताराम के साथ उनके सामने बैठता हो या उनके बारे में इज़्जत और मुहब्बत से सोचता हो, चाहे अगर वो उनसे दूर ही क्यों न हो; उस शख्स का दिल नूर, फ़ैज़ हासिल करना शुरू कर देगा [मुर्शिद के दिल से मुरिद के दिल तक जो बहाओ उंदेता जाता है, जो इस तरह हरकत, पाकी, और बुलंदी हासिल करता है] और वो पुख्ता और परहेज़गार होना शुरू हो जाएगा। जैसे अल्लाह तआला ने शमसी तवानाई को हमारे मादी जिस्म को कुव्वत पहुँचाने के लिए एक सबब बनाया, उसने मुहम्मद अलैहिस्सलाम का दिल बनाया और उसमें नूर को निकालना हमारी रूहों और दिलों को पुख्ता करने का एक सबब बनाया और हमें इंसानियत में आला सतह/दर्जों पर पहुँचने वाला बनाया। जैसे सारी ग़िज़ाई चीज़ें जो इंसानी मख़लूक को कुव्वत बख़्शाती हैं और उन्हें तवानाई फ़राहम करती हैं वो सब शमसी ताकत से बनती हैं; इसी तरह औलिया (वली की जमा) के वअज़, अलफ़ाज़ तहरीरें, जो लोगों के दिलों को और रूहों को कुव्वत बख़्शाती हैं वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के मुबारक दिल के नूर निकल कर बनती हैं।

अल्लाह तआला ने एक फ़रिश्ते जिनका नाम जिब्रईल अलैहिस्सलाम है उनके ज़रिए **कुरआन अल-करीम** को मुहम्मद अलैहिस्सलाम पर उतारा। आपने इंसानी मख़लूक को इस दुनिया के लिए और आने वाली के लिए ज़रूरी और फ़ाएदेमंद काम/चीज़ें करने का हुकूम दिया। आपने नुकसान वाली चीज़ों की मुमानियत की। मज़मूई तौर पर, ये सारे अहकामात और ममनुआत “इस्लाम का मज़हब” कहलाते हैं, “इस्लाम”, या “अहकाम-ए इलाहिया”।

मुहम्मद अलैहिस्सलाम का हर लफज़ सच्चा, कीमती और फ़ाएदेमंद है। एक शख्स जो इस तरीके में ईमान रखे वो “मोमिन” और “मुस्लिम” कहलाता है। कोई भी जो मुहम्मद अलैहिस्सलाम की किसी बात पर ईमान न रखे या नापसंद करे वो “काफ़िर” कहलाता है, यानी वगैर ईमान वाला। अल्लाह तआला मोमिनों से प्यार करता है। वो एक मोमिन को हमेशा के लिए दोज़ख में नहीं रहने देगा। या तो वो उन्हें दोज़ख में नहीं भेजेगा या, चाहे अगर उनकी गलतियों की वजह से वो उन्हें दोज़ख में भेजेगा, बाद में वो उन्हें दोज़ख से छुड़ा देगा। एक काफ़िर कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। वो सीधा दोज़ख में जाएगा। वो वहाँ से छोड़े नहीं जाएंगे। अल्लाह तआला में और प्यारे रसूलुल्लाह में ईमान रखना सारी रहमतों, सारी बरकतों, सारी अच्छाई की शुरुआत है। हज़रत मुहम्मद की नबुव्वत से इंकार करना सारी अज़ियतों, सारी परेशानियों और सारी बुराइयों की शुरुआत है।

रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम’ सारे नबियों से इल्म में, इरफ़ान में (ज़हानत, आदत), फ़हम में (समझ, अकल, मालूमात), यकीन में (तसदीक, मसबत इल्म), शऊर में, दिमागी कुव्वत में, सद्ग्राफ़त में, आजिज़ी में, हिल्म में (नरमाई, मुलायम, मुअतदिल), रहमदिली में, सवर में, जोश में, मुहिब वतनी में, ईमानदारी में, भरोसे में, हिम्मत में, अज़मत में, बहादुरी में, फ़साहत में, बलाग़त में, दिलेरी में, ख़ूबसूरती में, वरा में (दुनियावी राहतों को नज़रअंदाज़ करना जिसके बारे में एक शख्स को शुबा हो के क्या वो इस्लाम के ज़रिए रज़ामंदी दिए गए हैं), पाकिज़गी में, महरबानी में, इंसाफ़ पसंदी में, हया में (शर्मिलापन, पशेमानी की हिस), जुहद में (दुनियानी राहतों को नज़रअंदाज़ करने का आला दर्जा), और तक़वा में (ममनुअ कामों को नज़रअंदाज़ करना) सबसे अफ़ज़ल हैं। आप ने अपने दोस्तों या दुश्मनों के ज़रिए किए नुकसानों को माफ़ कर देते थे। आप कभी बदला नहीं लेते थे। जब ओहद की जंग में काफ़िरों ने आपका मुबारक गाल खून में कर दिया और आपका दाँत तोड़ दिया

तो, आपने अर्ज किया, “ए मेरे रब! इन लोगों को सज़ा न देना! इनको माफ़ करदे क्योंकि ये लाइल्म/जाहिल हैं!”

मुहम्मद अलैहिस्सलाम बहुत सारी खुबसूरत अख़लाकी सिफ़ात रखते थे। हर मुसलमान को उन्हें याद/सीखना चाहिए और अपने आपको इन अख़लाकियात में ढालना चाहिए। इस तरह, वो इस दुनिया में और आख़िरत/बाद में मुसिबतों और मुश्किलों से निजात हासिल कर लेते हैं और दोनों दुनिया के सरदार “सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम” की सिफ़ारिश हासिल कर लेते हैं। इसलिए, ये एक हदीस-ए शरीफ़ में वाज़ेह है: “अल्लाह तआला की अख़लाकी सिफ़ात हासिल करो।”

असहाब-ए किराम

वो मुसलमान जिन्हें हमारे आका, रसूल का मुबारक चेहरे को देखना आपकी नरम आवाज़ सुनने का एज़ाज़ से नवाजा गया “असहाब-ए किराम” कहलाते हैं। नबियों के बाद सारी इंसानी मख़लूक में सबसे अफ़ज़ल और सबसे इक़बालमंद जो आते हैं और जो रहेंगे वो हज़रत अबूबकर (रज़ी-अल्लाहु तआला अन्ह) हैं। वो पहले ख़लीफ़ा हैं। उनके बाद, इंसानी मख़लूक में सबसे अफ़ज़ल दूसरे ख़लीफ़ा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ी-अल्लाहु तआला अन्ह) हैं जो फ़ारूक-ए आज़म हैं, तीसरे ख़लीफ़ा रसूलुल्लाह के हज़रत उस्मान बिन अफ़फ़ान (रज़ी-अल्लाहु तआला अन्ह) हैं जो ईमान [यकीन; भरोसा] और हया [शर्मिले, पाकदामिन] और इरफ़ान [रोशनी, आदत] का एक ज़रिया हैं, फिर चौथे ख़लीफ़ा अली बिन अबी तालिब (रज़ी-अल्लाहु तआला अन्ह) हैं जिनके पाक हैरतअंगेज़ फ़ज़िलतें थीं और जो अल्लाह तआला के शेर हैं। जैसे के हदीस-ए-शरीफ़ से जाना गया, के इस दुनिया में सबसे वरतर औरतें हज़रत फ़ातिमा, हज़रत ख़दीजा, हज़रत आएशा, हज़रत मरयम, हज़रत आसिया

हैं। एक हदीस-ए-शरीफ में ये वाज़ेह है: “जन्नत की औरतों में फ़ातिमा सबसे अफ़ज़ह हैं। हसन और हुसैन जन्नत के जवान लोगों में सबसे अफ़ज़ह हैं।

पहले चार खलीफ़ाओं के बाद, सबसे अफ़ज़ल असहाब-ए किराम (अशारा-ए मुबशशराह) हैं। यानी, दस लोग जिन्हें जन्नत की खुशी की ख़बर दे दी गई। वो हैं हज़रत अबूबक्र सिदिक, उमर-अल फारूक, उसमान बिन अफ़फ़ान, अली बिन अबू तालिब, अबू उबेदा बिन जरराह, तलहा, जुबेर बिन अवान, साद बिन अबू वक्कास, सैद बिन ज़ैद, अबदुररहमान बिन औफ़ (रिज़वानुल्लाही तआला अलैहिम अजमईन)। इसके बाद, जो बदर की जंग में मौजूद थे, ओहद की जंग में और फिर बैत उर रिज़वान में मौजूद थे।

ये हमारे लिए ज़रूरी वाजिब है के सारे असहाब-ए किराम के बारे में इज़्जत से बात करें जिन्होंने रसूलुल्लाह की मदद करी और अपनी सारी ज़िंदगी, जाएदाद आपकी रज़ा के लिए गुज़ार दी। हमें कभी भी इस बात की इज़ाज़त नहीं है के उनके बारे में ग़लत तरीके से बात करें। उनके बारे में बेइज़्जत तरीके से बात करना बिदअत है।

कोई भी जो रसूलुल्लाह से प्यार करता है उसे आपके साथियों को भी प्यार करना चाहिए। ये एक हदीस-ए शरीफ़ में बयान है: “वो जो मेरे साथियों को चाहता है, इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वो मुझे चाहता है। वो जो उन्हें नहीं चाहता वो मुझे नहीं चाहता। वो जो उन्हें नुकसान पहुँचाए वो मुझे नुकसान पहुँचाएगा। वो जो मुझे नुकसान पहुँचाएगा वो अल्लाह तआला को नुकसान पहुँचाएगा। वो जो अल्लाह तआला को नुकसान पहुँचाएगा वो पक्का तकलीफ़ पाएगा।” एक दूसरी हदीस-ए शरीफ़ में आपने कहा, “जब अल्लाह तआला अपने बन्दों में से किसी एक की हिमायत करता है जो मेरी उम्मत (कौम) का एक रूकन है, वो उसके दिल में मेरे असहाब की मुहब्बत कायम करता है। वो (यानी बंदा) उन सबको प्यार करता है जैसे वो खुद को प्यार करता है।”

रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम' ने जब रहलत फरमाई उस दिन मदीना में तैंतीस हज़ार सहावी (साथी) थे। सारे सहावियों की तादाद एक लाख चौबीस से भी ज़्यादा थी।

चार मस्लकों के इमाम और दूसरे आलिम

एतिकाद [यकीन; यकीन लिए जाने के उसूल] के इल्म के सिलसिले में सिर्फ़ एक ही सच्चा रास्ता है। ये (अहल अस-सुन्नत वल-जमाअत) का मसलक है। चार आला इंसान जो हमें मुहम्मद अलैहिस्सलाम का रास्ता सीखने का सबब बने, वगैर उसे तबदील किए हुए, बिगाड़े हुए। उन्होने दुनियाँ मुसलमानों को सच्चाई का रास्ता दिखाया। उनमें से सबसे पहले इमाम-ए आज़म अबू हनीफ़ा नोमान बिन साबित हैं। वो अफ़ज़ल इस्लामी आलिमों में से एक हैं। वो अहल-ए अस सुन्नत के सरबराह हैं। दूसरे इमाम मालिक बिन अनस हैं, तीसरे इमाम मुहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई हैं, चौथे इमाम अहमद बिन हंबल (रहमत-अल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन) हैं।

आज, जो कोई भी इन चारों इमामों में से एक की भी तकलीद नहीं करता वो बड़े ख़तरे में है। वो सच्चे रास्ते से भटक गया है। इस किताब में, हम हनफ़ी मसलक के मुताबिक नमाज़ के फ़ज़ाइल [रसमी इबादत] की वज़ाहतें करेंगे। हमने आला हनफ़ी आलिमों की किताबों से इक्तेबास लिए हैं और उन्हें आसान किया है।

इन चारों इमामों के दो शागिर्द ने ईमान [यकीन; अकीदा] के तअल्लूक से बहुत आला दर्जा हासिल किया। इसलिए, एतिकाद में दो मसलक हैं। ईमान जो कुरआन अल-करीम के मुताबिक है और हदीस-ए-शरीफ जो इन दोनों शरूखों के ज़रिए ख़बर दी गई। इन दोनों अफ़राद ने अहल-ए अस मुन्नत के ईमान का इल्म फैलाया वो जमाअत है जो दोज़ख़ से बची हुई है। उनमें से एक अबू मंसूर-ए मातुरीदी हैं, और दूसरे अबूल हसन अली असअरी हैं।

इन दोनों इमामों ने एक जैसा ईमान दूसरों तक पहुँचाया। उनके बीच में कुछ ही छोटे फ़र्क हैं, ताहम, ये फ़र्क अहम नहीं हैं। असल में वो एक जैसे हैं। इस्लाम के आलिमों की कुरआन अल-करीम में और हदीस-ए शरीफ़ में तारीफ़ की गई है। एक आयत-ए करीमा में, ये वाज़ेह है, जिसका मकसद है: “क्या वो बराबर हैं, जो जानते हैं और जो नहीं जानते?” एक दूसरी आयत-ए करीमा में, ये वाज़ेह है, जिसका मकसद है: “ए मुसलमानों! पूछो और सीखो जो तुम नहीं जानते हो उनसे जो जानते हैं।”

ये कई हदीस-ए शरीफ़ों में बयान है: “अल्लाह तआला और फरिशतें और सारी मखलूक उसके लिए दुआ करती है जो लोगों को सीखाती है के अच्छा क्या है।” “यौमुल जज़ा/इंसाफ़ वाले दिन, पहले पैग़म्बर, फिर आलिम और फिर शहीद बीच में आएंगे।” “ए लोगों! जान लो के आलिमों को सुनने से इल्म हासिल होता है।” “इल्म सीखो! इल्म सीखना एक इबादत [बंदगी] है। इल्म के उस्ताद और सीखने वाले को जिहाद का इनाम मिलेगा।” “इल्म पढ़ाना दान/ख़ैरात देने की तरह है। एक आलिम से इल्म सीखना रात के बीच में नमाज़ अदा करने जैसा है।” “इल्म सीखना ज़्यादा सवाब [इनाम देने] है बाकी सारी फ़ाज़िल नफ़िली इबादत [बंदगियों] से, क्योंकि ये खुद के लिए और उनके लिए जिन्हें वो पढ़ा रहा है दोनो के लिए फ़ाएदेमंद है।” “कोई भी जो इल्म [तालीम] दूसरों को पढ़ाने के लिए सीख रहा है उसे सिद्दीक का इनाम मिलेगा।” “इल्म एक खज़ाना है। इसकी चाबी पूछना और सीखना है।” “इल्म

सीखो और पढ़ाओ।” “हर चीज़ का एक ज़रिया है। तकवे का ज़रिया [हराम से परे रहना, यानी ये मुमानियतें हैं, अल्लाह तआला के डर के ज़रिए] आरिफ़ों के दिल हैं [आला आलिम जो अपने दिल के ज़रिए अल्लाह तआला के बारे में और उसकी सिफ़ात के बारे में सोचता है]।” “इल्म पढ़ाना गुनाहों के लिए भुगतान करना है।”

पाँचवीं बुनियाद कयामत में यकीन रखना

वल यौमिल आखिरीः इसका मतलब है “मैं यकीन लाया कयामत के दिन पर।” ये उस दिन शुरू होता है जब एक शख्स मर जाता है। ये आखिरी दिन/यौमुलहशर के आखिर तक चलेगा। इसे “आखिरी दिन” बोलते हैं क्योंकि इसके बाद कोई रात नहीं आएगी, या क्योंकि ये दुनिया के बाद आएगी। कयामत के दिन का पता नहीं है के कब आएगी। ताहम, हमारे आका, रसूल “सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम” ने इसकी बहुत सारी पेशरो और निशानियाँ बताई हैंः हज़रत मेहन्दी आएँगे। ईसा (अलैहिस्सलाम) आसमान से नीचे दमसकश की तरफ़ उतरेंगे। काडा दज्जाल/अद-दज्जाल (जिसे ईसाइयों के ज़रिए ईसा का मुख़ालिफ़ कहा जाता है) ज़ाहिर होगा। लोग कहते हैं याजूज और माजूज दुनिया को तकलीफ़ में ले आएँगे। सूरज मगरिब से निकलेगा। ज़बरदस्त नागहानी ज़लज़ले आएँगे। मज़हबी इल्म भूला दिया जाएगा। बदकारी और बुराई बड़ जाएगी। सब तरफ़ हराम होने लगेगा। यमन में आग लगेगी। आसमान और पहाड़ तितर बितर हो जाएँगे। सूरज और चाँद काले/तारीक हो जाएँगे...

ये सच हे के कब्र में सवालात किए जाएंगे । मुनकर और नकीर फरिश्तों को (कब्र में सवालात करने वाले फरिश्तें) मंदरजाज़ेल जवाबात देने चाहिए इन्हें याद करना चाहिए और बच्चों को भी सीखाना चाहिए: “मेरा रब अल्लाह तआला है। मेरे रसूल मुहम्मद अलैहिस्सलाम हैं। मेरा मज़हब इस्लाम है। मेरी किताब कुरआन अल-करीम है। मेरा किव्ला काबा-ए शरीफ़ है। मेरा ई मान का रास्ता अहल अस-मुन्नत वल-जमाअत है। कामों में मेरा रास्ता इमाम-ए आज़म अबू हनीफ़ा का रास्ता है।” उठाए जाने वाले दिन, हर किसी को उठाया जाएगा। वो सब एक मकाम जिसे महशर कहते हैं वहाँ इकट्ठा/जमा किया जाएगा। पाक (सालिह) नेक लोगों के अमाल नामे, उनके सीधे हाथ में दिए जाएंगे, और बुरे लोगों के उनके पीछे या उलटी तरफ़ से दिए जाएंगे। सिफ़ाए (शिक) बुत परस्ती और बेयकीनी (कुफ़्र) के, अल्लाह तआला हर गुनाह माफ़ कर देगा अगर वो चाहेगा, और अगर वो चाहे तो काबिले माफ़ी गुनाह के लिए भी अज़ाब दे सकता है।

आख़िरत में, वहाँ एक मिज़ान, “तराज़ू” होगा, कामों और चाल चलन को तालने के लिए। वहाँ पर एक पुल होगा जिसे सिरात कहते हैं, जो अल्लाह तआला के हुकूम से दोज़ख़ के ऊपर बनाया गया है। वहाँ पर पानी का एक चश्मा होगा जिसे हौज़-अल कौसर कहते हैं जो हमारे आका मुहम्मद मुस्तफ़ा (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) के लिए मख़सूस है।

वहाँ पर शफ़ाअत [सिफ़ारिश] होगी। पैग़म्बर, वली, पाक लोग, आलिम, फरिश्तें, शहीद और वो जिन्हे अल्लाह तआला की तरफ़ से उन मुसलमानों के सगीरा और कविरा गुनाहों को माफ़ कराने की सिफ़ारिश मिली हुई है जो बग़ैर उन्हें माफ़ कराए बग़ैर मर गए, और उनकी सिफ़ारिश कुबूल करली जाएगी।

जन्नत और दोज़ख़ अवी मौजूद हैं। जन्नत सात आसमानों के ऊपर है। दोज़ख़ सब चीज़ों से नीचे है। जन्नत के आठ दरवाज़े हैं। हर दरवाज़ा जन्नत के दूसरे दर्जे पर खुलता है। दोज़ख़ सात दर्जे का है। पहले दर्जे से सातवें दर्जे तक अज़ाब शदीद तर होता जाएगा।

छठी बुनियाद कदर में अकीदा/ईमान रखना

व बिल कद्री खेरिही व शरिही भिनल्लाहि तआलाः यानी, मैं कदर पर ईमान रखता हूँ और ये के अच्छा (खैर) और बुरा (शर) अल्लाह तआला की तरफ़ से है। अच्छा और बुरा, फ़ाएदे और नुकसान इंसानी मख़लूक पर सब अल्लाह तआला की इच्छा से आते हैं।

कदर का मतलब है अल्लाह तआला की किसी चीज़ वुजूद में लाने की इच्छा। [मिसाल के तौर पर] कदर की तख़लीक (यानी, जिसे वुजूद में लाने के लिए हुकूम दिया) को (कदाअ) कहते हैं। कदाअ और कदर के लफ़्ज़ों को एक दूसरे से रदोबदल करके इस्तेमाल किया जा सकता है।

अल्लाह तआला अपने बन्दों पर इरादा-ए जुज़िया [जानिवदार इच्छा] बख़्शाता है। वो अपने बंदों की इच्छाओं को अपनी तख़लीक का एक सबब बनाता है। जब एक बंदा कुछ करना चाहता है, अगर अल्लाह तआला भी चाहे, वो उस चीज़ की तख़लीक कर सकता है। अगर एक बंदा उसे नहीं करना चाहता, तो अल्लाह तआला भी उसे नहीं चाहता और वो उस चीज़ की तख़लीक नहीं करता।

वो जो अहल अस-मुन्नत के हुकूम को तफसील से सीखना चाहते हैं जो हमने अब तक मुख़तसरन वाज़ेह किया उन्हें फ़ारसी की किताब (एतिकादनामे) पढ़नी चाहिए जिसे हज़रत मौलाना ख़ालिद बग़दादी, एक बहुत शरीफ़ इस्लामी आलिम और एक बड़े वली के ज़रिए लिखी गई है, और तुर्की में किताब (हरकेसे लाज़िम आलन ईमान) हकीकत किताववी के ज़रिए छपी गई। ये (एतिकादनामे) तुर्की तर्जुमा है, केमाहलि फेजुल्लाह एंफ़दी के ज़रिए तर्जुमा। ये एक बहुत फ़ाएदेमंद, बहुत ख़ूबसूरत किताब है। इसके फ़ाएदे और रहमतें दोनों दुनियाओं में खुशी हासिल करने के लिए काफी हैं।

अल्लाह तआला ने हर किसी को तवक्कुल [अल्लाह तआला में अपना भरोसा रखना] रखने का हुकूम दिया। ये आयत-ए करीमा, का मतलब “तवक्कुल ईमान (अकीदे) की बुनियाद है” इन अहकामात में से एक है। और दूसरी आयत-ए करीमा भी हैं। मिसाल के तौर पर, जिसका मतलब है: (अगर तुम ईमान रखते हो, अपना तवक्कुल अल्लाह में रखो!) [सूरत-उल-माएदा], (बेशक, अल्लाह उनको चाहता है जो तवक्कुल रखते हैं) [सूरत आल-ए इमरान], (अगर एक शख़्स अपना तवक्कुल अल्लाह में रख दे, तो वो उसके लिए काफी है) [सूरत उल तलाक], (क्या अल्लाह तआला अपने बंदों के लिए काफी नहीं है?) [सूरत उज़ जुमर]।

हमारे रसूल ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने फरमाया, “उन्होंने मेरी उम्मत के एक गुप को दिखाया। उन्होंने पहाड़ों और चौरस सतहों को घेरा हुआ था। मैं हैरान और खुश था के वो तादाद में इतने ज़्यादा थे। उन्होंने मुझ से पूछा “क्या तुम खुश हो?”, मेने कहा “हाँ”। उन्होंने कहा: “इनमें से सिर्फ़ सत्तर हज़ार जन्नत में दाखिल होंगे बग़ैर सवालों के।” मेने पूछा वो कौन हैं। उन्होंने जवाब दिया: “वो जो कोई जादू का इस्तेमाल नहीं करते, काला जादू नहीं करते और वो जो अल्लाह तआला के सिवा किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करते। सामईन में से, हज़रत उकाशा खड़े हुए और बोले: “या

रसूलुल्लाह। दुआ करिए के में उनमें से एक हूँ। हमारे आका, रसूल ने फरमायाः “ए मेरे रब! इनको उनमें से एक बना दे!” दूसरा शख्स खड़ा हुआ और यही दुआ माँगने की गुजारिश करी। आपने के कहाः “उकाशा ने तुमसे ज़्यादा जल्दी दिखाई।

तस्वक्कुल असबाव से जुड़ा हुआ और मुस्तकबिल के बारे में परेशान मत हो।

दूसरा हिस्सा हमारी इबादतें और नमाज़ (रसूम इबादत)

इबादत (बंदगी) क्या है?

इबादत का मतलब है अल्लाह तआला जिसने हमें और हर एक चीज़ें को बनाया जो वुजूद में हैं, उसके अहकामात और ममनुआत को मानना, जो हमें हर वक्त वुजूद में रखता है, जो हमें ज़ाहिर और ग़ायब आफतों से बचाता है, जो हर लम्हा हम पर रहमतों की वारिशें करता है। ये इच्छा करना के एक पैगम्बर, औलिया [अल्लाह तआला के प्यारे बन्दे] और आलिम की तरह हों, जिन्हें अल्लाह तआला का प्यार हासिल हुआ। ये है उनकी तकलीद करना।

लोगों के लिए ये इंसानियत के वास्ते फ़र्ज़ है के अल्लाह तआला का शुक्र अदा करना जिसने उनपर बेशुमार रहमतें भेजीं। ये एक फ़र्ज़ है जो सबव की वजह से हुकूम किया गया। लेकिन, लोगों के गलत दिमाग हैं। उनकी वुजूहात नामुकम्मिल हैं। उन्हें ऐसी कोई चीज़ें नहीं मिलीं जो अल्लाह तआला का शुक्रिया

अदा कर रही हों। शुक्र और इज़्जत करने के फराइज़ जबतक के वो अल्लाह तआला के ज़रिए न वाज़ेह किए गए हों, दरहकीकत वे इज़्जती भी हो सकते हैं।

अब, लोगों के फराइज़, दिल, जुवान और जिस्म के ज़रिए किए गए, जो उन्होने अल्लाह तआला का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह तआला के ज़रिए बताए गए और उसके मुबारक रसूल के ज़रिए आम किए गए। गुलामों के फराइज़ जो अल्लाह तआला ने वाज़ेह और हुक्म किए वो “इस्लाम” कहलाते हैं। अल्लाह तआला का शुक्रिया अदा करना सिर्फ उसके रसूल के ज़रिए लाए गए रास्ते को मानते हुए मुमकिन हो सकता है। किसी और तरीके से अल्लाह तआला को शुक्रिया, या इबादतें न तो कुबूल होती ना अल्लाह पसंद करता है, इस रास्ते के मुताबिक नहीं होतीं। क्योंकि, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे इंसानी मग़बलूक अच्छा और खुबसूरत समझती है, जबकि इस्लाम उन्हें विल्कुल पसंद नहीं करता और वाज़ेह कर दिया के वो बदसूरत हैं।

इस तरह, साहिबे अकल लोग मुहम्मद अलैहिस्सलाम की तकलीद करते हैं अल्लाह तआला का शुक्रिया अदा करने के लिए और अल्लाह तआला की इबादत करते हैं।

वो जो मुहम्मद अलैहिस्सलाम की तकलीद करता है वो एक मुसलमान है। इबादत करने का मतलब है अल्लाह तआला का शुक्रिया करना, यानी, मुहम्मद अलैहिस्सलाम की तकलीद करना। इस्लाम दो हिस्सों का हैः

1- वो चीज़ें जिसे दिल के ज़रिए यकीन किया जाए।

2- इबादतें जिन्हें दिल के ज़रिए और जिस्म के ज़रिए किया जाए। जिस्मानी इबादतों में सबसे अफ़ज़ल नमाज़ है। ये हर मुकल्लफ़ मुसलमान पर फ़र्ज़ है रोज़ाना की पाँच इबादतें अदा करना।

मुकल्लफ़ किसे कहते हैं?

बाशऊर मर्द और औरतें जो बालिग़ ऊमर को पहुँच चुके हों उन्हें “मुकल्लफ़” कहते हैं। मुकल्लफ़ अल्लाह तआला के अहकामात और ममुनआत को मानने के लिए ज़िम्मेदार हैं। हमारे मसलक में, एक मुकल्लफ़ शख्स को पहले ईमान (यकीन) रखने का हुकूम दिया जाता है, फिर इबादत करने का। मज़ीद ये, मुकल्लफ़ अपने आपको हराम और मकरूह से परे रखते हैं जो के ममुनुअ हैं।

अकल (समझ) एक समझने वाली ताकत है। इसको बुराई में से अच्छाई बताने के लिए तखलीक किया गया। अकल एक मिटर की तरह है। यह दो अच्छी चीज़ों में से एक बहतर में, और दो बुरी चीज़ों में से एक सबसे ख़राब में फ़र्क बताती है। एक माअकूल शख्स सिर्फ़ वो नहीं होता जो ये समझे के अच्छा या बुरा क्या है, वो अच्छाई को पसंद करता है और बुराई को नज़रअंदाज़ करता है। अकल (समझ) एक आँख की तरह है, और इस्लाम रोशनी की तरह है। हमारी आँखे अंधेरे में चीज़ें नहीं देख सकतीं।

सिने बलूगत असल में जब एक लड़का बारह साल से ऊपर हो जाता है तब शुरू होती है। लड़कों की बलूगत/जवानी की आसार हैं। अगर ये आसार उसमें नज़र नहीं आएँ, वो बलूगत के अंदर ही माना जाएगा जब तक के वो पंद्रह साल का न हो जाए।

सिने बलूगत असल में जब एक लड़की नौ साल से ऊपर हो जाए तब शुरू होती है। अगर लड़की में नौ साल से ऊपर जवानी के आसार नज़र नहीं आएँ उसे बलूगत की हालत में समझा जाएगा जबतक के वो पंद्रह साल से बरतर न हो जाए।

अफ़आल-ए मुकल्लफ़ीन (अहकाम-ए इस्लामिया)

इस्लाम के ज़रिए अहकामात और ममनुआत को “अहकाम-ए शरीअ” या “अहकाम-ए इस्लामिया” कहते हैं। उनको “अफ़आल-ए मुकल्लफ़ीन” भी कहते हैं। अफ़आल-ए मुकल्लफ़ीन की आठ ख़ासियतें हैं: फ़र्ज़, वाज़िब, सुन्नत, मुस्तहब, मुबह, हराम, मकरूह, मुफ़सिद।

फ़र्ज़: अल्लाह तआला ने जो चीज़ें साफ़ और वाज़ेह तौर पर कुरआन अल करीम में हुकूम की हैं उन्हें फ़र्ज़ कहते हैं। फ़र्ज़ को अदा न करना हराम (ममनुअ) है। कोई भी जो फ़र्ज़ में यकीन नहीं रखता या उसे अहम नहीं मानता एक काफ़िर बन जाता है। फ़र्ज़ दो तरह के होते हैं:

फ़र्ज़-ए ऐन: इन्हें हर एक मुकल्लफ़ मुसलमान के ज़रिए अदा किया जाता है, जैसे के ईमान रखना, रस्मी वुज़ू अदा करना, गुस्ल (जिस्म को पाक करना) रोज़ाना पाँच वक़्त की नमाज़े अदा करना, रमज़ान के महीने में रोज़ें रखना, अगर एक शख्स मालदार बन जाए तो ज़कात देना, हज पर जाना। [बत्तीस फ़राईज़ और चौब्वन फ़र्ज़ ज़्यादा मशहूर हैं।]

1- फ़र्ज़-ए किफ़ाया: जब बहुत सारे दूसरे मुसलमान या एक मुसलमान इस तरह का फ़र्ज़ अदा करे, ये दूसरों के लिए कोई ज़रूरी नहीं के

इसे अदा करें। एक मुसलमान जिसने तुम्हें सलाम किया [इस्लाम के ज़रिए बताए गए तरीके से] उसे जवाब देना, लाश को धोना, जनाज़ा (मैय्यत) नमाज़ अदा करना, पूरा कुरआन अल-करीम याद करना, जिहाद करना, मज़हबी और साई न्सी इल्म को अपने कारोबार की ज़रूरत से ज़्यादा सीखना ये सब फ़र्ज़-ए किफ़ाय़ा की मिसालें हैं।

2- वाजिबः ये अहकामात हैं जो इस तरह अदा किए जाते हैं जैसे के ये फ़र्ज़ हैं। उनकी दलील (सुबूत, शहादत, असल मतन) कुरआन अल-करीम में फ़र्ज़ की तरह साफ़ नहीं हैं। ये शकूक वाली दलील के साथ कायम हैं। वितर और ईद की नमाज़ें अदा करना वाजिब हैं; अगर एक मालदार है तो कुरबानी अदा करना, फितरा देना। वाजिब फ़र्ज़ की तरह हैं। एक वाजिब को छोड़ना तहरीमी मकरूह है वो जो इस हकीकत से इंकार करे के कोई चीज़ वाजिब है वो काफ़िर नहीं बन जाता। लेकिन, वो जो एक वाजिब अदा नहीं करता उसे दोज़ख़ में आज़ाब मिलेगा।

3- सुन्नतः चीज़ें जो अल्लाह तआला ने साफ़ हुकूम नहीं करी लेकिन काम जिन्हें हमारे रसूल ने तारीफ़ की या जिन्हें आपने आदतन किया हो या जिनकी आपने मनाही नहीं करी, फिर भी उनको करते हुए देखा गया, उन्हें सुन्नत कहते हैं। ये कुफ़्र (गुनाह) है सुन्नत को नापसंद करना। इनको न करना गुनाह नहीं है, जबतक के तुम इन्हें पसंद करो। बहरहाल, कोई भी जो इन्हें लगातार और बग़ैर उज़र के छोड़े दे वो इस बात का मुसतहिक है के उन्हें सवाब न मिले और वो इस लायक हैं के उन्हें मलामत की जाए। मिसाल के तौर पर, अज़ान कहना, इकामत कहना, जमाअत (समूह) में नमाज़ अदा करना, बुजू में मिस्वाक का इस्तेमाल करना, जब एक शख्स की शादी हो जाए तो रात में दावत देना, अपने बच्चे की ख़तना कराना ये सब सुन्नत है।

मुन्नत की दो किस्में हैं:

मुन्नत-ए मुअक्किदा: ये मजबूत मुन्नतें हैं जिन्हें हमारे आका, रसूल अलैहिस्सलाम ने लगातार अदा किया और मजबूरी में छोड़ा हो। मिसाल के तौर पर सुबह की मुन्नत नमाज़, जोहर से पहली और आखिरी मुन्नत नमाज़ें, शाम की मुन्नत नमाज़ रात के वक्त की आखिरी मुन्नत नमाज़। ये मुन्नतें कभी नहीं छोड़नी चाहिए बगैर किसी ज़रूरी उज़र के। कोई भी जो उन्हें पसंद नहीं करता वो एक काफ़िर बन जाता है।

मुन्नत-ए ग़ैर मुअक्किदा: ये वो काम हैं जिन्हें हमारे आका रसूल अलैहिस्सलाम ने अक्सर किया हो इबादत के मकसद से। मिसाल के तौर पर, पहली मुन्नतें- हर एक में चार रकअतें हैं- दोपहर बाद की और रात की नमाज़ें। इनको बार बार छोड़ना कोई गुनाह नहीं है। ताहम, ये मलामत का बाइस है और सिफ़ारिश से परे हो जाता है, अगर एक शख्स बगैर किसी अच्छे उज़र के इसे छोड़ेगा तो उसे शफ़ाअत हासिल नहीं होगी।

मुन्नत-ए किफ़ाया: ये मुन्नतें हैं जिन्हें दूसरे मुसलमानों के ज़रिए छोड़ा गया अगर ये कुछ मुसलमानों के ज़रिए कर दी गई हों। मिसाल के तौर पर सलाम (सलामुन अलैकुम) देना या एतेकाफ़ में बैठना विसमिल्लाह पढ़ना एक रस्मी वुजू करने से पहले खाना या पीना, या इसी तरह के मुबारक काम अदा करना।

4- मुस्तहब: इसे मंदूब या आदाब भी कहते हैं। ये मुन्नत-ए ग़ैर-ए मुअक्किदा है। ये चीज़ें हैं जिन्हें हमारे आका, रसूल अलैहिस्सलाम ने किया और पसंद फरमाया, चाहे अगर आपने उसे अपनी ज़िंदगी में एक या दो बार किया हो। मिसाल के तौर पर: जब पैदा हुआ बच्चा सात दिन का हो उसका नाम रखना, बेटी या बेटे से नवाज़े जाने पर शुक्रिया अदा करने के तौर पर अकीका कुरबानी करना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करना। वो जो

ये अदा करते हैं उन्हें बहुत सारे सवाब (इनाम) मिलते हैं। अगर छोड़ दें, तो कोई गुनाह नहीं। इसके अलावा, सिफारिश से भी महरूम नहीं है।

5- मुबाहः काम जो न तो हुकूम किए गए और न ही ममनुअ किए गए। यानी, ये वो चीजें हैं जो न तो गुनाह से भरी या सवाब देने वाली वाजे नहीं की गई। चीजें जो मुबाह हैं वो एक शख्स को गुनाह या सवाब दिला सकती हैं ये उस शख्स के इरादे पर मुनहसिर है जो इसे कर रहा है। मिसाल के तौर पर, सोना, मुब्रतलिफ हलाल कपड़े पहनना। अगर ये चीजें इस्लाम की फरमावरदारी के लिए किए जाएँ, इस्लाम के उमूलों के लिए किए जाएँ, तो ये सवाब दिलाते हैं। जैसे के खाना या पीना इस इरादे से के ये सेहतमंद हैं और इबादात करना।

6- हरामः ये वो चीजें हैं जो कुरआन अल-करीम में अल्लाह तआला के ज़रिए साफ़ मना हैं। हराम काम करना या हराम चीजों का इस्तेमाल करना ख़ास तौर से ममनुअ है। एक शख्स जो कहता है किसी हराम चीज़ के लिए के ये “हलाल” है या “हराम” किसी हलाल चीज़ के लिए तो वो एक काफ़िर (मुन्कर) बन जाता है। जो चीजें हराम हैं उनको छोड़ना फर्ज़ है और वो बहुत सारे इनाम/सवाब लाती हैं।

हराम दो तरह के होते हैंः

हराम लि-एनिहीः कल्ल, मिलावर, सौडमी, शराब पीना और हर तरह की नफ़सी चीजें, झूठ बोलना, चोरी करना, सुअर, खून और सड़ा मांस खाना, औरतों का बाहर जाना उनके सिर, बाजू, टॉंगे खुली हों, ये सब हराम हैं और बड़े गुनाह हैं। अगर एक शख्स इन गुनाहों को करने से पहले विस्मिल्लाह पढ़ले, या ये यकीन करे के ये हलाल हैं, या इस हकीकत को कोई अहमियत न दे के अल्लाह तआला ने इनको हराम करार दिया है, तो वो एक काफ़िर बन जाता है। अगर वो इनको करता है अगरचे वो यकीन रखता है के ये हराम हैं

और वो सज़ा से भी डर रहा हो, तो वो एक काफ़िर नहीं बन जाता। वहरहाल, दोज़ख़ के अज़ाब का मुस्तहिक़ होता है। अगर वो मुस्तक़िल हाराम करता रहे और पछताए नहीं, तो वो उसकी आख़िरी सांस में ईमान (यकीन) को खो देगा।

हाराम लि-ग़ैरिहीः असल माहियत में ये चीज़ें हलाल हैं। अगरचे, दूसरों के हुकूक की वजह से ये हाराम बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर, दूसरे शख्स के बाग़ में बग़ैर उसके मालिक की इजाज़त के घुस जाना और पेड़ों के फल खाना, उसके घर की चीज़ों को और पैसों को चुराना और इस्तेमाल करना, अमानत की चीज़ों को ज़ब्त कर लेना, रिश्वत सूद या जुए के ज़रिए पैसा कमाना। अगर कोई जो इन्हें करता है विस्मिल्लाह कहता है या कहे ये हलाल है, तो वो एक काफ़िर नहीं बन जाता। इस वास्ते, के वो उस शख्स के हुकूक हैं, उसका हक बनता है के वो उन्हें हासिल करे। इंसानफ़ वाले दिन, सातसों रस्मी नमाज़ों की रकाअत जो के जमाअत (इजतमाअ) में पढ़ी गई अल्लाह तआला के ज़रिए ले ली जाएँगी चाँदी में साढ़े पाँच जई के वज़न के हुकूक के लिए और ये इनाम वो उस हुकूक के मालिक को दे देगा। हाराम से दूर रहना इबादत करने से ज़्यादा सवाब लेकर आता है। इसलिए हमें हाराम याद करने चाहिए और उन्हें नज़रअंदाज़ करना चाहिए।

7- मकरूहः ये वो चीज़ें हैं जिन्हें अल्लाह तआला और मुहम्मद अलैहिस्सलाम ने नापसंद फरमाया है। ये चीज़ें इबादत के सवाब को कम कर देती हैं।

मकरूह दो किस्म के हैंः

मकरूह तहरीमीः मकरूह तहरीमी एक वाजिब की ग़लती है, और ये हाराम के नज़दीक है। इनको करना अज़ाब का सबब है। ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे एक रस्मी नमाज़ अदा करना सूरज निकलने के दौरान, सूरज गुरुब होते वक़्त

और उस वक्त जब सूरत ज़वाल [दोपहर के बीच, वो वक्त जब सूरज उफक से अपना सबसे ऊँचा मकाम छोड़ दे और जिसके बाद दोपहर की नमाज़ का वक्त शुरू हो जाता है] पर हो। कोई भी जो मकरूह तहरीमी जानबुझकर करे वो बागी और गुनाहगार बन जाता है। वो दोज़ख में अज़ाब पाता है। एक शख्स के लिए जिसने वाजिवात छोड़े हों या मकरूह तहरीमी किया हो उस नमाज़ में तो ये वाजिव है के वो नमाज़ को दोबारा अदा करे। अगर उसने ये काम गलती से किए हों या भूलने की वजह से, तब ये ज़रूरी है के सज्दा-ए सहू [नमाज़ के आखिर में दो सज्दे करने के हैं, सलाम करने से पहले, या सीधी तरफ़ सलाम करने के बाद, या चाहे दोनो तरफ़ सलाम करने के बाद] अदा किया ताकि कुछ गलतियाँ जो नमाज़ अदा करते वक्त हो गई हों वो माफ़ कर दी जाएँ।

मकरूह तन्जीही: ये काम मुवाह के नज़दीक हैं, यानी हलाल, या वो काम जो करने से बहतर है के तुम न करो। जैसे के ऐसे कामों को छोड़ना जो सुन्नत-ए ग़ैर-ए मुअक्किदा या मुस्तहब हैं।

8- मुफ़सिद: हमारे मज़हब में, ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने मंसूख़ किया, एक जाइज़ काम को बातिल करार दिया या इबादत शुरू करना जैसे के ईमान, नमाज़, शादी, हज, ज़कात, खरीदारी मिसाल के तौर पर, ये कुफ़्र है के अल्लाह तआला या कुरआन अल-करीम के लिए कुफ़्र बकना, ये ईमान को खत्म करते हैं। नमाज़ अदा करते वक्त हँसना वुजू और नमाज़ दोनों को तोड़/फ़ासिद कर देता है। रोज़े के दौरान जानबुझकर कुछ खाना या पीना रोज़े को तोड़ देता है।

वो जो वाजिवात और मुन्नतें अदा करते हैं और वो जो अपने आपको हराम और मकरूहात से परे रखते हैं उन्हें अजर मिलेगा, यानी सवाब (इनाम, नेमत) मिलेगा। वो जो हराम और मकरूहात करते हैं और वो जो फ़र्ज़ और वाजिवात अदा नहीं करते वो गुनहागार होते हैं। एक हराम से परे रहने

का सवाब एक फर्ज को अदा करके सवाब हासिल करने से भी कई गुना ज़्यादा है। एक फर्ज को अदा करने का सवाब मकरूह से परे रहने के सवाब से ज़्यादा है। एक मकरूह से परे रहने का सवाब एक सुन्नत अदा करके सवाब हासिल करने से ज़्यादा है। अल्लाह तआला के ज़रिए जो मुवाह पसंद किया जाता है उन्हें “खैसरात” और “हसनात” कहते हैं। अगरचे जो ये करते हैं उन्हें सवाब दिया जाता है, ये सवाब एक सुन्नत को अदा करके सवाब मिलने से कम है।

इस्लाम के दुश्मन

इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को खत्म करने के लिए अहल अस-सुन्नत की किताबों पर हमला कर रहे हैं। अल्लाह तआला ने कुरआन अल-करिम की सूरह माएदा की बय्यासी आयत में वाज़ेह किया, जिसका मतलब है, “**इस्लाम के सबसे सख्त दुश्मन यहूदी और बुत परस्त हैं।**” बुत परस्त वो काफ़िर हैं जो बुतों, मुर्तियों की पूजा/इबादत करते हैं। ये ज़ाहिर है के ज़्यादातर ईसाई बुत परस्त हैं। एक यहूदी, जिसका नाम अब्दुल्लाह बिन सेबे था यमन का उसने अहल अस सुन्नत के ख़िलाफ़ एक फिरका कायम किया। ये शित्ते अपने आपको (अल्वी) कहते हैं। अंग्रेज़, विद्वीश जो इस्लाम के दुश्मन हैं, अपनी सारी शाही ताकत के साथ, सारे सोने जो उन्होंने हिन्दुस्तान और अफ़्रिका से, खुनी जंगों में जमा किया था, अपनी झूठ से भरी हुई किताबों के साथ जिन्हें वो (वहाबिइस्म) कहते हैं अहल अस सुन्नत पर हमला करते हैं। हम सबको/हर एक को जो लामहदूद खुशियाँ हासिल करना चाहते हैं उन्हें सलाह देते हैं के इन शित्ते या वहाबियों की किताबों से धोखे में न आएँ और अपने आपको अहल अस-सुन्नत के आलिमों की किताबों में जो इल्म है उसके मुताबिक ढालें।

इस्लाम की बुनियादें

वहाँ पर पाँच ज़रूरी (यानी, हर हाल में अदा करना) बुनियादी फ़राईज़ हैं मुसलमानों के लिए जो इस्लाम के दाएरे में आएँगे।

1- इस्लाम की पाँच बुनियादों में से सबसे पहला है (कलिमात अश-शहादा) का कहना; यानी, ये कहना, (अशहदु अन ला इलाहा इल्लालह व अशहदु अन ल मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु)। दूसरे लफ़्ज़ों में, एक वाशअर शख्स जो बलूग़त की उमर को पहुँच चुका हो और जो बात कर सकता हो उसे जुबानी कहना चाहिए, (ज़मीन पर, या आसमान में, वहाँ कोई नहीं है लेकिन अल्लाह तआला इबादत के लायक है। वाहिद वाजिबुल वजूद इबादत के लायक अल्लाह तआला है।) वो वाजिबुल वजूद है। उसके पास सारी फज़िलतें हैं। उसमें कोई ऐव नहीं। उसका नाम (अल्लाह) है। एक शख्स को इस पर यकीनन ईमान रखना चाहिए। दोबारा, वो शख्स, जिसका सुर्खी मायल सफ़ेद, चमकदार, खुबसूरत चेहरा था काली भों और काली आँखों, चोड़े माथे, हलीम मिज़ाज, शिरिन जुबान मक्का में अरबिया में पैदा हुए हाशिमि ख़ानदान में, (मुहम्मद अब्दुल्लाह के बेटे एक बन्दे और पैग़म्बर, यानी अल्लाह तआला के रसूल)। आपकी माँ वहाब की बेटी हज़रत आमिना थीं।

2- इस्लाम की दूसरी बुनियाद फ़र्ज़ी इबादत [नमाज़, सलात] अदा करना पाँच बार एक दिन में उसकी शर्तों और फ़राईज़ के मुताबिक जब नमाज़ का वक्त आ जाए। हर मुसलमान के लिए रोज़ाना पाँच नमाज़ें अदा करना फ़र्ज़ हैं हर सलात का वक्त शुरू होने के बाद और इन्हें उसके मुकरर वक्त में अदा किया जाए। फ़र्ज़ नमाज़ उसके फ़राईज़, वाजिबात और सुन्नतों को ध्यान में

रखते हुए, अल्लाह तआला की तरफ दिल लगाकर और मुकरर वक्त पूरा होने से पहले अदा करनी चाहिए। कुरआन अल-करीम में फर्ज नमाज़ को (सलात) कहते हैं। अदबी तौर पर, सलात के मआनी हैं आदमी का नमाज़ पढ़ना, फरिश्तों का इस्तिगफार करना (आदमी की तरफ से माफी के लिए मिनत करना), और अल्लाह तआला की हमदर्दी और रहमदिली। इस्लाम में (सलात) के मआनी है कुछ हरकात करनी, इल्म अल-हाल की किताबों में दिखवाई गई ख़ास चीज़ों की तिलावत करना। सलात (अल्लाहु अकबर) के लफज़ से शुरू होती है, जिसे (तकबीर अल-इफतिताह) कहते हैं, और कान तक हाथ उठाने के बाद कहे नाफ़ के नीचे तक हाथ बाँधने तक (आदमियों के लिए)। ये सीधे और उल्टे कंधों की तरफ़ सिर घुमाकर सलाम के साथ खत्म होती है “अस-सलामु...” कहकर आखिरी कअदे में।

3- इस्लाम का तीसरा रूकन “अपने माल की ज़कात देना” है। इसका अदबी मतलब है पाकी, तारीफ़ करना, अच्छा और ख़ूबसूरत बनना। इस्लाम में, ज़कात का मतलब है, एक शख्स के लिए जिसके पास उसकी ज़रूरत से ज़्यादा ज़कात का माल हो और एक ख़ास कीमत जिसे (निसाब) कहते हैं अपनी मिलकियत का एक मख़सूस हिस्सा अलग करके ऐसे मुसलमानों को देना जिनका ज़िकर कुरआन अल-करीम में हुआ है बग़ैर उन्हें मलामत किए हुए। ज़कात सात तरह के लोगों को दी जा सकती है। चारों मसलकों में चार किस्म की ज़कात है; सोने और चाँदी की ज़कात, त्रिजारी माल की ज़कात, मवेशी पर ज़कात जो जानवर आधे साल से ज़्यादा खेतों में चर रहे हों, और सारी किस्म की ज़रूरत की चीज़ें जो मिट्टी से निकल रही हैं उनकी ज़कात। ये चौथी किस्म ज़कात की (अश्र) कहलाती है, जैसे ही फसल पक जाए वैसे ही ज़कात दे देनी चाहिए। बाकी तीनों एक साल गुज़रने के बाद दी जाती है जब वो निसाब की कीमत को पहुँच जाएँ।

4- इस्लाम की चौथी बुनियाद “रमज़ान के महीने के हर दिन रोज़ा रखना” है। रोज़े को (सोम) कहते हैं। सोम का मतलब है किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से हिफ़ाज़त करना। इस्लाम में, सोम के मआनी हैं अपने आपको तीन चीज़ों से बचाना रमज़ान के [दिनों के दौरान] महीने में, जैसे के अल्लाह तआला के ज़रिए हुकूम दिया गयाः खाना, पीना और मुहबत यानी हर्बिस्तरी। रमज़ान का महीना आसमान में नया चाँद दिखने के साथ ही शुरू होता है। ये कलैण्डर में बताए गए वक्त के मुताबिक अनुमानित नहीं किया जा सकता।

5- इस्लाम की पाँचवी बुनियाद (एक शख्स जो अपनी ज़िन्दगी में एक बार, हज [बड़ी ज़ियारत] करने के लायक हो)। साहिबे हेसियत शख्स को ज़िन्दगी में एक बार, बशर्त ये के वो सेहतमंद हो और रास्ता महफूज़ हो, जिसके पास मक्का के शहर में जाने और वापिस आने के पैसे हों इसके अलावा अपने पीछे इतना माल छोड़ जाए के उसके आने तक उसके कुबे के गुजारे के लिए माल काफ़ी हो, उसके लिए काबा के चारों तरफ़ तवाफ़ अदा करना और अराफ़ात के मैदान में वक़फ़ा करना फ़र्ज़ है।

ऊपर बताई गई पाँचों बुनियादों/रूकन में से सबसे आला कलिमात अश-शहादा कहना है और उसके मआनी में यकीन रखना है। उसके बाद आला सलात अदा करना है। इसके बाद रोज़ा है। उसके बाद/फिर हज है। सबसे आखिरी ज़कात देना है। ये इतेफ़ाक़ राए से पक्का है के कलिमात अश-शहादा सबसे आला/अव्वल है। बाकी चारों का सिलसिला/तवातर, ज़्यादातर उल्माओं ने वही कहा है जो हमने ऊपर बताया है। कलिमात अश-शहादा इस्लाम की शुरूआत में, पहले फ़र्ज़ बना। सलात हजिरा के एक साल और कुछ महीने पहले नुबुवत के बारहवें साल में मेराज की रात में एक दिन की पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ हुईं। रमज़ान के महीने के रोज़े शाबान के महीने में फ़र्ज़ कर दिए गए हिजरी के दूसरे साल में। ज़कात देना रमज़ान के महीने में फ़र्ज़ किया गया, उसी

साल में जब रोज़ें फ़र्ज़ किए गए। और हज को हिजरा के नौवें साल में फ़र्ज़ कर दिया गया।

तीसरा हिस्सा

नमाज़ अदा करना

हमारे मज़हब में, ईमान (अक़ीदा) रखने के बाद, सबसे कीमती इबादत नमाज़ (फ़र्ज़ नमाज़) है। नमाज़ मज़हब का अहम सतून है। नमाज़ सारी इबादतों से अफ़ज़ल है। ये इस्लाम की दूसरी बुनियाद है। अरबी में इसे (सलात) कहते हैं। असल में, सलात का मतलब दुआँ, रहम और अल्लाह तआला से माफ़ी माँगने के हैं। क्योंकि ये तीनों मआनी नमाज़ में मौजूद हैं, इसलिए इसे सलात कहते हैं।

अल्लाह तआला जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद करता है और बार बार उसका हुकूम देता है वो है पाँच वक्त की रोज़ाना की नमाज़। ईमान रखने के बाद, सबसे ज़्यादा अहम अहकाम अल्लाह तआला का मुसलमानों के लिए वो है नमाज़। नमाज़ हमारे मज़हब में सबसे पहला हुकूम किया फ़र्ज़ है। यौमुल हशर/इंसाफ़ वाले दिन, ईमान के बाद, पहला सवाल नमाज़ पर होगा। वो जो रोज़ाना की पाँच वक्त की नमाज़ों का हिसाब सही रखेगा, वो सारी मुश्किलों से आज़ाद रहेगा और नाख़त्म होने वाली निजाअत हासिल करेगा। दोज़ख़ की आग से बचने के लिए और जन्नत में पहुँचना नमाज़ का सही अदा करने पर मुनहसिर करता है। सही नमाज़ अदा करने के लिए, सबसे पहले हमें बेऐब वुजू अदा करना चाहिए, फिर बग़ैर सुस्ती दिखाए जल्दी से नमाज़ अदा करनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए के नमाज़ की हर हरकत को सही अदा करें।

सबसे अफ़ज़ल इबादत जो सारी दूसरी इबादात को अपने आप में जमा करलेती है और आदमी को सबसे ज़्यादा अल्लाह तआला तक पहुँचाती है वो नमाज़ है। हमारे रसूल 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ने फरमायाः (नमाज़ ईमान का महाराबदार-पत्थर है। वो जो नमाज़ अदा करता है वो अपना ईमान बनाता है। वो जो नमाज़ अदा नहीं करता वो अपना ईमान गिरा देता है)। अपनी नमाज़ सही अदा करने से, वो अपने आपको गंदी, बुरी चीज़ों से बचाता है। दरहकिकत, कुरआन अल-करीम की सूरात-उल-अंकबूत की पेंतालीसवीं आयत में वाज़ेह है, जिसका मतलब हैः (एक नमाज़ की इबादत सही तरीके से अदा की गई वो बेशक आदमी की फहश (गंदे) और मुंकर [मकरूह हरकात] को करने से बचाएगी)

एक नमाज़ जो एक शख्स को बुरी चीज़ें करने से दूर रखने का सबब न बन पाए तो वो एक सही नमाज़ नहीं है। वो ज़ाहिर में नमाज़ है। ताहम, जब तक सही अदा नहीं की जाएगी, हम ज़ाहिरन भी करके इसे नहीं छोड़ सकते। इस्लाम के आलिमों ने कहाः (चाहे अगर कुछ पूरे तौर पर न किया गया हो, एक शख्स फिर भी इसे पूरे तौर पर खोना नहीं चाहिए)। हमारा रब, जो लामहदूद रहमतें देता है, शायद ज़ाहिर को असलियत की तरह कुबूल करले। एक शख्स को ये नहीं कहना चाहिए “नमाज़ को इस तरह गलत तरीके से पढ़ने के बजाए, इसको विल्कुल अदा मत करो!” एक शख्स को इस तरह कहना चाहिए “नमाज़ को इस तरह गलत तरीके से पढ़ने के बजाए, इसको सही तरह से अदा करो!” हमें इस मतलब को अच्छे से समझना चाहिए।

नमाज़ को जमाअत (मजलिस/इजतमाअ) में पढ़ना चाहिए। जमाअत से नमाज़ अदा करना अकेले में नमाज़ अदा करने से ज़्यादा सवाब दिलाने वाला है। नमाज़ में, हर अज़ू आजिज़ी दिखाए और दिल अल्लाह तआला के डर में हो। नमाज़ ही वाहिद वो चीज़ है जो आदमी को इस दुनिया में और आने वाली दुनिया की आफतों और मुशकिलों से बचाएगी। सूरह मोमिनून के शुरू में

अल्लाह तआला ने वाज़ेह किया, जिसका मतलब है: (किसी भी हाल में ईमान वाले महफूज़ रहेंगे। ये वो होंगे जो अपनी फ़र्ज़ नमाज़ें खुशुअ [गहराई और आजिज़ तअज़ीम] के साथ अदा करते हैं।

जब नमाज़ एक ख़तरनाक और ख़ौफ़नाक जगह पर की जाए, तो वो ज़्यादा कीमती हो जाती है। जब दुश्मन हमला करते हैं, कुछ इकदामात फ़ौज़ के ज़रिए लिए गए बहुत कीमती हो जाते हैं। इस वास्ते, जवानों के ज़रिए इबादत ज़्यादा कीमती है। क्योंकि, वो अपने नफ़स की बुरी इच्छाओं को तोड़ते हैं और वो नफ़स के बेहकावे इबादत न करो का मुकाबला करते हैं।

जवानी के दौरान, तीन दुश्मन नहीं चाहते के वो इबादतें करें। वो हैं तुम्हारी नफ़स, शैतान, और बुरी सोहबत (बुरे दोस्त)। सारी बुराई की शुरूआत बुरी सोहबत है। अगर जवान शख्स इन बुरी इच्छाओं को न माने जो इनसे आती हैं, और वो अपनी फ़र्ज़ नमाज़ अदा करते रहें और अपनी इबादात नहीं छोड़ें, तो ये बहुत कीमती है। वो एक बुजुर्ग शख्स से ज़्यादा सवाब कमा सकते हैं। उनकी थोड़ी/कुछ इबादात बहुत सारे इनाम दिला सकती है।

किसके लिए नमाज़ एक फ़र्ज़ है

(हुकमे-इलाही)

हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए, जो बाशअर और बलूगत की उमर को पहुँच चुके हैं, उन पर रोज़ाना की पाँच नमाज़ें फ़र्ज़-ए-अएन हैं। यहाँ पर तीन शर्तों हैं नमाज़ के फ़र्ज़ होने के लिए: 1- एक मुसलमान होना 2- बाशअर होना 3- सने बलूगत को पहुँचना।

हमारे मज़हब में, जवान बच्चे जो वाशअर नहीं हुए हैं और जो बलूग़त की उमर को नहीं पहुँचे हैं वो नमाज़ अदा करने के लिए ज़िम्मेदारी नहीं हैं। लेकिन, वालदेन को अपने बच्चों को मज़हबी इल्म देना चाहिए और उन्हें इबादत करने की आदत डालनी चाहिए। हमारे रसूल 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ने फरमाया, (आप सब मवेशियों के चरवाहों की तरह हैं) इसलिए जो तुम्हारे घरों में हैं और तुम्हारे हुकूम में हैं उन्हें दोज़ख से बचाओ, जिस तरह चरवाहा अपने जानवरों/मवेशी को बचाता है! तम्हें उन्हें इस्लाम सीखाना चाहिए! अगर तुम ऐसा नहीं करते, तो तुम इसके लिए ज़िम्मेदार ढहरोगे।) एक दूसरी हदीस-ए शरीफ में, ये बयान है: (सारे बच्चे इस्लाम के लिए ठीक और काबिल पैदा होते हैं। बाद में उनके माँ-बाप उन्हें ईसाई, यहूदी या बेमज़हबी बना देते हैं)।

इसलिए, हर मुसलमान का सबसे पहला फ़र्ज़ है अपने बच्चों को इस्लाम सीखाना कुरआन करीम की तिलावत कराना, नमाज़ अदा करना और ईमान और इस्लाम की शर्तें सीखाना। वालदेन/माँ-बाप जो चाहते हैं के उनका बच्चा एक मुसलमान बने और इस दुनिया में और आख़िरत में संजीदगी हासिल करे, तो अपना ये फ़र्ज़ पहले अदा करना चाहिए। इस वास्ते, हमारे बुजुर्गवार ने कहा: (एक पेड़ को झुकाया जा सकता है जबकि वो जवान और ताज़ा हो)। अगर एक शख्स एक पेड़ को झुकाने की कोशिश जब वो बूढ़ा हो, तो वो टूट सकता है। ये नुक़सदायक हो सकता है।

कोई भी बच्चा जिसे इस्लामी इल्म न पढ़ाया गया हो और जिसे ख़ूबसूरत अख़लाकियात न दिए गए हों वो बुरे लोगों के बहकावे में जल्दी आ जाते हैं। वो अपने माँ-बाप, मुल्क और कौम के लिए नुक़सानदेह हो सकता है।

जो लोग नमाज़ अदा करते हैं उनके दर्जे कहानीः नमाज़ जिसने एक शख्स को जेल से आज़ाद कराया

खोरासन के गवर्नर, अबदुल्लाह बिन ताहिर, बहुत इंसानवादी/ईमानदार थे। एक दिन उनके Gendarmes ने गवर्नर को खबर दी के उन्होंने कुछ चोर पकड़े हैं। उन चोरों में एक भाग गया। चोर के बजाए, हिरासत में एक लुहार को पकड़ लिया गया, जो निशाबूर गया था, और उस रात अपने घर वापिस जा रहा था। चोरों के उसे भी वो गवर्नर के पास ले गए, जिसने फिर उन्हें बंदी बना लेने का हुक्म दिया! जेल में, लुहार ने वुजू किया और नमाज़ अदा करी। अपने हाथ बाँधते हुए, उसने दुआ की, “ए मेरे अल्लाह! मुझे बचा! तू अकेला जानता है के मैं बेगुनाह हूँ। तू अकेला ही मुझे इस काल कोठरी से निकाल सकता है। ए मेरे अल्लाह! मुझे बचा!” उस रात गवर्नर ने चार मज़बूत लोगों को सपने में देखा, जो उसके पास आए और उसका तख़ता शाही पलटने ही वाले थे, जब वो जाग गया। फौरन, उसने वुजू किया और दो रकाअत नमाज़ अदा की। वो वापिस सोने चला गया। दोबारा उसने सपना देखा के चार लोग उसकी तख़ते शाही पलटने ही वाले थे, के वो जाग गया। उसको ये बात समझ आ गई के उसने किसी के साथ नाईन्साफी कर दी है जो बदले में उसके खिलाफ़ दुआ माँग रहा है। दर हकीकत, एक नज़म का कहना हैः

*हज़ारों तोपें और बंदूकें कभी नहीं कर सकतीं
जो सुबह सवेरे आँसू करेंगे।
अक्सर दुश्मन के खौफनाक नेज़े
मोमिन की नमाज़ के ज़रिए खाक हो जाते हैं।*

ए हमारे अल्लाह! तू अकेला अफज़ल है! तू इतना अफज़ल है के बड़ा भी, यहाँ तक के लाग़र भी, सिर्फ़ तुझ से ही माँगते हैं जब वो मुश्किल में आते हैं। सिर्फ़ वो जो तुझसे माँगता है अपनी इच्छा को हासिल कर सकता है।

उसी देर रात उसने जेल के निगेहवान को बुलाया और उससे पूछा के क्या कोई था जिसे बेकमूर जेल मे रखा गया है। जेल के दारूगा/निगेहवान ने कहा, “मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ कोई है जो नमाज़ अदा कर रहा है और बहुत सारी दुआएँ बोल रहा है। वो रो भी रहा है।” इस पर, लुहार को उसके पास लाया गया। उससे पूछा और फिर पता चला के गलती क्या थी, उसने माफ़ी माँगी और इलतिजा की, “बराए महरबानी मुझे माफ़ कर दो, और मेरी तरफ़ से हज़ार चाँदी के सिक्के तोहफ़ा हैं तुम्हारे लिए। जब भी तुम्हें किसी चीज़ की इच्छा हो, कुछ भी, बस तुम मेरे पास आ जाना!” लुहार ने कहा, “मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और तुम्हारा तोहफ़ा कुबूल कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारे पास पूछने नहीं आऊँगा।” पूछा गया क्यों, उसने कहा, “क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा के पैदाइशी गुलाम होते हुए अपनी इच्छाएँ किसी और के सामने रखूँ, अपने मालिक को छोड़ते हुए, जिसने कई बार तुम जैसे सुल्तान के शाही तख़्त को पल्टा मुझ जैसे गरीब शख़्स की रज़ा के लिए?” फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद मेरी दुआओं से, उसने मुझे बहुत सारी मुश्किलों से बचाया। उसने मुझे मेरी बहुत सारी इच्छाएँ हासिल कराई। मैं किस तरह किसी और से पनाह माँग सकता हूँ? जबकि मेरे रब ने अपने लामहदूद रहम के ख़ज़ाने के दरवाज़े ख़ोल रखे हैं और अपनी लाइतेहा बख़्शिशों की लूह सबके लिए फैला रखी है, मैं किस तरह दूसरों से मदद माँग सकता हूँ? जिसने

पूछा और उसने नहीं दिया? एक शख्स कभी भी हासिल नहीं कर सकता अगर वो ये नहीं जानता के किस तरह पूछना है। अगर एक शख्स उसके सामने ज़ाति तरीके से नहीं जा सकता, तो वो उसका रहम भी हासिल नहीं कर सकता।

नज़्मः

*जो कोई भी अपना सिर एक रात इबादत की देहलीज़ पर रखता है;
तो यकीनन अज़ीज़ की महरबानी हज़ारों दरवाज़े उस पर खोल देती है।*

रावियात-उल-अदविया रहमतुल्लाही अलैह, अफज़ल औलिया में से एक ने, एक आदमी को दुआ माँगते हुए सुना, “ए अल्लाह! अपनी शफकत का दरवाज़ा खोल!” उन्होने उससे कहा, “ए तुम लाइल्म शख्स! क्या अल्लाह तआला के रहम का दरवाज़ा अब तक बंद था जिसे तुम अब खुलवाना चाहते हो?” [अगरचे रहम का ज़रिया हमेशा खुला है, ये तो दिल हैं, वसूल करने वाले जो हमेशा नहीं खुले होते। हम दुआ करते हैं ताकि वो खुल जाए!]

या रब्बी! तू, अकेला ही है, जो सबको परेशानियों से निकालता /बचाता है। हमें इस दुनिया में और बाद की में भी आफतों में मत छोड़ना! सिर्फ तू ही है जो सब चीज़ें ज़रूरतमंदों तक भेजता है! हमें इस दुनिया में और दूसरी में फायदेमंद, किस्मत वाली चीज़ें भेजे! हमें इस दुनिया में या आगे वाली में किसी की ज़रूरत में न छोड़ें! आमीन!”

कहानीः उनका घर जल गया

हमीद-ए तवील, औलिया-ए किराम में से एक, अपने इबादत के कमरे में नमाज़ अदा कर रहे थे। उनका घर जलना शुरू हो गया। लोग जमा हुए और आग बुझा दी। उनकी वीवी भागकर उनके पास आई और गुस्से से बोलीः “तुम्हारा घर जल रहा है। लोग जमा हो रहे हैं। बहुत सारा काम करने को है। लेकिन तुम हिले नहीं।” उन्होंने कहा, “मैं अल्लाह तआला की कस्म खाता हूँ के मुझे इन सब हादसों के बारे में पता नहीं।”

अल्लाह तआला के करीबी, उसकी कुरबत में और प्यार में इतने बुलंद दर्जे पहुँच जाते हैं और दुआ का मज़ा महसूस करते हैं, उससे माँगते हैं, अपने आपको भूल जाते हैं।

कहानीः बर्तन में पानी

अबदुल्लाह बिन शहीर असहाब-ए किराम से का कहना हैः मैं रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ के नज़दीक फर्ज़ नमाज़ अदा कर रहा था। मेने आपके मुबारक सीने से आवाज़ें सुनीं, वो ऐसी थी जैसे के एक बर्तन में आग पर पानी उबल रहा हो।

कहानी: उनके पैर में तीर

हज़रत अली, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के प्यारे दामाद, जब फर्ज़ नमाज़ अदा करते थे तो सब चीज़ों से गाफ़िल हो जाते थे।

ये बयान है: एक जंग में, एक तीर आया और हज़रत अली के मुबारक पैर में हड्डी तक घुस गया। वो उसे बाहर नहीं निकाल पाए। उन्होंने एक डॉक्टर को ज़ख़्म को दिखाया। डॉक्टर ने कहा: “तुम्हें सुन करा जाएगा जिससे तुम बेहोश हो जाओगे, तभी फिर तुम्हारे पैर से तीर निकाला जा सकता है। वरना, इसका दर्द सेहना नामुमकिन है।” अमीर-उलमों मिनन हज़रत अली रज़ीअल्लाहु अन्ह ने कहा: “(सुन करने की क्या ज़रूरत है? थोड़ी देर इंतज़ार करो, जब नमाज़ का वक्त आएगा और मैं नमाज़ पढ़नी शुरू करूँगा तो तुम इसे निकाल लेना।” नमाज़ का वक्त आया। हज़रत अली ने नमाज़ पढ़नी शुरू करदी। डॉक्टर ने हज़रत अली का मुबारक पैर काटा और तीर बाहर निकाल लिया। उसने ज़ख़्म पर पट्टी बाँध दी। जब हज़रत अली ने अपनी फर्ज़ नमाज़ अदा करली, तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा: क्या तुमने तीर को बाहर निकाल लिया? डॉक्टर ने जवाब दिया: (हाँ, मेने उसे बाहर निकल लिया)। हज़रत अली ने कहा मुझे इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ।

सबसे ज़्यादा हैरतअंगेज़ क्या है! दरहकीकत, यूसुफ़ (जॉसेफ़) अलैहिस्सलाम की खुबसूरती के आगे, मिस्री औरतें इतनी ज़्यादा हैरान और पहले से सारा ध्यान उस तरफ़ लगाया हुआ था, के उन्हें पता ही नहीं चला के उन्होंने अपने हाथों को काट लिया है। अगर अल्लाह तआला की हाज़िरी में होना उसके प्यारे बंदों को ऐसी हालत में पहुँचा देती है जो उन्हें अपने आप से गाफ़िल कर दे, तो एक शख़्स इस पर क्यों हैरान है? गुज़रते वक्त, मोमिन

हमारे आका रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को देखते हैं, इसलिए वो मौत की तकलीफ को महसूस नहीं कर पाते।

कहानी: बेहोशी की दवाई

आमिर-ए केस औलिया में से थे। ये देखा गया के उनके पंजों में से एक में कोढ़ था। उन्होने कहा इसको काटना ज़रूरी था। आमिर ने कहा: “इस फैसले पर रज़ामंदी देना गुलामी का बुनियादी उसूल है।” उन्होने उसे काट दिया। थोड़े दिनों बाद, उन्होने देखा के बिमारी उनकी टाँग तक फैल गई और ऊपरी टाँग तक पहुँच गई। उन्होने कहा, “ये ज़रूरी है के इस पैर को काट दिया जाए, हमारे मज़हब ने इस ऑपरेशन की इजाज़त दी है।” वो उनका ऑपरेशन करने के लिए एक शख्स लाए। उसने कहा: “इनको बेहोश करने के लिए, ये ज़रूरी है के दवाई ली जाए ताकि ये दर्द महसूस न करें। वरना, ये बरदाश्त नहीं कर पाएँगे।” आमिर ने कहा: इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। किसी शख्स को लेकर आएँ जो कुरआन अल-करीम को खुबसूरत आवाज़ के साथ पढ़े। उसको कुरआन अल-करीम पढ़ने दो। जब तुम मेरे चेहरे पर तबदीली देखो, मेरा पैर काट देना। मुझे इसका पता भी नहीं चलेगा। उन्होने ऐसा ही किया। एक शख्स आया और कुरआन अल-करीम को खुबसूरत आवाज़ के साथ किरअत करने लगा। आमिर के चेहरे का रंग बदलने लगा। जर्हाह ने ऊपरी टाँग के बीच से उनकी टाँग काट दी। उसने उसे जलाया और पट्टी बाँध दी। वो शख्स जो कुरआन अल-करीम पढ़ रहा था खामोश हो गया। आमिर खुद अपने आप में आए और पूछा: “क्या तुमने इसे काट दिया?” उन्होने कहा: हाँ। उन्होने उनकी टाँग को काटा, जलाया, पट्टी बाँधी, और वो इन सब से बख़बर रहे। फिर, उन्होने कहा: मेरी कटी हुई टाँग मुझे दे दो। उन्होने उसे उन्हें दे दिया। उन्होने उसे उठाया और कहा: “ए मेरे रब, तू एहसान करने वाला है। मैं तेरा गुलाम हूँ। तेरा हुकूम है, फैसला तेरा फैसला है, कदा तेरी कदा

है। ये, एक पैर है जिसके बारे में अगर तू, इंसान वाले दिन पूछे, क्या इसके साथ तूने कभी गुनाह की तरफ एक कदम नहीं उठाया? मैं कह सकता हूँ के मेने तेरे हुकूम के बगैर एक कदम या एक सांस भी नहीं लिया।

कहानीः नमाज़ के लिए कुरबानियाँ

आटामनस/उस्मानिया सल्तनत के बरसा शहर पर कबज़ा करने से पहले उसके ग्रीस यूनानी शहरियों में से एक खुफिया तौर पर मुसलमान बन गया। उसके एक बहुत करीबी दोस्त ने इसकी वजह पूछी: “तुम किस तरह अपने बाप और अपने आबाओ अजदाद के मज़हब को छोड़ सकते हो?” इस तरह, उसने उसपर नुकताचीनी करी। उस यूनानी मुसलमान ने बहुत मतलब वाला जवाब दिया। उसने कहा: एक बार, मुसलमानों में से एक बंदा मेरे पास रह गया। एक दिन, मेने देखा के ये बंदा उस कमरे में जहाँ उसे रखा गया बैठ रहा था और खड़ा हो रहा था। मैं पास गया और उससे पूछा के वो क्या कर रहा है। जब उसकी हरकात रूक गई, उसने अपने हाथों को मुँह पर मला और उसने कहा के वो एक रस्मी नमाज़ अदा कर रहा था और अगर मैं उसे इजाज़त दूँ, तो वो हर रसूम नमाज़ के लिए एक सोने का सिक्का देगा। मैं लालची हो गया। दिन पर दिन मैं अदाएगी की रकम बढ़ाता गया। एक खास नुकते पर, मेने बताए गए वक्त की हर रसूम नमाज़ों के लिए दस सोने के सिक्कों की मांग की। उसने ये बात मान ली। मैं अपनी इबादत के लिए उसकी इस कुरबानी पर बहुत हैरान हुआ। एक दिन, मेने उससे कहा: “मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा।” वो बहुत खुश हुआ। उसने अपना हाथ फैलाया और मेरे लिए दुआ की: “ए मेरे अल्लाह! अपने इस गुलाम को ईमान (यकीन) के एजाज़ से नवाज़ दे!” उसी लम्हा, मेरे दिल में मुसलमान बनने की इच्छा वाक्य हुई और ये इतनी बढ़ी के मैं फौरन कलिमा-ए शहादत पढ़ता हुआ मुसलमान बन गया।

चौथा हिस्सा नमाज़ की किस्में

नमाज़, मुसलमानों के लिए हुक्म की गई वो तीन गुणों में हैं: फर्ज़ नमाज़ें, वाजिब नमाज़ें और नफ़िल नमाज़ें। वो हैं:

1- फर्ज़ नमाज़ें: रोज़ाना की पाँच फर्ज़ नमाज़ें, जुमे की नमाज़ की दो फर्ज़ रकाअत, जनाज़े की नमाज़ (जनाज़े की नमाज़ अदा करना फर्ज़-ए किफ़ाय़ा है)।

2- वाजिब नमाज़ें: वितर नमाज़, ईद की नमाज़ें, नज़र की नमाज़ें और वो नमाज़ें जो तुमने शुरू की लेकिन पूरी नहीं कीं। ये भी वाजिब है के छोड़ी हुई वितर नमाज़ों की कज़ा अदा की जाए।

3- नफ़िल नमाज़ें: रोज़ाना की पाँच नमाज़ों की सुन्नतें, तराविह की नमाज़, और वो नमाज़ जो सवाब हासिल करने के लिए अदा की जाएँ जैसे के तहजुद, तहय्यत-उल मस्जिद, इशराक़, अवाबीन, इस्तिख़ारा, तस्बीह की नमाज़ें। हमें उनको अदा करने के लिए हुक्म नहीं दिया गया। वो जिन पर फर्ज़ का कर्ज़ हो या वाजिब कज़ा नमाज़ें ना हों तो उनकी नफ़िल इबादतों के लिए भी सवाब मिलेगा।

नमाज़, रोज़ाना पाँच वक्त

नमाज़ अल्लाह तआला का अहकाम है। अल्लाह तआला ने कुरान अल-करीम में एक सौ से भी ज़्यादा जगहों पर “नमाज़ अदा करो!” का हुक्म दिया है। हर मुसलमान के लिए जो बाशअर है और सने बलूगत को पहुँच चुका हो, एक दिन में पाँच वक्त की नमाज़ अदा करना कुरआन अल-करीम और हदीस-ए शरीफ़ में हुक्म दिया गया है।

सूरह रोम की सत्तरहवीं और अठारहवीं आयत ए करीमा में इसका मतलब है: “सुबह और शाम के वक्त अल्लाहु तआला की तस्बीह (इबादत करना; नापाकी और नाकिस से परे होने का एलान करना) करना। आसमानी और ज़मीनी मखलूक के ज़रिए दोपहर और असर के वक्त हमद अदा करना अल्लाह तआला के लिए है। सूरह बकरा की दो सौ उन्तालिसवी में, इसका मतलब है: “सलातों की और देर दोपहर की सलात की हिफ़ाज़त करो!” [यानी, कभी नमाज़ अदा करने से मत रूको] सूरह हूद की एक सौ चौदहवीं आयत का मतलब है, (दिन के दो वक्तों में [दोपहर से पहले और दोपहर के बाद] और रात के दौरान तीन बार [शाम, रात और सुबह] नमाज़ बनाओ जैसे के इसे करते हैं! दरअसल, जो चीज़ें अच्छी (हसनात) [रोज़ाना की पाँच वक्तों की नमाज़ों का सवाब] हैं [काबिले माफी] गुनाह को खल कर देती हैं। ये दिमाग़ वालों के लिए एक सलाह है।)

एक हदीस-ए शरीफ़ में, ये वाज़ेह है के (अल्लाह तआला ने रोज़ाना पाँच वक्त की नमाज़ें अदा करने का हुक्म दिया है। अल्लाह तआला उनको माफ़ कर देगा जो सही वुजू करते हैं और इन पाँच नमाज़ों को उनके मुकर्रर वक्त में अदा करते हैं अपने रूकूअ और सजदों को अच्छी तरह करते हुए।)

ये रोज़ाना की पाँच नमाज़ें चालीस रकाअतों (वाहिद) तक जुड़ती हैं, इनमें से सतरह फ़र्ज़ हैं, तीन वाजिब हैं और बीस सुन्नत हैं। वो हैंः

1- सुबह/फ़ज़्र की नमाज़ चार रकाअत पर मुश्तमिल है। पहले सुन्नत नमाज़, जो दो रकाअत पर मुश्तमिल है, अदा की जाती है। फिर फ़र्ज़ नमाज़, दो रकाअत की, अदा की जाती है। सुन्नत (पहली दो रकाअत) बहुत अहम हैं। कुछ आलिमों ने इसे वाजिब में तकसीम किया है।

2- दोपहर की नमाज़/जुहर की नमाज़ दस रकाअत पर मुश्तमिल है। पहली सुन्नत चार रकाअत पर मुश्तमिल है, फ़र्ज़ चार रकाअत पर मुश्तमिल है, और आखिरी सुन्नत दो रकाअत पर मुश्तमिल है।

3- देर दोपहर बाद/असर की नमाज़ आठ रकाअत पर मुश्तमिल है। पहले सुन्नत, जो चार रकाअत पर मुश्तमिल है, और फिर फ़र्ज़, जो चार रकाअत पर मुश्तमिल है, अदा की जाती है।

4- शाम/मग़रिब की नमाज़ में पाँच रकाअत शामिल हैं। पहले फ़र्ज़, जो तीन रकाअत पर जुड़ा है, फिर सुन्नत, दो रकाअत पर मुश्तमिल, अदा की जाती है।

5- रात/ईशा की नमाज़ तेरह रकाअत पर मुश्तमिल है। पहली सुन्नत में चार रकाअत शामिल हैं। फ़र्ज़ में भी चार रकाअत शामिल हैं। लेकिन आखिरी सुन्नत में दो रकाअतें शामिल हैं, जबकि (वितर नमाज़) में तीन रकाअतें हैं।

असर की नमाज़ और ईशा की नमाज़ की पहली सुन्नतें गैर-ए मुअक्किदा हैं। दूसरी रकाअत के कअदे में, (अत्ताहिय्यातु) पढ़ने के बाद, (अल्लाहुम्मा सल्लैहअला...) और (अल्लाहुम्मा बारिक अला...) की दुआएँ पूरी

पढ़ी जाती हैं। तीसरी रकाअत में खड़े होने के बाद (सुबहानाका...) दुआ पढ़ी जाती है विस्मिल्लाह कहने से पहले। लेकिन जुहर की नमाज़ की पहली सुन्नत (मुअक्किद) है। यानी, जोर देकर करने के लिए कहा गया। वहाँ इसके लिए बहुत सारा सवाब (बरकतें) हैं। इसकी दूसरी रकाअत के दौरान, जैसे के फर्ज़ नमाज़ों में, सिर्फ अत्ताहिय्यातु पढ़ी जाएगी और फिर हम तीसरी रकाअत के लिए खड़े हो जाएँगे। खड़े होने के बाद, हम पहले विस्मिल्लाह पढ़ते हैं और फिर सूरह (सबक) फातिहा पढ़ते हैं।

जुहर की और ईशा की फर्ज़ नमाज़ों के बाद चार ज़ाएद रकाअतें और असर की फर्ज़ नमाज़ के बाद छः ज़ाएद रकाअतें अदा करना मुस्तहब हैं। दूसरे लफ़्ज़ों में, ये बहुत मुबारक है। एक शख्स इन सबको एक सलाम के साथ या हर दो रकाअत के बाद सलाम कहकर अदा की जा सकता है। इन दोनों ही हालतों में पहली दो रकाअतें आखिरी सुन्नत मानी जाएंगी। ये नमाज़ें, जो मुस्तहब हैं वो जुहर की और ईशा की नमाज़ की दुआओं के बाद अलग से अदा की जाती है।

पहली रकाअत दुआ की शुरूआत के साथ की जाती है और दूसरी रकाअत जैसे ही तुम खड़े होते हो उसके साथ शुरू हो जाती है, और हर रकाअत जारी रहती है जबतक तुम दोबारा खड़े होते हो। आखिरी सलाम तक जारी रहती है। हर दूसरी रकाअत के दूसरे सजदे के (सिर झुकाने) बाद हम बैठते हैं।

हर नमाज़ की रकाअत में इसके फर्ज़, वाजिबात, सुन्नतें, मुफ़ीसदात (चीज़ें या हरकतें जो एक नमाज़ को रद्द करते हैं), और मकरूहात (हरकतें, लफ़्ज़, सोचें पैग़म्बर के ज़रिए नारज़ामंद और छोड़े गए) शामिल हैं। आगे के सफ़हों पर, हम हनफ़ी मसलक के मुताबिक इन्हें वाज़ेह करेंगे।

नमाज़ के फराईज़

फ़र्ज़ एक ज़मानत है जो अल्लाह तआला के ज़रिए साफ़ हुक्म किया गया है। जबतक एक शख्स फ़र्ज़ अदा नहीं करता, तो वो इबादत सही, सच्ची नहीं होगी। नमाज़ के बारह फराईज़ हैं, इन फराईज़ में से, सात उनमें से बाहर हैं और पाँच नमाज़ के अंदर हैं। फ़र्ज़ जो बाहर हैं वो (शर्ते) [पहले से शर्ते] कहलाती हैं। फ़र्ज़ जो अंदर हैं उन्हें (रुकन) कहते हैं। [कुछ इस्लामी आलिमों ने कहा है के तहरीमा की तकवीर नमाज़ के अंदर है। उनके मुताबिक, नमाज़ की रुकन और शर्ते दोनों, हर एक नम्बर में छः हैं।]

A) नमाज़ की पहली शर्ते फ़र्ज़ः

1- हदस से तहारतः वुजू की अदाएगी उस शख्स के ज़रिए जिसका वुजू ना हो और जो जुनबी हों उनके ज़रिए गुस्ल करना।

2- नजासत से तहारतः लोग जिन्हें नमाज़ पढ़नी हो उन्हें अपने जिस्मों, कपड़ों, जगहों जहाँ उन्होने नमाज़ अदा करनी हो वो सब नजाज़त से पाक होने चाहिए, यानी, उन चीज़ों से जो मज़हबी तौर पर; खुन, पेशाब, शराब।

3- सतर-ए-अवरतः अवरत हिस्सों को ढाकना। अपने अवरत हिस्सों को छुपाने का अल्लाह तआला का फरमाने इलाही है। मुकल्लफ़ के उन हिस्सों को, यानी, उनके लिए जो बाशअर और बालिग़ हों, जिन्हें उनके लिए खुला रखना और दूसरों को दिखाना हराम [ममनुअ] है और दूसरों का नमाज़ के दौरान उन्हें देखना, या किसी भी वक्त, उसे अवरत हिस्से कहते हैं। एक मर्द का नाफ़ से घुटने तक का हिस्सा अवरत है। औरत के लिए सिवाए हाथों और मुँह के उसके सारे जिस्म के हिस्सों को अवरत हिस्से कहते हैं।

4- **इस्तिकबाले किब्लाः** किब्ला की तरफ नमाज़ अदा करना इस्तिकबाले किब्ला होता है। मुसलमानों का किब्ला वहाँ है जहाँ **(काबा)** जो के मक्का-ए मुकर्रमा के शहर में है। यानी, ज़मीन से अर्श तक की जगह किब्ला है।

5- **वक्तः** इसका मतलब है नमाज़ को उसे वक्त में अदा किया जाए। यानी, ये जानना क नमाज़ का वक्त शुरू हो गया है और ये इरादा करना के बताए गए वक्त में नमाज़ अदा करना।

6- **नीयतः** इसका मतलब है नीयत [इरादा] करना इस सोच को दिल में लाते हुए के कव उसे नमाज़ शुरू करनी है। ये नमाज़ को अदा करने की नीयत से ज़ाहिद किया जा सकता है। अगर सिर्फ़ जुवान से कहे, तो इसे एक नीयत नहीं माना जाएगा। नमाज़ के लिए नीयत करने का मतलब है के दिल से इसका नाम, वक्त, किब्ला, कहा जाए और इमाम को तकलीद करने की इच्छा होना (जब जमाअत से नमाज़ अदा की जाए), नमाज़ अदा करने की नीयत ज़ाहिर करना। नीयत तकवीर-ए-इफ़तिताह (शुरूआत) कहते हुए करनी चाहिए। तकवीर-ए इफ़तिताह के बाद नीयत करनी सही नहीं है और इसलिए जो नमाज़ अदा की जाएगी वो काबिले कुबूल नहीं है।

7- **तकवीर-ए तहरीमाः** इसका मतलब है **(अल्लाहु अकबर)** कहना जब नमाज़ शुरू हो। इस तकवीर की शुरूआत को **(तकवीर-ए इफ़तिताह)** कहते हैं। इसके बदल कोई दूसरा लफ़ज़ कुबूल नहीं होता।

B) नमाज़ के अंदर फ़र्ज (उसके रूकन)ः

नमाज़ के अंदर पाँच फ़र्ज हैं। इन पाँच फ़र्ज के हर एक को **(रूकन)** कहते हैं। वो ये हैंः

1- **क्यामः** इसका मतलब है खड़ा होना, जब एक शख्स नमाज़ को शुरू करे और अदा करे। जो खड़े होने में बहुत वीमार हो वो नमाज़ बैठकर अदा कर सकता है, और अगर वो बैठने में भी बहुत वीमार हो तो वो कमर के बल लेटकर अपने सिर के साथ इसे अदा कर सकता है (अपने सिर को हरकत, हिलाने, वगैरह के ज़रिए)। जबके एक कुर्सी में बैठे हों तो नमाज़ अदा करने की इजाज़त नहीं है।

2- **किरअतः** किरअत का मतलब है जुवानी पढ़ना। इसका मतलब है कुरआन अल करीम की एक सूरह [कुरआन अल-करीम का एक वाव] या एक आयत [कुरआन अल-करीम का एक हिस्सा] को पढ़ना।

3- **रुकूः** इसका मतलब है किरअत पूरी करने के बाद झूकना और हाथों को घुटनों पर रख लिया जाए। रुकू में तुम कम से कम तीन बार (सुब्हान रब्बियल अज़ीम) कहते हो। रुकू से खड़े होने पर तुम्हें (समी अल्लाहु लिमन हमिदह) कहना चाहिए। रुकू से खड़ा होने के बाद तुम्हें (रब्बना लकल हम्द) कहना चाहिए।

4- **सजदाः** इसका मतलब है रुकू के बाद ज़मीन पर माथा रखना। सज्दे का मतलब है ज़मीन पर लगातार दो बार माथा रखना हाथों, माथे और नाक को ज़मीन पर रखना। तुम्हें हर सज्दे में तीन बार (सुब्हान रब्बियल आला) कहना है।

5- **कअदा-ए आखिराः** इसका मतलब है आखिरी रकअत में इतना लंबा बैठना जितना के तुम (अत तहिय्यात) के दुआ पढ़ सको। इसको (आखिरी बैठने का तरिका) भी कहते हैं।

हकीकत ये है के नमाज़ की शर्तें बहुत सारी हैं, जो ये बताती हैं के नमाज़ एक आला काम है और सारी इबादतों से सबसे अहम है। इसके अलावा

जब इसके वाजिवात, मुन्नतें, मुस्तहवात, मकरूहात और मुफ़सिद पर सोचा जाता है, तो ये समझ लिया जाता है के कैसे एक गुलाम अपने रब की हाज़िरी में खड़ा होता है। ये गुलाम कमज़ोर, बग़ैर ताकत की मख़लूक हैं। हर एक सांस पर, उन्हें अल्लाह तआला की ज़रूरत पड़ती है जिसने उन्हें तख़लीक किया। नमाज़ एक इबादत है जो एक गुलाम को उसकी कमज़ोरियों को समझने के काविल बनाती है।

हमारी इस किताब में, ये इल्म इसके काएदे में वाज़ेह किया जाएगा।

नमाज़ की पहली शर्त

1- हदस से तहारत (बग़ैर वुज़ू या गुस्ल की हालत से पाकी):

इस मज़मून पर, हम वुज़ू, गुस्ल और तय्यमुम पर जानकारी देंगे।

वुज़ू की अदाएगी [वुज़ू, अबदस्त]:

वुज़ू की अदाएगी नमाज़ा के फ़राईज़ में से एक है। कुरआन अल-करीम को पकड़ने, काबा के चक्कर लगाने, सज्दा-ए तिलावत करने, नमाज़े जनाज़ा भी अदा करने के लिए वुज़ू करना ज़रूरी है। लगातार/मुसलसल वुज़ू में रहना बहुत ज़्यादा सवाब लाता है, बिस्तर पर जाने के लिए, खाने और पीने के लिए जबके एक शख्स वुज़ू के साथ है।

वो जो मर जाते हैं जबके वो वुजू के साथ थे जो उन्हें शहादत हासिल करने का सवाब मिलेगा। हमारे पैग़म्बर “सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम” ने फरमायाः

(वो जो मर जाते हैं जबके वो वुजू कर रहे होते हैं मौत का दर्द महसूस नहीं करते। इस वास्ते, वुजू ईमान रखने की अलामत है। ये नमाज़ की चाबी है, ये जिस्म से गुनाहों को साफ करने वाला हैं।)

(जब एक मोमिन वुजू करता है, उसके गुनाह उसकी आँखों, हाथों और पैरों से निकल जाते हैं। वो ऐसे बैठ जाता है जैसे उसे माफ़ कर दिया गया हो।)

(सब कामों से बहतर नमाज़ है। जो मुतवातिर वुजू करते हैं वो बिला शक़/बेशक़ ईमान वाले हैं। एक मोमिन सुबह के वक्त भी वुजू से होता है और जब वो रात में सोने जाता है तब भी वुजू से होता है। जब वो ऐसा करता है, तब वो अल्ला तआला की हिफ़ाज़त में होता है। खाना और पानी, उसके पेट में जिसने उसे खाया जबके वो वुजू के साथ था, अल्लाह तआला के नाम का ज़िकर करते हैं। वो उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं जब तक के वो उसके पेट में रहते हैं।)

एक अबदस्त (वुजू) में फ़र्ज़, सुन्नत, अदब, और ममनुअ और रद करने वाली चीज़ें हैं। अगर एक शख्स बग़ैर वुजू किए नमाज़ अदा करता है अगरचे उसे ऐसा करने की सख्त ज़रूरत महसूस नहीं होती और उसे पता है के उसका वुजू नहीं है, वो एक काफ़िर बन जाएगा। वो जो नमाज़ अदा करते वक्त अपना वुजू खो देता है, उसे एक तरफ़ का सलाम अदा करना चाहिए और अपनी नमाज़ रोक देन चाहिए। मुकरर वक्त के पूरा होने से पहले दोबारा वुजू करके उसे नमाज़ दोबारा अदा कर लेनी चाहिए।

रसूम वुजू के फराईज़

हनफी मसलक में वुजू में चार फर्ज़ हैः

- 1- एक बार मुँह को धोना ।
- 2- दोनों हाथों को और कुहनियों समेत एक बार धोना ।
- 3- चौथाई सर मसह करना, यानी अपने गीले हाथ को अपने माथे पर रगड़ना ।
- 4- दोनो पाँव गट्टो समेत धोना एक बार ।

नीयत [इरादा] और तरतीब [अपने अज़ा को बताए गए तरीके मुताबिक धोना] शाफई मसलक में फर्ज़ हैं । ये ज़रूरी के नीयत करलें जब मुँह को धोएँ । अगर एक शख्स मुँह पर पानी छुने से पहले नीयत करले, तो उसका वुजू सही नहीं होगा । चेहरे और ठोड़ी पर जो दाढ़ी है उसका धोना फर्ज़ है । दालक [धूले हुए अज़ा को रगड़ना] और मुवालात [बगैर रूके हुए एक के बाद एक अज़ा को धोना] मालिकी मसलक में फर्ज़ हैं । शिया अपने पाँव नहीं धोते, वो नंगे पैरों पर मसह करते हैं ।

एक रसूम वुजू को कैसे अदा करें?

1- जबके तुम रसूम वुजू की अदाएगी शुरू करो, तो तुम इस दुआ को पढ़ोः बिस्मिल्लाहिल-अज़ीम वलहम्दु लिल्लाह अला दीनिलइस्लाम । व अला तौफीक-इल-ईमान । अलहम्दु लिल्लाहिल-लज़ी जेअलेलमाई तहूरेन व जेअलेल-इस्लामे नूरैन । (मैं अल्लाह तआला के नाम के साथ शुरू करता हूँ जो अज़ीम

है। अल्लाह तआला के लिए सब तारीफें और शुक्रिये जिसने हमें इस्लाम का मज़हब दिया और जिसने हमपर ईमान की रहमते फरमाई। अल्लाह तआला के लिए सब तारीफें और शुक्रिये जिसने पानी को साफ बनाया और जिसने इस्लाम को एक रोशनी बनाया।) फिर, हाथों को, कलाईयों के साथ, तीन बार धोओ।

2- जब तुम अपने मुँह पे अपने सीधे हाथ से तीन मरतबा पानी डालो, तो तुम्हें मंदरजाज़ेल दुआ पढ़नी चाहिएः

अल्लाहुम्मस किनी मिन होदि नबिय्येके क-ए सन ला इज़मेअ ब-देहू इबेदिन। (ए मेरे अल्लाह! मुझे हमारे नबी के हौज़ में से पानी पिला, जिसमें से एक शख्स पानी पीले तो वो कभी दोबारा प्यास महसूस नहीं करेगा।)

3- तीन बार तुम अपने सीधे हाथ से अपनी नाक में पानी डालो और अपनी नाक को उलटे हाथ से साफ करो। जब तुम अपनी नाक में पानी डालो, तुम्हें मंदरजाज़ेल दुआ पढ़नी चाहिएः **अल्लाहुम्माह इरहनी रायहिअतल जन्नती वरज़ुकनी मिन नि अमिहा। व-ला तुरिहनी राईहतन-नार** (ए मेरे अल्लाह! मुझे जन्नत की नेमत अता फरमा, ना के दोज़ख की बू।)

4- तुम अपनी हथेलियों में पानी लो और माथे के बालों से ठोड़ी के नीचे तक अपने चेहरे/मुँह को धो, और दोनो कानों के सामने से धोना। इस तरह करते वक्त, तुम मंदरजाज़ेल दुआ पढ़ सकते होः

अल्लाहुम्मा बेयीद वजही बिनूरिक योमा तबयदद वुजहु औवलियाका व ला तुसविद वजही बिज़नूबी योमा तस्वददु वजूहु अदाएके। (ए मेरे अल्लाह! जैसे के तुमने अपने प्यारे रोशन गुलामों के चेहरों को अपनी रोशनी से सफ़ेद किया, मेरा चेहरा भी सफ़ेद कर दे। योमुलहशर में जब तेरे दुश्मनों का चेहरा काला हो, मेरा चेहरा मेरे गुनाहों की वजह से काला मत करना।)

5- जबकि तुम अपना सीधा हाथ कोहनी को शामिल करते हुए उलटे हाथ से (तीन बार) धो रहे हो, तो तुम्हें मंदरजाज़ेल दुआ पढ़नी चाहिएः अल्लाहुम्मा अतिनी किताबी बियमीनी व हासिबनी हिसाबन यसीरन। (ए मेरे अल्लाह! मेरे अमाल की किताब मेरे सीधे हाथ में देना और मेरे हिसाब को आसान फरमाना।)

6- जब तुम अपना उलटा हाथ कोहनी तक (तीन बार), धोओ अपने सीधे हाथ से तो तुम मंदरजाज़ेल दुआ पढ़ोः अल्लाहुम्मा ला तुतिनी किताबी बि सिमाली व ला मिन वराए ज़हरी व ला तुहासिबनी हिसाबन शदीदन। (ए मेरे अल्लाह! मेरे अमाल की किताब मेरे उलटी तरफ़ से और मेरे पीछे से मत देना। मेरे हिसाब को सख्ती से मत लेना।)

7- दोनो कलाइयाँ धोने के बाद, अपने हाथों को दोबार धोओ और हाथों पर गीला पानी छोड़ते हुए, अपने सिर पर (हाथ पोंछते हुए) मसह करो। इस वक्त, तुम मंदरजाज़ेल दुआ पढ़ सकते होः अल्लाहुम्मा हरिरम शरि व विशरि अलेन नार। व इज़िलनी तहते ज़िल्ली अरशीका योमा ज़िल्ले इला ज़िल्लु अरशीका (ए मेरे अल्लाह! मेरे जिस्म और मेरे बाल को दोज़ख़ में मत फ़ैकना। जिस दिन कोई साया न हो, तो मुझे अर्श-ए-अला के साए में पनाह देना।)

8- इसके बाद, तुम अपने कान के छेदों को अपने सीधे और उलटे हाथों की छंगुलियों से गीला करो और अपने अंगूठों को अपने कानों के पीछे रगड़ो और फिर मंदरजाज़ेल दुआ पढ़ोः अल्लाहुम्माज अलनी मिनललज़िन यसतमिअनल कौले फ़ि यत्तेबिअन अहसनेहु। (ए मेरे अल्लाह! मुझे लफ़ज़ को सुनने वाला बना दे और जो सबसे ज़्यादा फरमावरदार है।)

9- जबकि तुम अपनी गर्दन के पीछे का अपने हाथों के बाहरी सतह से मसह कर रहे हो तो तुम मंदरजाज़ेल दुआ पढ़ो: **अल्लाहुम्मा अतीख रकाबती मिनन-नार**। (ए मेरे अल्लाह! मेरी गर्दन को आग से आज़ाद कर।)

10- गर्दन का मसह करने के बाद, तुम अपना सीधा पैर गट्टों की हड्डियों के दोनों तरफ एक साथ तीन बार धोना चाहिए, उलटे हाथ छुंगली को पंजों में बीच में डालना, छोटे पंजे से शुरू करते हुए धोना। ऐसा करते वक्त, तुम्हें मंदरजाज़ेल दुआ पढ़नी चाहिए: **अल्लाहुम्म सबित कदमई अलैस सिराति योम तज़िलू फिहिल-अक़दामु**। (ए मेरे अल्लाह! जब कयामत में पैर फिसलने लगे, तो मेरे पैरों को सिरात पर कायम कर।)

11- तुम अपन उलटा पैर गट्टों की हड्डियों के साथ दोनो तरफ से तीन बार धाओ। तुम अपनी छुगलि पंजों के बीच में डालो नीचे से, छोटे पंजे की तरफ से शुरू करते हुए। ऐसा करते वक्त, तुम्हें मंदरजाज़ेल दुआ पढ़नी चाहिए: **अल्लाहुम्मा तातरूद कदिमी अलैस-सिराती यौमि ततरूदू कुल्लु अक़दामि अदाईक**। **अल्लाहुम्मज अल सई मशकूरेन व ज़नबी मग़फूरन व अमिली मक़बूलन व तिजारिती लन तबूरि**। (ए मेरे अल्लाह! उस दिन जब तेरे दुश्मनों के पैर सिरात पर से फिसलें, मेरे पैरों को उस पर से मत गिराना। ए मेरे अल्लाह! मेरे काम को इकबालमंद बना। मेरे गुनाहों को माफ़ कद दे। मेरे कामों को कुबूल करले। मेरी तिजारत को हलाल कर।)

हमारे रसूल 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ने फरमाया: (जो कोई भी वुज़ू करता है और आसमान की तरफ देखता है और ये दुआ पढ़ता है: "सुब्हा-न-कल्ला हुम-म व बिहमदि-का, अश हदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता वहदका ला शरी-क लकि अस्तिग़फीरुका व अतूबु इलेका अशहदु अन लाइल्लाह इल्लाह व अशअहदु अन ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहु।" अल्लाह तआला उस शख्स के गुनाह माफ़ कर देता है, वो उसे अपनी कुबूलियत के

दस्तखत के मान लेता है और उसे अर्श-ए-अला के नीचे रख लेता है। हिसाब वाले दिन, वो शख्स जो इस दुआ को पढ़ता है आता है और इसका सवाब हासिल करता है।)

एक हदीस-ए शरीफ में, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया: (जो कोई भी वुजू अदा करता है और फिर सूरह “इन्ना अंजालनाहु...” एक बार पढ़ता है, अल्लाह तआला उसे सिददीकों में से एक लिख लेता है। अगर वो इसे दो बार पढ़ता है, वो उसे शहीदों में से एक लिख लेता है। अगर वो इसे तीन बार पढ़ लेता है, तो वो पैगम्बर के साथ उठाया जाएगा।)

एक और हदीस-ए शरीफ में, इस तरह बयान है: (जो कोई भी एक वुजू अदा करता है और फिर दस बार मुझ पर सलातु सलाम भेजता है, अपने रसूम वुजू को अदा करने के बाद, अल्लाह तआला उस शख्स की उदासियाँ दूर कर देता है और उसे खुश बनाता है। वो उसकी दुआएँ कुबूल करता है।)

जो वुजू की दुआएँ नहीं जानते उन्हें इजाज़त है के वो उन्हें ना पढ़े। बहरहाल, जितनी जल्दी हो सके उसे उन्हें याद कर लेना चाहिए और जब रसूम वुजू अदा करे तो उन्हें पढ़े। ये ज़्यादा सवाब लेकर आएगा। रसूम वुजू की अदाएगी के खात्मे पर इसका ज़्यादा सवाब है, या रसूम वुजू को ख़त्म करते वक्त मंदरजाज़ेल दुआ पढ़ना: “अल्लाहुम्मज अलनी मिनन्तव्वाबीन, वज अलनी मिनल मुत तहहिरीन, वज अलनी, मिन इबादिकि-अस-सालिहीन, वजअलनी मिनल-लज़ीनि ला खौफुन अलैहिम व लाहुम यहज़िनून।”

वो लोग जिन्हें वुजू की दुआएँ याद नहीं है उन्हें अपने अज़ा धोते वक्त कलिमा-ए शाहदत पढ़ना चाहिए, इस तरह, उन्हें आला बरकतें हासिल होंगी।

वज़ाहतः वुजू करते वक्त जो दुआँ करनी हैं उसके लिए 227 और 228 सफ़हों को देखिए!

*अगर तुम आलम हो, नमाज़ अदा करो, क्योंकि ये खुशी का ताज है
जान लो के ये मोमिन की मेराज है।*

रसूम वुजू की सुन्नतें

एक वुजू में अठारह सुन्नतें हैंः

- 1- एक वुजू शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना।
- 2- हाथों को कलाईयों तक तीन बार धोना।
- 3- तीन बार मुँह को धोना हर बार ताज़ा पानी का इस्तेमाल करते हुए। इसको (मदमदा) बोलते हैं।
- 4- दोनों नथनों को तीन बार धोना, हर बार ताज़ा पानी अंदर लेना। इसको (इसतिनशाक) बोलते हैं।
- 5- भौं के नीचे, दाढ़ी और मूँछों के ना दिखवाई देने वाले हिस्सों को गीला करना।
- 6- दोनों भौं के नीचे के हिस्से मुँह धोते वक्त गीला करना।
- 7- दाढ़ी के लटकते हुए हिस्से पर (हल्के से पोंछना) मसह करना।
- 8- दाढ़ी के लटकते हुए हिस्से को धोना, सीधे हाथ की गीली उंगलियों से (तख़लील) कंधा करना।

9- दाँतों को किसी चीज़ से रगड़ना और साफ़ करना। [मिसवाक का इस्तेमाल करना एक अहम सुन्नत है।]

10- एक बार सिर का पूरा मसह करना।

11- दोनों कानों का (रगड़ना) एक बार मसह करना।

12- गर्दन का एक बार मसह करना दोनों हाथों की तीन बराबर उंगलियों से।

13- उंगलियों और पंजों के बीच में धोना। [(तम्बूलील) के लिए पंजों के बीच में धोना, उलटे हाथ की छोटी उंगली को पंजों के बीच में नीचे से बारी बारी धोना, सीधे पैर की छोटी उंगली से शुरू करते हुए और, सीधे पैर का पूरा करने के बाद, उलटे पैर के बड़े पंजे से करते हुए।]

14- तीन बार धोना, हर अज़ा को धोना।

15- जब चेहरा धोना शुरू करो तो दिल से नीयत करो।

16- तरतीब। दूसरे लफ़्ज़ों में, अज़ाओ को सही से धोना, और तसलसुल को ना बदलना।

17- दालक। धूले हुए अज़ा को मलना।

18- मुवालात। अज़ा को एक के बाद दूसरा जल्दी धोना।

रसूम वुजू के अदाब

वुजू में अठईस अदाब हैं:

इस हालत में अदाब का मतलब है के जब किया जाए तो रहमतों की वजह है लेकिन अगर छोड़ा जाए तो कोई गुनाह नहीं लाता। लेकिन सुन्नत करना एक बड़ी रहम है और इसे ना करना तनज़ीही मकरूह है। अदाब को मनदूब और मुस्तहब भी कहते हैं। वुजू के अदाब:

1- नमाज़ के वक्त से पहले वुजू कर लेना। (जो किसी उज़र के साथ हैं उन्हें [नमाज़ जो अदा करनी है] उसके वक्त के शुरू होने के बाद कर लेना चाहिए।)

2- जब तहारखाने में अपने को साफ़ करो, तो क़िब्ला तुम्हारे सीधे या उलटे हाथ की तरफ़ होना चाहिए। ये तहरीमी मकरूह है के अपना सामना या कमर क़िब्ले की तरफ़ करो जब पाख़ाना या पेशाब कर रहे हो।

3- अगर अपने पौशिदा हिस्सों को नजासत से पाक नहीं किया, तो ये एक अदब हे के उन्हें पानी से धोओ।

4- धोने के बाद अपने आपको एक कपड़े के टुकड़े से सुखाओ।

5- सफ़ाई करने के बाद अपने आपको फ़ौरन ढक लो।

6- किसी से कोई मदद के लिए मत पूछो, लेकिन अपने आप वुजू अदा करो।

7- क़िब्ले की तरफ़ रख कर लेना जब वुजू किया जाए।

- 8- हर अज़ा धोते वक्त कलिमा-ए-शहादत पढ़ना ।
- 9- वुजू की बताई गई (दुआ) को पढ़ना ।
- 10- मुँह में सीधे हाथ से पानी डालना ।
- 11- नाक में सीधे हाथ से पानी डालना ।
- 12- नाक को उलटे हाथ से साफ़ करना ।
- 13- जब मुह को धो रहे हों, तो दाँतों को **मिसवाक** से ब्रश करना । अगर मिसवाक दस्तयाव नहीं है, तो एक ब्रश का इस्तेमाल किया जा सकता है ।
- 14- जब मुँह धो रहे हों, तो (अगर रोज़ा नहीं है) गरगरा करें । गुस्ल और के दौर वुजू इन भी गले में हल्का गरगरा करना चाहिए । ताहम जब तुम्हारा रोज़ा हो तो गरगरा करना मकरूह है ।
- 15- जब नथनों को धोओ, तो हडडी तक पानी पहुँचाओ ।
- 16- जब कानों का मसह करो, तो हर छोटी उंगली कानों के सुराग़ में डालो बारी बारी ।
- 17- जब पंजों के बीच में धोओ तो उलटे हाथ की छुंगली को उसकी नीचली तरफ़ गुज़ारते हुए (तग़्बलील) करो ।
- 18- जब हाथों को धोओ तो (चौड़ी) अगूँठी को हिल्लाओ । ये ज़रूरी और फ़र्ज़ है के कसी हुई अगूँठी को हिलाना ।
- 19- पानी को ज़ाया ना करना चाहे वो ज़्यादा ही क्यों ना हो ।

20- इतना कम पानी का इस्तेमाल मत करो के जैसे तुम कोई दवा लगा रहे हो। हर तीन भरतवा अज़ा धोनों के बाद कम से कम, दो बूंद पानी की धूले हुए हिस्से से गिरनी चाहिए।

21- बरतन को वुजू के लिए इस्तेमाल करने के बाद, बरतन को पानी से भरकर छोड़े।

22- ये दुआ पढ़ना (अल्लाहुम्मज अलनी मिनत्तवावीन.....) वुजू करने के बाद या उसके दौरान।

23- वुजू करने के बाद दो रकअत नमाज़ जिसे (सुबहा) कहा जाता है अदा करनी चाहिए।

24- एक वुजू करना चाहे अगरचे तुम्हारा वुजू ही क्यों न हुआ हो। दूसरे लफ़्ज़ों में, एक नमाज़ अदा करने के बाद, तुम्हें अगली नमाज़ के लिए वुजू करना चाहिए चाहे तुम्हारा वुजू क्यों ना हो।

25- चेहरा धोते वक्त आँखों के अंदरूनी कोनों को साफ़ करना और पलकों पर सूखे चीपड़ को साफ़ करना।

26- चेहरा, कलाइयाँ और पैर धोते वक्त, ज़रूरी मिकदार से ज़्यादा धोना। [जब कलाइयों को धो रहे हों, तो हमें अपनी हथेलियों में पानी भर लेना चाहिए और फिर उसे अपनी कोहनियों तक बहा देना चाहिए।]

27- जब एक वुजू अदा कर रहे हो तो, इस्तेमाल किए हुए पानी को अपने जिस्म, अपने कपड़ों, वगैरह छींटे ना मारने दो।

28- अगर चीज़ तुम्हारे मस्लक में मकरूह नहीं है, लेकिन दूसरे मस्लक में फ़र्ज़ है तो, उसको करना मुस्तहब है।

वुजू अदा करने की मुमानियतें

यहाँ पर वुजू की अदाएगी में बारह मुमानिअतें हैं। उनको करना या तो हराम है या मकरूह; वो इस तरह मंदरजाज़ेल हैं:

1- कज़ाए हाजत करते वक्त या पेशाब करते वक्त पाखाने में या बाहर, तुम्हें अपनी पीठ या सामना किव्वे की तरफ़ नहीं करना चाहिए।

2- तहारत करने की गर्ज से अपने पौशिदा हिस्सों को दूसरों की सोहवत में ख़ोलना हराम है।

3- एक शख्स को अपने सीधे हाथ से तहारत नहीं करनी चाहिए।

4- जब कोई पानी ना हो, तो (अपने आपको साफ़ करने के लिए) खाने की चीज़ों के साथ, खाद, लकड़ी, जानवर का चारा, कोएला, किसी और की मिलकियत, मिट्टी का टुकड़ा या टाईल, नरकट, पत्तियाँ, एक कपड़े या कागज़ का टुकड़ा तहारत के लिए लेना मकरूह है।

5- एक शख्स को जहाँ एक शख्स हौज़ से वुजू करे उसे कफ़ उसमे थूकना या फ़ैकना नहीं चाहिए।

6- एक शख्स को अपने वुजू वाले अज़ा को बताई गई हद से ज़्यादा या कम नहीं धोना चाहिए, ना ही उनको ज़्यादा या तीन बार से ज़्यादा नहीं धोना चाहिए।

7- एक शख्स को अपने वुजू के अज़ा को जिस कपड़े को तहारत के लिए इस्तेमाल किया हो उससे मलना नहीं चाहिए।

8- चेहरा धोते वक्त, एक शख्स को अपने चेहरे पर छींटे नहीं मारने चाहिए, बल्कि ऊपर माथे से नीचे की तरफ डालना चाहिए।

9- एक शख्स को पानी की सतह पर झटका नहीं मारना चाहिए।

10- एक शख्स को अपना मुँह और आँखें कस कर नहीं बंद करनी चाहिए। अगर होंटो या पलकों का एक छोटा सा बाहरी हिस्सा भी सूखा रह जाए, तो वुजू कुबूल नहीं किया जाएगा।

11- एक शख्स को अपने सीधे हाथ से नाक से कफ नहीं निकालना चाहिए।

12- एक शख्स को अपने हाथों को हर बार गीला करने के बाद, एक बार ही अपनी सिर, कानों या गरदन का मसह करना चाहिए। लेकिन इसको दोबारा कर सकते हैं बगैर हाथों को गीला किए हुए।

मिस्वाक का इस्तेमाल

वुजू करते वक्त मिस्वाक का इस्तेमाल करना सुन्नत-ए मुअक्किदा है। एक हदीस-ए-शरीफ का बयान है: (एक नमाज़ जो मिस्वाक इस्तेमाल करने के बाद अदा की जाए वो सत्तर गुना अफज़ल है उस नमाज़ के जो बगैर मिस्वाक के की जाए।)

(सिराज़-उल-वहाज) नाम की किताब में ये बयान है के मिस्वाक के इस्तेमाल के पन्द्रह फ़ाएदे हैं:

1- एक शख्स की आखिरी साँस में कलिमाए शहादत पढ़ने का सबब है।

- 2- मसूढ़ों को मज़बूत करता है।
- 3- ये बलगम को रोकती है।
- 4- ये पित्ते पर दबाव कम करता है। ये पेट में तेज़ावियत बनने से रोकता है।
- 5- ये दाँत के दर्द को रोकता है।
- 6- ये गंदी साँस को रोकता है।
- 7- अल्लाह तआला उस शख्स से खुश होता है।
- 8- ये सिर की रगों को मज़बूत करता है।
- 9- शैतान उदास होता है।
- 10- उस शख्स की आँखें चमकदार होती हैं।
- 11- वो बहुत सारी महरबानियाँ और अच्छे काम करता है।
- 12- वो सुन्नत के मुताबिक काम करता है।
- 13- उसका मुँह साफ़ होगा।
- 14- वो फ़साहत के साथ बोलता है।
- 15- दो रकाअत नमाज़ मिस्वाक का इस्तेमाल करने के बाद वुजू करके अदा करना उस सत्तर रकाअत नमाज़ की अदाएगी से ज़्यादा है जो वुजू में मिस्वाक इस्तेमाल किए बग़ैर अदा किए जाएँ।

मिस्वाक अरबिया में उगने वाले एक पेड़ एराक (पीलू) की जड़ है। इसे सीधे खाते कोई दो सेंटीमीटर छिलनी चाहिए, इस हिस्से को कई घंटों के लिए पानी में रखना चाहिए। जब तुम इसे दबाओगे, तो ये एक ब्रश की तरह खुल जाएगा। जब एराक पेड़ ना मिले, जैतून की टहनी से मिस्वाक बनाई जा सकती है। औरतों के जब रोज़े ना हों तो वो चिलगम चवा सकती हैं, मिस्वाक का इस्तेमाल करने के बजाए, सुन्नत अदा करने की नियत से।

वुजू करते वक्त कुछ उसूलों का ध्यान करना

जब तक के ज़रूरत हो (सख्त ज़रूरत), मंदरजाज़ेल दस उसूल मानने चाहिएः

1- एक शख्स दोनो हाथ से माज़ूर (या बिल्कुल ही हाथ ना हो) तहारत नहीं कर सकता। इसके बजाए वो अपने बाज़ूओं को मिट्टी पर रगड़ कर और चेहरे को एक दिवार के साथ रगड़ के वो तयम्मूम कर सकता है। या उसके चेहरे पर कोई ज़ख़ है, तो उसे बग़ैर वुजू के नमाज़ अदा करनी चाहिए ताकि उसकी नमाज़ ना छुटे।

2- अगर एक शख्स बीमार है, उसकी बीबी, जारिया, बच्चें, बहनें, या भाई उसके वुजू अदा करने में मदद कर सकते हैं।

3- पत्थरों और उसी तरह की चीज़ों से तहारत करना ऐसा ही है जैसे पानी के साथ कर लिया हो।

4- अगर एक शख्स जो पागल हो गया हो या बेहोश हो गया हो चौबिस घंटों में सही नहीं हुआ, तो उसे सही होने के बाद अपनी छोड़ी हुई नमाज़ों की (कज़ा) अदा नहीं करनी पड़ेगी। वो जो अपना होश शराब, अफीम या दवाई लेने की वजह से खो चुका हो उसे अपनी सारी छोड़ी हुई नमाज़ें अदा करनी होंगी। एक शख्स जो सख्त बीमार हो के वो लेटकर भी अपना सिर हिलाकर नमाज़ अदा ना कर पा रहा हो, चाहे वो होश में ही क्यों ना हो, तो उसे नमाज़ से छूट है। अगरचे, ये हालत चौबिस घंटे से ज़्यादा चली हो।

5- ये मुस्तहब है (एक नएमत का ज़रिया) के ख़ास बैगी पाजामों का इस्तेमाल करना और सिर को ढांपना जबकि तहारख़ाने में घुसा जाए।

6- जब तहारख़ाने में दाख़िल हुआ जाए तो एक शख़्स के हाथ में अल्लाह का नाम या कुरआन में से कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। इसे किसी चीज़ से लपेटा हुआ होना चाहिए या ये एक शख़्स की जेब में हो।

7- एक शख़्स को अपने उलटे पेर के साथ तहारख़ाने के दाख़िल होना चाहिए और अपने सीधे पेर के साथ बाहर होना चाहिए।

8- तहारख़ाने में एक शख़्स को उकड़ू बैठने के बाद अपने पौशिदा हिस्सों को खोलना चाहिए और उसे बात नहीं करनी चाहिए।

9- एक शख़्स को अपने पौशिदा हिस्सों को नहीं देखना चाहिए या ख़िराज को ना ही तहारख़ाने में थूकना चाहिए।

10- एक शख़्स को किसी भी पानी में मस्जिद की दीवार पर, कब्रिस्तान में, या किसी भी सड़क पर पैशाब (ना ही गंदगी साफ़ नहीं) नहीं करना चाहिए।

चीज़ें जो एक वुज़ू को ख़त्म करती हैं

सात चीज़ें वुज़ू को ख़त्म/मंसूख़ करती हैं:

1- सारी चीज़ें जो आगे और पीछे के अज़ा से ख़ारिज हों:

a) पैशाब, पाख़ाना और रिहा ख़ारिज होना एक वुज़ू को तोड़ता है।

b) जब एक एनेमा या एक आदमी की उंगली उसके पीछे दाखिल हो और निकाली जाए, अगर वो गीली हो, तो इससे वुजू टूट जाता है। अगर वो सुखी हो, तब भी ये अच्छा है के दोबारा वुजू किया जाए।

c) जब रूई का बाहरी हिस्सा जोकि आदमी और औरतों ने अपने आगे के हिस्सों में रखा वो गिला हो जाए, तो उनका वुजू खत्म हो जाएगा।

2- बगैर साफ हुई चीजों का मुँह से आना:

a) उल्टी, अगर वो मुँह भर कर हो।

b) जब एक शख्स थूके, अगर खुन थूक से ज़्यादा है तो ये वुजू को तोड़ देता है।

c) अगर पेट से या फफड़ों से जारी खुन पतला है अगरचे ये थूक से भी कम है तो, इमाम ए आज़म अबू हनिफ़ा के मुताबिक ये वुजू को तोड़ देगा।

d) अगर कोई भी तेल कान में डाला हुआ मुँह से निकल आए तो वुजू टूट जाता है।

3- खाल से चीज़ें खारिज होना:

a) खून, पस या पीली बहने वाली शए।

b) अगर खुन या पीला मवाद एक शख्स के छोटे पौक्स या किसी फ़ौड़े से सारी जगहों पर फैल जाए जिन्हें गुस्ल के वुजू में धोया जाए, तो ये एक शख्स का वुजू तोड़ देगा। मिसाल के तौर पर, अगर खून नाक से आ रहा है और नाक की हडडी तक चला गया तो वुजू टूट जाएगा। और अगर खुन कानों से आ रहा है कान के बाहर बह जाए तो एक वुजू टूट जाता है।

c) एक शख्स के जख के खुन को या उसके पीले मवाद को या फौड़े (फुन्सी) को रूई से साफ करना ।

d) अगर मिस्वाक या टूथ पिक पर खून मुँह में धब्बा डाल दे ।

e) कान से, नाफ से या निपलों से किसी दर्द या बीमारी की वजह से पीप निकल आए तो वुजू टूट जाता है ।

f) एक जोक ज्यादा खून चूस ले तो वुजू टूट जाता है ।

4- सोना/नींद से:

पहलू के बल या कमर या अपनी कोहनी के बल या किसी और चीज़ पर सोने से, वुजू टूट जाता है ।

5- बेहोश होना, पागल हो जाना, या दौरा पड़ने से भी वुजू टूट जाता है । नशे में होकर चलते हुए इधर उधर हिलने से भी वुजू टूट जाता है ।

6- नमाज़ के दौरान, रूकू के दौरान या सज्दे के दौरान हँसना नमाज़ और वुजू दोनों को तोड़ देता है । लेकिन ये एक बच्चे के वुजू को नहीं तोड़ता । जब एक मुसलमान नमाज़ पढ़ते वक़्त मुस्कुराए, तो उनकी नमाज़ या वुजू नहीं ख़त्म होते । जब दूसरे मौजूद लोगों के ज़रिए सुन लिया जाए, तो इसे हँसना कहते हैं । जब एक शख्स खुद अपनी ही हँसी ना सुन पाए तो उसे **मुस्कुराना** कहते हैं ।

7- मुबाशरत-ए फाहिशा यानी, जब एक मर्द और औरत अपने ज़ाती हिस्से (सतर) को एक दूसरे पर रगड़ें ।

अगर एक शख्स को पता है के उसने वुजू किया है और शुबह हो के बाद में ये टूट जाएगा, तो ये माना गया के उसका वुजू है । अगर उसे पता है

के उसका वुजू टूट सकता है और शुबह हो के क्या उसे दोबारा वुजू करना चाहिए, तो उसे वुजू करना होगा।

चीज़ें जो एक वुजू को नहीं तोड़तीं

ये चीज़ें एक वुजू को नहीं तोड़तीं:

- 1- कीड़ों का मुँह से, कानों या एक ज़ख्म से निकलना।
- 2- उल्टी में बलगम।
- 3- उल्टी का पतला खून, सिर से निकले, तो इससे वुजू टूटता अगर वो थूक से कम है।
- 4- दाँत में से खून निकलने से वुजू नहीं टूटता अगर वो थूक से भी कम है।
- 5- गाढ़े खून का सिर से बहना एक वुजू को ख़त्म नहीं करता चाहे अगर वो थूक से ज़्यादा ही क्यों ना हो।
- 6- अगर पेट से या फफ़ड़ों से खून मिकदार में मुँह भर कर ना हो।
- 7- अगर कोई तेल कान में डाला जाए कान से या नाक से बाहर आ जाए।
- 8- अगर कोई चीज़ नाक में सूंगी गई वापिस आ जाए, चाहे अगर कई दिन बाद भी, तो ये एक वुजू को नहीं तोड़ता।
- 9- अगर एक शख्स ने किसी चीज़ पर खून देखा जिसे उसने काटा हो।
- 10- सिवाए एक फ़ौड़े के, किसी और वजह से रोना, जैसे के प्याज़, धुएँ और दूसरी तरह की गैसों की वजह से, तो इससे वुजू नहीं टूटता।

- 11- एक औरत का अपने बच्चे को दूध पिलाना उसका वुजू नहीं तोड़ता ।
- 12- पसीना, चाहे कितना भी आए ।
- 13- नुकसानदह कीड़ों जैसे के मक्खियाँ, मच्छर, पिस्सू और जुएँ चाहे अगर कितनी ही काट लें तो उससे वुजू नहीं टूटता ।
- 14- जिस्म पर थोड़ा सा खून जो ना बहे, और थोड़ी से कै बाहर निकले, जोकि मुँह भर कर ना हो, वो एक वुजू को नहीं तोड़ती ।
- 15- अगर एक शख्स जिस चीज़ पर लेटा हुआ है वो अचानक ले ली जाए और वो गिरता नहीं है, जबकि वो सो रहा है, तो उसका वुजू नहीं टूटेगा ।
- 16- नमाज़ में सोना ।
- 17- टाँगों को ऊपर खींच और उनपर सिर रखकर सोने से वुजू नहीं टूटता ।
- 18- एक तरफ़ पैर रखकर बैठकर सोने से वुजू नहीं टूटता ।
- 19- एक नंगे जानवर पर सोने से वुजू नहीं टूटता, बशर्त ये के वो जानवर ऊपर चढ़ रहा है या एक हमवार सड़क पर ।
- 20- जब एक मुसलमान नमाज़ अदा करते वक्त मुसकराए, तो उनकी नमाज़ या वुजू खत्म नहीं होता ।
- 21- अगर कोई भी नहीं बल्कि जो शख्स हँस रहा है वो इसे सुनले, तो इसे **दहक** कहते हैं, जो सिर्फ़ नमाज़ तोड़ता है ।
- 22- अपने बालों, दाढ़ी, मूछों या नाखूनों को काटने से एक शख्स का वुजू नहीं टूटता ।
- 23- एक नासूर या ज़ख्म से खुरंट गिरने से भी वुजू नहीं टूटता ।

वुजू की सहूलतें

मसह का मतलब है पोंछना। यहाँ दो तरह के मसह हैं:

1- मोज़ों पर मसह:

एक मोज़ा पानी सोकने वाला जूता होता है जो पैर के उस हिस्से को ढकता है जिसका (वुजू में) धोना फर्ज़ है। जब चमड़े के मोज़े इतने बड़े हों के पंजे उन मोज़ों के सिरों तक ना पहुँच पाएँ और मसह उस खाली जगह पर किया जाए, तो मसह कुबूल नहीं किया जाएगा। मोज़ों का मज़बूत होना और इतना फीट होना ताकि पैर उनमें से बाहर ना निकल पाएँ अगर तुम एक घंटे तक भी चलो।

मसह उन मोज़ों पर भी करने की इजाज़त है जिनके तलवे और पंजे के हिस्सों पर, या सिर्फ तलवों पर चमड़ा लगा हो।

मसह उन मोज़ों पर भी करने की इजाज़त है जो बहुत ज़्यादा चले वाले हों के जब उनमें चलें तो गिरे नहीं।

मेसट (बग़ैर वुजू के होना) हदस की हालत को पैरों तक पहुँचने से रोकती है। इसलिए, अगर एक शख्स सिर्फ अपने पैर धो लेता है, फिर मेसट पहन लेता है, और फिर अपना वुजू पूरा करता है, और उसके बाद अपना वुजू खो देता है, तो वो अपने मेसट पर मसह कर सकता है जब वो बाद में अपना वुजू अदा कर रहा हो।

मसह मेसट के ऊपरी हिस्से पर किया जाता है, ना की तलवे के नीचे।

मुन्नत के मुताबिक मसह अदा करने के लिए, सीधे हाथ पूरी पाँचों गिली उंगलियाँ सीधे मेसट की पूरी लम्बाई पर और उलटे हाथ की उंगलियाँ उलटे मेसट पर रगड़नी चाहिए, वो ऊपर टाँगों की तरफ खींची जाएँगी, पंजों के (मेसट के) सिरों से शुरू करते हुए। हाथों की हथेलियाँ मेसट को ना छुएँ। ये फर्ज है के मसह इतना हिस्सा कवर करे जितना के तीन उंगलियों की चौड़ाई हो और हाथ की तीन उंगलियों की लम्बाई की तरह हो।

अगरचे हाथों के पीछे से भी मसह करने की इजाज़त है, ये मुन्नत है हाथों के अंदरूनी हिस्सों से ही मसह की जाए।

अगर मेसट की बहरूनी सतह गीली घास पर चलने से या बारिश से नम हो जाए, ये मसह करने की तरह ही हो जाएगा।

मोज़ों पर मसह करने का वक्त एक शख्स अगर मुक़िम है तो चौबीस घंटे रख सकता है, किसी के लिए जो लम्बे सफ़र (यानी सफ़र) पर हो तीन दिन तीन रातें, यानी, बहत्तर घंटे तो मसह कर सकता है। ये वक्त उसका मोज़े पहनने से शुरू नहीं होता, बल्कि एक शख्स के मसह पहनने के बाद वुजू से होता है। अगर एक शख्स मोज़ा पहने हुए चौबिस घंटे के अंदर अपने वुजू टूटने के बाद सफ़र के लिए निकलता है, तो उसे अपने मोज़ों पर तीन दिन और तीन रात के लिए मसह करना चाहिए। अगर ये शख्स लम्बे रास्ते का सफ़र बनाता है (जब उसका वुजू टूट गया था) और चौबिस घंटे या ज़्यादा घंटों के लिए बाद में (उसका वुजू टूटने के बाद) मूक़िम हो जाता है, तो उसे अपने मोज़े उतारने होंगे और अपने पैरों को धोना होगा जब उसे एक वुजू की ज़रूरत पड़े।

इस बात की इजाज़त नहीं है के किसी भी मेसट पर मसह किया जाए जिसमें इतने कटा हुआ हो के तीन पंजे चले जाएँ। अगर इससे छोटा है तो

इसकी इजाज़त है। अगर मोज़ों पर कई जगह पर छोटा कटा हुआ हो जो तीन पंजों के बराबर हो अगर उन्हें एक साथ रखा जाए, तो उस पर मसह करने की इजाज़त नहीं है। अगर एक मोज़े पर इतना कटा हो जिसमें से दो पंजें नज़र आ सकते हों और दूसरे में इतना कटा हो जिसमें से दो पंजे या एक देखा जा सके, तो एक शख्स को उन पर मसह करना होगा। कटे हुए का साईज़ जो मसह को नामंज़ूर करता है वो इतना बड़ा हो के जो तीनों पंजों को, ना के सिर्फ़ तीनों पंजों की नोकों को दिखाए।

2- ज़ख़ या पट्टी पर मसहः

मरहम, रूई, जवीरह, फाया, प्लास्टर, पट्टी या उसी तरह की कोई चीज़, जोकि एक ज़ख़, छाले, या कटे या खाल के फटने पर लगाया जाए, अगर इसका खोलना या निकालना नुकसानदह हो तो उसपर मसह किया जा सकता है।

एक शख्स उज़र (माफ़ी) के साथ जब चाहे वुजू कर सकता है। इस वुजू के साथ वो जितनी मर्ज़ी फ़र्ज़ और नफ़ली इबादतों की नमाज़ अदा कर सकता है और जितना मर्ज़ी चाहे कुरआन अल करीम पढ़ सकता है। जब मुकर्रर किया हुआ नमाज़ का वक्त पूरा हो जाए, तो उसका वुजू अपने आप खत्म हो जाएगा। हर नमाज़ के वक्त के शुरू होने के वक्त नया वुजू करना, हर तरह की इबादत करने की इजाज़त देता है जबतक के नमाज़ का वक्त पूरा ना हो जाए।

एक उज़र होने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है जो वुजू को लगातार तोड़ देती है। अगर एक शख्स जो, किसी भी नमाज़ की इबादत के वक्त के दौरान, जोकि फ़र्ज़ हो अदा करनी, अपना वुजू रखने में नाकाम रहता है चाहे सिर्फ़ इतना लंबा के सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ अदा की हो, उसे किसी भी वक्त

वुजू करना होगा नमाज़ के वक्त के शुरू होने से उसके खत्म होने तक, तो वो एक उज़र वाला शख्स बन जाता है। अगर एक शख्स का ज़ख्म, जो एक उज़र रखता है, चाहे एक बार ही रिसे और वो भी थोड़े वक्त के लिए हर नमाज़ के वक्त में, तो उसका उज़र लगातार माना जाएगा।

गुस्ल (ज़रूरी धोना)

एक काबिले कुबूल नमाज़ के लिए एक सही वुजू और सही गुस्ल चाहिए होता है। हर औरत या मर्द के लिए जो जुनूब हो ये फर्ज़ है, और हैज़ (माहवारी) के बाद और निफ़ास (जचगी) के एक गुस्ल वुजू किया जाए जब वहाँ पर वक्त की नमाज़ के अदा करने के लिए बहुत वक्त हो उस नमाज़ का वक्त खत्म होने से पहले। जुनूब होना सोहबत के ज़रिए या मनी खारिज होने के ज़रिए होता है।

रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ने एक हदीस-ए शरीफ़ में फरमाया (एक शख्स जो वुजू करने के लिए उठता है वो अपने जिस्म के बालों के बराबर नएमतेँ पाता है [जिसका मतलब है बहुत सारे], और ये भी के उसके बहुत सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। उसे जन्नत में ऊँचा दर्जा हासिल होता है। जो नेमतेँ उसे अपने गुस्ल की वजह से हासिल होंगी वो दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा फ़ाएदेमंद हैं। अल्लाह तआला ने फरिश्तों से फरमायाः मेरे इस गुलाम को देखो! बग़ैर कोई नारज़ामंदी दिखाए, वो मेरे हुक्म के बारे में सोचता है और रात में उठता है और जनाबत से गुस्ल अदा करता है। गवाह रहो के मैं अपने इस गुलाम के गुनाहों को माफ़ कर दूँगा।)

एक हदीस-ए शरीफ़ में बयान हैः (जब तुम नापाक हो जाओ, तो गुस्ल वुजू अदा करने में जल्दी करो! क्योंकि, किरामन कातिबीन उस शख्स के

ज़रिए तकलीफ़ पाते हैं जो जनाबत की हालत में रहते हैं।) हज़रत इमाम-ए गुजाली ने कहा उन्होंने एक शख्स को सपने में देखा ये कहते हुए, मैं सिर्फ़ थोड़े वक्त के लिए जुनव/जुनूबी की हालत में रहा। जिसके नतीजे में, उन्होंने एक आग की कमीज़ मेरे ऊपर फेंकी। और मैं अभी तक आग में हूँ। एक हदीस-ए शरीफ़ में बयान है: ([अल्लाह के] हमदर्दी वाले फरिश्ते उस घर में नहीं घुसते जिसमें एक तस्वीर, एक कुत्ता, या एक जुनबी शख्स हो।)

अगर एक शख्स, चाहे अगर वो अपनी रोज़ाना की नमाज़ें बराबर अदा करता हो, इबादत के वक्त उसने जनाबत की, उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। अगर वो पानी से गुस्ल नहीं करता, तो उसे एक तयम्मूम कर लेना चाहिए। एक जुनूब शख्स मंदरजाज़ेल चीज़ें नहीं कर सकता: 1- वो कोई नमाज़ अदा नहीं कर सकता। 2- वो कुरआन अल-करीम को और उसकी आयात को छू नहीं सकता। 3- वो कावे के चारों तरफ़ तवाफ़ नहीं कर सकता। 4- वो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता।

एक गुस्ल के फराईज़

हन्फ़ी मसलक के मुताबिक़ गुस्ल में तीन फ़र्ज़ हैं:

1- पूरे मुँह को धोना। गुस्ल उस हालत में कुबूल नहीं हो सकता के जैसे के एक पिन की नौक बराबर जगह मुँह के अंदर गीली ना हो जाए या दाँतों या दाँत की खोख़लापन गीले ना हो जाए।

2- नथनों को धोना। एक गुस्ल कुबूल नहीं किया जाएगा अगर एक शख्स नाक के नथनों के नीचे सूत्रे नज़ले या मुँह के अंदर रोटी चबाए हुए टुकड़े को धोया ना जाए। हंबली मसलक के मुताबिक़, पूरे मुँह को धोना और

नथनों को धोना वुजू और गुस्ल दोनों में फर्ज है। शाफि-ई मसलक में गुस्ल की नेत करना फर्ज है।

3- जिस् के हर अज़ा को धोना। नाफ़ के अंदर, मूँछ में, भों में और दाढ़ी में यहाँ तक के उसके नीचे खाल में भी, सिर के बालों को भी धोना फर्ज है। अगर उंगली के नाखूनों, होंटों, पलकों या जिस् के कोई भी हिस्से पर [जैसे के नाखून पालिश], कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर पानी न ठहरे, तो गुस्ल कुबूल नहीं किया जाता।

एक गुस्ल की सुन्नतें

- 1- सबसे पहले हाथों को धोना।
- 2- सतर को धोना।
- 3- जिस् से किसी भी नजासत को धोना।
- 4- गुस्ल से पहले रसूम वुजू करना। जब चेहरे को धोएँ, तो गुस्ल करने का इरादा करना। शाफिई मसलक में इरादा करना फर्ज है।
- 5- पूरे जिस् को रगड़ते हुए धोना तीन बार।
- 6- पूरे जिस् को धोने के बाद, दोनो परों को धोना।

गुस्ल किस तरह किया जाए?

सुन्नत के मुताबिक गुस्ल का अदा करनाः

1- सबसे पहले हमें अपने हाथों को और पौशिदा हिस्सों को धोना चाहिए चाहे अगर वो साफ़ ही क्यों ना हो। फिर, अगर जिस् पर कहीं नजासत लगी हो, तो हमें उसे साफ़ कर लेना चाहिए।

2- फिर हमें पूरा वुजू करना चाहिए। अपना चेहरा धोते वक्त हमें एक गुस्ल अदा करने का इरादा करना चाहिए। अगर हमारे पैरों के नीचे पूरा पानी नहीं पहुँचा, तो हमें अपने पैरों को भी धोना चाहिए।

3- फिर हमें अपने पूरे जिस्म पर तीन बार पानी बहाना चाहिए। इस तरह करते हुए, पहले हमें अपने सिर पर तीन बार पानी डालना चाहिए, फिर सीधे कंधे पर तीन बार और फिर उल्टे कंधे पर तीन बार। हर बार जब हम जिस हिस्से पर पानी डाल रहे हों तो वो हिस्सा पूरी तरह गीला होना चाहिए। पहली बार पानी डालने के दौरान हमें इसे आराम से रगड़ना भी चाहिए।

गुस्ल के दौरान, इस बात की इजाज़त है के एक अजू पर पानी डालते वक्त इसे दूसरे अजू पर भी बहने दिया जाए, जो, इस सिंसिले में, भी साफ हो जाएगा। क्योंकि एक गुस्ल में पूरे जिस्म को एक अजू की तरह समझा जाता है। अगर एक वुजू करते वक्त एक अजू पर पानी बहाते वक्त दूसरा अजू गीला हो जाए, तो दूसरा अजू साफ नहीं समझा जाएगा। जब एक गुस्ल मुकम्मल हो जाए तो दोबारा वुजू करना मकरूह है। लेकिन अगर गुस्ल करते वक्त ये टूट गया तो ये ज़रूरी हो जाता है के दोबारा वुजू किया जाए।

वज़ाहत (मुलम्मा या भरे हुए दाँतों के बारे में)

हनफ़ी मसलक में, अगर दाँतों के बीच का, और दाँत की कैविटी के अंदर का हिस्सा, गीला नहीं होता, तो गुस्ल कुवूल नहीं किया जाएगा। इसलिए, जब दाँतों में मुलम्मा या भरवाते हैं, तो गुस्ल सही (माना) नहीं जाता। एक शख्स जनावत से बाहर नहीं आता। दूसरे लफ़्ज़ों में, जब पानी दाँतों के मुलम्मे

और भराई में नहीं पहुँचता, जोकि सोने, चाँदी, या किसी और चीज़ माद्रे से बने होते हैं जोकि नजस नहीं है, तो हनफी मसलक के आलिमों के मुताबिक, गुस्ल वुजू कुबूल नहीं किया जाता।

तहतावी अपनी **मराकिल-फलाह** की वज़ाहत के छियानवें सफ़ेह और अपनी **नएमत-ए इस्लाम** के तुर्की तर्जुमे में भी मंदरजाज़ेल लिखते हैं: “एक हनफी का शाफ़ई मसलक की किसी चीज़ की नकल करना जोकि वो अपने मसलक में नहीं कर सकता तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। इसी तरह का **बह्रुरराइक** और **नहरूलफ़ाईक** किताबों में भी लिखा है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे उस मसलक की शराइत को भी पूरा करना होगा। अगर वो बग़ैर हर्ज के नकल कर रहा है और शर्तों को ध्यान में नहीं रखता तो वो एक **(मुलाफ़ीक)** कहलाएगा, यानी, वो शख्स जो सहूलतों को देखता है और हासिल करता है। इस बात की इजाज़त नहीं है।

एक शख्स जो अपने खुद की मसलक का फर्ज अदा नहीं करता तो वो इसे करने में दूसरे मसलक की नकल कर सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे उस मसलक की शर्तों को भी पूरा करना होगा। मालिकी या शाफ़ई मसलक की नकल/तकलीद करने के लिए ये काफी है के जब तुम एक गुस्ल कर रहे हो या वुजू कर रहे और जब नमाज़ अदा करने की नीयत करो तो ये याद रखना काफी है के तुम मालिकी या शाफ़ई मसलक की तकलीद कर रहे हो। दूसरे लफ़्ज़ों में, उस शख्स का तब ही कुबूल होगा अगर, शुरू में ही, वो अपने दिल में ये ख्याल डाल ले: **(मैं नीयत कर रहा हूँ गुस्ल की और मालिकी [या शाफ़ि-ई] मसलक की तकलीद करने की।)** जब हनफी मसलक का एक शख्स जिसके दाँत में मुलम्मा चढ़ा हो या भरा हुआ हो इस तरह से नीयत करे तो उसका गुस्ल सही है। वो अपने आपको जुनूब हालत से आज़ाद कराएगा और पाक हो जाएगा। जब वो मालिकी या शाफ़ि-ई मसलकों की नकल करेगा,

तो उसके रसूम वुजू और नमाज़ें सही होंगी। वो एक जमाअत की नमाज़ अदा कराने में इमाम हो सकता है जिनकी कोई दाँतों का मुलम्मा या भराई ना हो।

उनके लिए जो शाफि-ई मसलक की नकल कर रहें हो; ये ज़रूरी है के जब वो रसूम इबादत जमाअत में अदा कर रहे हों तो सूरह फातिहा को पढ़ना चाहिए। और, जब दो मुख़ालिफ़ जिंसों के लोगों के बीच जिनको शादी की इजाज़त हो सकती है आपस में एक दूसरे को छुएँ, तो नमाज़ के लिए एक वुजू, (नाकि गुस्ल, यानी) अदा करना दोनो के लिए ज़रूरी हो जाता है; इसी मामले के लिए जब दोनों जिंसों में से हर एक, हथेली से दोनो में से किसी के भी अज़ा को छुए अपनी तबीयत को आराम पहुँचाने के लिए, अपने जिस्म पर या किसी और पर, तो उन्हें नमाज़ के लिए वुजू की ज़रूरत पड़ेगी। उन्हें नजासत से भी परहेज़ करना होगा, चाहे अगर वो मिक़दार में थोड़ी ही क्यों ना हो। जब ये लोग नमाज़ अदा करने की ज़रूरत समझें, या कुरआन अल-करीम को पकड़ने की सोचें, तो उन्हें वुजू करना होगा जोकि शाफि-ई मसलक के मुताबिक भी जाईज़ है। एक हनफ़ी मुसाफ़िर (एक शख्स जो सफ़र कर रहा हो) के लिए, ज़ोहर और असर की या मुग्रिब और ईशा की नमाज़ को मिलाने के लिए तकदीम के या ताख़ीर के ज़रिए, शाफि-ई मसलक की तकलीद करते हुए, तो उसे शाफि-ई मसलक के मुताबिक वुजू करना होगा।

हैज़ (माहवारी) और निफ़ास (ज़च्चगी) औरतों की हालतें

वहाँ पर ग्यारह तरह के गुस्ल हैं, जिनमें से पाँच फ़र्ज़ हैं। उनमें से दो में एक औरत शामिल है जो हैज़ (माहवारी) और निफ़ास (ज़च्चगी) की हालतों से बाहर निकलने पर गुस्ल करती हैं।

इबन आविदिन अपनी किताब (मनहल-उल-वारिदीन) में कहते हैं: फिकह के आलिमों के ज़रिए ये इतेफ़ाक़ राए से ज़ाहिर हुआ के हर मुसलमान, मर्द और औरत, को इस्लामी तालीम हासिल करनी चाहिए ये हर मुसलमान औरत के लिए फ़र्ज़ है के हैज़ और निफ़ास की तालीम सीखना। हर मुसलमान मर्द को हैज़ और निफ़ास का इल्म सीखना चाहिए जब उसकी शादी होने लगे। जब उसकी शादी हो जाए, तो उसे अपनी बीवी को ज़रूर सीखाना चाहिए।

हैज़ वो खून है जो एक सेहतमंद लड़की के जेनिटल अज़ा से निकलना शुरू होता है कुछ दिनों के लिए या महीनों या कुछ सालों के लिए जब वो आठ साल की हो जाती है और नवें साल में लग जाती है, या एक औरत का पूरे दिनों की पाकी के बाद उसके पिछले हैज़ के वक्त के मुकाबले और जो कम से कम तीन दिन, यानी बहत्तर घंटों तक उस लम्हे से जब इसे पहली बार देखा गया। कोई भी रंगीन बहने वाली शए, सिवाए सफ़ेद (बेरंग) माए को छोड़कर, सब हैज़ का खून कहलाएंगी। जब एक लड़की का हैज़ शुरू होता है, तो वो बालिग़, (जवान) हो जाती है, यानी एक औरत बन जाती है। वो मज़हब के एहक़ाम और मुमानियतों को मानने के लिए ज़िम्मेदार बन जाती है।

जब खून को देखा गया उस वक्त से और जब तक खून खत्म हो गया उन दिनों को आदत (हैज़/माहवारी की वक्फ़ा) कहते हैं। हैज़ की मुददत ज़्यादा से ज़्यादा दस दिन और कम से कम तीन दिन है। हर औरत को अपनी हैज़ की मुददत को दिनों और घंटों में ध्यान रखना होगा। जब एक लड़की आठ साल से ऊपर हो जाती है, तो ये उसकी माँ के लिए फ़र्ज़ हो जाता है या, अगर उसकी माँ नहीं है, तो उसकी दादी नानी, बड़ी बहनें, फुफ़ियाँ और खालाएँ सब ही, उसे हैज़ और निफ़ास के बारे में बताए।

निफ़ास का मतलब है ज़च्चगी की हालत। ये एक बच्चे के पैदा होने के बाद एक औरत की बच्चेदानी से जो खून निकलता है वो होता है। निफ़ास के लिए कोई कम से कम मुददत नहीं है। जब खून रुक जाए तो उसे फौरन गुस्ल कर लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा निफ़ास की मुददत चालीस दिन है। चालीस दिन के बाद वो गुस्ल कर सकती है और नमाज़ शुरू कर सकती है

चाहे अगर खून जारी हो। चालीसवें दिन के बाद खून निकलना इस्तिहादा [यानी, उज़र है] है। औरतों को अपनी निफ़ास की मुददत को भी याद रखना चाहिए।

तीन दिन से, या बहत्तर घंटों से कम खून का निकलना, चाहे अगर वो पाँच मिनट से भी कम हो, या, इस नई बालिग़ लड़की के लिए, दस दिन के बाद खून जब ये दस दिन से ज़्यादा के लिए जारी रहे या, उसके लिए जो नया ना हो, आदत के बाद खून का जारी रहना जब ये दोनो ही आदत के दिनों से ऊपर और दस दिन से ज़्यादा लगातार जारी रहे, या हामला औरत का खून या आइसा (बूढ़ी) औरत या नौ साल से नीची लड़की के लिए, ये माहवारी/हिज़ नहीं है। इसे **इस्तिहादा** कहेंगे। इस्तिहादा का ज़्यदा खून एक बीमारी की अलामत है। अगर ये काफ़ी अरसा कायम रहे तो ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए जिस शख्स को हो उसे औरतों के इमराज़ के माहिर को दिखाना चाहिए।

एक औरत जो इस्तिहादा के दिनों में चल रही हो उसे ऐसा शख्स माना जाएगा जो एक माफ़ी (उज़र) के साथ हो ठीक उसी तरह जैसे किसी की नाक से लगातार खून आना; बहरहाल, उसे नमाज़ और रोज़ा अदा करना होगा।

हैज़ या निफ़ास के दौरान नमाज़, रोज़ा, तिलावत और शुक्र सजदा, कुरआन अल-करीम को पकड़ना मस्जिद में दाख़िल होना, कावे के चारो तरफ़ तवाफ़ करना, और सोहबत करना सब हराम (ममनुअ) हैं। वाद में वो उन रोज़ों की कज़ा अदा कर सकती है, लेकिन उन नमाज़ की इबादतों की नहीं जो उसने अदा नहीं की। एक औरत को अपने खाविंद को बता देना चाहिए के कब उसका हैज़ शुरू होगा। हमारे पैग़म्बर 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ने फरमायाः (एक औरत जिसने अपने मियाँ से अपने हैज़ के शुरू होने और खत्म होने को छुपाया वो नफ़रतज़दा है।) जब हैज़ और निफ़ास खत्म हो जाए तो फ़ौरन गुस्ल करना फ़र्ज़ है। ये अल्लाह तआला का एक एहकाम है।

यहाँ पर कई अल्फ़ाज़ हैं जो एक निकाह को रद करने की वज़ूहात बनते हैं, यानी तलाक़। एक शख्स को अपने निकाह के खोने की इसी तरह डर होना चाहिए जैसे के उसे अपने ईमान के खोने का डर होता है। तुर्की किताब (तम इल्मिहाल) के 585वें सफ़ेह को देखिए!

हक़ तआला अपने गुलामों के ज़रिए बदला लेता है वो जो रूहानी इल्म नहीं जानते अल्लाह तआला के ज़रिए बख़शे जाते हैं सोचते हैं के ये गुलामों के ज़रिए हुआ

सब चीज़ें ख़ालिक की हैं, ये गुलामों के ज़रिए कराई जाती हैं। ये मत सोचो के, बग़ैर उसकी मर्ज़ी के, एक भूसे का टुकड़ भी हिल सकता है !

तयम्मूम

तयम्मूम का मतलब है मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए पाक होना। जब तुम्हे पानी न मिले या दस्तयाव पानी को इस्तेमाल करना मुमकिन न हो, तो तुम्हे किसी चीज़ जैसे के साफ़ मिट्टी, रेत, या पत्थर (वो साफ़ हों और मिट्टी के हों)

उनसे तयम्मुम कर लेना चाहिए वुजू या गुस्ल की जगह पर। एक नमाज़ के वक्त के शुरू होने से पहले तयम्मुम कर लेना हनफी मसलक में सही है, (जिसका मतलब है के नई इबादत की जा सकती है, जब इसका वक्त शुरू हो, उस तयम्मुम के साथ जो तुमने उसके शुरू होने से पहले किया।) बाकी तीनों मसलकों के मुताबिक ये सही नहीं है नमाज़ के वक्त से पहले शुरू करना, (तुम रोज़ाना की पाँच नमाज़ों में से एक को तयम्मुम के साथ अदा नहीं कर सकते उसके मुकरर वक्त के शुरू होने से पहले)।

तयम्मुम एक सहूलत है रसूम वुजू या गुस्ल अदा करने के लिए। हमारे मज़हब में, मिट्टी के साथ तयम्मुम करना ऐसा ही है जैसे पानी का इस्तेमाल करके पाक होना। हमारे मज़हब ने साफ़ बताया है के बहुत सारी नजासतें मिट्टी से साफ़ की जा सकती हैं।

कुछ ख़ास हालतें जिनमें तयम्मुम दरकार हैः

1- साफ़ पानी को ढूँढने में नाकाम होना वुजू या गुस्ल करने के लिए (जब तुम शहर में हो तो ये हमेशा फ़र्ज़ होता है के पानी तलाश किया जाए।)

2- कोई बीमारी जो तुम्हे पानी इस्तेमाल करने से रोके या ख़तरा हो के वो मर जाएगा या ठंड की वजह से बीमार हो जाएगा उन हालतों में जहाँ पानी इस्तेमाल हुआ।

3- अगर वहाँ पर कोई दुश्मन, एक वहशी या ज़हरीला जानवर हो।

4- कैद में हो और पानी को इस्तेमाल करने के काबिल न हो।

5- मार दिए जाने का ख़तरा हो।

6- अगर मुसाफिर के पास पीने के पानी के अलावा और कोई पानी न हो।

7- अगर एक शख्स कुए से पानी न खींच पाए।

तयम्मुम के फराईज़

तयम्मुम के तीन फराईज़ है। वुजू या गुस्ल की जगह तयम्मुम का तरीका एक जैसा ही है। सिर्फ एक फर्क है वो है नीयत का। वुजू की जगह जो तयम्मुम किया गया वो गुस्ल की मिकदार के बराबर नहीं है। गुस्ल के लिए भी ऐसा ही तयम्मुम सही है, तुम्हें एक गुस्ल के लिए भी नीयत करनी होगी।

1- जनावत से पाकी की नीयत करना या बगैर वुजू की हालत से। अगर एक शख्स जिसका कोई वुजू नहीं है, अपने शार्गिदों को सिखाने के लिए तयम्मुम करता है, तो वो एक फर्ज़ नमाज़ इस तयम्मुम के साथ अदा नहीं कर सकता।

2- अपनी दोनो हथेलियों को साफ मिट्टी पर मलना, फिर पूरे चेहरे का मसह करना।

3- दोनो हाथ साफ मिट्टी पर मलने के बाद, पहले सीधे बाजू का, फिर उलटे बाजू का मसह करना चाहिए।

वहाँ पर कुछ आलिम हैं जो कहते हैं के तयम्मुम के दो फराईज़ हैं। उन्होने दूसरे और तीसरे फर्ज़ को मिला दिया और उन्हें एक बताया। दोनों तरीके सही हैं।

तयम्मुम की सन्नतें

- 1- बिस्मिल्लाह (अल्लाह तआला के नाम में) के साथ शुरू करना ।
- 2- हथेलियों को मिट्टी पर रखना ।
- 3- हथेलियों को मिट्टी पर आगे पीछे फिराना ।
- 4- अगर हथेलियों में मिट्टी लगी रह जाए, तो हाथों के अंगूठों से ताली बजाओ जब तक पूरी तरह मिट्टी न हट जाए ।
- 5- जब हाथों को मिट्टी पर रखो तो उंगलियों को खोल लो ।
- 6- पहले चेहरे पर मसह करो, फिर सीधे हाथ/बाजू पर और फिर उल्टे बाजू पर ।
- 7- वुजू की तरह इसे जल्दी अदा करना ।
- 8- हाथों और चेहरे पर कोई ऐसी जगह न छोड़ना जिसका मसह न हो ।
- 9- तयम्मुम से पहले, जहाँ पानी मिलने की उम्मीद हो वहाँ उसे ढूँढा जाए ।
- 10- हाथों को मिट्टी पर रखकर उसे ऐसे झाड़ों जैसे उसे मार रहे हो ।
- 11- जिस तरह ऊपर बताया गया है उस तरह बाजूओं का मसह करो ।
- 12- उंगलियों के बीच में मसह करो, और इस तरह करते वक़्त, जो अंगूठी तुमने पहनी है उसे हिलाओ ।

तयम्मुम के मुताबिक तवज्जुह देने के लिए ज़ाएद पौइण्टस

1- अगर एक शख्स बगैर वुजू के अपने शार्गिदों को सीखाने की गर्ज से तयम्मुम करता है, तो वो उसके साथ नमाज़ अदा नहीं कर सकता।

2- तयम्मुम के लिए अकेले नीयत करना इस तयम्मुम के साथ नमाज़ अदा करना काफी नहीं है। ये ज़रूरी है के नमाज़ अदा करने के लिए तयम्मुम की नीयत करना।

3- बहुत सारे एक ही मिट्टी पर तयम्मुम करते हैं। इस वास्ते, मिट्टी और इसी तरह की दूसरी चीज़ें जब तयम्मुम के लिए इस्तेमाल की जाएँ तो मुसतमल न हो जाएँ। जो धूल हाथों और चेहरे से तयम्मुम के बाद गिरती है वो मुसतमल होती है।

4- शाफि-ई और हंबली मसलकों के मुताबिक, एक तयम्मुम सिर्फ मिट्टी पर ही किया जा सकता है। दूसरे मसलकों के मुताबिक, तयम्मुम किसी भी तरह से साफ़ मिट्टी की चीज़ से किया जा सकता है, चाहे अगर उसपर कोई धूल ही न हो। चीज़ें जो जल जाएँ और राख में बदल जाएँ या जो आग से पिघल जाएँ वो मिट्टी की नहीं होतीं। इसलिए, तयम्मुम पेड़ों, घास, लकड़ी, लोहे, तांबे, पीतल, रोगनी दीवारें, सोने या शीशे पर नहीं किया जा सकता। ये रेत पर किया जा सकता है। मोतियों या मुंगे पर नहीं किया जा सकता। इसे पाक मिट्टी, रेत, पत्थर, चूना, मिट्टी कच्चे या पक्के बर्तन जिन पर रंग न हो, मिट्टी की कच्ची या पक्की ईंट, मिट्टी या ईंटों या पत्थर या चूने की दीवार गीरू और मुल्लानी पर इसे कर सकते हैं। अगर वहाँ पर सिर्फ मिट्टी हो, तो उससे

तयम्मुम किया जा सकता है, अगर उसमें जो पानी है वो पचास फीसद से भी कम हो।

5- इस बात की इजाज़त है के कई फर्ज़ी इबादतें एक तयम्मुम के साथ अदा करली जाएँ।

6- जब एक मुसाफिर (सफर) को खास इशारों के ज़रिए पक्के तौर पर मान ले, या एक मुसलमान जोकि एक आदिल के ज़रिए आगाह किया जाए बालिग और होश की उमर को पहुँच चुका हो, उसे बताए के दो किलोमिटर से भी कम फासले पर उसे पानी मिल जाएगा, तो ये उसके लिए फर्ज़ हो जाएगा के चलकर पानी ढूँढे या हर सिमत में किसी को भेजे दो सौ मिटर तक। अगर उसे पक्की उम्मीद न हो तो उसे पानी के लिए देखने की ज़रूरत नहीं है।

7- अगर एक शख्स जिसके साथ उसका आदिल दोस्त हो, बगैर पानी के लिए पूछे हुए तयम्मुम करे और नमाज़ अदा करनी शुरू करदे, और बाद में उसे बताए जाए के वहाँ पानी है, तो उसे वुजू करना होगा और नमाज़ दोबारा अदा करनी होगी।

8- इस बात की इजाज़त है के तयम्मुम करके नमाज़ अदा करली जाए, जबकि पानी दो किलोमिटर दूर हो।

9- एक शख्स जो भूल गया हो के उसकी सहूलियात में पानी है, वो तयम्मुम करके नमाज़ अदा कर सकता है, अगर वो शहर, गाँव [या किसी भी आबाद जगह पर] में नहीं है।

10- अगर एक शख्स जो ये सोचे के उसका पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन बाद में पता लगा के नमाज़ के बाद भी उसके बाद पानी है, तो उसे वो नमाज़ दोबारा अदा करनी होगी जो उसने तयम्मूम अदा करके की।

11- एक मुसाफिर के लिए ये वाजिब है, (यानी एक मुसलमान का लम्बे सफ़र पर होना) के जो उसके साथ हैं उनसे पानी के लिए पूछे अगर वो उसे पानी देने से मना करदें, तो वो तयम्मूम करके नमाज़ अदा कर सकता है। अगर एक मुसाफिर का दोस्त वाजिब पैसे में पानी बेच रहा है, तो मुसाफिर को चाहिए उसे ख़रीद ले अगर ऐसा कर ने के लिए उसके पास ज़ाएद पैसा है तो। अगर उसका मालिक ग़बन-ए फ़ाहिश पर बेच रहा है, यानी, ज़्यादा पैसा (ग़ैर मामूली पैसे) लेकर, या अगर मुसाफिर के पास वाजिब दाम भी न हो इसे ख़रीदने के लिए, तो उसे इजाज़त है के तयम्मूम करके नमाज़ अदा कर सकता है।

12- एक शख्स तयम्मूम कर सकता है, जबकि पानी वहाँ मौजूद हो लेकिन सफ़र के दौरान पीने के लिए दस्तयाब हो (अगर वहाँ पर शर्ते हों जैसे के सेहरा में होना)।

13- अगर वहाँ पर दस्तयाब (मुबाह) पानी की मिकदार कम है, एक शख्स जोकि जनवी हो वो उस औरत पर फ़ौकियत ले सकता है जिसकी हैज़ की मुददत नई खत्म हुई हो, उस शख्स के ऊपर जो बग़ैर वुजू के हो, एक मरे हुए मुसलमान पर, वो उस पानी को धोने के लिए (जोकि चारों ही मामलों में ज़रूरी है) इस्तेमाल कर सकता है। पानी के मालिक को सब पर फ़ौकियत है। जब पानी मुख्तलीफ़ मालिक का हो, तो उसे एक साथ मिलाया जाए, मुसलमान की मैय्यत को पहले नहलाया जाएगा।

14- अगर एक शख्स जो जुनूब है वो तयम्मूम करता और फिर अपना वुजू खो देता है, तो वो जुनूब नहीं बन जाता। अगर वहाँ पर थोड़ा पानी है तो वो सिर्फ एक वुजू करे।

15- अगर जुनूब की जिस्म का आधे से ज़्यादा सतह बीमार है, जैसे के एक ज़ख्म, चेचक या बहुत तेज़ बुखार है, तो वो एक तयम्मूम कर सकता है। अगर उसकी खाल का ज़्यादा हिस्सा सेहतमंद है और अगर ये मुमकिन हो के बीमार हिस्से को गीला किए हुए बगैर वो अपने को धो सकता है, तो वो पानी के साथ गुस्ल कर सकता है। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता, तो उसे तयम्मूम कर लेना चाहिए।

तयम्मूम किस तरह किया जाए?

1- सबसे पहले, अपने आपको जनावत या बगैर वुजू की हालत से पाक करने की नीयत करनी चाहिए।

अकेले तयम्मूम की नीयत करना तयम्मूम को उसके साथ नमाज़ अदा करने के लिए काफी नहीं है। ये भी ज़रूरी है के कुछ चीज़ करने के लिए जैसे इबादत (नमाज़) अदा करने के लिए नीयत करना; मिसाल के तौर पर, जनाजे की नमाज़ अदा करने के लिए, सजदा-ए तिलावत के लिए, या वुजू या एक गुस्ल की जगह तयम्मूम अदा करने की नीयत करके तयम्मूम करना।

जब तयम्मूम अदा करने की नीयत करें तो ये ज़रूरी है के वुजू और गुस्ल को एक दूसरे से अलग अदा किए जाएँ। एक शख्स उस तयम्मूम के साथ नमाज़ अदा नहीं कर सकता जो उसने अपने आपको जनावत से पाक होने के लिए किया था। वुजू के लिए ज़रूरी है एक दूसरा तयम्मूम किया जाए।

2- दोनो आसतिनों को कुहनियों तक मोड़ते हुए ऊपर करो और दोनो हथेलियों, को उंगलियों के साथ खोलो, उन्हें ऊपर और नीचे रगड़ो और हिलाओ साफ मिट्टी पर, पत्थर या एक चूने या मिट्टी वाली दीवार पर। फिर एक शरख चेहरे पर दोनो हथेलियों से एक बार मसह करते हैं, यानी, चेहरे पर इतने आराम से रगड़ो इतने हिस्से में हर हथेली की तीन उंगलियों के बराबर वो चेहरे को हुए। अगर तुम्हारे चेहरे के किसी भी हिस्से जैसे के पिन की नौक के बराबर अगर तुम्हारे हाथ से अनछुए रह गए तो तयम्मुम सही नहीं होगा।

चेहरे पर एक मुकम्मल मसह करने के लिए, दोनों हाथ की खुली हथेलियाँ, हर हाथ की चारों उंगलियों को साथ में मिलाओ और अपनी दो लम्बी उंगलियों के सिरो को दोनो हाथ से मिलाओ, और इस तरह से माथे पर रखो जैसे के वो रूँ पर रखे हों, और आहिस्ता से थोड़ी तक नीचे ले जाओ। एक सतर पर उंगलियों को माथे पर, पलकों पर, नाक की दोनो तरफ, होंठों पर, और थोड़ी के चेहरे वाले हिस्से पर रगड़ो। इसी तरह हथेलियों को गालों पर रगड़ो।

3- दूसरी बार हाथों को मिट्टी पर रखो और हाथों को ताली बजाओ ताकि ज़्यादा मिट्टी और धूल झड़ जाए, पहले उलटे हाथ की चारों उंगलियों के अदरूनी हिस्सों को रगड़ो सीधे हाथ की उंगलियों के सिरो के नीचे रखकर खेचते हुए कुहनी तक ले जाओ। इस तरह ले जाने में सीधे हाथ के नीचे हाथ फिर जाएगा। फिर बाएं हाथ की हथेली सीधे हाथ के ऊपर की तरफ कुहनी से उंगलियों तक खेचते हुए लाओ और बाएँ हाथ के अंगूठे अन्दर की तरफ को सीधे हाथ के अंगूठे की पीठ पर फेरो, फिर इसी तरह सीधे हाथ के अंगूठे की पीठ पर फेरो, फिर इसी तरह सीधे हाथ को बाएं हाथ पर फेरो फिर उंगलियों का खिलाल करो। अगर अंगूठी पहनी हो तो उसे उतारना या हिलाना ज़रूरी है। हथेलियों को मिट्टी पर रगड़ो, लेकिन मिट्टी और धूल को हाथों पर रहना चाहिए।

वुजू के लिए और एक गुस्ल के लिए तयम्मुम करना ज़रूरी है।

चीज़ें जो एक तयम्मुम को खारिज करती हैं

तयम्मुम के जो उज़र ज़रूरी हैं जब वो ख़त्म हो जाएँ तो तयम्मुम रद्द और खारिज हो जाता है, जब पानी मिल जाए, और उन चीज़ों की हालत में जब एक शख्स का वुजू या गुस्ल खारिज हो जाए।

वुजू, गुस्ल और तयम्मुम के फ़ाएदे

इन पाकियों/सफ़ाईयों से जो इबादत करने के लिए की जाती हैं बहुत सारे फ़ाएदे उठाए जा सकते हैं। हमारी दिमागी सेहत साथ के साथ जिस्मानी सेहत के मामले में इसके बहुत फ़ायदे हैं। हम उन फ़ाएदों में से कुछ मंदरजाज़ेल बता रहे हैं:

1- हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे हाथ हर तरह के जरासिमों के राबते में आते हैं। वुजू करते वक्त हाथों, चेहरे और पैरों को धोना छूत और खुजली की बीमारियों के खिलाफ़ बहुत असरदार है। कुछ जरासिम और बीमारियों पैदा करने वाले कीड़े ख़ाल के ज़रिए जिस्म में घुस जाते हैं।

2- अपने नथनों को धोने के ज़रिए जोकि हमारी साँस के निज़ाम के मालिक हैं, हम धूल और जरासिमों को अपने पूरे जिस्म में दाख़िल होने से बचाते हैं।

3- चेहरे को धोने से खाल मजबूत होती है। ये सिरदर्द और थकान को हल्का करता है। ये नसों और रगों को उभारता है। इस वजह से, वो लोग जो लगातार वुजू करते हैं अपने चेहरे की खुबसूरती को नहीं खोते चाहे जब वो बूढ़े ही क्यों न हो जाएँ।

4- उन मामलों में जिनमें एक गुस्ल की ज़रूरत होती है, एक बड़ी ताकत सर्फ होती है, दिल की धड़कन और खून का दौरान बढ़ जाता है, साँस का उतार चढ़ाओ भी बढ़ जाता है। जिस्म की बढ़ी हुई हरकात थकान को कम करती हैं और आराम का सबब बनती हैं। आमतौर से, दिमागी हरकत अच्छी खासी आहिस्ता हो जाती है। गुस्ल के साथ, जिस्म अपनी पुरानी ताकत पा लेता है। दवा के इलाज के तदारक के तौर पर, जिस्म को बराबर धोना बहुत अहम है।

5- आम हालतों में, हमारे जिस्म में साकन बरकी कुव्वत बाकी होती है। एक जिस्म की सेहत इस बरकी ताकत से नज़दीकी मिलती हुई होती है। ये नफ़सियाती दबाओ, मौसमी हालात, कपड़ों, रहने की हालत और काम करने की जगह, और रियास्तों की वजह से नाहमवार/ग़ैरमतावाज़न हो जाता है जिसके लिए एक शख्स को गुस्ल करना चाहिए। ये बरकी वज़न गुस्से में चार गुना और जब एक शख्स को गुस्ल की ज़रूरत हो उस वक्त बारह गुना बढ़ जाता है। आज, इतना दिखने वाली शुआओ के साथ, बाहरी खाल की तस्वीरें ली जा सकती हैं। ये मालूम किया गया है के, सोहबत करने के बाद, जिस्म की पूरी सतह इस ज़ाएद साका बरकी वज़न से ढक जाती है। ये परत खाल की ऑक्सीजन तबादले को रोकती है। ये खाल के रंग को फीका करती है और जल्दी झुर्रियाँ लाती है। इससे बचने के लिए, ये ज़रूरी है के पूरे जिस्म को धोया जाए, किसी भी हिस्से को बग़ैर धूले न छोड़ा जाए, चाहे वो धब्बा एक पिन के सिरे के बराबर ही क्यों न हो। इस तरह, पानी जिस्म को मनफ़ी बरकी वज़न लेने का सबब बनाती है और जिस्म को उसकी असली हालत में पहुँचाती

है। इसलिए, दवाई के असवाब के तौर पर भी, गुस्ल एक लाज़मी सफ़ाई बन गई है।

6- वुज़ू और गुस्ल घूमने के निज़ाम पर भी मसबत असर डालता है। वो नसों की सख्ती और तंगई को बचाता है। वुज़ू में, इलाकाई घुमाओ होता है। गुदूदी निज़ाम ऊपर की नाक और गले की गुठली को धोने से उभरती है। इसके साथ ही, गले को और उसके हाशिए को धोने से गुदूदी निज़ाम पर असर पड़ेगा। इस गुदूदी घुमाओ से, जो वुज़ू और गुस्ल के ज़रिए आसान कर दिए गए हैं, बचाओ के वाले लिए जिन्हे lymphocyte कहते हैं वो जिस्म को नुकसानदायक माददों से बचाती है और जिस्म के मुकाबले को बढ़ाती है।

7- तयम्मूम, जोकि मिट्टी या मिट्टी के सामान से किया जाए, जब वहाँ पानी न हो तो, वो भी जिस्म की साकन बिजली को बहुत हद तक कम कर देती है।

2- नजासत से तहारत

एक शख्स के जिस्म, या कपड़ों पर कोई नजासत (माददे जिन्हें इस्लाम ने नापाक बताया है) नहीं होनी चाहिए जोकि सलात (नमाज़) पढ़ रहा हो या उस जगह पर जहाँ वो इबादत कर रहा हो। सिर का घेरा, टोपी, एक पगड़ी, चमड़े के जूते और नलिन (खड़ाऊँ) भी कपड़ों में आ जाते हैं। क्योंकि एक शख्स की गर्दन के इतराफ़ बंधे हुए स्कारफ़ का लटका हुआ हिस्सा इधर उधर घूमता है जैसे वो शख्स घूमता है, जब वो नमाज़ पढ़ रहा होता है, तो उसे भी कपड़े की तरह मान लेते हैं, और अगर उस कपड़े का हिस्सा साफ़/पाक नहीं है तो नमाज़ कुबूल नहीं की जाएगी। जहाँ वो खड़ा हुआ है और जहाँ वो अपना सिर रख रहा है, उस कपड़े पर जो ज़मीन पर फैला हुआ

है, जब वो हिस्से साफ हों, तो नमाज़ कुबूल की जाएगी चाहे अगर उसके दूसरे हिस्सों पर नजाज़त लगी हो। क्योंकि, सर्कार्फ की तरह, कपड़ा जिस्म से जुड़ा हुआ नहीं होता। उस शख्स की नमाज़ कुबूल नहीं होती जो एक बंद बोतल में पेशाब उठाए हुए हो। क्योंकि, बोतल वो जगह नहीं है जहाँ पेशाब बनता है। [इसलिए इस बात की इजाज़त नहीं है के जबके खून की या आयोडीन की टिंक्चर की बंद बोतल उठाकर नमाज़ अदा कर रहा हो या एक बंद बॉक्स हो जिसमे खून से भरा रूमाल हो या कपड़े का एक टुकड़ा हो जिसमे नजासत लगी हो दरहम के साईज़ या उससे बड़ी जिन जगहों पर एक शख्स के दोनो पैर पड़ेंगे और जहाँ एक शख्स सिर रखे वो साफ होना चाहिए। एक कपड़े, शीशे [या नाएलॉन] को बिछाकर या नजासत पर रखना कुबूल होता है। ये नमाज़ के लिए नुकसानदह नहीं होता अगर एक शख्स के कपड़े का लटकता हुआ सिरा जब झुके तो किसी सुखी नजासत को छुए।

अगर काबा नजासत (नीचे देखिए) इतनी बड़ी नहीं है जितना के एक दरहम की जिसामत या ज़्यादा, एक शख्स की खाल या कपड़ों पर उस जगह पर जहाँ वो नमाज़ पढ़ रहा हो तो इसलिए अदा की गई नमाज़ कुबूल हो जाएगी। बहरहाल, अगर ये एक दरहम की तरह है तो ये तहरीमी मकरूह है और ये वाजिब है के इसे साफ किया जाए। अगर ये दरहम से ज़्यादा है तो ये फर्ज़ है के इसे धोया जाए। अगर ये दरहम से छोटा है तो इसे धोना सुन्नत है। ये फर्ज़ है के धोना, चाहे अगर वो एक बूंद, शराब की ही क्यों न हो। इमामएन [इमाम-ए अबू युसूफ और इमाम-ए मौहम्मद] और बाकी तीन मसलक के मुताबिक, काबा नजासत को पूरा धोना चाहे वो छोटा सा ही क्यों न हो इसे धोना फर्ज़ है। ऊपर बताई गई कसोटी नजासत के मामले वो तभी होगी जब एक शख्स को नमाज़ पढ़नी हो, तब नहीं जब एक शख्स नजासत को धब्बों में रखे।

एक दरहम का वज़न एक मिस्काल के बराबर है, यानी चार ग्राम और अस्सी सेंटीग्राम, गाढ़ी नजासत के बराबर। पतली नजासत वो है जो एक शख्स के खुले हाथ की हथेली में पानी की सतह की तरह बड़ी हो। जब गाढ़ी नजासत एक मिस्काल से भी कम उस जगह पर फैली हो जो हाथ की हथेली से बड़ा हो एक शख्स के कपड़ों पर, तो ये नमाज़ को बातिल नहीं करता।

यहाँ पर दो किस्म की नजासत हैं:

1- काबा (गलीज़) नजासत: वो सब चीज़ें जो एक बुजू या गुस्ल को ज़रूरी करती हैं जब वो एक इंसानी जिस्म से निकले, बहे लेकिन ख़ाल ख़राब न हो, ग़ौशत, उन जानवरों का पेशाब और पाख़ाना जिनका ग़ौशत नहीं खा सकते [सिवाए चिमगादड़ के] और उनके बच्चे; आदमी का खून और सारे जानवरों का खून; शराब, गोशत ख़ाने वाले, सूअर, घरेलू परिंदों का पाख़ाना, जानवरों और भेड़ और बकरियों का पाख़ाना सब गलीज़ है यानी, काबा।

2- ख़फीफ़ नजासत: जब तुम्हारे अज़ू में से एक या तुम्हारे कपड़ों के एक हिस्से पर ख़फीफ़ नजासत के दाग़ पड़ जाए, तो मनफ़ी तौर पर ये तुम्हारी नमाज़ पर असर नहीं डालता जब तक के वो अज़ू के एक-चौथाई या उस हिस्से को जिस पर धब्बा लगा हो ढक न ले। ख़ाए जाने वाले जानवरों का पेशाब और उन चिड़ियों का पाख़ाना जिनका गोशत ख़ाया नहीं जाता वो ख़फीफ़ है। ख़ाए जाने वाले परिंदों जैसे कबूतर और चिड़ियों की बीट साफ़ है।

नजासत से बहने वाली शए अर्क निचोड़ना भी नजस है। इस वजह से, रकी और शराब काबा नजासत है और, शराब की तरह, इनको पीना हराम है। नमाज़ पढ़ने से पहले खून, शराब और नशीली चीज़ों को कपड़ों या जिस्म पर से धो लेना चाहिए। जब गंदा माददा उड़ता है तो ये साफ़ नहीं

होता। बोटले, या इसी तरह के बक्स, जिनमें ये गंदे माददे हों उन्हें नमाज़ के दौरान पहने जाने वाले कपड़ों की जेबों से निकाल देना चाहिए।

नजासत को किसी भी किस्म के साफ़ पानी, मुस्तमल पानी या बहने वाली शए जैसे सिरका या गुलाब जल से साफ़ कर लेना चाहिए। पानी जो एक वुजू या गुस्ल के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे (मुस्तमल पानी) कहते हैं। ये साफ़ होता है। अगरचे, ये हदस की हालत से पाकी के लिए साफ़ नहीं होता (बग़ैर वुजू या गुस्ल की हालत होना)। नजासत इससे साफ़ की जा सकती है। एक शख़्स इससे दूसरा वुजू या गुस्ल नहीं कर सकता।

इस्तन्जा: नजासत के ख़ारिज होने के बाद अपने आगे या पीछे के हिस्से को साफ़ करने को इस्तन्जा कहते हैं। इस्तन्जा सुन्नत-ए मुअक्दिदा है। दूसरे लफ़्ज़ों में, एक मर्द या औरत के लिए ये सुन्नत है के पाख़ाना या पेशाब करने के बाद बेतुलख़ला में अपने आगे या पीछे (सतर) को साफ़ करना एक पत्थर के साथ या कुछ पानी के साथ ताकि कोई पेशाब या पाख़ाना वहाँ छुटा न रह जाए। अगरचे, अपने अवरत हिस्सों को दूसरो के सामने खोले बग़ैर पानी से इस्तन्जा करना मुमकिन नहीं तो उसे पानी के साथ इस्तन्जे को छोड़ देना चाहिए चाहे अगर एक बड़ी मिकदार नजासत की लगी ही क्यों न रह जाए। एक शख़्स को अपने अवरत हिस्सों को खोलना नहीं चाहिए और इसी हालत में नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए। अगर एक शख़्स उन्हें खोलता है, तो वो एक गुनहगार बन जाता है जो एक हराम करता है। जब उसे एक अकेली जगह मिल जाए, तो उसे पानी के साथ इस्तन्जा करना चाहिए और नमाज़ दोबारा अदा करनी चाहिए। “अगर एक अहक़ाम तुम से हराम कराने का सबब बने, तो तुम्हें [दिर करनी चाहिए या] अहक़ाम को छोड़ देना चाहिए ऐसा न हो तुम हराम कर दो।”

ये तहरीमी मकरूह है के किसी हडडी, ख़ाने का समान, ख़ाद, ईटों, बर्तन या ग़लास के टुकड़ों, कोएले, जानवरों के ख़ाने या दूसरे के सामान,

कीमती चीज़ों जैसे के सिल्क, मस्जिद से फेंकी हुई चीज़ों, ज़मज़म पानी, पत्तियों या कागज़ से इस्तन्जा करना। एक सादे कागज़ की भी इज़ज़त लेनी चाहिए। इस बात की इजाज़त है के कागज़ के टुकड़ों या अख़बारों से जिसमें ग़ैर रूहानी नाम हों या तहरीरे हो जिनका मज़हब से कोई लेना देना न हो उनसे इस्तन्जा कर सकते हैं। लेकिन तुम किसी भी ऐसे कागज़ से इस्तन्जा नहीं कर सकते जिसमें इस्लामी हुरूफ़ हों। किव्वे की तरफ़ मुह या पीठ करके पैशाब या पाख़ाना करना, जबकि ख़ड़े हो या नंगे हो, बग़ैर किसी उज़र तो ये मकरूह है। जहाँ पैशाब पड़ा रह जाए वहाँ गुस्ल करने की इजाज़त नहीं। ताहम तब इजाज़त है अगर पैशाब रुके नहीं और वह जाए। इस्तन्जे के लिए इस्तेमाल पानी नजस हो जाता है। अपने कपड़ों पर इसके छींटे मत आने दो। इसलिए, जब इस्तन्जा करो तो तुम अपने अवरत हिस्सों को ख़ोल लो और इसे अकेली जगह पर करो। एक शख्स अपने हाथ को पतलून में डालकर वाशवेसिन के सामने करके और इस तरह अपने अज़ा को अपनी हथेली के पानी से धो कर इस्तन्जा नहीं कर सकता। जब पैशाब के धब्बे लग जाएँ, तो एक शख्स की हथेली में नजस हो जाता है और इस तरह पतलून जिस पर वो गिरा है नजस हो जाएगी। अगर वो हिस्सा, जहाँ ये पानी गिरा है, वो भरी हथेली से ज़्यादा है, वो नमाज़ सही नहीं होगी। **इसतिबराः** आदमियों के लिए वाजिब है के **इसतिबरा** करें, यानी पैशाब की जगाह कोई बूंद न छोड़े, चलकर, ख़ाँसकर या उलटी तरफ़ लेटने से। एक शख्स जब तक वुजू न करे जब तक वो मुतमईन न हो जाए के वहाँ पर एक कतरा भी नहीं बचा। एक कतरा भी बाहर निकलना वुजू दोनो को बातिल करता है और underwear गंदी करता है। अगर भरी हथेली से कम पतलून पर गिर जाए, तो एक शख्स के लिए मकरूह है के वुजू करके उससे नमाज़ पढ़ना। अगर ज़्यादा कतरे, तो नमाज़ विल्कुल सही नहीं है। वो जिन्हे इसतिबरा की परेशानी है उन्हें रूई के गोले बाजरे की बीज के बराबर अपनी पैशाब के छेद पर रख लेना चाहिए। रूई पैशाब के बाहरी कतरे सोख लेगा। सिर्फ़ रूई के सिरे बाहर नहीं निकलने चाहिए।

3- सतर-ए अवरत

(सतर-ए अवरत और औरतों का अपने आपको ढकना)

एक शख्स के जिस्म के वो हिस्से जो उसके लिए हराम हैं खुले छोड़ने, दूसरों को दिखाना और जो दूसरों के लिए भी हराम हैं देखना, उन्हें अवरत हिस्से कहते हैं। एक आदमी के अवरत हिस्से उसकी नाफ और घुटनों के नीचले हिस्सों के बीच में होते हैं। घुटने अवरत हैं। इन हिस्सों को खोल कर नमाज़ अदा करना सही नहीं है; (दूसरे लफ़्ज़ों में ये वातिल और बेकार है।) जब नमाज़ अदा करें, आदमियों के लिए मुन्नत है के वो अपने दूसरे हिस्से [बाजू, सिर], को ढके, और मोज़े पहने। उनके लिए मकरूह है के इन हिस्सों को खुला करके नमाज़ अदा करना।

औरतों के सारे हिस्से सिवाए हथेलियों और चेहरे के, जिनमें उनके हाथों के बाहरी हिस्से उनके बाल और उनके पाँव चारों मसलक में अवरत हैं। इस वजह से, औरतों को (अवरत) कहते हैं। ये उनके लिए फ़र्ज़ है के अपने इन हिस्सों को ढांपना। अगर चौथाई हिस्सा मर्द या औरत के अवरत हिस्सों के इतनी देर खुला रह जाए के एक रूकन हो जाए, तो नमाज़ सही नहीं होगी। अगर एक छोटा हिस्सा खुला रहे, तो नमाज़ ज़ाया नहीं होगी, बल्कि वो मकरूह हो जाएगी। हलका कपड़ा पहनना जो उसके नीचे की साख्त या रंग दिखा दे वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे जिस्म के हिस्सों को ढांपा न गया हो।

जब अकेले हो और नमाज़ अदा न कर रहे हों, तो औरतों के लिए फर्ज़ है के अपनी नाफ़ और घुटनों को ढांप कर रखे, अपनी कमर और पेट को ढांपे ये वाजिब है, और जिस्म के दूसरे हिस्सों को ढांपना अदब है।

रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ने फरमायाः (एक शख्स की आँखों को जो एक नामहरम औरत को नफसपरस्ती से देखे आग से भरी जाएंगी और उसे दोज़ख में फेंका जाएगा। एक शख्स जो एक नामहरम औरत से हाथों को मिलाए उनको उसके गले के इरद गिरद बांधकर दोज़ख में भेजा जाएगा। वो जो बगैर ज़रूरत के एक नामहरम औरत से बात करे, और हवस के साथ, तो वो हर बोले हुए लफज़ के लिए वो एक हज़ार साल के लिए दोज़ख में रहेगा।)

एक दूसरी हदीस शरीफ़ से वाज़ेह है, (अपने पड़ोसी की बीवी या दोस्त की बीवी को देखना दस गुना ज़्यादा गुनाह है जैसे किसी नामहरम औरत को देखना। शादी शुदा औरतों को देखना एक हज़ार गुना ज़्यादा है जैसे के लड़कियों को देखना। ये सब ज़िना के गुनाहों की तरह हैं।)

रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ने बयान कियाः (ऐ अली! अपनी रानों को मत खोलो। किसी की रानों को मत देखो, चाहे वो एक लाश हो या एक शख्स जो ज़िन्दा हो!)

एक और हदीस-ए शरीफ़ में, ये बयान किया गया है (अपने अवरत हिस्सों को मत खोलो। इस वास्ते, के वहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे उनकी तरफ शर्म महसूस करो और उनकी इज़ज़त करो)। [ये फर्द हपहज़ा के फरिशतें हैं।]

दोबारा, ये एक हदीस-ए शरीफ़ में वाज़ेह है: (अपने अवरत हिस्सों को ढांपो। किसी को उन्हें मत दिखाएँ सिवाए अपनी बीवी या अपनी जारिया के। जब तुम अकेले हो तो अल्लाह तआला से भी शर्म करो!)

(अल्लाह तआला उन आदमियों पर लानत भेजे जो औरतों की नकल करते हैं और उन औरतों पर भी जो मर्दों की नकल करती हैं।)

(अगर एक शख्स, एक नामहरम लड़की को देखकर अल्लाह के अज़ाब से डरे और अपने चेहरे को उससे परे करले तो अल्लाह तआला उसे एक नई इबादत का इनाम अता करता है और वो इस इबादत का मज़ा चखते हैं।)

(अल्लाह तआला उस मर्द (या औरत) को जो अपने अवरत हिस्से खुले रखते हैं या किसी और के अवरत हिस्से को देखते हैं उनपर लानत भेजे।)

(एक शख्स जो एक जमाअत की नकल करता है वो उनमें से एक हो जाता है।)

ये हदीस-ए शरीफ़ बताती है के एक शख्स जो अपने आपको दूसरो में ढाल लेता है अखलाक में, चाल या कपड़ों की वज़ह में वो उनमें से एक हो जाता है। वो जो अपने आपको मुश्रिकों के खराब फैशन में शामिल कर लेते हैं और जिन्होंने हराम को फाइन आर्ट का नाम दिया है और जो लोग हराम करते हैं उन्हें ये कलाकार कहते हैं, उनमें इस हदीस-शरीफ़ को चेतावनी की तरह लेना चाहिए।

ये भी हराम है आदमियों के लिए के दूसरे आदमी के अवरत हिस्से को देखे और औरतों के लिए भी के दूसरी औरतों के अवरत हिस्सों को

देखे। इसी तरह आदमियों के लिए हराम है के वो औरतों के अवरत हिस्सों को देखे और औरतों के लिए भी के मर्दों के अवरत हिस्सों को देखें। एक आदमी के अवरत हिस्से दूसरे आदमियों के लिए एक जैसे हैं जैसे के एक औरत के दूसरी औरतों के लिएः नाफ़ और घुटनों के बीच का हिस्सा। एक औरत के अवरत हिस्से, दूसरी तरफ़, हाथ और चेहरे के सिवाए पूरा जिम्स आदमियों के लिए नामहरम है। (कोई भी मुख़तलिफ़ जिंस का रूकन जोकि एक शख़्स का करीबी रिश्तेदार जिसे महरम कहते हैं न हो तो वो नामहरम होगा)। इस्लाम ने एक शख़्स के महरम रिश्तेदारों के नाम दिए हैं। वो अठारह हैं। एक नामहरम औरत के अवरत हिस्सों को देखना चाहे वग़ैर हवस के हराम (ममनुअ) है।

जब एक वीमार शख़्स जो एक कंबल के नीचे नंगा लेटा हुआ है वो अपने सिर के इशारे से कंबल के नीचे से नमाज़ अदा करता है। वो उसे नंगा अदा करता है। अगर वे कंबल के बाहर सिर निकाल कर इसे अदा करे, तो वो अपने आपको कंबल से ढके हुए अदा करता है, जोकि काबिले कुबूल है।

एक आदमी, अगर अपनी हवस को बचाले, तो जो अठारह औरतें उसपर हराम हैं निकाह के ज़रिए तो वो उसके सिरों, चेहरों, गलों, बाजूओं, घुटने से नीचे टांगों को देख सकता है। वो उनके सीने, बाजूओं के नीचे जगह, उसके पहलूओं, रानों, घुटनों या उनकी कमर के ऊपर के हिस्सों को नहीं देख सकता।

एक औरत के लिए, उसके अंकल और आंटियों के लड़के नामहरम हैं। उसका देवर और उसकी बहन का मियाँ भी नामहरम हैं। उनके साथ बात करना और उनके साथ एक ही जगह पर होना हराम है। आदमियों के लिए उनकी चाचाओं/तायाओं, फुफियों, मामुओं, खालाओं की बेटियों से बात करना हराम है। उनके लिए अपनी या भाईयों की वीवियों के साथ बात करना हराम है।

एक आदमी उन अठारह औरतों से कभी शादी नहीं कर सकता जो उसके लिए महरम हैं। वो उनसे बात कर सकता है। वो एक साथ, अकेले, हो सकते हैं, जहाँ कोई न हो। एक औरत अठारह आदमियों से शादी नहीं कर सकती। ये अठारह आदमी और औरते ये हैंः

नस्ब के रिश्तेदार

आदमी	औरतें
1. बाप	1. माँ
2. बाप और माँ के बाप (दादा/नाना)	2. माँ और बाप की माएँ (दादी/नानी)
3. बेटा और बेटे और बेटी के बेटे (पोते-नवासे)	3. बेटी और बेटे और बेटे की बेटियाँ
4. भाई	4. बहन
5. भाई के बेटे	5. बहन के बेटियाँ
6. बहन के बेटे	6. भाई की बेटियाँ
7. ताया/चाचा और मामू	7. फूफ़ी और खाला

(दूध शरीक) दूधिया रिश्तेदार

आदमी

8. दूध वालिद
9. दूध वालदेन के वाप
10. दूध बेटा, दूध बेटे और
दूध बेटी के बेटे
11. दूध शरीक भाई
12. दूध शरीक वहन के बेटे
13. दूध शरीक भाई के बेटे
14. दूध शरीक चाचा और
दूध शरीक मामा

औरतें

8. दूध माँ
9. दूध वालदेन की माँए
10. दूध बेटी, दूध बेटी और दूध बेटे
की बेटियाँ
11. दूध शरीक वहन
12. दूध शरीक वहन की बेटियाँ
13. दूध शरीक भाई की बेटियाँ
14. दूध शरीक फूफीयाँ और
दूध शरीक खालाएँ

सुसराली रिश्तेदार

आदमी

15. ससुर
16. सौतेला बेटा

औरतें

15. सास
16. सौतेली बेटी

17. सौतेला बाप

17. सौतेली माँ

18. दामाद

18. बहू

वो आदमी और औरतें जो सड़क पर निकलते हैं जबकि उनके अवरत हिस्से बगैर ढके हों या जो दूसरो के अवरत हिस्सों पर नज़र डालते हैं वो दोज़ख की आग में जलाए जाएंगे।

4- इस्तिकबाले किबला (किबले की तरफ मुँह करना)

इस्तिकबाल-ए किबला का मतलब है काबे की तरफ नमाज़ अदा करना। मक्का-ए मुकर्रमा शहर में, काबे की इमारत की सिमत को (किबला) कहते हैं। पहले, जरूसलेम किबला था। हिजरा के सतराहवें महीनों बाद, मंगल में, शावान के महीने के बीच में मुसलमानों को काबा की तरफ घूमने का हुकूम दिया गया है।

किबला काबा की इमारत नहीं है; ये इसका इमारती प्लाट है।

यानी, ज़मीन से अर्श तक की जगह किबला है। इस वास्ते, एक शख्स जो एक कुँए में हो [दरिया के अन्दर हो], ऊँचे पहाड़ पर हो [या एक जहाज़ में] वो उस सिमत की तरफ नमाज़ अदा कर सकता है। नमाज़ बिल्कुल सही होगी अगर आढ़ी सिमतों के दरमियान इफ़तिताही आपटिक असाब में काबा शामिल है।

इस हालत में के एक शख्स अपनी रसूम नमाज़ दोनो को [यानी, दोपहर जल्दी की नमाज़ और दोपहर बाद की नमाज़, या शाम की नमाज़ और रात की नमाज़ मालिकी या शाफ़ि-ई मसलकों की तकलीद करते हुए मिलाकर] अदा नहीं कर पाए, बीमारी की वजह से, चोरी के ख़तरे, शिकारी जानवरों के ख़तरे, दुश्मन के ज़रिए पहचान लिए जाने के ख़तरे की वजह से, या इस मामले में के अगर वो अपने जानवर से उतरा तो दोबारा उस पर चढ़ नहीं पाएगा, तो एक शख्स जिस सिमत की तरफ़ मुमकिन हो सके मुँह करके नमाज़ अदा कर सकता है। पानी के जहाज़ या रेल गाड़ी में ज़रूरी है के किवले की तरफ़ रूख़ करके नमाज़ अदा करना।

5- इबादत के औकात

एक हदीस-ए शरीफ़ का बयान है: “जिब्राईल अलैहिस्सलाम (और मैं [इबादत जिसे कहते हैं] एक साथ, नमाज़ [या सलात] अदा कर रहे थे, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम) हम दोनो के लिए उस नमाज़ की इमामत कर रहे थे, दो दिन लगातार, काबे के दरवाज़े के साईड में। हम दोनो ने सुबह की नमाज़ फ़ज़ के तौर पर (सुबह गोधुली) सहर में अदा की; इब्तिदाई दोपहर की नमाज़ सूरज के अपने उरूज से रवानगी पर; देर दोपहर बाद की नमाज़ जब किसी चीज़ के साया दोपहर के साए के बराबर हो जाए उस चीज़ की लम्बाई से बढ़ जाए; शाम की नमाज़ जैसे के सूरज गुरुब हो [उसके ऊपर का अज़ा ग़ायब हो जाए] जाए; और रात की इबादत/नमाज़ जब के शाम की रोशनी गहरी होने लगी। दूसरे दिन, हमने सुबह की नमाज़ उस वक्त पढ़ी जब सुबह की गौधुली बढ़ने लगी; इब्तिदाई दोपहर की नमाज़ जब एक चीज़ का साया बढ़ जाए दोबारा उस चीज़ की लम्बाई से देर दोपहर बाद की नमाज़ उसके फ़ौरन बाद; शाम की नमाज़ उसके बताए गए वक्त पर रोज़ा तोड़ते हुए; और रात की नमाज़ एक तिहाई रात के आखिर में। फिर उन्होने कहा ए मौहम्मद, ये तुम्हारे

लिए और तुम से पहले आने वाले पैगम्बरों के लिए नमाज़ के औकात हैं। अब आपकी उम्मत इन पाँचों नमाज़ों को इन दोनों वक्तों के बीच में अदा करें जिनपर हमने अदा किया।” इस हदीस-ए शरीफ में ये वाज़ेह हुआ के (रोज़ाना) नमाज़ों का नम्बर पाँच है।

सुबह/फज़्र की नमाज़ का वक्तः ये जब सफ़ेदी जिसे फज़्र कहते हैं मशरिक में नज़र आए तब शुरू होता है। ये सूरज निकलने के साथ खत्म हो जाता है।

जल्दी दोपहर/जुहर की नमाज़ः इसका वक्त शुरू होता है जब चीज़ों का साया, छोटा हो जाए, दोबारा लम्बा होना शुरू हो जाए। जब किसी चीज़ का साया उसकी असली चीज़ की लम्बाई से दुगना या तिगना हो जाए तो ये खत्म हो जाता है। साविक वाला दो इमाम अबू यूसुफ़ और मौहम्मद अश शएबानी, के मुताबिक हैं, और बाद वाला अल इमाम अल-आज़म के मुताबिक हैं।

देर बाद दोपहर/अस्र की नमाज़ः ये जुहर की नमाज़ का वक्त खत्म होने के साथ अस्र की नमाज़ का वक्त शुरू होता है।

1- इमामएन के मुताबिक, जब किसी चीज़ का साया उसकी लम्बाई की तरह लम्बा हो जाए और जब तक सूरज गुरुब नहीं होता चलता रहता है।

2- इमाम-ए आज़म के मुताबिक, जब किसी चीज़ का साया उसकी लम्बाई से दुगना लम्बा हो जाए और सूरज के ग़ायब होने तक रहता है। जब तक सूरज पीला न हो जाए उस वक्त तक नमाज़ को मुल्लवी करना हराम है। एक वाक्य जो उस वक्त हो जब सूरज के निचले अज़ा और उसकी सतर के एक नेज़ा उफ़क़ पर ज़ाहिर हो। ये हराम (ममनुअ) है के उसके वक्त तक

नमाज़ को मुलतवी करना। बहरहाल, अगर तुम अस्त्र की नमाज़ उसके वक्त तक अदा न कर पाओ, तो तुम्हे सूरज गुरूब होने तक पढ़ लेना चाहिए।

मग़रिब की नमाज़ का वक्तः जब सूरज छुप जाए तो इसका वक्त शुरू होता है। ये मग़रिब में शफ़क़ गुरूब होने तक रहता है। रात की नमाज़ का वक्त जब शाम की इबादत का वक्त चूक जाता है। ये फज़ी-सादिक (असली सहर) की सफ़ेदी साथ ख़त्म होता है।

रात की/इशा नमाज़ का वक्तः इमाम-अल-आज़म के मुताबिक, इशा की नमाज़ का वक्त मग़रिब में सफ़ेद शफ़क़ जाते रहने से शुरू होता है। इसे देर दोपहर बाद की नमाज़ के वक्त के मामले में इसी तरीके से वाज़ेह किया गया है। यानी, अगर एक शख्स कम से कम तीस मिनट ज़्यादा इंतज़ार करे और फिर रात की नमाज़ अदा करें, तो उसने उसे सारे इमामों के मुताबिक अदा किया। आधी रात के बाद के वक्त तक इसे मुलतवी करना मकरूह तहरीमी है।

एक नमाज़ को उसके मुकर्रर वक्त से पहले या बाद में (उन्हें उनके मुकर्रर अरसे में न पढ़ना) अदा करना हराम है। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। (तुर्किए नयूसपेपर) के ज़रिए बनाए गए time tables में नमाज़ और इमसाक के औकात बिल्कुल सही बताए गए हैं।

वहाँ पर तीन वक्त है जब एक नमाज़/सलात को अदा करना मकरूह तहरीमी, यानी, हराम है। एक सलात सही (वातिल) नहीं होगी अगर ये फ़र्ज़ है और ये इनमें से किसी एक वक्त में पढ़ी गई। ये तीन वक्त हैं, सूरज निकलने का वक्त, सूरज गुरूब होने का और वो वक्त जब सूरज ज़वाल [दोपहर के बीच, ये वो वक्त है जब सूरज उफ़क़ से ऊँचे नेज़े पर हो और जिसके बाद जल्दी दोपहरबाद की नमाज़/जुहर की नमाज़ शुरू होती है।] इन तीन वक्त में से किसी में भी, जनाज़े की नमाज़ जो पहले ही तैयार कर ली गई (मकरूह

वक्त शुरू होने से पहले) या सज्दा-ए तिलावत या सज्दा-ए सहू किसी की भी इजाज़त नहीं है। एक नमाज़ में एक मुसलमान को अदा करने की इजाज़त है सूरज ग़रूब होते वक्त वो है देर दोपहर बाद (अस्र) की नमाज़, (जोकि वो किसी तरह तब तक पढ़ने से कासिर रहे थे)।

वहाँ पर दो अरसे हैं वक्त के जिस दौरान सिर्फ़ नफ़ली नमाज़ अदा करना मकरूह है। उस वक्त से जब एक शख्स सुबह की नमाज़ अदा करता है सूरज उगने तक। देर दोपहरबाद की नमाज़/अस्र की नमाज़ के बाद उस वक्त के अरसे के बीच में और शाम की फ़र्ज़ नमाज़ के बीच में।

वज़ाहत

(जुनूब और शुमाल कुतूबों पर नमाज़ और रोज़े की अदाएगी)

एक जगह की नमाज़ के औकात तबदील होते हैं, खते अस्तवा के फ़ासले से, यानी, अरज़े बल्द की डीगरी तक इस पर मुनहसिर करते हैं, साथ ही साथ इसके मौसमों पर भीः

ठंडे इलाकों में, शुमाली आर्कटिक सर्कल के शुमाल में, जब सूरज ढलने वाला होता है, तो फ़ज़्र शुरू हो जाती है जबकि सहर ग़ायब नहीं होती। इसलिए, बालटि सी के शुमाली खात्से पर, गरमियों में, कोई रात नहीं होती। इसलिए, रात और सुबह की नमाज़ों का वक्त वहाँ वाक्अ नहीं होता।

हनफ़ी मसलक में वक्त नमाज़ का सबब है, नाकि उसकी पहली शर्त। जब वहाँ कोई सबब नहीं होता, तो नमाज़ फ़र्ज़ नहीं होती। इसलिए,

मुसलमानों के लिए जो उन मुल्कों में रह रहे हो, ये दो नमाज़ों फर्ज़ नहीं हैं। जुनूबी निस्फ़ कुरह में चूंकि सब तरफ़ समुद्र है, तो वहाँ कोई ज़मीन नहीं है इसके वाकअ होने के लिए।

जब शहर में एक नया चाँद निकलता है शाबान की तीसवीं रात में तो, ये ज़रूरी है के सारी दुनिया में रोज़ा शुरू कर दिया जाए। दिन के दौरान नया चाँद दिखना आने वाली रात का नया चाँद है। [एक मुसलमान जो कुतूबों में एक पर या चाँद पर जाए तो उसे दिन के दौरान रोज़ा रख लेना चाहिए अगर वो सफ़ारी (सफ़र में नहीं है) नहीं है। जब दिन की रौशनी का वक्त चौबीस घंटों से बड़ा हो, उसे अपना रोज़ा वक्त से शुरू करना चाहिए और वक्त से खोल लेना चाहिए उसे अपने आपको उस वक्त के मुताबिक ढाल लेना चाहिए जो मुसलमान तकलीद करते हैं एक शहर में जहाँ दिन इतने लम्बे नहीं होते। अगर वो रोज़ा नहीं रखता, तो उसे इसकी कज़ा करनी होगी जब वो एक शहर में जाएगा जहाँ दिन ज़्यादा लम्बे नहीं होते।]

अज़ान और इकामत

अज़ान का मतलब है 'आम खबर'। आदमियों के लिए ये सुन्नत-ए मोअक्दिदा है रोज़ाना पाँच वक्त की नमाज़ों की अज़ान पढ़ना, छोड़ी [कज़ा] हुई नमाज़ों की जोकि फर्ज़ हैं उन्हें अदा करना, जुमे की नमाज़ों में ख़तीब की तरफ़। औरतों के अज़ान पढ़ना या इकामत कहना मकरूह है। अज़ान एक ऊँची जगह पर अदा की जाती है दूसरों को वक्त का बतलाने के लिए। अज़ान कहते वक्त, ये मुस्तहब है के हाथों को उठाकर उंगलियों को कानों में रखकर और अंगूठे से कानों की सिरों को छूना। इकामत कहना अज़ान कहने से ज़्यादा कीमती है। अज़ान और इकामत किवले की तरफ़ रख करके कहना

चाहिए। उनको कहते वक्त किसी से बात नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी की तकरीर या सलाम का जवाब देना चाहिए।

अज्ञान और इकामत कब कही जाए?

1- जब कज़ा नमाज़ें, अकेले या जमाअत में, शहर में या खेत में अदा कर रहे हों, तो आदमियों के लिए अज्ञान और इकामत को ज़ोर से कहना सुन्नत है। लोग, जिन, पत्थर जो आवाज़ को सुनेंगे वो उठाए जाने वाले दिन इसके गवाह होंगे। एक शख्स जो एक से ज़्यादा कज़ा नमाज़ अदा करता है, एक के बाद दूसरी, उसे अज्ञान और इकामत पहले कहनी चाहिए। फिर, इन कज़ा नमाज़ों को अदा करने से पहले, उसे इकामत कहनी चाहिए। इस बात की मंजूरी है अगर कज़ा नमाज़ की वो अज्ञान न कहे।

2- वो जो वक्त की नमाज़ घर में, अकेले या जमाअत में अदा करते हैं, उन्हें अज्ञान या इकामत कहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मस्जिदों में अज्ञान और इकामत कहना ऐसा ही है जैसे घरों में भी कह लिया। बहरहाल, उनके लिए ये अच्छा है के अज्ञान और इकामत कहें। वक्त की नमाज़ अदा करने के बाद एक इलाके की मस्जिद में, या एक मस्जिद में जिसकी जमाअत जानी हुई हो, एक शख्स जो इसे मुनफ़रिद अदा कर रहा है उसे अज्ञान या इकामत कहने की ज़रूरत नहीं है। सड़कों के साथ मस्जिद में, या उन मस्जिदों में जिनके इमाम या मुअज़्ज़िन या जमाअत में जो जानी हुई हों, बहुत सारे लोग जो मुख्तलीफ़ औकात में आए मुख्तलीफ़ जमाअत बनाई एक ही वक्त की नमाज़ के लिए। वो हर जमाअत के लिए अज्ञान और इकामत कहेंगे। वो जो अकेले नमाज़ अदा कर रहा है ऐसी मस्जिद में उसे भी अज्ञान और इकामत इतनी ऊँची कहनी चाहिए के वो खुद सुन ले।

3- मुसाफिर, जब जमाअत में नमाज़ अदा करते हैं, साथ ही साथ जब वो मुनफ़रिद तौर पर नमाज़ अदा करते हैं, तो उन्हें अज़ान और इकामत कहनी चाहिए। अगर एक शख्स जो मुनफ़रिद तौर पर वहाँ नमाज़ अदा कर रहा है जहाँ दूसरे भी नमाज़ अदा कर रहे हैं, तो इसके लिए इजाज़त है के वो अज़ान न कहे। एक मुसाफिर अज़ान और इकामत कहता है जब वो एक घर में अकेले नमाज़ अदा कर रहा हो। इस वास्ते, अज़ान और इकामत मस्जिद में कही गई उसकी नमाज़ उसमें शामिल नहीं है। अगर कुछ मुसाफिरों ने एक घर में अज़ान दी, वो जो (वही) नमाज़ बाद में पढ़ें, उसी जगह पर तो उन्हें उसे नहीं कहना।

एक आकिल (बालिग) लड़के, एक अंधे मर्द, एक पैदाईशी नाजाईज़ के ज़रिए, या एक लाइल्म दिहाती जो जानते हैं के अज़ान किस तरह कहनी चाहिए, तो उनके ज़रिए कही गई अज़ान बग़ैर कराहत (या केराहत) के जाईज़ है। ये तहरीमी मकरूह है एक जुनूब शख्स के लिए अज़ान या इकामत कहना, एक शख्स के लिए जो बग़ैर वुजू हो अज़ान कहना, एक औरत के लिए, एक फ़ासिक या शराबी शख्स के लिए, एक बच्चे जोकि आकिल नहीं है अज़ान कहना या (किसी के लिए भी) बैठ कर अज़ान कहना ठीक नहीं है। ऐसे मामलों में, अज़ान की अदाएगी दोबारा होगी। अज़ान के सही होने के लिए ज़रूरी है एक मुअज़्ज़िन का आकिल मुसलमान होना। लाऊडस्पीकर के ज़रिए अज़ान कहना सही नहीं है।

फ़ासिक शख्स की अज़ान सही न होने की वजह है, क्योंकि उसके इबादत के ऊपर लफ़ज़ भरोसा नहीं करते। ये नमाज़ का वक्त नहीं माना जाता, जब इसे एक फ़ासिक शख्स या एक लाऊडस्पीकर के ज़रिए कहा जाए। उनके ज़रिए दी गई अज़ान या किसी भी अलामत के ज़रिए से रोज़ा नहीं खोलना चाहिए।

वो जो अज्ञान को पूरी इज़्जत देते हुए (ऊँचे मिनार पर चढ़कर), पढ़ते हैं, उसके हुरफ़ों को तोड़े मोड़े या तबदील किए बग़ैर, उसके गाने की तरह न कहते हुए, उसको मुन्नत के मुताबिक कहते हुए, वो ऊँचे दर्जे पर पहुँचेंगे।

लेकिन, अगर अज्ञान मुन्नत के मुताबिक नहीं मिसास के तौर पर अगर इसके कुछ लफ़ज़ बदले हुए या तर्जुमा किए हुए या इसे गाकर कहा जाए,- या अज्ञान की आवाज़ लाऊडस्पीकर से आ रही हो- वो जो उसे सुन रहा हो इसके लफ़ज़ न दोहराए। [लाऊडस्पीकर के ज़रिए जो पैश किया जाए वो इमाम या मुअज़्ज़िन की आवाज़ नहीं है। उनकी आवाज़ विजली और मकनातीस में बदल जाती है। जो सुना जाता है वो विजली और मकनातीस के ज़रिए पैदा की गई आवाज़ है।]

वज़ाहत (क्या अज्ञान को लाऊडस्पीकर के ज़रिए देने की इजाज़त है?)

लाऊडस्पीकरों, को मीनारों पर लगाना, कुछ मुअज़्ज़िनों के लिए एक सुस्ती का सबब बन गये हैं और उन्हें अंधेरे कमरों में बैठे बैठे अज्ञान कहने का सबब हैं, वजाए इसके के मुन्नत का ध्यान रखे। मिनार, हमारे रूहानी ज़ैवर हैं जो सदियों से आसमान को खुबसूरत बनाते आए हैं, वो लाऊडस्पीकरों के लिए पाल बन गए हैं, इस ज़ालिमाना विदअत के लिए। इस्लामी आलिम हमेशा सार्ई न्सी एजाद को मानते आए हैं। इसलिए ये शक से बाहर है के रेडियो और लाऊडस्पीकरों के ज़रिए नशरो अशाअत फ़ाएदेमंद है, ये एक एजाद है जो न सिर्फ इस्लाम ने चेहरा बनाया, बल्कि उसे तालीम का एक ज़रिया बनाकर बड़ावा दिया। अगरचे, लाऊडस्पीकर की चिड़ाने वाली आवाज़ के ज़रिए

इबादत करना नुकसानदह है, इस तरह मुसलमानों को अज्ञान की मटिए आवाज़ से परे होना पड़ा। ये एक गैर-ज़रूरी बेकार की तरह है मस्जिदों पर लाऊडस्पीकरों को लगाना। जब ये आला, जोकि इस तरह झंझनाता है जैसे के एक चर्च की घंटी है वजाए पाक आवाज़ों के अकीदतमंद दिलों से इमान के साथ इनको सुन्नत थे, वो मौजूद नहीं है, अज्ञान जो भिंवरों पर दी जाती थीं और मस्जिदों में तकवीर की आवाज़ें जो गैरमुल्कियों को भी जोश में डाल देती थीं। जमाअत जो अज्ञान की आवाज़ सुन कर मस्जिदों को भर दिया करती थीं, हर कोने में, अपनी नमाज़ें खुशअ (गहराई और मलानत के साथ) के साथ अदा करते थे, जैसे के सहाबा के वक्त में ये आसमानी असर अज्ञान के अंदर जो ई मान वालों को बेखुदी में डालता था, वो गायब हो गया है इस लाऊडस्पीकर की धाती लहरों में।

रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ने फरमाया “जो कोई भी आराम से अज्ञान के लफ़्ज़ों को धोहराएगा जब उसे सुनेगा, हर हुरफ के लिए उसे एक हज़ार इनाम मिलेगा और उसके एक हज़ार गुना माफ़ कर दिए जाएंगे।”

ये सुन्नत है एक शख्स के लिए जो अज्ञान को सुने और चुपके से जो उसने सुना है उसे दोहराए, चाहे अगर कुरआन अल करीम ही क्यों न पढ़ (किरअत) रहा हो। “हय्य अला...” का हिस्सा सुनने के बाद, उसे दोहराना नहीं है, बल्कि कहना है, “ला होला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।” अज्ञान कहने के बाद तुम (इबादत जिसे कहते हैं) सलावात पढ़ो और फिर बताई गई अज्ञान की दुआ पढ़ें। अशहदु अन्ना मौहम्मदन रसूलुल्लाह दूसरी बार, ये मुस्तहब है के दोनो अंगूठों के नाखूनों को चूमों और अपनी आँखों पर नरमाई से उन्हें रगड़ो। ऐसा इकामत कहते वक्त नहीं करना चाहिए।

अज़ान की किरअत

अल्लाहु अकबर (चार बार)
अश हदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह (दो बार)
अश हदु अनना मुहम्मदन रसूलुल्लाह (दो बार)
हय्य अलसलाह (दो बार)
हय्य अलल फलाह (दो बार)
अल्लाहु अकबर (दो बार)
लाइला-ह इल्लाह (दो बार)

सिर्फ़ सुबह की नमाज़ की अज़ान में, हय्य अल्ल फलाह के बाद, तुम्हें दो बार (अस-सलातु हय्यून मिनन-नौम) कहना चाहिए। इकामत के लिए, तुम्हें कहना है (कद कामा तिस-सलातु) दो बार (हय्य अलल फलाह) के बाद।

अज़ान की अल्लमास

रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ने फरमाया: (जबकि अज़ान पढ़ी जा रही हो, ये दुआ पढ़ो: "व इनइ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वाहदहु ला शरीकह व अशहदु अननी मुहम्मदन अबदुहु व रसूलुहु व रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनेन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सलामि रसूलन नबिय्या")

रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने अपनी एक हदीस-ए शरीफ़ में फरमाया, "ए मेरी कौम! जब अज़ान खत्म हो जाए, तो ये दुआ भी पढ़ो:

(अल्लाहुम्म रब्बि हाज़िहिद-दा वतित ताम्मेति वस्सलातिल-काएमति आति मुहम्मदनील-वसलाति वल-फज़ीलति वद-दरेजेतर-रिफ़ाएति वब असहु मिकामन महमूदनिल-लज़ी व अदतेहु इन्नेके ला तुखलिफुल-मीआद”)।

अज़ान में लफ़्ज़ों के मआनी

अल्लाहु अकबरः अल्लाह सबसे बड़ा है। उसे कुछ नहीं चाहिए। वो अपने बंदों की इबादतों को लेने के लिए बहुत बड़ा है। इबादतें उसे कोई फ़ाएदा नहीं देतीं। इस लफ़्ज़ को चार बार दोहराया जाता है, ताकि इसके मआनी की अहमियत अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाए।

अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहः अगरचे उसे अपनी अज़मत के लिए किसी की इबादत की ज़रूरत नहीं, गवाही देता हूँ मैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। कोई उसकी तरह नहीं।

अशहदु अनना मुहम्मदन रसूलुल्लाहः मैं गवाही देता हूँ और मानता हूँ के हज़रत मुहम्मद ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ पैग़म्बर हैं उसके ज़रिए भेजे गए, वही इबादतों के तरीके बताने वाले हैं जो उसने ज़रिए पसन्द किए गए यानी सिर्फ जो इबादतें आपके ज़रिए बताई गई वही ठीक हैं।

हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फ़लाहः ये दो लफ़्ज़ हैं जो मोमिनों को नमाज़ के लिए बुलाते हैं, जो खुशियों और निजाअत का सबब हैं।

अल्लाहु अकबरः कोई उसकी लायक इबादत नहीं कर सकता। वो इतना बड़ा है, अभी तक के किसी की इबादत उसके लायक या उसके लिए ठीक नहीं है।

ला इलाहा इल्लल्लाहः वो, अकेला, इबादत के लायक है, अपने आपको उसके सामने आजिज़ करो। इस हकीकत के साथ के कोई उसके लायक इबादत नहीं कर सकता, उसके अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं। नमाज़ में ताअज़ीम की बड़ाई इन लफ़्ज़ों की अज़मत से समझी जा सकती है जो हर किसी को बताने के लिए चुने गए हैं।

6- नीयत (इरादा)

नीयत (इरादा) उस वक्त करना चाहिए जबकि इफ़तिताह की तकवीर (शुरूआत) की जाए। नमाज़ के लिए नीयत करने का मतलब है के दिल से उसका नाम, वक्त, किबला, ये इच्छा रखना के इमाम की तकलीद करे (जब नमाज़ जमाअत में अदा की जाए) के नमाज़ की अदाएगी की जाए।

तकवीर इफ़तिताह के बाद नीयत करना सही नहीं है और इस तरह नमाज़ अदा की गई काबिले कुबूल नहीं है। जबकि फ़र्ज़ या वाजिब नमाज़ों के लिए तुम इरादा कर रहे हो, तो तुम्हे पता होना चाहिए के नमाज़ का कौनसा फ़र्ज़ या वाजिब तुम अदा कर रहे हो। रकाअत के नमवर के लिए नीयत करने की ज़रूरत नहीं है। जब एक मुन्नत अदा की जाए, तो नीयत करता हूँ “नमाज़ अदा करने की” काफ़ी है। जनाज़े की नमाज़ के लिए ये नीयत है “अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज़ अदा करता हूँ और मरने वाले के लिए दुआ करता हूँ।”

इमाम को आदमियों के इमाम बनने के लिए कोई नीयत नहीं करनी होती। लेकिन (अगर वो नहीं करता) तो वो जमाअत में नमाज़ का सवाब हासिल नहीं करता। अगर वो इमाम होने की नीयत कर लेता है तो वो ये सवाब भी कमा लेता है। इमाम को इस तरह नीयत करनी चाहिए “औरतों के इमाम बनने के लिए,” (जब वो औरतों की जमाअत की इमामत करे)।

जब नमाज़ें अदा की जाए, तो मुँहजुवानी नीयत काफी नहीं है। अगर वो दिल से नहीं की गई, तो नमाज़/इबादत कुबूल नहीं होगी।

7- तकबीर-ए तहरीमा

तहरीमा का मतलब है जब नमाज़ शुरू की जाए तो **अल्लाहु अकबर** कहना और ये फर्ज़ है। कोई और लफज़ उसकी जगह बदल कर कुबूल नहीं हो सकता। कुछ आलिमों का कहना है के ये नमाज़ के अंदर है। उनके मुताबिक पहले से शर्तें सात हैं शुमार में और नमाज़ के रूकन नमबर में पाँच हैं।

नमाज़ के रूकन

नमाज़ के अंदर फर्ज़ को (रूकन) कहा जाता है उनके नमबर पाँच हैं,

कयाम

नमाज़ पाँच रूकन में से पहला है। कयाम का मतलब है खड़े होना। जब खड़े हों, तो दोनो पाँव एक उंगली की चौड़ाई की चार गुना एक दूसरे से अलग हो। वो जो बहुत बीमार हो नमाज़ बैठकर पढ़ सकते हैं, और अगर वो इतना बीमार हो के बैठ भी नहीं सकता तो अपनी कमर के बल लेट जाए और अपने सिर के इशारे से इसे अदा करे (अपने सिर की हरकत के ज़रिए, इशारे, से वगैरा)। एक तकिया उसके सिर के नीचे रख दिया जाए ताकि उसका चेहरा किवले की तरफ रहे, बजाए आसमान के, और अगर वो लेटा है, उसे अपने घूटने मोड़ लेने चाहिए, उसे अपनी टांगे किवले की तरफ नहीं फैलानी चाहिए।

एक शख्स जो बहुत ज़्यादा बीमार हो खड़े होने में, या चक्कर महसूस करे या सिरदर्द हो दाँतदर्द हो या जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो या पैशाब या रिया/हवा निकलती हो पर काबू नहीं कर पाता हो या खून जारी हो जब वो खड़ा हो, या उसे डर हो के उसका दुश्मन उसे देख लेगा (और नुकसान) पहुँचाएगा। जब वो खड़ा होगा तो उसका कुछ चोरी हो जाएगा, या उसका रोज़ा टूट जाएगा या तकरीर विगड़ जाएगी या अवरत हिस्से खुल जाएंगे, जबकि वो खड़ा हुआ है, तो उसे बैठकर नमाज़ अदा करनी चाहिए। रूकू के लिए उसे थोड़ा आगे झुकना होगा। सजदे के लिए उन्हें अपना सिर फर्श पर रखना होगा। अगर एक शख्स अपना सिर फर्श पर नहीं रख पा रहा, जबकि वो बैठकर नमाज़ अदा कर रहा हो, तो उसे रूकू के लिए थोड़ा झुकना चाहिए और सजदे के लिए उससे ज़्यादा झुकना चाहिए। अगर उसका सजदा में झुकना उसके रूकू के झुकने से ज़्यादा नहीं है, तो उसकी नमाज़ सही नहीं होगी। अगर वो एक पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा फर्श पर रखकर उसपर सजदा करता है तो वो गुनहगार होगा, चाहे अगरचे उसकी नमाज़ कुबूल ही क्यों न हो जाए। यानी, ये मकरूह तेहरीमी है।

किरअत

ये फर्ज़ है के जबकि खड़े हो कुरआन अल करीम की आयत को सुन्नत की और वितर की हर रकाअत में पढ़ना, और फर्ज़ की दो रकाअतों में जब नमाज़ अकेले पढ़ रहे हों। छोटी सूरह पढ़ना ज़्यादा सवाब लेकर आता है।

किरअत की तरह, सूरह फातिहा को इन रसूम नमाज़ों के हिस्सों में पढ़ना और सुन्नत की हर रकाअत में एक सूरह या तीन आयत को पढ़ना और वितर की नमाज़ में और फर्ज़ की दो रकाअतों में। फर्ज़ में, (यानी, नमाज़ की दुआ ज़रूरी है), ये वाजिब है या सुन्नत के फातिहा और दूसरी सूरह को पहली

दो रकाअतों में पढ़ना। मजीद ये, के सूरह से पहले फातिहा को पढ़ना वाजिब है। अगर इन पाँच वाजिवात में से एक भूल गए, तो सजद-ए सहूव करना ज़रूरी है। जब किरात की जाए, तो इस बात की इजाज़त नहीं है के कुरआन अल करीम का तर्जुमा किया जाए।

हर नमाज़ की इबादत में, सिवाए जुमे की नमाज़ और ईद की नमाज़ के ईमाम के लिए, ये सुन्नत है के पहली रकाअत में (फातिहा के बाद) जो सूरह पढ़े वो दूसरी रकाअत पढ़ी जाने वाली सूरह से दोगिनी लम्बी हो। एक शख्स जो अकेले नमाज़ अदा करता है उसे हर रकाअत में एक जैसी लम्बी सूरह पढ़नी होगी। ईमाम के लिए ये मकरूह है के एक ही नमाज़ की इबादत में उसी रकाअत में वही आयत पढ़े ये तनज़ीही मकरूह है, के दूसरी रकाअत में, वही आयत पढ़ना जो पहली रकाअत में पढ़ी गई हो। दूसरी रकाअत में ये ज़्यादा मकरूह है के उन आयत या सूरहों को पढ़ना जो पहली रकाअत में पढ़ी गई सूरतों या आयत से मुकदम हैं। दूसरी रकाअत में, ये मकरूह है के पहली अगली सूरह को छोड़कर दूसरी अगली सूरह को पढ़ना। ये हमेशा वाजिब है के कुरआन की सूरतों या आयत को उनके मरतबे में पढ़ना जैसे के कुरआन में वो लिखी हुई हैं।

रुकू

सूरह के बाद तुम तकवीर कहते हुए रुकू के लिए झुकते हो। रुकू में आदमी अपनी उंगलियों को खोल लेते हैं और उन्हें अपने घुटनों पर रख लेते हैं। वो अपनी कमर और सिर को एक ही सतह पर सीधा रखते हैं। रुकू में तुम (सुबहाना रब्बियल-अज़ीम) कम से कम तीन बार कहते हो। अगर इमाम तुम्हारे इसे तीन बार कहने से पहले अपना सिर उठा ले तो, तुम्हें भी, फौरन, अपना सिर उठा लेना चाहिए। रुकू में तुम्हारे बाजू और टांगें सीधी होनी

चाहिए। औरतों को अपनी उंगलियाँ नहीं खोलनी चाहिए। उन्हें अपना सिर और कमर एक सतर पर नहीं रखना चाहिए, या अपने बाजूओं को सीधा नहीं रखना चाहिए। इमाम के लिए ये सुन्नत है, साथ ही साथ उस शख्स के लिए भी जो अपनी नमाज़ खुद अदा कर रहा हो, उसे (समि-अल्लाहु-लिमन हमिदह) कहना जबकि वो रूकू से सीधा हो रहा हो। जमाअत को ये नहीं कहना। इसको कहने के फौरन बाद, एक शख्स जो खुद नमाज़ पढ़ रहा हो, और जमाअत, इमाम के ये कहने के बाद, उसे कहना चाहिए: (रब्बना लकल हमद) और सीधा हो जाना है, और फिर, (अल्लाहु अकबर) कहना सज्दे घुटने के बल जाते हुए, पहले सीधा घुटना रखो और फिर उलटा घुटना, उसके बाद फर्श पर, सीधा फिर उलता हाथ रखें। आखिर में, नाक और माथे की हड्डियाँ फर्श पर लगाईए।

सज्दा

सज्दे में, उंगलियों को बंद रखे, किवले की तरफ एक कतार में निशानदही करें कानों के साथ, और सिर हाथों के बीच में हो। ये फर्ज है के माथा किसी साफ चीज़, जैसे के पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, फर्श कपड़े को छुए, और (आलिमों के ज़रिए) ये कहा गया है के नाक भी नीचे रखना वाजिब है। इस बात की इजाज़त नहीं है के बग़ैर किसी अच्छे उज़र के खाली नाक को फर्श पर रखना। फर्श पर सिर्फ माथे को रखना मकरूह है। ये या तो फर्ज है या वाजिब के दोनो पाँव या कम से कम हर पैर के एक पंजे को फर्श पर टिकाना। यानी, अगर दोनो पाँव फर्श पर नहीं रखे तो, नमाज़ या तो सही नहीं होगी या ये मकरूह हो जाएगी।

सज्दे में, पंजों को मोड़ना और किवले की तरफ घुमाना ये सुन्नत है।

आदमियों को अपने बाजूओं और रानों को पेट से अलग रखना चाहिए। हाथों और घुटनों को ज़मीन पर रखना मुन्नत है। ये मुन्नत है के ऐड़ियों को कयाम के वक्त चार उंगल की चौड़ाई पर एक दूसरे से अलग रखे, लेकिन रूकू में, कौमा, और सज्दे में इनको एक साथ रखना मुन्नत है।

जब सज्दे के लिए झुको तो, अपने लंबे ढल्लि लिवस के झूलते हुए हिस्सों को या अपने पाजामे को उठाना मकरूह है, और नमाज़ पढ़ने से पहले इन्हें मोड़ना मकरूह है। ये मकरूह है के मुड़ी हुई [या छोटी] आस्तीनों कफों, या लिवस के हिस्सों के साथ नमाज़ अदा करना। अपनी सुस्ती या सिर को ढांप कर नमाज़ अदा करने की अहमियत को न समझते हुए खुले सिर नमाज़ अदा करना मकरूह है। और नमाज़ को नाचीज़ कर देना कुफ़ का वाइस बनता है। ये मकरूह है के जबकि एक शख्स गंदे कपड़ों में हो, या जो कपड़े वो काम पर इस्तेमाल करता है (यानी, चिकने और गंदे कपड़े) उनमें नमाज़ अदा करना।

कअदा ए-आखिरा

आख़री रकाअत में इतना लंबा बैठना फ़र्ज़ है के अत तहिय्यात पढ़ी जा सके। जबकि तुम बैठे हो तो तुम्हें अपनी उंगलियों से कोई निशान नहीं बनाना। जब बैठे हुए हो, तो आदमियों को अपने उलटे पैर को ज़मीन पर लगा लेने चाहिए उसके पंजों को सीधी तरफ़ घुमाते हुए, पैर पर बैठे हुए। सीधा पैर ऊपर की तरफ़ होना चाहिए, ज़मीन को पंजों से छूते हुए और किवले की तरफ़ इशारा करते हुए ऐसे तरीके से बैठना मुन्नत है।

औरतों को तवरूक के ज़रिए बैठना चाहिए। यानी, उनको अपने कुल्हों को ज़मीन पर टिकाना चाहिए। उनकी रानें एक दूसरे के नज़दीक होनी

चाहिए। उनके पैर सीधी तरफ निकलेंगे। उनके उलटे पैर ज़मीन पर होने चाहिए सीधी तरफ इशारा करते हुए।

नमाज़ किस तरह अदा की जाए?

एक आदमी अकेले किस तरह नमाज़ अदा करे

सुबह की नमाज़ की सुन्नत मंदरजाज़ेल तरीके से अदा की जाएः

1- तुम किब्ले की सिमत की तरफ घूम जाओ। पैरों की ऐड़ियों को चार उंगल चौड़ाई पर एक दूसरे से अलग रखो। अंगूठे के सिरे कानों की लो को छुएँ और हथेलियाँ किब्ले की तरफ रहें। दिल से ये कहते हुए, “**मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आज सुबह की सुन्नत नमाज़ अदा करता हूँ, मैं किब्ले की तरफ रूख करता हूँ**” सीधे हाथ को उलटी कलाई पर नाफ़ के नीचे तक बांध लो “**अल्लाहु अकबर**” कहते हुए।

2- नज़रों को उस जगह पर जमा कर रखें जहाँ सज्दे [झुकाने के लिए] में सिर झुकेगा।

- a) तुम **सुब्हानाका दुआ** पढ़ो।
- b) आऊजू और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद, तुम सूरह फ़ातिहा पढ़ो।
- c) फ़ातिहा के बाद, बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े, तुम्हें मज़िद एक सूरह पढ़नी होगी, मिसाल के तौर पर फ़ील सूरह [शाफ़िई मस्लक में, तुम फ़ातिहा और ज़ाइद सूरह के बीच बिस्मिल्लाह पढ़ते हो।]

3- दूसरी सूरत पढ़ने के बाद, **अल्लाहु अकबर** कहते हुए रूकु [घुटनों पर हाथों को रखते हुए झुकना] में जाओ। रूकु में, तुम अपनी उंगलियों को खोलकर घुटनों पर रख लो (पकड़ने के तरीके से)। अपनी कमर और सर को एक सीध में रखो। अपने पैरों को देखते हुए **सुब्हाना रब्बियल अज़ीम** तीन बार कहो। तुम इसे पाँच या सात बार भी कह सकते हो।

4- **समि अल्लाहु लिमन हमिदह** कहते हुए रूकू से सीधे हो जाओ। सीधे होते हुए, तुम्हें अपने पाजामे को ऊँचा नहीं करना चाहिए और अपनी आँखों को सज्दे की जगह से भी नहीं हटाना चाहिए। जब तुम सीधे खड़े हो जाओ, तो तुम्हें **रब्बना लकल हमद** कहना चाहिए। [इस तरह खड़े होने को कौमा कहते हैं।]

5- एक लम्हे के लिए बगैर हरकत के खड़े हो और फिर **अल्लाहु अकबर** कहते हुए सज्दे के लिए झुक जाओ। सज्दे के लिए झुकते वक्त,

a) पहले सीधा घुटना और फिर उलटा घुटना नीचे रखो, उसके बाद सीधा और उलटा दोनों हाथ ज़मीन पर रखो।

b) तुम अपने पंजे झुकाओ और उन्हें किब्ले की तरफ घुमाओ।

c) सर हाथों के बीच में रहे।

d) उंगलियाँ बंद होनी चाहिए।

e) हथेलियों को ज़मीन पर टिकाओ, कुहनियों को ज़मीन पर न बिछाओ।

f) तुम्हें सज्दे में कम से कम सुब्हान रब्बियल आला तीन बार कहना चाहिए। फिरः

6- उसके बाद, **अल्लाहु अकबर** कहते हुए, तुम अपना उलटा पैर ज़मीन पर रखो उसके पंजों को सीधी तरफ रखते हुए। सीधा पैर ऊपर की तरफ रहे उसके पंजे ज़मीन पर रहें और किव्वे की तरफ इशारा रहे। तुम अपनी रानों पर बैठ जाओ, अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखो और अपनी उंगलियों को थोड़ा खोल दो।

7- **अल्लाहु अकबर** कहते हुए, तुम दोबारा सज्दे में चले जाओ। [एक लम्हे के लिए, दोनो सज्दों के बीच में वगैर हरकत बैठने को जलसा कहते हैं।]

8- **सुब्हाना सब्बियल आला** कम से कम तीन बार कहने के बाद सज्दे में, तुम **अल्लाहु अकबर** कहते हुए खड़े हो जाओ। जब तुम खड़े हो, तो खड़े होने के लिए सहारे के तौर पर हाथों पर झुकना नहीं चाहिए, ना ही गैर ज़रूरी अपने पैरों को हिलाना चाहिए। जब सज्दे से खड़े हो, तो तुम्हें सबसे पहले अपना माथा, फिर अपनी नाक, फिर, उलटा हाथ और सीधा हाथ, फिर उलटा घुटना और सीधा घुटना उठाना चाहिए।

9- जब खड़े हो, तो तुम्हें **विस्मिल्लाह, फातिहा** और दूसरी सूरात पढ़नी चाहिए। फिर तुम **अल्लाहु अकबर** कहते हुए रूकू में झुक जाओ।

10- दूसरी रकाअत [नमाज़ की इकाई जो हर एक खड़े होने, झुकने, और दो बार सज्दों के अमाल पर मुश्तमिल है] भी इसी तरह पूरी होगी जिस तरह पहली रकाअत वाज़ेह की गई। बहरहाल, दूसरे सज्दे के बाद, जब तुम **अल्लाहु अकबर** कहो, तो तुम्हें खड़े नहीं होना, बल्कि तुम अपनी रानों पर बैठ जाओ।

a) **अत्तहीयात, अल्लाहुम-म सल्लैह, अल्लाहुम-म बारक और रब्बना आतिना** की दुआएँ पढ़ने के बाद तुम्हें पहले सीधी तरफ सलाम कहना होगा, फिर उलटी तरफ, **अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह** कहना होगा।

b) ये करते हुए, तुम्हे ख़ास दुआएँ पढ़नी होंगी “अल्लाहुम-म अन्तस-सला मु व भिन-कस सला मु तबारक-त या ज़ल-जलालि वल-इकरमि।” फिर तुम खड़े हो जाओ और बीच में कुछ कहे वगैर तुम सुबह की नमाज़ की फ़र्ज़ [ज़रूरी इबादत] अदा करो। तुम्हें सुन्नत और फ़र्ज़ या फ़र्ज़ और सुन्नत के बीच कुछ बोलना नहीं चाहिए। अगरचे ये नमाज़ की नफ़ी नहीं करता, लेकिन सुन्नत का सवाब ख़त्म हो जाता है।

नमाज़ पूरी करने के बाद, तुम्हें मंदरजाज़ेल दुआ पढ़नी होगी, तुम्हें पूरे तीन इस्तिग़फ़ार पढ़ने होंगे। फिर तुम आयतलकुरसी और सुव्हानल्लाह, अलहमदुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, 33 वार पढ़ो, और दुआ “ला इला-ह इल्लल्लाहु वह दहू ला शरीक लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व-हु-व अला कुल्लि शैइन कदीर” एक वार पढ़ो। [इन दुआओं को बहुत हल्के से पढ़ना चाहिए। इनको ज़ोर से पढ़ना विदअत है।]

उसके बाद, तुम्हें दुआ [अर्ज़ करना] करनी है। जबकि दुआ मांग रहे हो, तो आदमियों को अपनी बाजू सीधे सीने तक रखने हैं। बाजूओं को कुहनियों पर नहीं मोड़ना। हथेलियों को खुला रखना है; वो आसमान की तरफ मुड़े हों। इस वजह से के नमाज़ के लिए किब्ला काबा है और दुआ के लिए किब्ला आसमान है। दुआ माँगने के बाद, तुम्हें “सुबहाना रब्बिका...” की आयत भी पढ़नी चाहिए। फिर आराम से अपने हाथों को अपने चेहरे पर मलो।

जिन नमाज़ों की सुन्नत चार रकाअत की हैं उनकी दूसरी रकाअत के आखिर में बैठी हुई हालत में, और फ़र्ज़ नमाज़ों में, तुम्हें अत्तहीयात की दुआ पढ़नी चाहिए। तीसरी और चौथी रकाअत में सुन्नत नमाज़ में, तुम्हें फातिहा के बाद दूसरी सूरा भी पढ़नी होगी। फ़र्ज़ नमाज़ों की तीसरी और चौथी रकाअत में तुम्हें सिर्फ़ फातिहा पढ़नी है, कोई दूसरी सूरा नहीं। इसी तरह शाम की नमाज़

के फर्ज हैं। यानी, तुम्हें तीसरी रकाअत में कोई दूसरी सूरत नहीं पढ़नी। वितर की नमाज़ की तीनों रकाअतों में, तुम्हें फातिहा की सूरत पढ़ने के बाद दूसरी सूरत पढ़नी होती है। तीसरी रकाअत में दूसरी सूरत पढ़ने के बाद, तुम्हें अपने दोनो हाथ कानों तक उठाने होंगे तकवीर [अल्लाहु अकबर] कहते हुए, और (बाद में उलटे हाथ को कलाई तक सीधे हाथ से पकड़ते हुए) तुम्हें दुआ जिसे कहते हैं **कुनूत** पढ़नी होगी। देर बाद दोपहर और रात की नमाज़ की इबतदाई सुन्नतें दूसरी सुन्नत नमाज़ की चार रकाअत की तरह हैं। लेकिन जब तुम उसकी दूसरी रकाअत के बाद बैठते हो, तो अल्लहीयात पढ़ने के बाद, अल्लाहुम्म-म सल्लीह और अल्लाहुम वारिक पूरी पढ़ी जाएंगी।

एक औरत अकेले नमाज़ किस तरह अदा करेः

एक औरत जो अकेले नमाज़ अदा करती है, मिसाल के तौर पर **सुबह की नमाज़ की सुन्नत**, उसे मंदरजाज़ेल तरीके से अदा करेगीः

1- वो अपने आपको सर से लेकर पैर तक ढांपगी, उसके जिस्म के खदोखाल ज़ाहिर नहीं होने चाहिए। सिर्फ हाथ और चेहरा खुला रहना चाहिए। उसे भी वही सूरतें और दुआएं नमाज़ में पढ़नी हैं जोकि एक आदमी जब अकेले नमाज़ अदा करता है तो पढ़ता है, जिस तरह पहले बताया गया है। फर्क यह हैः

a) उन्हें अपने हाथों को कानों तक नहीं उठाना जैसा के आदमी करते हैं। उन्हें अपने हाथ अपने कंधों तक उठाने है और नीयत (इरादा)

बांधनी है। फिर वो अपने सीने के ऊपर उलटे हाथ को कलाई सीधे हाथ से पकड़ेगी।

b) रूकू करते वक्त उन्हें अपनी कमर को सीध में नहीं रखना।

c) सज्दे में वो अपने बाजूओं को फर्श पर बिछा लेती हैं।

d) बैठने की हालत में वो अपने कुल्हों पर बैठे। यानी, वो अपने कुल्हे ज़मीन पर टिका कर बैठे हों। उनकी रानें एक दूसरे के करीब हों। उनके पाँव उनके सीधी तरफ़ से बाहर निकले हों।

सबसे बढ़िया तरीका एक औरत का नमाज़ अदा करने के लिए अपने आपको ढांपने का, वो के सर का कवर इतना बड़ा पहनना के उसके हाथों को भी ढक ले और चौड़ा सर्कट इतना लंबा के उसके पैर भी ढक जाएँ।

नमाज़ के वाजिबात

नमाज़ के वाजिब ये हैं:

- 1- फातिहा (सूरह) को पढ़ना।
- 2- फातिहा के बाद एक दूसरी सूरह या कम से कम तीन छोटी आयतें पढ़ना।
- 3- दूसरी सूरह पढ़ने से पहले फातिहा पढ़ना।
- 4- फर्ज नमाज़ों की पहली और दूसरी रकअत में और सुन्नत और वाजिब नमाज़ों की हर रकअत में फातिहा और दूसरी सूरत पढ़ना।
- 5- (दो) सज्दे करना एक के बाद फौरन दूसरा करना।
- 6- तीन चार रकअतों वाली नमाज़ में दूसरी रकअत में तशहहुद पढ़ने जितना बैठना।

- 7- दूसरी रकअत में तशहहुद से ज़्यादा न बैठना ।
- 8- सज्दे में, नाक और माथा दोनों ज़मीन पर टिकाना ।
- 9- आखिरी रकअत में बैठी हुई हालत में अत्तहीयात पढ़ना ।
- 10- तादील-ए अरकान, यानी इतना लम्बा वेहरकत (जितना के कह सके) खड़े होना के सुव्हानल्लाह कह सके ।
- 11- नमाज़ के ख़ाले पर “असस्लामु अलेकुम व रहमतुल्लाह कहना ।
- 12- वितर नमाज़ की तीसरी रकाअत के आखिर में दुआए कुनूत पढ़ना ।
- 13- ईद की नमाज़ों में तकवीर पढ़ना ।
- 14- इमाम के लिए सुबह, जुमे, ईद, तराविह, वितर, और शाम और रात की नमाज़ों की पहली दो रकातों में आयात को तेज़ पढ़ना ।
- 15- इमाम के लिए, साथ ही उस शख्स के लिए जो खुद नमाज़ अदा कर रहा हो, तो ये वाजिब है के जोहर और असर की नमाज़ों में, शाम की नमाज़ की तीसरी रकाअत में और रात की नमाज़ की तीसरी और चौथी रकातों में आयतों को न सुनाई देने वाली हलकी आवाज़ में पढ़ना चाहिए। इमाम के लिए जो सूरतें वाजिब हैं तेज़ आवाज़ में पढ़ने के लिए वो उस शख्स के लिए भी इजाज़त दी गई हैं जो खुद नमाज़ अदा कर रहा है के तेज़ आवाज़ में साथ के साथ नरमाई से पढ़े ।

अरफ़ा के दिन पर सुबह की नमाज़ से, यानी, कुरबानी की ईद से पहले वाले दिन से, चौथे दिन की असर की नमाज़ तक, जोकि तादाद में नमाज़ की तेईस दुआएँ हैं, ये सबके लिए वाजिब है तकवीर-ए तशरीक (अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इल्लाहा इल्लल्लाह। वल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर व लाइलाहिल-हमद) किसी भी फ़र्ज़ नमाज़ के सलाम के फ़ौरन बाद एक बार पढ़ना ।

सज्दा-ए सहव (गलती हो जाने और छूट जाने की वजह से सज्दा करना)

जब एक शख्स नमाज़ अदा करते वक्त एक नमज़े फर्ज़ जानबुझकर या भूल से छोड़ दे, तो उसकी नमाज़ टूट जाएगी। नमाज़ के वाजिबों में से एक भुले से टूट जाए तो नमाज़ नहीं टूटती। अगरचे, उसे सज्दा-ए सहव करना होगा। एक शख्स जो ज़रूरी सज्दा-ए सहव अदा नहीं करता या जो नमाज़ के वाजिबात में से एक भी जानबुझकर छोड़ता है तो उसे वो नमाज़ दोबारा अदा करनी होगी। ये वाजिब है। अगर वो ऐसा नहीं करता, तो वो गुनहगार बन जाएगा। सुन्नत को छोड़ने पर सज्दा-ए सहव की ज़रूरत नहीं है। सज्दा-ए सहव एक फर्ज़ को देर करने में या छोड़ने पर/वाजिब में देरी करने में अदा करना चाहिए।

इस हालत में के कई सज्दा-ए सहव लाज़िम हों तो, एक सज्दा-ए सहव करना काफी है। जब एक इमाम नमाज़ में गलती करे और सज्दा-ए सहव करे, तो जमाअत को भी ऐसा करना चाहिए। अगर एक शख्स जमाअत में गलती करे तो उसे सज्दा-ए सहव नहीं करना चाहिए।

सज्दा-ए सहव करने के लिए; एक तरफ़ सलाम फ़ैरने के बाद (नमाज़ के आखिर में), तुम्हे दो सज्दे करने चाहिए और फिर नमाज़ पूरी करने के लिए बैठ जाए। तुम्हे बैठी हुई हालत में (अततहीयातु), (सल्लि और बारिक), (रब्बाना) की दुआएँ पढ़नी चाहिए। दोनों तरफ़ सलाम फ़ैर कर और साथ के साथ बग़ैर सलाम किए हुए भी सज्दा-ए सहव करने की इजाज़त है।

चीज़ें जो सज्दा-ए सहव को ज़रूरी बनाती हैं:

खड़े हो जाना जब की तुम्हे बैठना चाहिए था। बैठ जाना जबकि तुम्हे खड़े होना था। जहाँ तुम्हे तेज़ पढ़ना है वहाँ हल्के पढ़ना। जहाँ तुम्हे हल्के पढ़ना है वहाँ तेज़ पढ़ना। जहाँ एक शख्स दुआ पढ़ रहा है, वहाँ कुरआन अल करीम से पढ़ना। जहाँ कुरआन अल करीम से पढ़ना है वहाँ एक दुआ का पढ़ना। मिसाल के तौर पर, सूरह फ़ातिहा के बजाए अततहीयात की दुआ पढ़ना, या जब तुम्हे अततहीयात पढ़नी हो तो सूरह फ़ातिहा का पढ़ना। इस हालत में, फ़ातिहा को छोड़ देना चाहिए। नमाज़ की अदाएंगी पूरी करने से पहले सलाम कर लेना। फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली और दूसरी रकअतों में दूसरी सूरत को न पढ़ना, तीसरी या चौथी रकअतों में इसे पढ़ना। सूरह फ़ातिहा के बाद पहली दो रकअतों में दूसरी सूरह न पढ़ना। ईद की नमाज़ों की तकवीरों को छोड़ना। वितर की नमाज़ में दुआए कुनूत छोड़ना।

सज्दा-ए तिलावत

कुरआन अल करीम में चौदह जगहों पर सज्दे की आयतें आई हैं। किसी के लिए भी जो इनमें से किसी एक को पढ़ रहा है या सुन रहा है, चाहे वो इसका मतलब न समझता हो, उसपर सज्दा (सिर झुकाना) करना वाजिब हो जाता है। एक शख्स जो सज्दे की आयत को लिख रहा है या हिज्जे कर रहा हो उसे सज्दा नहीं करना चाहिए।

सज्दा उन पर वाजिब नहीं है जो आयत की गूँज को पहाड़ों से, जगलों में या किसी और जगह से आती हुई सुनें, या उनके लिए भी नहीं है जो इसे चिड़ियों से सुनें। इसका इंसानी आवाज़ होना ज़रूरी है। रेडियो या लाऊड स्पीकर से जो आवाज़ सुनाई देती है वो इंसानी आवाज़ नहीं है, बल्कि ये एक बेजान धात की तजदीद है जो उस शख्स की आवाज़ की तरह है जो कुरआन अल करीम को पढ़ (या किरअत) रहा हो। इसलिए, एक शख्स के लिए सज्दे

की आयत को टेप रिकार्डर या रेडियो या लाऊड स्पीकर से सुनकर सज्दा-ए तिलावत करना वाजिब नहीं है।

एक वुजू के साथ, सज्दा-ए तिलावत करने के लिए, किब्ले की तरफ खड़ा होना चाहिए, अपने हाथों को कानों तक उठाए बगैर **अल्लाहु अकबर** कहना चाहिए, और सज्दे के लिए झुक जाना चाहिए। सज्दे में तुम्हें तीन बार **सुब्हाना रब्बियल आला** कहना चाहिए। फिर, जब खड़े हो, तो तुम्हें सज्दा पूरा करने के लिए **अल्लाहु अकबर** कहना चाहिए। ये ज़रूरी है के सबसे पहले नीयत करे। नीयत के बगैर ये कुबूल नहीं होगा।

जबकि तुम नमाज़ अदा कर रहे हो, उस हालत में तुम्हें (सज्दा-ए तिलावत की आयत) को पढ़ना है, तो तुम्हें फौरन एक दूसरा रूकू और सज्दा होगा, और फिर खड़े हो जाना है और अपनी किरअत (कुरआन की) को जारी रखना होगा। अगर तुम नमाज़ के रूकू के लिए झुक गए, कई आयतें पढ़ने के बाद, सज्दे को आयत के बाद, और ऐसा करते हुए अगर तुमने सज्दा-ए तिलावत की नीयत करली, तो नमाज़ का रूकू या सज्दे सज्दा-ए तिलावत माने जाएंगे। जब जमाअत में नमाज़ अदा कर रहे हो, उस वाक्ये में के इमाम एक सज्दे की आयत पढ़ दें, तो तुम्हें इमाम के साथ एक ज़ाएद रूकू और दो सज्दे करने होंगे, चाहे तुमने इमाम की कही हुई आयत ना सुनी हो। जमाअत को रूकू में नीयत करनी होगी। नमाज़ के बाहर, सज्दा-ए तिलावत उस आयत को पढ़ने के फौरन बाद कर लेना चाहिए, या जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, अगर ये मकरूह वक्त में है या भूल पाया है; इस हालत में इसे दूसरे मुनासिब वक्त तक के लिए मुलतवी कर देना चाहिए।

शुक्र का सज्दा

ये सज्दा-ए तिलावत की तरह है। ये उस शख्स के लिए मुस्तहब है जिसे नएमतें मिली हों या जिसे मुसिवत पर बचाया गया हो के अल्लाह तआला के लिए सज्दा-ए शुक्र अदा करे। सज्दे में वो पहले कहे, “अल्हमदुलिल्ला”। फिर उसे सज्दे की तसवीह पढ़नी चाहिए। नमाज़ के बाद शुक्र का सज्दा करना मकरूह है।

ऐसा कहा जाता था के जो तादील-ए अरकान का ध्यान नहीं रखते, जब नमाज़ अदा करते हैं, तो इसका सारी मखलूक पर नुकसान दह असर पड़ता है। क्योंकि, उनके गुनाह की वजह से, या तो बारिश नहीं होती या बिना मौसम के बारिश होती है, इस तरह अच्छे के बजाए नुकसान ज़्यादा होता है।

नमाज़ की सुन्नतें

1- दोनो हाथों को कानों तक उठाना तकवीर इफ़तिताह [जब नमाज़ शुरू करें अल्लाह अकबर कहा जाए] कहने के लिए। औरतों को अपने दोनो हाथों को अपने कंधों तक उठाना चाहिए।

2- जब हाथ उठाए जाएँ, तो हथेलियों को क़िब्ले की तरफ़ होना चाहिए।

3- तकवीर कहने के बाद सीधे हाथ से उलटे हाथ को कलाई के साथ पकड़ना।

4- उलटे हाथ के ऊपर सीधे हाथ को रखना।

5- आदमियों को अपने हाथों को नाफ़ के नीचे बाँधना, लेकिन औरतों को अपने हाथों को अपने सीने पर रखने चाहिए।

- 6- तकवीर-ए इफतिताह कहने के बाद सुब्हानाका कहना ।
- 7- इमाम के लिए, या एक शख्स के लिए जो मुनफरिद नमाज़ अदा कर रहा है, आऊजु [आऊजु विल्लाहि मिन-श-शै-ता निर रजीम] का कहना ।
- 8- विस्मिल्लाह का कहना ।
- 9- रूकू में तीन वार सुब्हाना रब्बियल-अज़ीम का पढ़ना ।
- 10- सज्दे में तीन वार सुब्हाना रब्बियल-आला का पढ़ना ।
- 11- आखिरी कअदा में “अल्लाहुम्मा सल्लि अला...” और अल्लाहुम्मा वारिक...” दुआएँ पढ़ना ।
- 12- नमाज़ के आखिर में, कंधों के सिरों को देखते हुए सिर को सीधी तरफ़ और फिर उलटी तरफ़ फेरना, सलाम करते वक्त [“अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए”] ।
- 13- जुमे और ईद की नमाज़ों के अलावा, पहली रकाअत में इतनी लम्बी सूरत पढ़ना जोकि दूसरी रकाअत में पढ़ी गई सूरह से दुगनी हो, [ये उसूल इमाम पर आएद होता है ।]
- 14- रूकू से सीधे होते वक्त समिअल्ला हुलिमन हमिदह कहना ।
- 15- रूकू के बाद सीधे खड़े होने के बाद रब्बना लकल हम्द कहना ।
- 16- सज्दे में, उंगलियों को मिलाकर एक साथ रखना (यानी, उनके बीच में कोई खला न छोड़ना) और पंजों को मोड़ना ताकि वो किव्बे की तरफ़ रहें ।
- 17- रूकू और सज्दों में झुकते वक्त और जब सज्दों से सीधे हों तो अल्लाहु अकबर कहना ।
- 18- हाथों और घुटनों को ज़मीन पर रखना ।
- 19- कयाम की हालत में ऐडियों को चार उंगल की चौड़ाई से एक दूसरे से परे रखना, लेकिन रूकू, कोमा, और सज्दे में उन्हें एक साथ रखना ।
- 20- फातिहा के बाद खामोशी से “आमीन” कहना, रूकू के लिए झुकते वक्त अल्लाहु अकबर कहना, रूकू में उंगलियों को खोलना और घुटनों

को पकड़ना, सज्दों के लिए झुकते वक्त अल्लाहु अकबर कहना, आदमियों के लिए अपने सीधे पांव को खड़ा रखना जबकि वो उलटे पांव पर बैठे हों, दोनों सज्दों के बीच में बैठना।

शाम की नमाज़ में, छोटी सूरतें पढ़ी जाती हैं। सुबह की नमाज़ में, पहली रकाअत दूसरी रकाअत से बड़ी होती है। वो जो जमाअत में इमाम की तकलीद करते हैं, उन्हें फ़ातिहा और दूसरी सूरह नहीं पढ़नी चाहिए। उन्हें सुब्हानाका और तकवीरें कहनी चाहिए। वो तहिय्यात और सलवात-ए शरीफ़ पढ़ते हैं।

नमाज़ की मुस्तहबात

- 1- कयाम की हालत में सज्दे की जगह को देखना।
- 2- रूकू में पैरों को देखना।
- 3- सज्दे में, उस जगह को देखना जहाँ नाक है।
- 4- बैठी हुई हालत में, अपने घुटनों को देखना।
- 5- फ़ातिहा सूरह के बाद जो दूसरी आयतें तुम पढ़ें सुबह और दोपहर की नमाज़ में वो लम्बी हों, और शाम की नमाज़ों में छोटी हों।
- 6- वो जो जमाअत में इमाम की तकलीद कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल न सुनाई दी जाने वाली आवाज़ में तकवीर कहनी चाहिए।
- 7- रूकू में उंगलियों को खोलकर घुटनों पर रखना।
- 8- रूकू में सिर और गर्दन को एक बराबर रखना।
- 9- जब सज्दे के लिए झुकने लगे तो पहले सीधा घुटना और फिर उलटा घुटना नीचे रखें।
- 10- दोनो हाथों के बीच में सज्दा करना।
- 11- सज्दे में, माथा रखने से पहले नाक को नीचे रखना।

12- जब नमाज़ में जमाई आए तो उलटे हाथ के बाहरी हिस्से से मूँह को ढाँपना ।

13- आदमियों को अपनी कुहनियाँ फर्श से ऊँची रखनी चाहिए । ताहम, औरतों को अपनी कुहनियाँ फर्श पर बिछा कर रखनी चाहिए ।

14- सज्दे में बाजूओं और रानों को पेट से अलग रखना चाहिए । [आदमियों के लिए]

15- रूकू में बेहरकत खड़े होना और सज्दे में इतना लम्बा के तीन तसबीह पढ़ली जाएँ ।

16- सज्दे में सिर उठाने के बाद हाथों को उठाना ।

17- सज्दे में हाथों को उठाने के बाद घुटनों को उठाना ।

18- कअदा की हालत में, हाथों को घुटनों पर किव्वे की तरफ सीधे तरीके से रखना ।

19- जब सीधे और उलटी तरफ सलाम कहा जाए, तो सिर को घुमाना ।

20- जब सीधे और उलटी तरफ सलाम पढ़ा जाए, तो कंधों के सिरों को देखना ।

नमाज़ के मकरूहात

1- अपने कोट/चोगे को बगैर सही तरीके से पहने हुए कंधों पर डाल लेना मकरूह है ।

2- जब सज्दे के लिए जाने लगे तो अपने कपड़े के लटकते हुए हिस्सों को या अपने पाजामे को उठाना मकरूह है ।

3- अपने कपड़े के लटकते हुए हिस्सों को या आस्तीनों (या कफ़ों) को मोड़े हुए नमाज़ शुरू करना मकरूह है ।

4- ग़ैर ज़रूरी हरकतें मकरूह हैं ।

5- ऐसे कपड़े पहनकर नमाज़ अदा करना जो तुम काम पर पहनते हो (अगर वो चिकने और गंदे हों) या जिन्हे तुम अपने अफसरों से मिलने जाते वकत नहीं पहनते तो ये मकरूह है।

6- मूँह में कुछ रखना जो सही तरीके से कुरआन अल करीम की किरअत न करा जाए तो ये मकरूह है। अगर ये एक शख्स को कुरआन अल करीम की किरअत सही न करा तो नमाज़ विल्कुल ख़त्म हो जाएगी।

7- नंगे सिर नमाज़ अदा करना मकरूह है।

8- पाख़ाना, पेशाब की हालत होने की हालत में, या जब तुम्हें हवा छोड़ने की ज़रूरत महसूस हो उस हालत में नमाज़ शुरू करना मकरूह है।

9- नमाज़ के दौरान, सज्दे की जगह से पत्थरों को या मिट्टी को हटाना मकरूह है।

10- जब नमाज़ शुरू कर रहे हों, या नमाज़ के दौरान उंगलियों को चटखाना मकरूह है।

11- नमाज़ के दौरान अपने पहलू में हाथ रखना मकरूह है।

12- अपने सिर (चेहरे) को चारों तरफ़ हिलाना मकरूह है और अपनी आँखों को इधर उधर घुमाना तनज़ीह मकरूह है। अगर तुम अपना सीना किव्वे से घुमा लो, तो तुम्हारी नमाज़ ख़ारिज हो जाएगी।

13- तशहदुद में (कअदा में और खास दुआएँ पढ़ते हुए नमाज़ के दौरान), कुत्ते की तरह बैठना, यानी अपने कुल्हों पर बैठना राने खड़ी करके और रानों को पेट से और घुटनों को सीने से मिला लेना और हाथों को ज़मीन पर रख लेना, मकरूह है।

14- सज्दे में आदमियों के लिए अपनी कलाईयों को फर्श पर रखना मकरूह है।

15- एक शख्स के चेहरे की तरफ़ या ऐसे लोगों के पीछे जो तेज़ आवाज़ में बातें कर रहे हों नमाज़ अदा कर रहे हों तो ये मकरूह है।

16- हाथ या सिर के इशारे से किसी के सलाम का जवाब देना

मकरूह है।

17- नमाज़ के बाहर यहाँ तक के नमाज़ के दौरान जमाई लेना मकरूह है।

18- नमाज़ अदा करते वक़्त आँखें बंद करना।

19- इमाम का मेहराब के अंदर खड़े होना मकरूह है।

20- इमाम के लिए अकेले नमाज़ अदा करना ऐसी जगह पर जो फर्श से आधे मिटर ऊँचा हो जहाँ जमाअत हो तो ये तनज़ीही मकरूह है।

21- एक इमाम के लिए नीची जगह पर अकेले नमाज़ अदा करना भी मकरूह है।

22- पीछली सफ़ में नमाज़ अदा करना जबकि आगे की सफ़ में जगह हो या पीछे की सफ़ में अकेले नमाज़ अदा करना जब आगे की सफ़ में कोई जगह ख़ाली न हो तो ये मकरूह है।

23- ऐसे कपड़े पहनकर नमाज़ अदा करना जिसमें एक तस्वीर हो या जानदार लोगों की तस्वीरों हो ये तहरीमी मकरूह है।

24- अगर एक जानदार की तस्वीर दीवार में खींच दें या कपड़े के टुकड़ों पर या लटके हुए काग़ज़ या दीवार पर सिर के ऊपर लगे हों, सामने, या फ़ौरन सीधे या उलटे एक शख्स की तरफ़ जो नमाज़ अदा कर रहा हो तो ये मकरूह है। सलीब की तस्वीर भी एक जानदार की तस्वीर की तरह है।

25- आग या चिंगारियों की तरफ़ नमाज़ अदा करना मकरूह है।

26- तुम नमाज़ में पढ़ते हो आयतें या तसवीहें उंगलियों पर गिनना।

27- अपने आपको सिर से लेकर पैर तक तौलिए से ढापना नमाज़ अदा करने के लिए ये तहरीमी मकरूह है।

28- अपने सिर के चारों तरफ़ पगड़ी बाँधना अपने सिर के ऊपर के हिस्से को खुला रखते हुए नमाज़ अदा करना तहरीमी मकरूह है।

29- नाक और मुँह को बंद करके नमाज़ अदा करना तहरीमी मकरूह है।

30- बगैर सख्त ज़रूरत के गले से ख़ाँसी करके बलाम करना मकरूह है।

31- अपने हाथ एक या दो बार हिलाना, मकरूह है।

32- नमाज़ की किसी एक सुन्नत को छोड़ना मकरूह है।

33- बगैर ज़रूरत (सही उज़र के), अपने बच्चे को अपने बाजूओं में लेकर नमाज़ अदा करना मकरूह है।

34- जबतक के ज़रूरत न हो ऐसी चीज़ों का सामना करना नमाज़ अदा करते हुए जो तुम्हारे दिल को भटकाएँ और तुम्हारे खुशुअ को रोकें, जैसे के सजावट की चीज़ें, खेल, गाने के साज़/आलात, या कोई भी ख़ाना जिसकी तुम्हे इच्छा हो इस तरह तो ये मकरूह है।

35- दीवार या शहतीर से झुकना जब फ़र्ज नमाज़ अदा कर रहे हो अगर ऐसा करने की ज़रूरत न होतो ये मकरूह है।

36- रूकू में झुकते हुए या जब रूकू से सीधे होते हुए अपने हाथों को कानों तक उठाना मकरूह है।

37- रूकू के लिए झुकने के बाद किरअत को पूरा करना मकरूह है।

38- जब सज्दे और रूकू कर रहे हों, तो इमाम के करने से पहले अपने सिर को झुकाना या ऊपर उठाना मकरूह है।

39- ऐसी जगहों पर जो के नजस हों वहाँ नमाज़ अदा करना मकरूह है।

40- कब्र की तरफ़ मुँह करके इसे अदा करना मकरूह है।

41- तशहहुद (कअदा की हालत में) में सुन्नत के मुताबिक न बैठना मकरूह है।

42- दूसरी रकाअत में तीन आयात को लम्बा पढ़ देना पहली रकाअत में जो कहा गया उससे ज़्यादा तो ये मकरूह है।

जब नमाज़ अदा न कर रहे हों वो चीज़ें करना जो मकरूह हैं:

1- जब बेतुलख़ला में या किसी और जगह पाख़ाना या पेशाब कर रहे हों या रफ़ाए हाजत से फ़ारिख़ होकर अपने आपको साफ़ कर रहे हो और तुम्हारा अगला य पिछला हिस्सा किवले कि रूख़ हे तो ये तेहरिमी मकरूह होगा ।

2- सूरज या चाँद की तरफ़ पेशाब या पाख़ाना करना ।

3- एक छोटे बच्चे को हाजतो से राहत दिलाने के लिए इन दिशाओ में किसी एक की तरफ़ पकड़कर कराना मकरूह है एक बालिग़ के लिए जो इसे पकड़े । इसी तरह, एक बच्चे का कुछ इस तरह करना बालिग़ के लिए जो के हराम हो वो उस बालिग़ के लिए भी हराम हे जो बच्चे को ऐसे पकडा हो ।

4- बग़ैर किसी वाज़ेह उज़र के अपनी टाँगों को या एक टाँग को किवले की तरफ़ फ़ैलाना तहरिमी मकरूह है ।

5- कुरआन की तरफ़ या दूसरी इस्लामी किताबों की तरफ़ भी अपनी टाँगों को फ़ैलाना मकरूह है । अगर वो ऊँचे सतर पर हों तो ये मकरूह नहीं है ।

चीज़ें जो एक नमाज़ को मंसूख करती हैं

1- बगैर किसी वाज़ेह उज़र के, गले से बलग़म करना नमाज़ को ख़ारिज करता है।

2- जिस शख्स ने छींका हो और कहा हो, “अलहम्दुलिल्लाह” नमाज़ में उसे, “यरहमुकल्लाह” कहना नमाज़ को ख़ारिज करता है।

3- अगर एक शख्स मुंफरिद नमाज़ अदा कर रहा हो वो पास की जमाअत के इमाम का सुने के उन्होंने एक गलती करदी है कुरआन अल-करीम की किरअत करते हुए और इमाम को इस गलती की तंबीह करे, तो उसकी नमाज़ बेअसर हो जाएगी। अगर इमाम कुरआन अल-करीम की किरअत करते वक्त, उस शख्स की तंबीह सुनकर अपने आपको सही करे, तो इमाम की नमाज़ भी बेअसर हो जाएगी।

4- अगर एक शख्स नमाज़ अदा करते वक्त “ला इलाहा इल्लाह” कहे, अगर उसकी नीयत दूसरे शख्स को जवाब देने की है तो, उसकी नमाज़ बेअसर हो जाएगी। अगर उसकी नीयत अल्लाह तआला की वहदानियत को वाज़ेह करने के लिए हो, तो उसकी नमाज़ बेअसर नहीं होगी।

5- एक शख्स के अवरत हिस्सों को खोलना।

6- दर्द या दुख की वजह से चिल्लाना नमाज़ को बेअसर करता है। (अगर तुम जन्नत और दोज़ख के बारे में सोचकर चिल्ला रहे हो, तुम्हारी बेअसर नहीं होगी।)

7- किसी के सलाम का जवाब देना, चाहे किसी भी तरह से, नमाज़ को बेअसर करता है।

8- अगर एक शख्स जिसने पाँच वक्त की इबादतों की नमाज़ों से चंद नमाज़ें ही छोड़ी हों और उसे याद हो के उसने साबका नमाज़ें नहीं पढ़ीं, तो उसकी नमाज़ ख़ारिज/बेअसर हो जाएगी।

9- अगर एक शख्स, जोकि नमाज़ अदा कर रहा हो, वो ऐसी हरकत या काम करता है के कोई भी शख्स जो उसे देखता है वो सोचता है के वो नमाज़ अदा नहीं कर रहा तो, उसकी नमाज़ बेअसर हो जाएगी।

10- खाना या पीना।

11- बातचीत करना।

12- किसी के ज़रिए की गई गलती को सही करना सिवाए इमाम के जिसकी वो तकलीद कर रहा हो, नमाज़ को बेअसर करती है (उस शख्स की जिसने सही करा हो)।

13- नमाज़ अदा करते वक्त हँसना।

14- कराहना या “आऊच!” वगैरह कहना, नमाज़ को बेअसर करता है।

चीज़ें जो एक नमाज़ को तोड़ने के लिए जाईज़ हैं:

- 1- एक साँप को मारने की वजह से ।
- 2- एक भागते हुए जानवर को पकड़ने की वजह से ।
- 3- एक झूंड को भेड़ियों से बचाने की वजह से ।
- 4- एक खाने को आग से हटाते हुए जो उबल रहा हो ।

5- जब नमाज़ का वक्त कज़ा होने का या जमाअत में जाने के लिए देर होने का खतरा न हो, दूसरे मसलक के मुताबिक अपने आपको उस चीज़ से बचाना जो नमाज़ को बेअसर करती हो, जैसे के नजासत को साफ करना जो एक दरहम सी भी कम हो या फिर वुजू करना जब तुम्हें याद आ जाए के तुमने एक औरत को छुआ था जोकि नामहरम थी, तो तुम्हें अपनी नमाज़ तोड़ देनी चाहिए ।

6- पेशाब या हवा निकालने की वजह से (अगर तुम्हें सख्त ज़रूरत महसूस हो) ।

चीज़ें जो एक नमाज़ को तोड़ने के लिए फर्ज़ हैं

1- नमाज़ तोड़ देनी चाहिए एक शख्स के चिल्लाने की वजह से जो मदद के लिए पुकार रहा हो, एक अंधे शख्स को बचाने के लिए जो कुँए में गिरने ही वाला हो, एक शख्स को बचाने के लिए जो जलने वाला हो या डुबने वाला हो, या आग बुझाने की वजह से ।

2- जब तुम्हारी माँ, बाप, दादी या दादा तुम्हें आवाज़ दें, तुम्हारे लिए ये वाजिब नहीं है के तुम फ़र्ज़ नमाज़ तोड़ो, बल्कि इसकी इजाज़त है; ताहम, अगर ज़रूरी नहीं है तो तुम्हें इसे नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन नफ़िल नमाज़ [चाहे सुन्नतें भी] तोड़ी जा सकती है। अगर वो मदद के लिए पुकारे, तो ये ज़रूरी है के फ़र्ज़ नमाज़ को भी तोड़ दिया जाए।

जमाअत (इजतमाअ) में नमाज़

रोज़ाना की पाँच नमाज़ों में, चाहे एक शख्स ही क्यों न हो वो जमाअत क तौर पर काफी है। आदमियों के लिए सुन्नत है के रोज़ाना की पाँच वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ों को जमाअत से पढ़ें। ईद और जुमे की नमाज़ों के लिए ये ज़रूरी (फ़र्ज़) है। हदीस-ए शरीफ़ से वाज़ेह है के जमाअत में अदा की गई नमाज़ें ज़्यादा सवाब देती हैं बनिस्बत एक शख्स के मुंफ़रिद अदा करने के। हमारे पैग़म्बर अलैहिस्-सलाम ने फ़रमायाः (जमाअत में अदा की गई नमाज़ को उस नमाज़ से जो वो अकेले अदा करता है उससे सत्ताईस बार इतना ज़्यादा सवाब मिलता है।) दोबारा, आपने कहाः (वो जो सही वुजू करता है और जमाअत से नमाज़ अदा करने की खातिर मस्जिद जाता है, तो हर कदम के लिए जो वो लेगा, उसे एक ईनाम दिया जाएगा, उसके आमाल नामे से एक गुनाह मिटा दिया जाएगा और उसे जन्नत में एक सीढ़ी दर्जा चढ़ा दिया जाएगा, अल्लाह तआला के ज़रिए।)

जमाअत में नमाज़ अदा करना मुसलमानों में मेल का कायम करता है। ये ईमान वालो के बीच में प्यार और उनस बढ़ाता है। जमाअत जमा करती है और बात करती है। इस तरह, मुसिबत या बीमारी आसानी से पकड़ली जाती है। जमाअत मुसलमानों की एक खुबसूरत मिसाल है एक जिस्म, एक दिल की तरह।

एक बीमार शख्स या माज़ूर के लिए, एक शख्स के लिए जिसका पैर कट गया हो, एक शख्स के लिए जो चलने में बहुत बूढ़ा हो, और एक अंधे शख्स के लिए जमाअत में जाना ज़रूरी नहीं है।

वो शख्स जो नमाज़ अदा कराता है उसे **इमाम** कहते हैं। जमाअत का इमाम बनने के लिए शर्तें हैं।

इमाम बनने की शराइत

इमाम बनने के लिए छः शराइत हैं। अगर ये पता चल जाए के एक इमाम इन शर्तों में से कोई एक नहीं रखता, तो जमाअत की नमाज़ कुबूल नहीं होगी।

1- एक मुसलमान होना। वो जो इस अमर से बेयकीनी करे के अबू बकर सिददीक और उमर फारूक खलीफ़ा थे “रज़िअल्लाहु अन्हुमा,” या जो मेराज पर या कब्र के अज़ाब में यकीन न रखे वो एक इमाम नहीं है।

2- सने बलूग़ की उमर को पहुँच गया हो।

3- बाशअर होना। एक शराबी या सटियाया हुआ बूढ़ा शख्स एक इमाम नहीं बन सकता।

4- एक आदमी का होना। एक औरत आदमियों के लिए इमाम नहीं हो सकती।

5- कम से कम फ़ातिहा-ए शरीफ़ा और एक और आयत सही तरीके पढ़ने के काबिल होना। एक शख्स जो एक आयत याद नहीं कर सकता, या जो तजवीद के साथ याद की हुई आयत को पढ़ न सके, या जो आयतों को गा कर पढ़ें, वो इमाम नहीं बन सकते।

6- बगैर उज़र के होना। एक शख्स जो उज़र के साथ हो वो उन लोगों का इमाम नहीं बन सकता जिन्हें कोई उज़र न हो।

एक शख्स जिसकी किरअत (कुरआन की किरअत) खुबसूरत हो, यानी, जो कुरआन अल करीम की हुरूफ़ को जानता हो और जो कुरआन अल-करीम तजवीद के साथ पढ़ना जानता हो, वो इमाम बन सकता है। एक शख्स नमाज़ अदा नहीं कर सकता उस इमाम की तकलीद में जो नमाज़ की शर्तों को अहमियत न दें। ये हदीस “**एक फ़ाजिर यहाँ तक के एक पाक मुसलमान के पीछे नमाज़ अदा करो!**” इसका मतलब मस्जिदों के इमामों से नहीं है, बल्कि अमीरों और गर्वनरों से है जो जुमे की नमाज़ों की इमामत कराते हैं, ताकि उनकी तकलीद की जाए और उनकी फरमावरदारी की जाए।

एक शख्स जो सुन्नत जानता हो [यानी, मज़हबी इल्म] उसे दूसरों पर फ़ौकियत हासिल है इमाम बनने के मामले में। इसके बाद वो जो कुरआन अल करीम को तजवीद के साथ पढ़ते हैं उन्हें फ़ौकियत मिलती है। इसके बाद जिन्हें ज़्यादा तक़वा हो मुंतख़िव किए जाते हैं। [तक़वे का मतलब है अल्लाह तआला के डर की वजह से अपने आपको हराम से परे रखना।] इसके बाद, जो बूढ़ा हो उसे फ़ौकियत मिलती है।

जो गुलाम हैं, ख़ानाबदोश हैं, फ़ासिक के लिए, यानी, उनके लिए जो (आदतन) बड़े गुनाह करते हैं,- शराब पीते हैं, ज़िना करते हैं, सूद लेते हैं, अपनी वीवियों और लड़कियों को बगैर अपने आपको ढके हुए बाहर जाने देना-, अंधे लोगों के लिए और उनके लिए जो जन्म से नाजाइज़ हों, उनके लिए इमाम बनना मकरूह है। इमाम नमाज़ को इस तरीके से नहीं बढ़ा सकते के जमाअत थक जाए या बोर हो जाए।

एक औरत के लिए इमाम बनना तहरीमी मकरूह है औरतों से बनी हुई जमाअत में नमाज़ अदा कराने के लिए।

अगर जमाअत में सिर्फ एक शख्स हो, उसे इमाम के सीधे हाथ की तरफ खड़ा होना चाहिए। जब वहाँ पर दो या ज़्यादा लोग हों उन्हें इमाम के पीछे खड़े होना चाहिए। आदमियों को इस बात की इजाज़त नहीं है के एक औरत या बच्चे इमाम की तकलीद करें।

इमाम के पीछे, आदमी सफ़ें बाँधे, उनके पीछे बच्चे, और बच्चों के पीछे औरतें सफ़ें बाँधे।

जब इमाम औरतों के लिए भी इमाम होने की नीयत करे, तो अगर एक औरत एक आदमी के साथ उसी सफ़ में खड़ी हो जाए जिसमें वो नमाज़ अदा कर रहा है तो उस आदमी की नमाज़ टूट जाएगी। अगर ये इमाम, औरतों का इमाम बनने की नीयत न करे, तो उस आदमी की नमाज़ को कोई नुकसान नहीं होगा। अगरचे, इस मामले में, उस औरत की नमाज़ कुबूल नहीं होगी। वो जो खड़े होकर नमाज़ अदा कर रहे हों, वो उस इमाम की तकलीद कर सकते हैं जो कअदे की हालत में नमाज़ अदा करेंगे। मुकीम (कायम) शख्स एक सफ़री इमाम की तकलीद में नमाज़ अदा कर सकता है। वो जो एक फ़र्ज़ नमाज़ अदा कर रहे हों वो उस इमाम की तकलीद नहीं कर सकते जो एक नफ़ली नमाज़ अदा कर रहा हो। वो जो नफ़ली नमाज़ अदा कर रहे हों वो एक इमाम की तकलीद कर सकते हैं जो एक फ़र्ज़ नमाज़ अदा कर रहा हो। अगर एक शख्स पहचान ले के इमाम का वुजू नहीं है तो अपनी नमाज़ उस इमाम की तकलीद में अदा करने के बाद, उसे अपनी नमाज़ दोबारा पढ़ी होगी।

रगाएब, बरात और कदर रातों की नमाज़ों को जमाअत में पढ़ना मकरूह है।

चाहे अगर जमाअत राज़ी भी हो, ये मकरूह तहरीमी है इमाम के लिए के सुन्नत से ज़्यादा किरअत या तसवीह पढ़ना ।

एक शख्स जो रूकू (एक रकाअत की) में शामिल नहीं हुआ वो इमाम के साथ उस रकाअत को अदा नहीं कर सकता । एक शख्स उस वक्त आया जब इमाम रूकू में हैं, अपनी नीयत उसने करी, खड़े होकर तकवीर कही, नमाज़ में शामिल हुआ, और फौरन रूकू में झुकते हुए इमाम की तकलीद शुरू कर दी । अगर इमाम ने आने वाले के रूकू में झुकने से पहले रूकू से सीधा खड़ा हो जाता है, तो उसने रूकू नहीं पकड़ा ।

रूकू के झुकना, सज्दे के लिए नीचे होना, या सज्दे से खड़े होना इमाम के करने से पहले तो ये तहरीमी मकरूह है । फर्ज़ नमाज़ के बाद सफ़ों को फैलाना मुस्तहब है ।

अगर एक मोमिन अपनी रोज़ाना की पाँच नमाज़ें मुसलसल जमाअत में अदा कर रहा है, तो उसे इतना सवाब मिलेगा जैसे के उसने सब पैग़म्बरों “अलैहिमुस्सलाम” के साथ जमाअत में नमाज़ अदा की ।

जमाअत में अदा की गई नमाज़ की अफ़ज़लियत इस शर्त पर मुनहसिर है के उस इमाम की नमाज़ कुबूल हो ।

अगर एक शख्स बग़ैर वाज़ेह उज़र के जमाअत को छोड़ दे तो वो जन्नत की खुशबू नहीं पहचान पाएगा । वो जो बग़ैर वाज़ेह उज़र के जमाअत को छोड़े, तो उन्हें चारों आसमानी किताबों में लानत दी गई है ।

हमें कोशिश करनी चाहिए के रोज़ाना पाँच वक्त की नमाज़ों को जमाअत में अदा करें । फैसले वाले दिन, अगर अल्लाह तआला सातों ज़मीनों, सातों आसमानों, अर्श, कुर्सी और सारी तख़लीक को तराजू के एक तरफ़ रख

दें, और जमाअत से अदा की गई नमाज़ के सवाबों को, इन शर्तों को देखते हुए, दूसरी तरफ़, जमाअत में अदा की गई नमाज़ के इनाम भारी हैं।

सही तरीके से इमाम की तकलीद करने के लिए दस शर्तों का पूरा होना चाहिए:

1- जब नमाज़ शुरू करो, तो तुम्हें नीयत (इरादा) करना चाहिए इमाम की तकलीद करने के लिए तकवीर कहने से पहले। ये ज़रूरी है दिल से कहना, “जो इमाम हाज़िर है मैं उसकी तकलीद करता हूँ।”

2- इमाम को औरतों का इमाम बनने के लिए नीयत करनी चाहिए (अगर उसे औरतों के लिए जमाअत करनी है)। उसे आदमियों का इमाम बनने के लिए नीयत नहीं करनी होती। बहरहाल, अगर वो अपनी नीयत नमाज़ अदा कराने के लिए करे, तो उसे इमाम बनने की रहमत भी मिलेगी, और रहमतें मुकतलीफ़ हो सकती हैं जमाअत में लोगों के शुमार के मुताबिक।

3- लोगों की ऐड़ियाँ जो जमाअत बना रहे हों, वो इमाम की ऐड़ी के पीछे हो।

4- इमाम और जमाअत दोनो एक ही फ़र्ज नमाज़ अदा कर रहे हों।

5- इमाम और जमाअत के बीच में औरतों की कोई सफ़ नहीं होनी चाहिए।

6- इमाम और जमाअत के बीच में कोई सड़क या दरिया नहीं होना चाहिए जहाँ से एक बैलगाड़ी या एक नाव पार हो सके।

7- इमाम और जमाअत के बीच में कोई दीवार नहीं होनी चाहिए जिसमें कोई खिड़की न हो जिससे इमाम को देखना या सुनना आसान हो।

8- इमाम को किसी जानवर पर नहीं होना चाहिए जबकि जमाअत फर्श पर या इसी तरह किसी और पर हो।

9- इमाम और जमाअत को दो मुख्तलीफ़ पानी के जहाज़ों पर सवार नहीं होना चाहिए जो एक दूसरे से मिले हुए न हों।

10- वहाँ पर नमाज़ के सही होने के लिए दो खबरें हैं, उस हालत में जबकि जमाअत और इमाम मुख्तलीफ़ मसलकों में हों: पहली खबर के मुताबिक, जमाअत जो एक इमाम की तकलीद कर रही है जोकि दूसरे मसलक में है वो ये नहीं जानते के जो चीज़ उनके मसलक के मुताबिक नमाज़ को बेअसर करती है तो इमाम में मौजूद है। दूसरी खबर के मुताबिक, मुख्तलीफ़ मसलक की जमाअत एक इमाम की तकलीद कर सकते हैं अगर बाद वाली मसलक में इस इमाम की नमाज़ सही है। इस तरह, इस बात की इजाज़त है के जिस इमाम के मुलमअ या भरे हुए दाँत हैं उसकी तकलीद की जा सकती है।

अगर जमाअत सिर्फ़ एक शख्स की हो, तो इमाम के सीधे हाथ की तरफ़ खड़े होना चाहिए। उसके उलटी तरफ़ खड़े होना मकरूह है। उसके पीछे खड़े होना भी मकरूह है। उसकी ऐड़ी इमाम की ऐड़ी से आगे नहीं होनी चाहिए, उसकी नमाज़ सही होने के लिए। जब वहाँ दो या ज़्यादा लोग हों तो उन्हें इमाम के पीछे खड़ा होना चाहिए।

उसे इमाम के साथ इसे एक साथ पढ़ना चाहिए जैसे के वो इसे मुंफ़रिद तौर पर अदा कर रहा हो। लेकिन, जब खड़े हों तो उसे कोई दुआ नहीं पढ़नी चाहिए, इस बात से लापरवाह के आया इमाम न सुनाई दिए जाने वाली खामोशी या तेज़ आवाज़ से सूरतें कहे। [शाफ़ई मसलक में, जमाअत सूरह

फातिहा करीबन न सुनाई दिए जाने वाली हलकी आवाज़ में इमाम के साथ कह सकते हैं।] सिर्फ पहली रकाअत में वो **सुब्हानाका** कहेगा। जब इमाम फातिहा तेज़ आवाज़ से कहना बंद कर देंगे, वो कहेगा “**आमीन**” विल्कुल ख्रामूशी से। उसे इसे तेज़ आवाज़ से नहीं कहना। जब इमाम कहे, “**समि अल्लाहु लिमन हमिदा,**” रूकू से सीधे होते वक़्त, वो (यानी जमाअत) कहेगा, “**रब्बना लकल हमद।**” फिर, वो सज्दे में इमाम के साथ झुकेगा, ये कहते हुए, “**अल्लाहु अकबर**” (न सुनाई दी जाने वाली आवाज़ में) ऐसा करते हुए। रूकू में, सज्दे में, और बैठे हुए, वो दुआएँ पड़ेगा जैसे के वो नमाज़ अकेले अदा कर रहा हो।

वितर की नमाज़ रमज़ान में जमाअत से पढ़ी जाएगी। बाकी सारे वक़्तों में इसे मुंफरिद पढ़ा जाता है।

मस्बूक की नमाज़

चार तरह के लोग हैं जो एक इमाम की तकलीद करते हैं। वो हैं (मुदूरिक), (मुकतदी), मस्बूक और लाहिक।

एक शख्स जो इमाम के साथ जमाअत में तकवीर-ए इफतिताह कहे उसे **मुदूरिक** कहते हैं।

एक शख्स जिसकी जमाअत में इमाम के साथ तकवीर-ए इफतिताह कहने से छूट गई हो उसे **मुकतदी** कहते हैं।

एक शख्स जिसे जमाअत में इमाम के साथ पहली रकाअत न मिली हो उसे **मस्बूक** कहते हैं।

लाहिक वो शख्स से जिसने इमाम के साथ तकबीर-ए इफतिताह कही, ताहम, क्योंकि किसी वजह से उसका वुजू टूट गया, तो उसे दोबारा वुजू करना होगा और इमाम की तकलीद करते हुए दोबारा शुरू करनी होगी। ये शख्स अपनी नमाज़ बगैर कुरआन अल करीम की किरअत करते हुए अदा करेगा, रूकू और सज्दे में सिर्फ तस्वीह पढ़ते हुए। अगर उसने कोई दुनियावी बात नहीं कही है, तो वो ऐसा होगा जैसे के जमाअत में उसने इमाम की तकलीद की। बहरहाल, उसे वहीं मस्जिद के आसपास वुजू करना होगा जो वो छोड़ गया है। क्योंकि कुछ आलिमों ने कहा है के अगर वो लम्बे फासले पर जाएगा, तो उसकी नमाज़ टूट जाएगी।

एक मखूक, यानी एक शख्स जो इमाम के साथ पहली रकाअत में शामिल नहीं हो पाया, उसे इमाम के दोनों तरफ सलाम फ़ैरने के बाद खड़े हो जाना चाहिए, और जो रकाअतें उससे छुटी हैं उसकी कज़ा अदा करनी चाहिए।

वो इस तरह किरअत करे के जैसे के वो पहली रकाअत अदा कर रहा हो, फिर दूसरी और तीसरी रकाअत। लेकिन उसे कअदा की हालतें तबदील करके करनी होगी, जैसे के वो, चौथी, तीसरी, और दूसरी रकाअतें अदा कर रहा हो, यानी, जैसे वो आखरी रकाअत से शुरू कर रहा हो, और इसी तरह उलटा करके। मिसाल के तौर पर, एक शख्स जो रात की नमाज़ की आखरी रकाअत के दौरान आया वो इमाम के सलाम फ़ैरने के बाद खड़ा हो जाए पहली और दूसरी रकाअतों में उसे फ़ातिहा और दूसरी सूरात पढ़नी चाहिए। वो पहली रकाअत में बैठ सकता है, लेकिन दूसरी रकाअत में नहीं बैठ सकता।

अगर इमाम पाँच चीज़ें नहीं करेगा, तो जमाअत भी उन्हें नहीं करेगीः

- 1- अगर इमाम कुनूत की दुआ नहीं पड़ेगा, तो जमाअत भी उनमें से कोई भी नहीं पड़ेगी।
- 2- अगर इमाम ईद की तकवीर नहीं कहेगा, तो जमाअत भी उसे नहीं कहेगी।
- 3- अगर इमाम एक नमाज़ की दूसरी रकाअत में नहीं बैठता जिसमें चार रकाअतें हैं, तो जमाअत भी नहीं बैठेगी।
- 4- अगर इमाम सज्द-ए तिलावत नहीं करेगा, अगरचे उसने सज्दे की आयत पढ़ी हो, तो जमाअत भी सज्दा-ए तिलावत नहीं करेगी।
- 5- अगर इमाम सज्दा-ए सहब नहीं करेगा, तो जमाअत भी ऐसा नहीं करेगी।

अगर इमाम चार चीज़ें करे, तो जमाअत उन्हें नहीं करेगीः

- 1- अगर इमाम दो सज्दों से ज़्यादा करले, तो जमाअत को ऐसा नहीं करना।
- 2- अगर इमाम ईद की तकवीर तीन बार से ज़्यादा कहले एक रकाअत में, तो जमाअत ऐसा नहीं कर सकती।
- 3- अगर इमाम जनाज़े की नमाज़ में चार तकवीरों से ज़्यादा बोल दे, तो जमाअत को ऐसा नहीं करना है।

4- अगर इमाम पाँचवी रकाअत के लिए खड़ा हो जाए, तो जमाअत ऐसा नहीं कर सकती। वल्कि, (वो इमाम का इंतज़ार करेंगे, और) वो एक साथ सलाम करेंगे।

वहाँ पर दस चीज़ें हैं जिन्हें जमाअत ने करना है चाहे अगर इमाम उन्हें करे या न करेः

- 1- तकवीर-ए इफ़तिताह के लिए हाथों को उठाना (नमाज़ की शुरूआत में)।
- 2- सुव्हानाका कहना।
- 3- जब रूकू के लिए झुकें तो तकवीर कहें।
- 4- रूकू में तस्वीह कहें।
- 5- जब सज्दे में जाएँ और जब सज्दे से उठें तो तकवीर कहना।
- 6- सज्दे में तस्वीह कहना।
- 7- चाहे अगर वो “समि अल्लाहु” न कहे, लेकिन जमाअत को “रब्बानालकलहमद” कहना चाहिए।
- 8- आघ्रिर में अत्तहीयात कहना।
- 9- नमाज़ के आघ्रिर में सलाम कहना।
- 10- कुरबानी की ईद के दौरान, सलाम करने के फौरन बाद तकवीर कहना, तेईस फ़र्ज़ दुआओं की हर एक की तकलीद करते हुए। इन तेईस तकवीरों को तकवीर-ए तशरीक कहते हैं।

इफतिताह की तकबीर के फज़ाइल

जब एक शख्स इमाम के साथ तकबीर-ए इफतिताह पढ़ता है रस्मी इबादत में जो वो अदा कर रहे हैं, उसके गुनाह पेड़ के पत्तों की तरह गिर जाते हैं जिस तरह पतझड़ में हवा चलती है।

एक दिन, जबकि रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' सुबह के वक्त की फर्ज नमाज़ अदा कर रहे थे, एक शख्स तकबीर-ए इफतिताह में साथ नहीं था। उसने एक गुलाम को रिहाई दी। फिर, वो आया और रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' से पूछा: "या रसूलुल्लाह! मैं आज तकबीर-ए इफतिताह में शामिल नहीं हुआ। मैंने एक गुलाम को रिहाई दिलाई। क्या मैं तकबीर-ए इफतिताह का सवाब हासिल कर सकता हूँ?" रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ने अबू बकर-ए सिददीक रज़ी-अल्लाहु अनह से पूछा: (तुम इस तकबीर-ए इफतिताह के बारे में क्या कहते हो?) अबू बकर-ए सिददीक रज़ी अल्लाहु अनह ने कहा: (या रसूलुल्लाह! अगर मेरे पास चालीस ऊँट होते, अगर उन चालीस में ख़ज़ाना भरा हो, अगर मैं वो सारे गरीब को ख़ैरात में दे दूँ, तब भी मैं इमाम के साथ तकबीर-ए इफतिताह पढ़ने का सवाब हासिल नहीं कर सकता)।

उनके बाद, रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ने फरमाया: (ए उमर! तुम इस तकबीर-ए इफतिताह के बारे में क्या कहते हो?) हज़रत उमर ने कहा: (या रसूलुल्लाह! अगर मक्का और मदीने के बीच की सारी ज़मीन पर मेरे पास ऊँट होते, अगर वो सब ख़ज़ाने से लदे होते, अगर मैं सारे गरीब को ख़ैरात के तौर पर भी दे देता, तब भी मैं इमाम के साथ तकबीर-ए इफतिताह में शामिल होने का सवाब हासिल नहीं कर सकता)।

उनके बाद, रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने फरमायाः (ए उसमान! तुम इस तकबीर-ए इफतिताह के बारे में क्या कहते हो?) हज़रत उसमान ज़िन नूरएन रज़ी-अल्लाहु अनह ने कहाः (या रसूलुल्लाह अगर मैं रात में दो रकाअत रस्मी नमाज़ अदा करूँ, अगर मैं हर रकाअत में पूरा कुरआन अज़ीम उस शान पढ़ूँ, तब भी मैं इमाम के साथ तकबीर-ए इफतिताह पढ़ने का सवाब हासिल नहीं कर सकता)।

उनके बाद, रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने फरमायाः (ए अली! तुम इस तकबीर-ए इफतिताह के बारे में क्या कहते हो?) हज़रत अली करमअल्लाह वजहा ने कहाः (या रसूलुल्लाह! अगर मगरिव और मशरिक के बीच की ज़मीनें मुशिरकों से भरीं हों, अगर मेरा ख मुझे ताकत दे, अगर मैं उन सब से लड़ने जाऊँ, तब भी मैं इमाम के साथ तकबीर-ए इफतिताह पढ़ने का सवाब हासिल नहीं कर सकता)।

उनके बाद, रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने फरमायाः (ए मेरी कौम और मेरे साथियों! अगर ज़मीन की सात परतें और आसमान की सात परतें काग़ज़ होतीं, अगर समुंद्र सिहाही होते, अगर सारे पेड़ कलम होते, और अगर सारे फरिश्तें कातिब होते और कयामत तक लिखते रहते, तब भी वो इमाम के साथ तकबीर-ए इफतिताह पढ़ने का सवाब हासिल नहीं लिख सकते)।

कहानीः महल में मस्जिद का बनना

इमाम-ए अबू यूसुफ, इमाम-ए आजम अबू हानिफ़ा, “रहमतुल्लाहि अलैहि” के एक शार्गिद, हारून रशीद के हुकूमत के दौरान एक काज़ी (इस्लामी जज) थे। एक दिन, जब वो हारून रशीद की हाज़िरी में थे, तो किसी ने दूसरे

शख्स पर मुकदमा कर दिया। हारून रशीद के वज़ीर ने कहा के वो खुद गवाह हैं। इमाम-ए अबू युसूफ़ ने वज़ीर की गवाही कुबूल नहीं की। खलिफ़ा ने पूछा के तुम एक वज़ीर की गवाही क्यों नहीं मान रहे। इमाम ने कहा: “एक दिन, आपने इसे कुछ करने का हुकूम दिया था। इसने आपसे कहा था के वो आपके गुलामों में से एक है। अगर ये सच कह रहा है, तो एक गुलाम की गवाही कुबूल नहीं होती। अगर वो झूठ बोल रहा है, तो एक झूठे की गवाही कुबूल नहीं हो सकती।” खलिफ़ा ने पूछा, “अगर मैं गवाही दूँ तो क्या तुम कुबूल करोगे?” उन्होंने कहा: “नहीं, मैं नहीं।” खलिफ़ा ने पूछा: “क्यों?” इमाम ने कहा: “आप रस्मी/फ़र्ज़ नमाज़ें जमाअत में नहीं पढ़ते। खलिफ़ा ने कहा: मैं मुसलमानों के कारोबार को देखता हूँ।” इमाम ने कहा जब खालिक की फरमावरदारी शुमार पर हो, तो मखलूक फरमावरदारी नहीं करते। खलिफ़ा ने कहा आप सच कह रहे हैं। उन्होंने हुकूम दिया के महल में एक मस्जिद बनाई जाए। एक मोअज़िन और एक इमाम रखे गए। उसके बाद, वो हमेशा जमाअत में फ़र्ज़ी नमाज़ें अदा करते थे।

जुमे की नमाज़

अल्लाह तआला ने मुसलमानों को जुमा मुकरर किया। ये उसका हुकूम है मुसलमानों के लिए जुमे में दोपहर की नमाज़ के वक्त जुमे की नमाज़ अदा की जाए।

जुमा की सूरह के आखिर में उसने ये वाज़ेह किया, जिसका मतलब है: (ए मेरे बंदों तुम्हें ईमान की इज़्ज़त बख्शी गई! जब जुमे के दिन तुम ज़ोहर की अज़ान सुनो, तो खुत्बा सुनने के लिए और जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ़ भागो। खरीदना और बेचना छोड़ो! जुमे की नमाज़ और खुत्बा तुम्हारे दूसरे कारोबारों से ज़्यादा तुम्हारे लिए फ़ाएदेमंद है। जुमे की

नमाज़ अदा करने के बाद, तुम मस्जिद से जा सकते हो और मुंतशिर हो सकते हो ताकि तुम अपने दुनियावी लेन देन शुरू कर सको। तुम काम करो, और अल्लाह तआला से अपनी रोज़ी की उम्मीद रखो। अल्लाह तआला को बहुत ज़्यादा याद करो ताकि तुम बच सको!)

नमाज़ के बाद जो काम करना चाहते हैं वो बाहर जा सकते हैं, और जो अपना वक्त कुरआन अल-करीम की तिलावत और इबादत में गुज़ारना चाहते हैं वो मस्जिद में रह सकते हैं। जुमे की नमाज़ के वक्त के दौरान ख़रीदो फ़रोख़्त करना गुनाह है।

रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ने वाज़ेह कियाः (अगर एक मुसलमान ने गुस्ल किया और मस्जिद गया जुमे की नमाज़ के लिए, तो जो गुनाह उसने उस वक्त के दौरान किए होंगे वो माफ़ कर दिए जाएंगे और उसके हर कदम के लिए उसपर रहमत होगी।)

(अल्लाह तआला उनके दिलों पर मुहर लगा देता है जो जुमे की नमाज़ अदा नहीं करते। वो भूल भूलैयाँ/भूलावे में डूब जाते हैं।)

(सब दिनों में सबसे कीमती जुमा है। जुमा ईद के दिनों और अशूरा के दिन (मौहर्रम की दसवीं दिन) से भी ज़्यादा कीमती है। जुमा ईमान वालों का दावत का दिन है इस दुनिया में और जन्नत में भी)।

(अगर एक शख्स तीन जुमे की नमाज़ें अदा नहीं करता, अगरचे वहाँ कोई रुकावट नहीं है, अल्लाह तआला उसका दिल सी देता है। यानी, वो कभी कुछ अच्छा नहीं करेगा)।

(जुमे में एक लम्हा ऐसा है के जब ईमान वाला कोई दुआ भेजता है तो उसे मना नहीं किया जाता)।

(अगर एक शख्स जुमे की नमाज़ के बाद सूरह इखलास और सूरह मुआज़तीन सात बार पढ़ता है तो अल्लाह तआला एक हफ़्ते के लिए उसे हादसों, परेशानियों और बुरे कामों से बचाता है)।

(जैसे के हफ़्ता दिया गया यहूदियों को और इतवार दिया गया ईसाइयों को, जुमा मुसलमानों को दिया गया। इस दिन वहाँ पर फ़ाएदे, बरकत और अच्छाई है मुसलमानों के लिए)।

जुमे में की गई इबादतें कम से कम दूसरे दिनों में की गई इबादतों से दुगुनी बरकतें अता करती हैं। और जुमे में किए गए गुनाह दो गुना दर्ज किए जाते हैं।

जुमे में रूहें एक सात आती हैं और एक दूसरे से मिलती हैं। कब्रों पर जाया जाता है। इस दिन कब्र का अज़ाब मुल्तवी कर दिया जाता है। कुछ आलिमों के मुताबिक, ईमान वालों का अज़ाब दोबारा शुरू नहीं होता। लेकिन काफ़िरों का अज़ाब कयामत तक जारी रहेगा जुमे और रमज़ान में छोड़कर। वो ईमान वाले जो उस दिन मरे या उस रात के दौरान मरे तो उन्हें कभी कब्रों में अज़ाब नहीं मिलेगा। जुमे में दोज़ख़ इतनी गर्म नहीं होती। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुमे में तख़लीक़ किया गया। उन्हें जन्नत से जुमे में बाहर किया गया। लोग जो जन्नत में होंगे वो जुमों में अल्लाह तआला को देखेंगे।

जुमे की नमाज़ के फ़राइज़

जुमे की नमाज़ में सौलह रकाअतें होती हैं। ये हर आदमी के लिए फ़ज़-ए एन है के इसकी दो रकाअत पढ़ें। ये जुहर की फ़र्ज़ नमाज़ से ज़्यादा ताकीद की गई है। जुमे की नमाज़ दो गुपों की शर्तों पर मुनहसिर है फ़र्ज़ होने के लिए:

- 1- अदा की शर्तें/हालतें।
- 2- वुजूब की शर्तें/हालतें।

अगर अदा की हालतों में से कोई एक भी मौजूद नहीं है, तो नमाज़ कुबूल नहीं होगी। अगर वुजूब की हालतें मौजूद नहीं हैं, तो नमाज़ फिर भी कुबूल हो सकती है।

वहाँ पर अदा की सात शर्तें/हालतें हैं, यानी जुमे की नमाज़ का सही (जाईज़) होनाः

1- नमाज़ एक शहर में अदा करना। शहर एक जगह है जिसकी जमाअत एक बड़ी मस्जिद में रह न पाए।

2- रियास्त के सदर या गर्वनर की इजाज़त से इसे अदा किया जाए। उनके ज़रिए रखा गया ख़तीब किसी और को अपना नायब रख सकता है।

3- जुहर की नमाज़ के वक्त के दौरान इसे अदा किया जाए।

4- जुहर की नमाज़ के वक्त के अंदर खुतबा पढ़ना। [हमारे आलिमों का कहना है के खुतबा “अल्लाहु अकबर” कहने की तरह है जब नमाज़ शुरू की जाए। यानी, दोनो को अरबी में कहना चाहिए। ख़तीब पहले खामोशी से “आऊजु” कहे, फिर “हमद-ओ-सना” और कलिमा-ए-शहादत कहे, और सलात-ओ सलाम ऊँची आवाज़ में। उसके बाद वो तवलीग़ करे, यानी, उन चीज़ों के बारे में आगाह करे जो ईमान और अज़ाब लाती हैं, और फिर आयत-ए करीमा पढ़ें। वो खड़ा हो जाए और फिर दोबारा खड़ा हो जाए। दूसरा खुतबा कहने के बाद, वो ईमान वालों को बजाए तवलीग़ करने के सलामती की दुआ करने के लिए बुलाता है। ये उसके लिए ज़रूरी (मुस्तहब) है के चारों

खलीफाओं (हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली) के नाम का ज़िक्र करे। दुनियावी तकरीर खुत्बे में शामिल करना हराम है। खुत्बा एक तकरीर, एक इजलास में तबदील नहीं करना चाहिए। छोटा खुत्बा कहना सुन्नत है, ओर लम्बा कहना मकरूह है।]

5- नमाज़ से पहले खुत्बा पढ़ना।

6- जुमे की नमाज़ जमाअत से पढ़ना।

7- मस्जिद का लोगों के लिए खुला होना।

वहाँ पर जुमे की नमाज़ के लिए वुजूब की नौ शर्तें हैं। यानी इसका एक शख्स के लिए फर्ज़ होने के लिए नौ शर्तें मौजूद होना ज़रूरी है जिन्हें तकलीद किया जाएः

1- एक शहर में या कस्बे में रहना। ये मुसाफ़िरों (घूमने वालों के लिए) के लिए फर्ज़ नहीं है।

2- सेहतमंद होना। कमज़ोर शख्स के लिए ये एक शख्स जो कमज़ोर की देखभाल कर रहा हो जिसे वो अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, या बहुत बूढ़े शख्स के लिए ये फर्ज़ नहीं है।

3- आज़ाद होना।

4- एक आदमी होना। जुमे की नमाज़ औरतों के लिए फर्ज़ नहीं है।

5- समझदार होना और बालिग़ उमर का होना। यानी (मुकल्लफ़) होना।

6- अंधा न होना। एक अंधे शख्स पे ये फर्ज़ नहीं हे चाहे अगर उसकी रहनुमाई करने के लिए कोई हो।

7- चलने के लायक होना। चाहे अगर वहाँ पर गाड़ियाँ हों, एक माज़ूर या बग़ैर पैरों वाले शख्स के लिए ये फर्ज़ नहीं है।

8- कैद में न होना, किसी दुश्मन का हुक्मत का, या बुरे लोगों का डर न होना।

9- वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश, बर्फ, या मिट्टी न होना। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए।

जुमे की नमाज़ कैसे अदा की जाए?

जुमों में, जब जुहर की अज़ान पढ़ी जाए, तो जुमे की नमाज़ सौलह रकाअत के तौर पर अदा की जाए। वो इस तरह मंदरजाज़ेल हैं:

1- पहले, जुमे की नमाज़ की पहली सुन्नत, जिसमें चार रकाअत अदा की जाती हैं। ये जल्दी दोपहर। जुहर की पहली सुन्नत की तरह अदा की जाती हैं। इसकी नीयत इस तरह की जाती है “मैं नीयत करता हूँ जुमे की नमाज़ की पहली सुन्नत की वास्ते अल्लाह तआला के, मैं किल्बे की तरफ़ मुँह करता हूँ।”

2- दूसरा, दूसरी अज़ान और खुत्बा मस्जिद के अंदर अदा किए जाते हैं।

3- खुत्बे के बाद, इकामत कही जाती है और दो रकाअत (जुमे की नमाज़ के फ़र्ज़) जमाअत में अदा की जाती हैं।

4- जुमे की नमाज़ के फ़र्ज़ के बाद, चार रकाअतें (आख़िरी सुन्नत) अदा की जाती हैं।

5- फिर जुहर-ए आख़िर इस नीयत के साथ अदा की जाती है, “आख़िरी जुहर की नमाज़ जोकि मुझ पर फ़र्ज़ थी अदा कर रहा हूँ लेकिन जो मेने अदा नहीं की।” इस नमाज़ में चार रकाअतें होती हैं। इन्हें जुहर के फ़र्ज़ की तरह अदा किया जाएगा।

6- आख़िर में, दो रकाअतें (वक्त की सुन्नत) अदा की जाती हैं। इन्हें सुबह की सुन्नत की तरह अदा किया जाता है।

7- आगे आयतलकुर्सी और तसवीह कही जाएगी, और फिर दुआ [अलतमास] की जाएगी।

जुमे के अदाब और सुन्नतें

- 1- जुमे का वक्त जुमेरात की दोपहर के बाद शुरू होता है।
- 2- जुमे में गुस्ल वुजू करना।
- 3- बाल कटवाना। दाढ़ी के हिस्सों को कटवाना जो एक मुट्ठी से बड़े हों। नाखूनों को काटना। साफ कपड़े पहनना।
- 4- जुमे की नमाज़ के लिए जितनी जल्दी हो सके मस्जिद में पहुँचना।
- 5- एक शख्स आगे वाली सफ़ों में पहुँचने के लिए जमाअत के कंधों के ऊपर से नहीं जाना चाहिए।
- 6- एक शख्स को मस्जिद में नमाज़ अदा करते हुए शख्स के सामने से नहीं गुज़रना चाहिए।
- 7- ख़तीब के मिनबर पर चढ़ने के बाद, एक शख्स को कुछ कहना नहीं चाहिए, न ही किसी को जवाब देना चाहिए (चाहे इशारे के साथ), न ही अज़ान दोहरानी चाहिए।
- 8- जुमे की नमाज़ के बाद, सूरह फातिहा, काफ़िरून, इख़्लास, फ़लाक़ और नास, हर एक सात बार पढ़ना चाहिए।
- 9- मस्जिद में रहना और देर दोपहर बाद/असर की नमाज़ तक इबादत करना।
- 10- आलिमों की तबलीग़ और तकरीरों में शामिल होना जो अहल-अस सुन्नत के आलिमों की किताबों में बयान करते हैं।
- 11- सारा जुमा इबादत करते हुए गुज़ारना।

- 12- सलवात-ए-शरीफ़ा [अल्लाहुम्मा सल्लि अल्ला सय्यैदना मौहम्मदिन व अला आलि सय्यैदन मुहम्मद] जुमे में पढ़ना ।
- 13- मुबारक कुरआन पढ़ना । ख़ासतौर से सूरह कहफ़ ।
- 14- ख़ैरात देना ।
- 15- अपने वालदेन या उनकी कबरों पर जाना ।
- 16- घर के लिए ज़्यादा और ज़ाएकेदार ख़ाना पकाना ।
- 17- बहुत सारी फ़र्ज़ी नमाज़ें पढ़ना । वो जिन्होंने नमाज़ें छोड़ी हों अपनी कज़ा अदा करना ।

ईद की नमाज़ें

शबवाल के महीने का पहला दिन ईद उल फ़ितर का पहला दिन है और ज़िलहिज्ज की दसवीं तारीख़ कुरबानी की ईद का पहला दिन है । ये दो दिन आदमियों पर वाजिब हैं के इश्राक के वक्त ईद की नमाज़ की दो रकाअतें अदा करना यानी, कराहत का वक्त गुज़रने के बाद सूरज के उगने के बाद ।

ईद की नमाज़ की शराइत जुमे की नमाज़ की शर्तों की तरह हैं । लेकिन ईद में, खुल्वा सुन्नत है और इसे नमाज़ के बाद पढ़ा जाता है ।

ईदुल फ़ितर में कुछ मीठा [ख़जूरें या मीठाई] ख़ाना मुस्तहब है, गुस्ल करना, मिस्वाक का इस्तेमाल करना, सबसे अच्छा लिबास पहनना, फ़ितरा अदा करना नमाज़ से पहले, और रास्ते में धीरे से तकबीर कहता हुआ जाए ।

ईदुल अज़हा/कुरबानी की ईद में नमाज़ से पहले कुछ नहीं ख़ाना, नमाज़ के बाद सबसे पहले कुरबानी का गोश्त ख़ाना, ज़ोर से तकबीर-ए तशरीक पढ़ना, लेकिन जिन्हें कोई उज़र हो वो आहिस्ता पढ़ सकते हैं, जब नमाज़ के लिए जा रहे हों ।

ईद की नमाज़ में दो रकाअत हैं। इसे जमाअत में अदा किया जाता है। इसे अकेले नहीं पढ़ सकते।

ईद की नमाज़/इबादत कैसे अदा करें?

1- सबसे पहले, तुम नीयत करते हुए नमाज़ अदा करो, “मैं नीयत करता हूँ ईद की नमाज़ की जोकि वाजिब है, इस इमाम के पीछे पढ़ता हूँ/मैं इस मौजूदा इमाम की तकलीद करता हूँ।” फिर, तुम **सुब्हानका** पढ़ो।

2- सुब्हानका के बाद, हाथों को कानों तक उठाएँ तीन बार; पहली और दूसरी बार में, उन्हें दोनो तरफ लटकता हुआ छोड़ दें, और तीसरी बार के बाद उन्हें नाफ़ के नीचे बांध लें। इमाम के फ़ातिहा और दूसरी कोई सूरात कहने के बाद तेज़ आवाज़ में, वो (इमाम और जमाअत) रूकू के लिए झुक जाएँ।

3- दूसरी रकाअत में इमाम पहले फ़ातिहा और दूसरी सूराह पढ़ें, दोबारा, तीन बार हाथों को कानों तक उठाएँ, और हर बार वो दोनो तरफ लटके रहेंगे। चौथी रकाअत में तुम्हें अपने हाथों को कानों तक उठाने की ज़रूरत नहीं बल्कि इसके बजाए रूकू के लिए झुक जाओ। भूल में न पड़ जाने की वजह से के उन नौ तकबीरों के बाद तुमने अपने हाथों को कहा रखना है, तुम मंदरजाज़ेल तरीके से इसको याद रख सकते हो: “दो बार उन्हें लटकाओ और एक बार बांधें। तीन बार उन्हें लटकाओ फिर झुक जाओ।”

तकबीर-ए तशरीक/तक्बीराते तशरीक

अरफे के दिन सुबह/फज्र की नमाज़ से, यानी, कुरबानी की ईद से पहले वाले दिन से, चौथे दिन की अन्न तक, जोकि कुल मिलाकर तेईस नमाज़ों पर मुश्तमिल है; ये हर किसी के लिए वाजिब है, मर्द और औरत एक तरह से, हाजियों के लिए और उनके लिए जिन्होंने हज अदा नहीं किया, उनके लिए जो जमाअत में नमाज़ अदा करते हों और उनके लिए जो इसे अकेले अदा करें **तकबीर-ए तशरीक** किसी भी नमाज़ के सलाम के बाद जोकि फर्ज़ है (या जब किसी भी फर्ज़ नमाज़ की कज़ा अदा करनी हो इन ईद के दिनों की) एक बार फौरन कहना चाहिए।

जनाज़े की नमाज़ के बाद इसे नहीं कहते। ये ज़रूरी नहीं है के मस्जिद को छोड़ने के बाद इसे कहें या अगर (नमाज़ के बाद) तुम बोलो।

अगर इमाम तकबीर भूल जाए, तो जमाअत को इसे नहीं छोड़ना चाहिए। आदमियों को इसे तेज़ आवाज़ में कहना चाहिए। औरतों को इसे हल्की आवाज़ से कहना है।

तक्बीर तशरीक यह हैः

“अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इला ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द।”

मौत के लिए त्तारी

मौत को याद रखना सबसे अफ़ज़ल मश्वरा है। हर ईमान वाले के लिए मौत को अक्सर याद करना मुन्नत है। ये एहकाम को मानने का सबब

बनती है और गुनाहों से बचाती है। ये एक शख्स की मुमानियत चीजों की करने की हिम्मत को कम करती है। हमारे पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने बयान किया: “मौत को अकसर याद करो; ये मज़ों को रोंदती है और मनोरंजन को खत्म करती है!” तसव्वूफ़ के कुछ आदमियों ने दिन में एक बार मौत को याद करना अपनी आदत बना लिया था। मुहम्मद बहाउददीन-ए बुखारी (कुददिसा सिर्रोह) अपने आपको मरा हुआ समझते थे और रोज़ाना पच्चीस बार दफ़न होते थे।

दुनियावी इच्छाएँ एक शख्स को लम्बी ज़िंदगी जीने की चाह होने का सबब बनती है। इस्लाम की ख़िदमत करने के लिए और इबादतें अदा करने की वजह से लम्बी ज़िंदगी को चाहना, दुनियावी इच्छाएँ रखना नहीं माना जाएगा। वो जो दुनियावी इच्छाएँ रखते हैं वो अपनी इबादतें उनके बताए गए वक़्त में नहीं पढ़ते। वो तौबा नहीं करते। (तौबा करने का मतलब है अपने गुनाहों के लिए पछताना, एहद करना के दोबारा गुनाह नहीं करेंगे, और अल्लाह तआला से माफ़ी की इल्तिजा करना)। उनके दिल बेहिस हो गए। उन्हें मौत याद नहीं। तबलीग़ और सलाह उन पर कोई असर नहीं डालेगा।

एक शख्स जिसे दुनियावी इच्छाएँ (तूल-ए अमल) हैं वो हमेशा सोचेगा के किस तरह दुनियावी मिलकियत और मरतबें हासिल करे और अपनी ज़िंदगी इनको हासिल करने में लगा देगा। वो दूसरी दुनिया के बारे में भूल गया और अपने आपको खुशमस्तियों और ऐश में मुलविस कर लिया।

मंदरजाज़ेल हदीस-ए शरीफ़ से वाज़ेह है:

(मरने से पहले तुम मर जाओ। तुम अपने आपको अमल में ले लो, इससे पहले के तुम्हारा खाता खुले)

(अगर जानवर वो जान जाएँ जो तुम जानते हो मौत के बाद की ज़िंदगी के हालात के बारे में, तो तुम्हें कोई अच्छा ख़ाया हुआ जानवर नहीं मिलेगा।)

(कोई भी जो लगातार मौत को, दिन और रात, याद करता है, वो जमा किए जाने वाले दिन 'क़यामत' में शहीदों के साथ होंगे।)

दुनियावी इच्छाओं का सबब दुनियावी ऐश व आराम से प्यार और उनसियत और मौत के ख़याल को छोड़ देना और जवानी और सेहत में थोड़े अरसे का भरोसा है। एक शख्स को दुनियावी इच्छाओं से छुटकारा पाने के लिए इन असबाब को ख़त्म करना होगा। मौत किसी भी लम्हे आ सकती है। एक शख्स को दुनियावी इच्छाओं को रखने के पामाल असरात को जानना होगा और मौत को याद रखने के फ़ाएदे भी। एक हदीस-ए शरीफ़ में ये दोबारा बयान है:

(मौत को हमेशा याद रखो! मौत की याद तुम्हें गुनाह करने से पीछे रखेगी और ऐसे काम करने से भी पीछे रखेगी जो मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए भी नुकसानदह हैं।)

मौत क्या है?

मरने का मतलब ये नहीं है के बाहर निकलने से रोकना। मौत का मतलब है जिस्म से रूह की वावस्तगी का ख़ात्मा होना। ये रूह का जिस्म को छोड़ने का काम है। मौत एक आदमी का एक हालत से दूसरी हालत में तबदील होने का मामला है। ये है के एक घर से दूसरे को हिजरत करना। उमर बिन अबदुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाही अलैह) ने कहा, "तुम्हें सिर्फ़ अबद के लिए, कभी न ख़त्म होने के लिए तख़लीक किया गया। सिर्फ़, तुम एक घर से दूसरे

घर में जाते हो!” मौत एक ईमान वाले के लिए एक रहमत, एक तौहफ़ा है। गुनहागार के लिए ये एक तवाही है। आदमी कभी मौत नहीं चाहता। ताहम, असल में, मौत बदी से ज़्यादा फ़ाएदेमंद है। आदमी ज़िंदा रहना चाहता है। ताहम, दरहकीकत, मौत उसके लिए अच्छी है। मौत के साथ, सच्चे ईमान वाले इस दुनिया के अज़ाब और जदोजहद से जुदा हो जाते हैं। ज़ालिम की मौत के साथ, मुल्क और लोगों को राहत हासिल होती है। एक नज़्म का पुराना शैर है जो एक ज़ालिम शख्स की मौत से तहरीक पाया था:

*न तो वो सुकून से था, न ही लोगों ने उसके साथ अमन देखा।
आखिरकार वो नीचे गिर गया; सबर, ओ तुम, उसके साथ कौन
होगा!*

एक ईमान वाले की रूह अपने जिस्म को इस तरह छोड़ती है जैसे कैदी की जेल से रिहाई। एक बार मर जाए तो, ईमान वाला इस दुनिया में वापिस नहीं आना चाहता। शहीद इस दुनिया में वापिस आना चाहते हैं ताकि वो एक बार फिर शहीद हो जाएँ। मौत, इसलिए, अब हर मुसलमान के लिए एक तौहफ़ा है। एक शख्स का यकीन सिर्फ़ उसकी कब्र के ज़रिए बच सकता है। कब्र की ज़िंदगी, या तो जन्नत के बाग़ में या दोज़ख़ के गढ्ढे में होने की तरह है।

मौत से फरार नहीं

क्या मौत से फरार मुमकिन है? बेशक नहीं। अपने आप, कोई भी नहीं जी सकता, चाहे एक सैकंड के दौरान ही क्यों न हो। जो कोई भी पहले से किस्मत में मौत (अजल) का जो वक्त लिखा है उसतक पहुँचता है तो मर जाता है। ये एक लम्हा है जो पलक झपकने में चूकता है। कुरआन-अल करीम की

आयत-ए करीमा में, इसका मतलब है: (जब उनका अजल आ जाता है, वो एक घंटा पहले या बाद में कुछ नहीं कर सकते।) जहाँ कहीं भी अल्लाह तआला एक शख्स की मौत लिख देते हैं, वो शख्स अपना सामान, जाएदाद, बच्चे छोड़कर वहाँ से गुजर जाता है। अल्लाह तआला जानता है के एक दिन में हम कितनी साँसे लेते हैं। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो वो न जानता हो। अगर हमारी ज़िंदगी ईमान रखते हुए और इबादत करते हुए गुजरी है, तो इसका खात्मा खुशी से भरा होगा। अल्लाह तआला ने इज़ाईल अलैहिस्सलाम को हुकूम दिया: (मेरे दोस्तों की रूहें आराम से निकालो, मेरे दुश्मनों की रूहें तकलीफ से निकालो!) ईमान वालों के लिए, ये कितनी बड़ी खुशी की खबर है। कितनी बड़ी आफत है, उनके लिए जो अपने आपको ईमान से परे कर चुके हैं।

जनाज़े की नमाज़

जो आदमी ये सुनने (ईमान वाले की मौत के बारे में) उनके लिए जनाज़े की सलात/नमाज़ फ़र्ज़-ए किफ़ाय़ा है। और अगर वहाँ कोई आदमी नहीं है तो औरतों के लिए ये फ़र्ज़-ए किफ़ाय़ा है। नमाज़ ए जनाज़ा अल्लाह तआला की रज़ा के लिए पढ़ी जाती है और मरने वाले के लिए दुआ करने के लिए। एक शख्स जो (जनाज़े की सलात) को छोटा समझे वो एक काफ़िर (न मानने वाला) बन जाता है।

वहाँ पर जनाज़े की सलात के कुबूल होने के लिए छः शराइत का होना ज़रूरी है:

- 1- मरने वाला शख्स एक मुसलमान हो।
- 2- मैयत को नहलाया जाए। अगर इसे बग़ैर नहलाए दफना दिया लेकिन अभी मिट्टी से नहीं ढका है तो हनूज, इसे निकाल लिया जाए और

नहलाया जाए और फिर सलात अदा की जाए। जिस जगह पर मैयत और इमाम हो वो पाक/साफ हो।

3- मैयत या आधी मैयत उसका सिर या आधी से ज़्यादा बग़ैर उसके सिर के इमाम के आगे होने चाहिए।

4- मैयत फर्श पर या फर्श के नज़दीक हाथों से पकड़ी हुई या एक पत्थर (बेंच) पर होनी चाहिए। मैयत का सिर इमाम के सीधी तरफ़ और उसके पेर उलटी तरफ़ होने चाहिए। इसको दूसरी तरफ़ घूमाकर रखना गुनाह है।

5- मैयत तैय्यर होनी चाहिए और इमाम के सामने होनी चाहिए।

6- मैयत और इमाम के अवरत हिस्से ढके हुए होने चाहिए।

नमाज़े जनाज़ा के फ़राइज़

1- तकवीर (अल्लाहु अकबर कहना) चार बार कहना।

2- खड़े होकर इसे अदा करना।

जनाज़े की नमाज़ की सुन्नतें

1- सुब्हानाका पढ़ना।

2- सलवात पढ़ना।

3- एक बार वो सारी दुआएँ पढ़ना जो (अल्लाह से मिनत करने के लिए हैं) अपने लिए, मरने वाले के लिए, और सारे मुसलमानों के लिए रहम और माफ़ी के लिए है।

मैयत को मस्जिद के अंदर रखना और वहाँ पर जनाज़े की सलात पढ़ना हराम है। एक बच्चा जो पैदा होने के बाद मरे उसे नहलाएँ, उसकी सलात पढ़े, और उसका नाम रखे। जब मैयत ले जाई जाती है, तो ताबूत के

चारों पाए पकड़े जाते हैं। मैयत को उठाने के लिए, तुम्हें पहले सामने, सीधे हाथ की तरफ से ताबूत को सीधे कंधे पर रखना चाहिए और दस कदम चलना चाहिए। फिर मैयत का पिछला हिस्सा उठाओ, जहाँ (मरने वाले की) सीधी टाँग हो, तुम्हें उसे दस कदम और लेकर चलना है। फिर, मैयत के उलटे हाथ की तरफ तबदील करो, जोकि मैयत की सीधे हाथ की साईड होगी जब तुम अकब से देखोगे, तुम इसे अपने उलटे कंधे पर ले लो, दस कदम आगे और दस कदम मैयत के पीछे से। जब तुम कब्रिस्तान पहुँचो तो जब तक नहीं बैठना जब तक मैयत तुम्हारे कंधे से उतार कर नीचे न रख दी जाए। जब मैयत को दफनाया जाए, वो जिनका दफनाने में कोई काम न हो वो बैठ जाएँ।

नमाज़े जनाज़ा कैसे पढ़े

जनाज़े की सलात की चारों तकवीर में से हर एक रकाअत की तरह है। हाथ सिर्फ कानों तक उठाए जाएँ पहली रकाअत में। बाकी की तीन तकवीरों के साथ हाथ ऊपर नहीं उठाए जाएँ।

1- पहली तकवीर कहने के बाद, उलटा हाथ कलाई से सीधे हाथ से बांधा जाए, और **सुब्हानका** पढ़ा जाए, और **वजल-ल सनाउ-क** इस किराअत में शामिल कर लिया जाए। सूरत-अल फातिहा इसमें नहीं पढ़ी जाएगी।

2- दूसरी तकवीर के बाद सलवात बिल्कुल उसी तरह पढ़ी जाए जैसे (रोज़ाना की नमाज़ों/सलात के कअदा में) तशहहुद के दौरान कहते हैं, यानी (**अल्लाहुम सल्लि**) और (**बारिक**) की दुआएँ पढ़ना।

3- तीसरी तकवीर के बाद जनाज़े की दुआ पढ़ी जाती है। [जनाज़े की दुआ के अलावा, “**रब्बना आतिना...**” या सिर्फ “**अल्लाहुमग़फ़िरलिह**” कहने की इजाज़त है या **सुरह फातिहा** भी पढ़ सकते हैं।]

4- चौथी तकवीर के फौरन बाद, पहले दाईं/सीधी और फिर बाईं /उलटी तरफ़ (सिर घुमाकर) सलाम फेरे। जब सलाम अदा किया जाए तो ये नीयत करली जाए के सलाम मैयत और जमाअत के लिए किया जा रहा है।

इमाम चारों तकवीरों और दो सलामों को ज़ोर से कहे, वो बाकी सारी चीज़ें करिवन चुपके से पढ़े।

जनाज़े की सलात होने के बाद इस बात की इजाज़त नहीं है के मैयत के सिरहाने इबादत की जाए। ये मकरूह है।

तरावीह की नमाज़

तरावीह की नमाज़ मर्दों और औरतों दोनों के लिए अदा करना सुन्नत मुअक्किदा है। ये रमज़ाने मुबारक की हर रात में अदा की जाती है। जमाअत से तरावीह अदा करना सुन्नत-ए किफ़ाय़ा है। तरावीह इशा की नमाज़ की आख़री सुन्नत के बाद और वितर के बाद से पहले अदा की जाती है इसे वितर के बाद भी अदा किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर एक शख़्स (जिसने चार रकाअत फ़र्ज़ की पूरी करलीं) जमाअत में पहुँचा जबकि वो तरावीह की नमाज़ अदा कर रहे हो और वो इमाम के साथ वितर की नमाज़ में शामिल हो जाए, तो वो वितर के बाद वो रकाअतें पूरी कर सकता है जो उसने तरावीह की नमाज़ में अदा नहीं करीं।

तुम तरावीह की नमाज़ की कज़ा अदा नहीं कर सकते जो तुमने उसके मुकर्रर वक्त में अदा न की हो। अगर तुम उसकी कज़ा करते हो, तो ये नफ़ली नमाज़ होगी। ये तरावीह नहीं होगी।

तरावीह की नमाज़ में बीस रकाअतें होती हैं।

तरावीह किस तरह पढ़ें

वितर की नमाज़ रमज़ान में जमाअत से अदा की जाती है। तरावीह की नमाज़ में हर दो रकाअत के आखिर में हर चार रकाअत के आखिर में सलाम अदा करना मुस्तहब है। लोग जिनकी कज़ा नमाज़ों का कर्ज़ हो उन्हें रोज़ाना की पाँच नमाज़ों की सुन्नतों और तरावीह की जगह कज़ा नमाज़ें अदा करनी चाहिए। इस तरह, वो अपने कर्ज़ों को पूरा करें, फिर वो ऊपर बताई गई नमाज़ें अदा करें।

जब मस्जिद में इसे जमाअत से अदा किया जाए, दूसरे इसे अपने घरों में अकेले पढ़ सकते हैं, जोकि गुनाह नहीं है। ताहम इस मामले में उन्हें मस्जिद में जमाअत की रहमतें नहीं मिलेगी। अगर वो अपने घरों में एक या ज़्यादा लोगों के साथ जमाअत में नमाज़ अदा करते हैं, तो सताईस बार रहमतें ज़्यादा हासिल करेंगे अगर वो अकेले इसे अदा करेंगे। नीयत (इरादा) कर लेना बहतर है हर तकबीर-ए इफतिताह (शुरूआत) करने से पहले लोग जो इशा की नमाज़ जमाअत से अदा नहीं करते वो एक साथ नहीं आ सकते और तरावीह की नमाज़ जमाअत में अदा नहीं कर सकते। एक शख्स जो इशा की नमाज़ जमाअत से अदा नहीं करता वो फर्ज़ अकेले पढ़ सकता है और फिर जमाअत में शामिल हो सकता है जो तरावीह अदा कर रही हो।

पाँचवा हिस्सा

लम्बे सफ़र के दौरान नमाज़

अगर एक हनफ़ी शख्स एक जगह जाता है जोकि एक सौ चार किलोमिटर या और दूर हो, पन्द्रह दिनों से कम वहाँ रहने के इरादे से, तो वो एक मुसाफ़िर बन जाता है।

सफ़री या मुसाफ़िर का मतलब है (एक शख्स) एक लम्बे रास्ते का सफ़र करने वाला। वो उन फ़र्ज़ नमाज़ों की दो रकाअतें अदा कर सकता है जिसमें चार रकाअतें हों। अगर वो एक मुकीम (कायम, सफ़री नहीं) इमाम की तकलीद कर रहा है, तो उन्हें चार रकाअतों की तरह अदा करे। एक मुकीम शख्स जो एक ऐसे शख्स की तकलीद कर रहा है जो मुसाफ़िर है, वो खड़ा हो जाए जब इमाम दूसरी रकाअत के बाद सलाम करे, और दो अलग रकाअतें अदा करें।

तीन दिन और तीन रातों के लिए, एक सफ़री शख्स अपने मेस्ट पर मसह कर सकता है। वो अपना रोज़ा (उसके वक्त से पहले) तोड़ सकता है। अगर एक मुसाफ़िर आराम से हो, तो उसे अपना रोज़ा नहीं तोड़ना चाहिए। ये उसके लिए वाजिब नहीं है के कुरवानी अदा करे। जुमे की नमाज़ सफ़री पर फ़र्ज़ नहीं है।

वो जो एक ख़ास नमाज़ के वक्त के ख़ालें पर सफ़र पर निकला, वो उस नमाज़ को दो रकाअत से पढ़ेगा अगर वो इसे अदा नहीं करता (बाहर निकलने से पहले)। वो जो अपने घर एक नमाज़ के ख़ाले की तरफ़ पहुँचा तो

उसे चार रकाअतें अदा करनी चाहिए, अगर उसने उसे (सफर के दौरान) अदा नहीं किया।

ये इस किताब (नएमत-ए इस्लाम) में बयान है: नफली नमाज़ों को बैठी हुई हालत में पढ़ने की इजाज़त है चाहे बगैर उज़र के ही क्यों न हो। जब ऐसा करो, तो तुम रूकू के लिए झुको और अपना सिर फर्श पर रख दो सज्दे के लिए। बहरहाल, अगर तुम नफली नमाज़ें बैठ कर अदा करो, बगैर उज़र के, तो तुम्हें सिर्फ आधा सवाब मिलेगा। मुन्नतें जो रोज़ाना की पाँच फर्ज़ नमाज़ों के पहले और बाद में हैं और तरावीह की नमाज़ें नफली हैं। कोई भी, चाहे मुकीम या सफरी, चाहे उज़र के साथ या नहीं, नफली नमाज़ एक जानवर की पीठ पर बैठ कर जबकि वो चल रहा हो या चाहे जब वो साकेत खड़ा हो, जितना लम्बा चाहे एक शहर या गाँव से बाहर रहे हों तो अदा कर रहा हो। ये ज़रूरी नहीं हैं के जब नमाज़ शुरू की जाए या अदा की जाए तो किवले की तरफ मुँह किया जाए, रूकू या सज्दा करना भी ज़रूरी नहीं है। वो इशारों से नमाज़ अदा कर सकता है। यानी वो रूकू के लिए झूके और सज्दे के लिए कुछ ज़्यादा झुक जाए। चाहे अगर जानवर पर बहुत ज़्यादा नजासत लगी हो, नमाज़ कुबूल हो जाएगी। कोई भी जो नफली नमाज़ अदा करते हुए थक गया हो वो इसे चलने वाली घड़ी पर झुकते हुए, किसी दूसरे इंसान या दीवार का सहारा लेते हुए अदा कर सकता है। जबकि वो खुद चल रहा हो तो उसकी नमाज़ अदा करना कुबूल नहीं होगा, चलना नमाज़ को बेअसर करता है।

इस बात की इजाज़त नहीं है के फर्ज़ या वाजिब नमाज़ को एक जानवर पर अदा किया जाए, जब तक के वहाँ ज़रूरत न हो। वो उसे सिर्फ उसी वक्त अदा कर सकते हैं अगर वहाँ कोई अच्छा उज़र हो। ज़रूरत की मिसालें ये हैं जो माकूल उज़र बनाती हैं: एक शख्स की मिलकियत, ज़िंदगी, या जानवर खतरे में हों, इमकान हो सकता है के एक शख्स का जानवर या एक शख्स की मिलकियत जो उसने एक जानवर पर या खुद पर लादी हुई है वो

जानवर से नीचे उतरने पर चोरी हो जाए, खतरा हो सकता है जैसे के जंगली जानवरों या दुश्मन का हमला करने का, ज़ेहमतें जैसे के ज़मीन पर मिट्टी और तेज़ बारिश, जानवर पर से उतरने और चढ़ने की वजह से बीमारी ज़्यादा खराब या बड़ जाए जिस्मानी थकान की वजह से, एक आशकारा हालत जहाँ पर एक शख्स का साथी उसे छोड़ जाए उस हालत में के वो उसका इंतज़ार न कर सके, और नाकाविलियत की वजह से फिकर करना के अगर उसे जानवर से उतरना पड़ा तो वो बगैर मदद के उस पर कैसे चड़ेगा। जब एक फर्ज़ या वाजिब नमाज़ अदा की जाए तो ये ज़रूरी है के जानवर का मूँह किवले की तरफ़ कराया जाए। अगर वो इसे काबू में न रख पाए, तो कम से कम अपना सबसे अच्छा करके दिखाए। एक जानवर पर मौजूद दो चैस्ट जिसे महमिल (कूड़ा) बोलते हैं उस पर नमाज़ अदा करना ऐसा ही है जैसे जानवर पर अदा कर लेना। अगर महमिल की टाँगे ज़मीन की तरफ़ नीचे हों, तो ये एक दिवान की तरह काम करता है। इस हालत में उसके लिए ये जाईज़ हो जाता है के वो उस पर खड़े होकर फर्ज़ अदा कर सके। उसे किवले की तरफ़ मूँह करके इसे अदा करना चाहिए। एक शख्स जो उतरने के काविल हो, वो एक महमिल पर फर्ज़ नमाज़ अदा नहीं कर सकता है।

रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने हज़रत जाफर तय्यार को पानी के जहाज़ पर नमाज़ अदा करना सिखाया, उनके अक्सिसिनिमा जाने से पहले। यानीः पानी के जहाज़ पर, एक शख्स फर्ज़ या वाजिब नमाज़ अदा कर सकते हैं चाहे अगर उनको कोई उज़र न हो। नाव में जमाअत के साथ नमाज़ अदा की जा सकती है। पानी के जहाज़ पर निशानों के साथ नमाज़ अदा करने की इजाज़त नहीं है। उसे रूकू और सज्दा करना होगा। उसे किवले की तरफ़ होना होगा। जब वो नमाज़ शुरू करेगा तो उसे किवले की तरफ़ रहना चाहिए। नाव/किशती के अपनी सिम्त को बदलने के साथ, उसे भी किवले की तरफ़ घूमना होगा। ये ज़रूरी है के अपने आपको उन चीज़ों से साफ़/पाक करलें

जिन्हें इस्लाम ने गंदा बताया, उस शख्स के लिए भी जो किश्ती में हो। इमाम-ए आजम के मुताबिक एक चलते हुए जहाज़ पर, फर्ज़ नमाज़ को बग़ैर किसी सही उज़र के बैठ कर अदा करने की इजाज़त है। समुद्र के किनारे लंगर जहाज़, अगर लहरों से बुरी तरह डगमगाए तो ये चलते हुए जहाज़ की तरह है। अगर वो हल्के से डगमगाए, तो वो ऐसे ही है जैसे किनारे खड़ा हुआ है, तो बैठकर फर्ज़ नमाज़ अदा करने की इजाज़त नहीं है। अगर जहाज़ खड़ा हुआ है, तो हमेशा इस बात की इजाज़त है के नमाज़ खड़े होकर पढ़ी जाए। अगर जहाज़ साहिल पर नहीं है, और ये मुमकिन है के वो कभी भी चलदे, तो फर्ज़ नमाज़ उसपर अदा करने की इजाज़त नहीं है। अगर उसकी ज़िंदगी या उसकी मिलकियत ख़तरे में है, या जहाज़ चल पड़े और उसे ज़मीन पर छोड़ जाए, तो इस बात की इजाज़त है के वो जहाज़ में अपनी नमाज़ खड़े होकर पढ़ सकता है।

इबन अबिदीन ने कहाः (क्योंकि एक दो पहिया गाड़ी ज़मीन पर एक सतह पर नहीं रह सकती जब तक के वो एक जानवर से बंधी न हो, ये एक जानवर की तरह है दोनो जब चल रहे हों ओर जब खड़े हों। कोई भी गाड़ी चार पहियों के साथ, जोकि एक लेवल पर हों वो दिवान की तरह हैं, अगर वो हरकत में नहीं हैं। अगर गाड़ी हरकत में है, ऊपर बताए गए अच्छे उज़रों की हालतों के साथ, तो इस पर फर्ज़ अदा करने की इजाज़त है। एक शख्स को इसे रोक लेना चाहिए और किवले की तरफ रूख़ कर के खड़े होकर नमाज़ अदा करें। अगर तुम इसे नहीं रोक सकते तो तुम इस तरह नमाज़ अदा करो जैसे के तुम चलते हुए जहाज़ पर हो। वो जो किवला रूख़ नहीं हो सकता सफ़र के दौरान तो उसे शाफ़ि-ई मसलक की नक़ल करनी चाहिए जब तक के वो सफ़र में हो, और देर दोपहर नमाज़ जल्दी दोपहर नमाज़ के साथ और रात की नमाज़ शाम की नमाज़ के साथ, एक के बाद दूसरी फ़ौरन अदा करनी चाहिए। अगर ऐसा भी नामुमकिन हो, तो उसे किवले की तरफ रूख़ नहीं करना

चाहिए। किसी के लिए भी इस बात की इजाज़त नहीं है के वो इशारों के ज़रिए नमाज़ अदा करे, जबकि दिवान या कुर्सी पर बैठे हुए अपनी टाँगें नीचे लटकाए हुए। एक बस में या हवाई जहाज़ में नमाज़ अदा करना ऐसा ही है जैसे तुम एक गाड़ी में नमाज़ अदा कर रहे हो।

एक शख्स को फर्ज़ या वाजिब नमाज़ एक जानवर पर अदा नहीं करनी चाहिए जब तक वहाँ इसकी ज़रूरत न हो। तुम्हें गाड़ियों को रोक देना चाहिए और किवला की तरफ़ खड़े होकर नमाज़ अदा करनी चाहिए। इस वजह से, एक शख्स उस गाड़ी पर सवार होने से पहले ज़रूरी इकदामात कर लेने चाहिए।

एक मुसाफ़िर जो जहाज़ या रेलगाड़ी पर सफ़र कर रहा हो उसे खड़े होकर किवले की तरफ़ खूब करके फर्ज़ नमाज़ शुरू करनी चाहिए और जहाँ वो सज्दा करे उस जगह अपने पास वो कुतुबनुमा/कम्पास रखे। उसे किवले की तरफ़ अपना खूब करना चाहिए जैसे जहाज़ या रेलगाड़ी सिम्त तबदील करे। अगर सीना किवले की तरफ़ से हट जाता है, तो नमाज़ बेअसर हो जाती है। इसलिए उनकी फर्ज़ नमाज़ जो बसों पर, रेलगाड़ियों में, जहाज़ों में जब समुद्र नहमवार हो जो किवले की तरफ़ खूब न कर पाए हों तो कुवूल नहीं की जाती, वो जब तक सफ़र में हो मालिकि या शाफ़ि-ई मसलक की तकलीद कर सकते हैं, और अपनी नमाज़ों को मिला सकते हैं जल्दी दोपहर की नमाज़/जुहर की नमाज़ अदा करने के फौरन बाद असर की नमाज़ अदा करना (उन दो नमाज़ों के वक्त में से किसी भी वक्त के दौरान), और मगरिब की नमाज़ इशा की नमाज़ एक साथ अदा करना (उन दो नमाज़ों के किसी भी वक्त के दौरान)। मालिकि और शाफ़ि-ई मसलक के मुताबिक, सफ़र (लम्बे रास्ते का सफ़र) जिसका फासला अस्सी किलोमिटर से ज़्यादा है, तकदीम, जिसका मतलब है असर की नमाज़ फौरन जुहर की नमाज़ उसके वक्त में अदा कर ली जाए या इशा की नमाज़ फौरन मगरिब की नमाज़ के बाद उसके वक्त में अदा

करली जाएँ, और ताखीर, जिसका मतलब है के जुहर की नमाज़ असर के वक्त तक टाली जाए और उन्हें एक साथ अदा किया जाए या मगरिब और इशा की नमाज़ें इसी तरह अदा की जाएँ, इस बात की इजाज़त है। इसी तरह, अगर हनफी मसलक का एक शख्स सफ़र शुरू करने के बाद रास्ते में किब्ले की तरफ़ मुँह न कर पाए, तो वो जुहर की नमाज़ अदा करने के बाद फ़ौरन असर की नमाज़ अदा करे जुहर की नमाज़ के वक्त पर, जब वो दिन के कुछ वक्त के लिए कहीं पर रुकें, और मगरिब और इशा की नमाज़ एक साथ अदा करें इशा के वक्त पर जब वो रात में कहीं पर रुकें, और जब वो उन चारों में से एक शुरू करे तो शुरू करने की नीयत से करे, उसे नीयत करनी चाहिए, यानी अपने दिल से ये सोचे और बोले: “**मैं ये अदा कर रहा हूँ मालिकि या शाफ़िई मसलक की तकलीद करते हुए।**” एक शख्स दो वक्त की नमाज़ आसपास के वक्त की लम्बे फासले के सफ़र से पहले या बाद में अदा नहीं कर सकता।

बीमारी के दौरान नमाज़

अगर कोई चीज़ लगातार बाहर आती रहे जिस्म से जिससे वुजू टूट जाए, तो ये एक उज़र (माफी) होता है। एक उज़र होने के लिए ज़रूरी है के कोई चीज़ जो वुजू को लगातार तोड़े। मिसाल के तौर पर, अगर एक वुजू की वजह जो वुजू को तोड़ने के लिए लगातार मौजूद हो, जैसे पेशाब की रतूवत, हवा का बार बार निकलना, दस्त, नाक से खून निकलना, ज़ख़म से खून और पस का जारी होना, दर्द की वजह से आँखों से आंसू निकलना, इसतिहाज़ा (माहवारी) का खून, अगर ये किसी नमाज़ के मुकरर वक्त के शुरू से आख़िर तक रहे, तो वो उज़र के साथ वाला शख्स बन जाता है। एक शख्स को इन्हें रोकना चाहिए नली में कुछ रख कर, दवाई लेकर, बैठ कर या इशारों के ज़रिए नमाज़ अदा करके। वो आदमी जिन्हें इसतिबरा (पेशाब का रतूवत) की परेशानी हो उन्हें अपनी पेशाब के छेद में जौके बीज के बराबर एक प्लास्टिक वाली

सूती बत्ती रखनी चाहिए। अगर वो सिर्फ छोटा सा है, तो कॉटन पैशाब को बाहर निकलने से मुन्ना देगा, जोकि वुजू को टूटने से बचाएगा। जब पैशाब करोगे तो, ये कॉटन अपने आप बाहर आ जाएगा। अगर पैशाब बहुत ज़्यादा बाहर निकले, ज़्यादातर उसमें से कॉटन की बत्ती से निकले, इस मामले में, वुजू टूट जाएगा। टपकता हुआ पैशाब अंदर का जांगिया न गंदा करे। हर औरत को अपने आगे हमेशा करसफ़ (कुछ कॉटन या कपड़ा) रखना चाहिए। अगर वो ये टपकना/बहना न रोक पाएँ तो उन्हें हर नमाज़ के मुकर्रर वक्त में वुजू अदा करना होगा और नमाज़ पढ़नी होगी। इस वुजू के साथ, वो चाहे जितनी फर्ज़, कज़ा और नफली नमाज़ की इबादतें अदा कर सकता है जितनी उसे पसंद हो। वो कुरआन अल करीम को पकड़ सकते हैं जब नमाज़ का मुकर्रर वक्त खत्म हो जाएगा तो उनका वुजू अपने आप खत्म हो जाएगा। एक शख्स का लगातार उज़र मुकर्रर वक्त के अंदर उसका वुजू नहीं तोड़ता अगरचे, वो किसी और वजह से टूट सकता है। मिसाल के तौर पर, एक शख्स ने वुजू किया जबकि उसके नथनों में से एक में खून निकल आया हो। फिर उसके दूसरे नथने में से भी खून आने लगा। इस मामले में, उसका वुजू खारिज हो जाएगा। उज़र होने के लिए ज़रूरी है के कोई चीज़ नमाज़ के वक्त पर लगातार वुजू तोड़ रही है। अगर वो इस वक्फ़े के दौरान रुक जाता है, इतना काफी हो के एक वुजू अदा कर के और नमाज़ पढ़ी जा सके तो वो शख्स उज़र के साथ नहीं है। दूसरी खबर के मुताबिक मालिकि मसलक में, एक उज़र [माफी] होने के लिए, ये काफी है अगर बेइरादा इख़राज हो, जोकि एक किसी बीमारी का नतीजा हो और जो वुजू को तोड़ दे, वो सिर्फ एक बार होता है। अगर एक शख्स जो एक उज़र के साथ हो उसका उज़र एक बार ही बहे और वो भी थोड़े वक्त के लिए नमाज़ की इबादत के वक्त के दौरान, तो उसका उज़र जारी माना जाएगा। अगर वो कभी किसी नमाज़ के वक्त में न बहे, यानी, अगर नमाज़ का कोई भी वक्त बगैर किसी उज़र के शुरू से लेकर आख़िर तक, एक शख्स अब उज़र की हालत में नहीं रहता। अग ये माना जाए के एक

दरहम खूना या कुछ और उसी तरह का, जब धोया जाए, तो वो दोबारा फैल जाएगा जब तक कि नमाज़ अदा की जाए, तो उस पर वाजिब है के उसे धोए।

अगर एक मुसलमान को पता हो, अपने ज़ाती तजुर्वो या एक माहिर मुस्लिम डॉक्टर की सलाह से जो खुल कर और सब के सामने गुनाह नहीं करता हो, के गुस्ल करने से तुम्हारी बीमारी बढ़ जाएगी या खराब हो जाएगी, फिर उसे तय्यमुम करने की इजाज़त है। ये डर या तो उसके अपने ज़ाती तजुर्वे से होता है या फिर एक सच्चे मुसलमान के ज़रिए तहकीक किया जाता है। अगर माहिरे तिब फिस्क (इस्लाम से बाहर) के लिए नहीं जाना जाता, या गुनाह करता है, तो उसके लफज़ कुबूल किए जाएंगे अगर ठंड हो और रहने की जगह ढूंढने में नाकाम हो, या कुछ भी जो पानी को गरम करे, या पैसा न हो नहाने के लिए और नतिजे के तौर पर बीमार पड़ सकता है, तब इजाज़त है के वो तय्यमुम करले। हन्फ़ी मसलक में, एक शख्स जितनी चाहे नमाज़ें अदा कर सकता है एक तय्यमुम के साथ। अरगचे, शाफि ई और मालिकि मसलक के मुताबिक, उसे हर फ़र्ज नमाज़ के लिए एक नया तय्यमुम करना पड़ेगा।

अगर उसके आधे से ज़्यादा वुजू के अज़ा या चारों उसके वुजू के अज़ा ज़ख्मी हों, तो उसे तय्यमुम करना होगा। अगर आधे से ज़्यादा उसके वुजू के अज़ा या चार अज़ा में से दो सेहतमंद हैं, तो वो वुजू कर सकता है और ज़ख्मी हिस्सों या अज़ा पर मसह कर सकता है। अगर जुनूब शख्स की जिस्म का आधे से ज़्यादा सतह बीमार हों, जैसे के ज़ख्म हों, चेचक हो या ख़तरनाक बुखार हो, तो वो तय्यमुम कर सकता है। अगर उसके जिस्म का ज़्यादातर हिस्सा सेहतमंद हो और अगर मुमकिन हो अपने आपको धोने की तो बग़ैर बीमार हिस्सों को भिगोए हुए वो पानी के साथ गुस्ल कर सकता है। और खराब हिस्सों पर मसह कर सकता है। अगर बराहेरास्त मसह नुकसानदह हो, तो वो पट्टियों पर (जो उसने ज़ख्मों पर बाँधी हों) मसह कर सकता है। अगर ये भी

नुकसानदह हो, तो वो मसह भी छोड़ दे। अगर उसके सिर का मसह वुजू या गुस्ल में नुकसानदह हो तो उसे सिर का मसह नहीं करना चाहिए। “अगर एक शख्स की खाल कट रही हो, एकज़ीमा हो या कोई और ज़ख्म उसके एक या दोनो हाथों पर जिसकी वजह से उनको गीला करना नुकसानदह हो, तो वो अपने हाथों को और चहरे को किसी मिट्टी [कच्ची मिट्टी या पत्थर] पर रगड़कर तय्युम कर सकते हैं। अगर उसके चेहरे पर कोई ज़ख्म हो तो, वो बग़ैर वुजू के नमाज़ अदा कर सकता ताकि उसकी नमाज़ न छुटे। कोई भी जो अपने आप वुजू करने के काबिल न हो और उसे कोई मददगार भी नहीं मिल पा रहा वुजू कराने के लिए, तो उसे तय्युम कर लेना चाहिए। एक शख्स के बच्चे, गुलाम या नौकर जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, मदद कर सकते हैं। वो दूसरों से भी मदद के लिए कह सकता है। हालांकि, वो उसकी मदद नहीं कर सकते। इसी तरह, एक बीवी या मियाँ भी, दूसरों को वुजू करने में मदद नहीं करने को नहीं कहना।

अगर कोई शख्स बेंडिड [रूई, रेशमी कपड़ा, प्लास्टर, मरहम] पे या ज़ख्म, हड्डी के फेक्चर पे, या फोड़े की त्वचा पे जोंक लगाए हुई हालत में, खून वगैरा का गिरना। अगर वो उन प्रभावित हिस्सों को ठंडे या गर्म पानी से धो न पाए और न हीः उनपे मसह कर पाए, ये काबिले कुबूल है के उसके आधे से ज़्यादा पे मसह कर सकते है वुजू और गुस्ल में। अगर बेंडिड पे करना नुकसानदायक हो और इसके करीबी सेहतमंद हिस्से धुले नहीं। सेहतमंद हिस्सों पे जो बेंडिड में दिखें उनपे मसह किया जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है के जब कोई शख्स वुजू से है बेंडिड लगाए। अगर मसह के बाद बेंडिड बदल दिया जाता है या उसपे नया बेंडिड लगा दिया गया, ये ज़रूरी नहीं होगा के नए वाले पे मसह किया जाए।

इसी तरह, अगर एक बीमार शख्स जो सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा हो या जिसे सख्त महसूस हो के खड़े होने से उसकी सेहतयाबी में देरी हो सकती

है, तो वो बैठकर नमाज़ अदा कर सकता है। वो सीधा बैठ जाए, वो अपने जिस्म को रूकू के लिए थोड़ा झुकाए, फिर दोबारा सीधा बैठ जाए, वो अपने जिस्म को थोड़ा और झुकाए दो सज्दे करने के लिए। ऐसे लोगों को फर्श पर इस तरह बैठना चाहिए जो आसानी से आ जाए; घुटने टिक सकें, टाँगे बंध सकें, या घुटने उठ सकें हाथों को बाँधकर टाँगों के चारों तरफ़ या इसी तरह। सिर में, घुटने, या आँख में दर्द वीमार में शुमार होता है। दुश्मन के ज़रिए देख लिए जाने का डर भी एक 'उज़र' होता है। वो जिसका रोज़ा खड़े होने से खारिज हो जाए, वो बैठ कर नमाज़ अदा कर सकता है। एक कमज़ोर शख्स सिर्फ़ किसी चीज़ का सहारा लेकर खड़ा हो सकता है नमाज़ इस तरह खड़ा हो कर पढ़ सकता है। अगर एक शख्स ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, उसे खड़े होकर तकवीर ए इफ़तिताह करनी चाहिए, और जब शुरू हो जाए, तो अपनी नमाज़ बैठकर जारी रख सकता है।

वो जो फर्श पर सज्दा नहीं कर सकता जितनी कुरआन अल करीम की तिलावत खड़े होकर ज़रूरत है वो कर सकता है, फिर वो बैठ जाए और रूकू और सज्दे के लिए इशारे करे। दूसरे लफ़्ज़ों में, नमाज़ बैठकर पढ़ना, वो सज्दे के लिए झुके और सज्दे के लिए ज़्यादा झुके। वो जो अपना जिस्म ज़्यादा नहीं मोड़ सकता इसके बजाए वो सिर झुका सकता है। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है के किसी चीज़ पर सज्दा करे। अगर वो खुद या कोई और कोई चीज़ ऊपर पकड़ सकता है, और वो उस पर सज्दा करे तो उसकी नमाज़ सही होगी, लेकिन ये तहरीमी मकरूह है। दर हकीकत, अगर वो चीज़ उसकी रूकू से झुकने से नीचे न हो, तो उसकी नमाज़ सही नहीं होगी। इस बात की इजाज़त नहीं है के लेट जाए और इशारे कर के नमाज़ पढ़े, अगर एक शख्स बैठने के काबिल है चाहे किसी चीज़ पर सहारा ही क्यों न हो। एक दिन रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' एक कमज़ोर शख्स के पास गए। जब आपने देखा के उस शख्स ने एक तकिया उठाया और उस पर सज्दा कर दिया, आपने

तकिया हटा दिया। इस बार कमज़ोर शख्स ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उस पर सज्दा कर दिया। रसूलुल्लाह ने लकड़ी का टुकड़ा भी हटा दिया, और फरमाया: (फर्श पर सज्दा करो अगर तुम कर सकते हो! अगर तुम झुक नहीं सकते फर्श पर तो अपने चेहरे पर कोई चीज़ मत उठाओ उस पर सज्दा करने के लिए! नमाज़ को इशारे से अदा करो और सज्दा करने के लिए अपने आपको रूकू में झुकने से ज़्यादा झुकाओ!) (बहरूर-राईक) किताब में लिखी एक खबर के मुताबिक, सूरह आल-ए इमरान की एक सौ इक्यानवें आयत-ए करीमा में, जिसका मतलब है: (वो जो काबिल है, नमाज़ खड़े होकर पढ़े वो जो इतना बीमार हो खड़े होने में, वो बैठकर नमाज़ अदा कर सकता है। वो जो ऐसा करने के काबिल नहीं है, इसे लेटकर अदा करे।) जब इमरान विन हुसैन बीमार हो गए, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने उनसे फरमाया (अपनी नमाज़ खड़े होकर पढ़ो! अगर तुम ऐसा करने के काबिल नहीं हो, तो इसे बैठकर अदा करो! अगर तुम ऐसा करने के भी काबिल नहीं हो, तो अपनी नमाज़ अपनी तरफ़ या पीठ पर लेटकर अदा करो!) ताहम, एक कमज़ोर शख्स जो खड़ा नहीं हो सकता अपनी नमाज़ बैठकर अदा कर सकता है। वो जो बैठ नहीं सकता लेटकर नमाज़ अदा कर सकता है। कुर्सी पर या सीट पर बैठकर नमाज़ अदा करने की इजाज़त नहीं है। ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है, एक बीमार शख्स के लिए या एक मुसाफिर के लिए बस में या जहाज़ में नमाज़ अदा करना कुर्सी या सीट पर बैठकर। वो जो जमाअत में खड़े होकर नमाज़ अदा नहीं कर सकते, इसके बजाए वो घर में खड़े होकर अपनी नमाज़ अदा करें। वहाँ पर वीस काविले कुबूल उज़र हैं मस्जिद में ना जाकर जमाअत से नमाज़ अदा करने के।

मस्जिद में पैदल चलते हुए जाना और वापिस आना ज़्यादा अच्छा है इस बात के तुम गाड़ी पर सवार होकर जाओ। मस्जिद में कुर्सी पर या सीट पर बैठकर इशारे कर के नमाज़ अदा करने की इजाज़त नहीं है। ये (बिदअत) है

के इस तरीके से इबादत करना जो इस्लाम के ज़रिए नहीं बताया गया। ये फिकह की किताबों में लिखा है के विदअत करना एक बहुत बड़ा गुनाह है।

एक कमज़ोर शख्स जो बैठ नहीं सकता, चाहे किसी चीज़ पर सहारा करके भी, वो अपनी नमाज़ कमर के बल लेटकर अपने सिर (हिलाकर घुमाकर वगैरह अपनी सिर के ज़रिए) के साथ नमाज़ अदा कर सकता है, या अगर ये मुमकिन न हो तो अपनी सीधी तरफ़ लेटकर अदा कर सकता है। अगर वो किवले की तरफ़ नहीं घूम सकता, तो वो जो सिम्त उसके लिए आसान हो उस तरफ़ घूमकर अदा कर सकता है। एक तकिया उसके सिर के नीचे रख देना चाहिए ताकि उसका चेहरा किवले की तरफ़ हो सके। ये उसके लिए अच्छा होगा अगर वो अपने घुटने सीधे ऊपर करले। अगर एक बीमार शख्स अपने सिर के इशारे के साथ भी नमाज़ अदा नहीं कर पाए, तो उसे इजाज़त है के उसे कज़ा के लिए छोड़ दे। अगर एक शख्स नमाज़ में बीमार हो जाए और जिस तरीके पर बताई गई है उस तरह अदा न कर पाए, तो उसे जितना बेहतर हो सके जारी करना होगा। अगर एक मरीज़ जो बैठकर नमाज़ अदा कर रहा है सेहतमंद हो जाता है, उसे अपनी नमाज़ खड़े होकर जारी कर देनी चाहिए। वो जो बेहोश हो जाते हैं नमाज़ अदा नहीं करें। अगर वो पाँच नमाज़ का वक्त गुज़रने से पहले ठीक हो जाए, तो उसे उनकी कज़ा अदा करनी चाहिए। अगर वो छः या ज़्यादा वक्त की नमाज़ गुज़रने के बाद ठीक होता है, तो उसे उसकी कज़ा नहीं करनी होगी।

ये फ़र्ज़ है के अदा नहीं की गई नमाज़ की फौरन कज़ा अदा की जाए, चाहे अगर इशारे से ही क्यों न हो। अगर वो अपने बिस्तरे मर्ग/मरने वाला है वगैर अपनी छोड़ी हुई नमाज़ों की कज़ा अदा किए वगैर, ये उसके लिए वाजिब है के अपनी वसीयत में ताकीद करे के जो पैसा वो अपने पीछे छोड़कर जा रहा है उसमें से उनकी इस्कात का फिदया अदा किया जाए। अगर वो ऐसा अपनी वसीयत में नहीं कहता, तो कुछ आलिमों का कहना है के उसके

वारिसों के लिए या एक अनजान (वारिसों की जगह कोई और) के लिए अपनी जायदाद में से इस्कात करने की इजाज़त है।

कज़ा नमाज़ें

एक इबादत-ए बदनय्या (जिस्मानी इबादत) होने की वजह से, नमाज़ किसी और के बदले नहीं पढ़ी जा सकती। हर किसी को इसे अपने आप अदा करना है। किसी भी नमाज़ को उसके मुकर्रर वक्त में पढ़ने को **अदा** कहते हैं। किसी नमाज़ को दूसरी बार पढ़ना **इआदा** है। मिसाल के तौर पर, एक नमाज़ मकरूह के तौर पर पढ़ी गई उसे उसका वक्त निकलने से पहले दोबारा अदा किया जाए। अगर ऐसा मुमकिन न हो तो, इसे दूसरे वक्त में दोबारा अदा किया जाए। ये वाजिब है। अगर एक फ़र्ज़ या वाजिब नमाज़ उसके वक्त में न पढ़ी जाए, उसके मुकर्रर वक्त के गुज़र जाने के बाद अदा की जाए तो ये **कज़ा** है।

जब पाँच रोज़ाना की नमाज़ों के फ़र्ज़ हिस्से और वितर की नमाज़ अदा की जाए और जब उनकी कज़ा अदा की जाए, तो ये फ़र्ज़ है के तरतीब का ख्याल रखा जाए। यानी, जब नमाज़ अदा की जाए तो ये ज़रूरी है के उनकी हसबे मामुल उनकी तरतीब के मुताबिक अदा किया जाए। **तरतीब रखने** का मतलब है के पाँच कज़ा नमाज़ों से ज़्यादा कोई कज़ा न हो। इसी तरह जुमे की नमाज़ के फ़र्ज़ भी जुहर की नमाज़ के वक्त अदा कर दिए जाएँ। एक शख्स जो सुबह की नमाज़ के लिए नहीं उठता उसे जितनी जल्दी याद आ जाए उसकी कज़ा अदा कर देनी चाहिए, चाहे अगर उसे खुत्वा (जुमे की नमाज़ का) के दौरान वो याद आए। जब तक एक शख्स एक नमाज़ अदा करता है या उसकी कज़ा अदा करता है, तो उसे इस बात की इजाज़त नहीं है के उसके बाद आने वाली पाँच नमाज़ों को वो अदा कर सके। एक हदीस-ए शरीफ़ का

वयान है: (अगर एक शख्स जो देर तक सोया रहा या एक नमाज़ भूल गया, तो जमाअत में नमाज़ पढ़ते हुए याद आया, तो उसे अपनी नमाज़ इमाम के साथ पूरी करनी होगी और फिर अपनी पिछली नमाज़ की कज़ा अदा करनी होगी! फिर उसे वो नमाज़ दोबारा अदा करनी होगी जो वो इमाम के साथ अदा कर रहा था!)

एक फ़र्ज़ की कज़ा अदा करना फ़र्ज़ है। ये वाजिब है के एक वाजिब की कज़ा अदा की जाए। हमें सुन्नत नमाज़ की कज़ा अदा करने के लिए नहीं हुकूम हुआ जो हम उसके सही वक्त में अदा नहीं कर पाए। जैसा के हन्फ़ी मसलक के आलिमों ने एक राए से वाज़ेह किया, “जो सुन्नत के ज़मरे में नमाज़ें आती है वो अपने ही बताए गए वक्त में बंधी हुई हैं फ़र्ज़ हैं के उसी वक्त अदा की जाएँ। वो सुन्नत नमाज़ जो अपने मुकर्रर वक्त में अदा नहीं की जाती वो क़र्ज़ नहीं हैं जो अदा की जाएँ। इसलिए, हमें उनकी कज़ा अदा करने का हुकूम नहीं हुआ है। बहरहाल, चूँकि सुबह की नमाज़ की सुन्नत वाजिब की तरह है, तो जब इन्हें वक्त पर अदा नहीं किया जाए, तो इन्हें फ़र्ज़ के साथ उसी दिन दोपहर से पहले अदा कर लिया जाए। सुबह की नमाज़ की सुन्नत की कज़ा दोपहर के बाद अदा नहीं की जाएगी, और दूसरी नमाज़ों की सुन्नतों की भी कज़ा अदा नहीं की जाती। अगर तुम इसकी कज़ा अदा करते हो तो तुम्हें रहमतें नहीं मिलेंगी (जोकि तुम्हें मिलती) जो एक सुन्नत अदा करने पर मिलती है, बल्कि तुम्हें नफ़ली नमाज़ की रहमतें मिल जाएँगी। **इबन आबदिन** और किताब **तरगीब-उस-सलात** के 162वें सफ़ेह में कहा है: (इस बात की इजाज़त है के सुन्नत नमाज़ें बैठकर भी अदा की जा सकती हैं चाहे अगर वहाँ कोई उज़र न हो। इनको अदा न करना गुनाह है। इस बात की इजाज़त है के फ़र्ज़ नमाज़ों को बैठकर अदा कर लिया जाए अगर तुम्हारे पास कोई सही उज़र हो।)

जानबुझकर और बगैर सही उज़र के एक फ़र्ज़ नमाज़ को छोड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह है। एक शख्स को उन नमाज़ों की कज़ा अदा करनी चाहिए जो वो उनके मुकर्रर वक्त में अदा करने से नाकाम रहा। वहाँ पर दो जाईज़ वजूहात हैं एक नमाज़ को जानबुझकर छोड़कर कज़ा करनी की जोकि फ़र्ज़ या वाजिब हो। पहला उस हालत में नाफ़िज़ होता है जब बराहेरास्त दुश्मन से आमना सामना हो। दूसरा एक सफ़र करने वाले शख्स पर फ़ाइज़ होता है- एक शख्स जो सफ़र में हो, चाहे अगर उसकी नीयत तीन दिन की मसाफ़त की न हो, जिसे चोर का डर हो, एक जंगली जानवर, सैलाब, या एक तूफ़ान का डर हो। जब ऐसे लोग इशारों के साथ भी नमाज़ अदा न कर पाएँ, बैठकर, एक सिम्त की तरफ़ खूब करके या एक जानवर पर, तो उन्हें कज़ा के लिए छोड़ देनी चाहिए। इन दो वजूहात में से किसी एक के लिए फ़र्ज़ों को कज़ा के लिए छोड़ देना कोई गुनाह नहीं है, गहरी नींद या भूल जाने की वजह से उन्हें मिस कर देना भी गुनाह नहीं है।

एस्बाह की तंकीद में लिखा है: “इस बात की इजाज़त है के मुकर्रर वक्त के बाद नमाज़ अदा करना अगर तुमने ऐसा किसी को बचाने के लिए किया है जोकि डूबने वाला हो या दूसरे की ज़िंदगी ख़तरे वाली हालत में हो।” लेकिन जैसे ही उज़र ज़ाहिर होना बंद हो जाए वैसे ही उसकी कज़ा अदा करना फ़र्ज़ है। इस बात की इजाज़त है के अपने घरबार के लिए रौज़ी कमाने के लिए नमाज़ों की कज़ा को लम्बा मुल्लतवी कर दो और अपनी लाज़मी ज़रूरयात को मोहय्या करने के लिए; अगरचे, तुम्हें कज़ा नमाज़ें अपने नज़दीकी ख़ाली वक्त में अदा कर लेनी चाहिए, वरना वो ख़ाली वक्त उन तीन वक्तों में से किसी एक के साथ मिल सकता है जिसके दौरान नमाज़ को अदा करना हराम है। तुम गुनहगार हो जाओगे अगर तुम उन्हें ज़्यादा देरी करोगे। दरअसल, रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने चार नमाज़ें, जो वो ख़ंदक (गढ़ा/ख़ाई) की जंग की सख्ती की वजह से अदा करने में नाकाम रहे थे, उसी रात जमाअत में अदा

की जबकि सहावा रज़ी अल्लाहु अन्दुम ज़ख्मी और थके हुए थे। हमारे पैग़म्बर 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ने वयान किया: (ये बहुत बड़ा गुनाह है के फ़र्ज़ नमाज़ की दो इबादतों को मिलाना।) यानी, ये बड़ा गुनाह है के फ़र्ज़ नमाज़ को इसके मुकर्रर वक्त में अदा न करना और उसे बाद में अदा करना दूसरी हदीस-ए शरीफ़ से वाज़ेह है: (अल्लाह तआला एक शख्स को दोज़ख में अस्सी हुकबस के लिए रखता है जो एक नमाज़ को उसके मुकर्रर वक्त के पूरा होने के बाद पढ़ता है।) एक हुकबा कयामत के अस्सी साल हैं, और दूसरी दुनिया में एक दिन इतना लम्बा है जितना हज़ार दुनियावी साल। ये सज़ा है एक नमाज़ को उसके मुकर्रर वक्त के बाद अदा करने की। हमें उस सज़ा का ख्याल करने की कोशिश करनी चाहिए जो कभी नमाज़ न अदा करने पर मिलेगी।”

हमारे पैग़म्बर 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ने फरमाया: (नमाज़ यकीन का महाराबदार पत्थर है। वो जो नमाज़ अदा करता है अपना यकीन तामीर करता है। वो जो नमाज़ अदा नहीं करता वो अपना यकीन मिसमार कर देता है।) आपने एक हदीस-ए शरीफ़ में फरमाया: (इंसाफ़ वाले दिन, ईमान के बाद पहला सवाल नमाज़ के ऊपर होगा।) अल्लाह तआला ने वाज़ेह किया: (ए मेरे बंदे, अगर तू नमाज़ के ऊपर अपना खाता दे रहा है, तो तेरी हिफ़ाज़त है। मैं तेरे दूसरे खाते आसान कर दूँगा!) दर हकीकत, कुरआन अल-करीम की सुरत-उल-अंकबूत की पैतालिसवीं आयत से वाज़ेह है: (एक नमाज़ की इबादत मुकम्मल तौर पर अदा की गई आदमी को पक्के तरीके से फहशा (गंदा) और मुंकर (नाज़िवा हरकात) करने से बचाती हैं। हमारे पैग़म्बर (अलैहिस्सलाम) ने फरमाया: “एक वक्त जब आदमी अल्लाह से करीब होता है वो वक्त है जब वो नमाज़ अदा कर रहा हो।”

वहाँ पर दो तरह के मुसलमान हैं जो नमाज़ के मुकर्रर वक्त में उसे अदा नहीं करते: 1- उसका उसे किसी उज़र की वजह से न अदा कर

पाना। 2- अपनी सुस्ती की वजह से नमाज़ छोड़ना, अगरचे उसे मालूम है के नमाज़ उसका फर्ज़ है और उसे सबसे ज़्यादा इज़्जत वाला है।

जो नमाज़ फर्ज़ है उसे छोड़ना एक बड़ा गुनाह है। ये गुनाह माफ़ नहीं होता जब एक शख्स इसकी कज़ा अदा करता है। जब वो कज़ा अदा करता है, तो नमाज़ छोड़ने का गुनाह माफ़ कर दिया जाता है। वो शख्स सिर्फ़ पछतावे के साथ माफ़ नहीं किया जाता, जब तक के वो छोड़ी हुई नमाज़ों की कज़ा अदा न करले। ये उम्मीद और आस की जाती है के उसे माफ़ कर दिया जाएगा अगर वो कज़ा अदा करने के बाद नदामत महसूस करले। उसे उन नमाज़ों की कज़ा अदा करनी चाहिए जो उसने अदा नहीं की हैं जब की पछता रहा हो अगर एक शख्स कज़ा नहीं करता जबकि वो ऐसा करने के काबिल हो, तो वो एक और बड़ा गुनाह करता है। ये बड़ा गुनाह बुराई में दो गुना बढ़ जाता है, वक्त के हर लम्हे जो आराम में बीता जिसमें एक शख्स ने कज़ा अदा की, जिसमें करिवन छः मिनट लगे। इस वजह से, ख़ाली वक्त में फ़ौरन कज़ा नमाज़ अदा करना फर्ज़ है। वो जो छोड़ी हुई नमाज़ों की कज़ा अदा करने को अहमियत नहीं देते वो हमेशा के लिए दोज़ख़ की आग में जलेंगे। **उमदत-उल-इस्लाम** और **जामि-उलफ़त्तावा** किताबों में लिखा है: “दुश्मन से बराहारास्त आमना सामना वाले हालात में, एक नमाज़ को छोड़ना जबकि उसे अदा करना मुमकिन हो, वो ऐसा ही है जैसे सात सौ बड़े गुनाह करना।”

कज़ा को टालने का गुनाह उस गुनाह से ज़्यादा है जो नमाज़ को उसके मुकर्रर वक्त में अदा करने से होता है। एक बार एक शख्स कज़ा अदा करले पिछली नमाज़ की जो छोड़ी हुई थीं, तो सारे गुनाह जो कज़ा को मुल्लवी करने से सज़ा के तौर पर मिले (वो पिछली नमाज़ की इबादत जो छोड़ी गई) उतने लम्बे वक्त के लिए (यानी सही वक्त से पहले इसे अदा कर लिया जाता), तो सब माफ़ कर दिए जाते हैं।

वज़ाहतः (क्या सुन्नत की जगह कज़ा नमाज़ों को अदा करने की इजाज़त है?)

हज़रत अब्दुलकादिर-ए जीलानी ने अपनी किताब (फुतूह-उल-ग़ैएब) में कहाः एक ईमान वाला पहले फ़र्ज करता है। जब फ़र्ज पूरे हो जाते हैं तो सुन्नतों को पूरा करना चाहिए। उसके बाद वो नफ़िल पर जाए। ये बेवकूफी है के सुन्नत अदा करना जबकि एक शख्स पर फ़र्ज का कर्ज़ हो। उस शख्स की सुन्नतें कुबूल नहीं की जातीं जिस पर फ़र्ज का कर्ज़ हो। अली इबनि अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्ह ने ख़बर दीः रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने फरमायाः (अगर एक शख्स अपनी फ़र्ज नमाज़ें छोड़ता है और कज़ा का कर्ज़ है, तो उसकी नफ़िल नमाज़ें अदा करना बेकार है। जबतक के वो कज़ा अदा न करे। अल्लाह तआला उसकी नफ़िल नमाज़ें कुबूल नहीं करेगा।) हन्फ़ी मसलक के आलिमों में से एक अब्दुलहक-ए दहलवी ने इस हदीस को समझाया जो अब्दुलकादिर-ए जीलानी के ज़रिए मंदरजाज़ेल बताई गईः (ये जानकारी ये बताती है के उनकी सुन्नतें और नफ़ली नमाज़ें कुबूल नहीं होतीं जिन पर फ़र्जों की कज़ा बाकी हो। ये हम जानते हैं के सुन्नतें फ़र्ज को तसलीम करती हैं। इसका मतलब है के फ़र्ज अदा करते वक़्त, अगर कोई चीज़ छूट जाए जो के असल में फ़र्ज को कमाल पर पहुँचाती है, फिर सुन्नतें फ़र्ज को जोकि अदा की गईं उनको कमाल पर पहुँचाने का सबब बनती है। एक शख्स की नामंज़ूर सुन्नतें जिस पर फ़र्ज का कर्ज़ हो वो किसी लायक नहीं है।)

मुहम्मद सादिक एफ़्दि, जो (तब) ज़रूसलेम के काज़ी थे, उन्होने रसमी नमाज़ों की फ़ाइता की कज़ा के बारे में जानकारी देते हुए कहाः “बड़े आलिम इबनि नुज़ैम से पूछा गयाः (अगर एक शख्स अपनी कुछ इवादातों की नमाज़ें कज़ा के लिए छोड़ दे और अगर वो सुबह की, जुहर की, असर की,

मगरिब और इशा नमाज़ों की सुन्नतें अदा करता है इस नीयत के साथ के वो उनकी कज़ा अदा करेगा, तो क्या वो सुन्नतें छोड़ दे?) उनका जवाब था: (उसे सुन्नत नहीं छोड़नी। रोज़ाना की पाँच वक्त की नमाज़ों की सुन्नतों को अदा करने के मकसद में हर नमाज़ के वक्त के फ़र्ज़ के अलावा नमाज़ अदा करनी होगी। शैतान तुम्हें हमेशा नमाज़ अदा करने से रोकता है। फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा एक और नमाज़ अदा करने से तुम शैतान का मुकाबला कर सकते हो, बेइज़्जती कर सकते हो। सुन्नत अदा करने के बजाए कज़ा अदा करने से, तुम सुन्नतें भी अदा कर सकते हो। सुन्नत पूरी करने के लिए, हर नमाज़ की वक्त के फ़र्ज़ के अलावा एक और नमाज़ अदा करनी चाहिए, जिनकी कज़ा के कर्ज़ बचे हों उन्हें कज़ा अदा करनी चाहिए। बहुत सारे लोग बजाए कज़ा के सुन्नतें अदा करते हैं। वो दोज़ख में जाएंगे। लेकिन एक शख्स जो बजाए सुन्नतों के कज़ा अदा करता है वो दोज़ख से बच जाता है।)

कज़ा नमाज़ें कैसे पढ़ें?

एक शख्स को अपनी छोड़ी हुई नमाज़ों की कज़ा अदा करनी चाहिए और इस बड़ी सज़ा से बचने के लिए तौबा करनी चाहिए। इस वजह से, एक शख्स को रोज़ाना की पाँच वक्त की सुन्नतें अदा करनी चाहिए कज़ा नमाज़ों को अदा करने की नीयत के साथ। वो जो अपने आलसी पने की वजह से नमाज़ अदा नहीं करते, और वो जिन पर सालों की नमाज़ों का कर्ज़ है, जब वो अपनी रोज़ाना की पाँच वक्त की नमाज़ को पढ़ना शुरू करते हैं, तो रोज़ाना की पाँच नमाज़ की इबादतों की सुन्नत के साथ मुतफ़िक होते हैं, तो अपनी पिछली (छोड़ी हुई या खोई हुई) रोज़ाना की फ़र्ज़ की कज़ा की नीयत (इरादा) करें उस वक्त की नमाज़ के वक्त के साथ तअल्लुक रखते हुए जिस में वो अदा कर रहे हों। सारे चारों मसलक इस बात पर एक राए हैं के वो अपनी सुन्नतें कज़ा नमाज़ की नीयत करते हुए अदा कर सकते हैं। हम्फी

मसलक में ये बहुत बड़ा गुनाह है के एक नमाज़ (जोकि फ़र्ज़ है) को कज़ा (यानी उसे छोड़ना) अदा करने के तौर पर छोड़ना बग़ैर उज़र के। ये बड़ा गुनाह दुगना हो जाता है हर ख़ाली वक़्त के गुज़रने के साथ जोकि ज़्यादा लम्बा हो जाए नमाज़ अदा करने के लिए। इस लिए अपने ख़ाली वक़्त में जितना जल्दी मुमकिन हो सके नमाज़ की कज़ा अदा कर दी जाए ये फ़र्ज़ भी है। इस ख़ौफ़नाक गुनाह से पीछा छुड़ाने के लिए, जोकि न तो गिना या नापा जा सकता है, और इसके अज़ाब से बचने के लिए, ये ज़रूरी है के जुहर को नमाज़ की पहली सुन्नत को अदा किया जाए, जिसमें चार रकाअत हैं, ये नीयत करते हुए भी के पिछली जुहर की नमाज़ की फ़र्ज़ की कज़ा भी अदा कर रहे हो जो तुमने अदा नहीं की थी। जब तुम अस्त्र की नमाज़ की सुन्नत अदा कर रहे हो तो तुम इस नीयत के साथ के अस्त्र की पिछली फ़र्ज़ नमाज़ों की कज़ा भी अदा कर रहे हो। जब तुम मग़रिब की नमाज़ की सुन्नत अदा कर रहे हो तुम पिछली मग़रिब की नमाज़ की तीन रकाअत फ़र्ज़ की कज़ा अदा करने की भी नीयत करलो। जब इशा की नमाज़ की पहली सुन्नत अदा करो, तुम इसकी भी नीयत करलो के तुम इशा की पिछली फ़र्ज़ की कज़ा की भी अदाएंगी कर रहे हो, और जब इशा की नमाज़ की आख़िरी सुन्नत अदा करो तो तुम पिछली छोड़ी हुई वितर की नमाज़ की कज़ा अदा करने की भी नीयत करलो और तीन रकाअतें अदा करो। इस तरह हर दिन तुम एक दिन की कज़ा का कर्ज़ अदा करोगे। इसी तरह, जब तरावीह की नमाज़ अदा कर रहे हो तो तुम्हें कज़ा अदा करनी चाहिए ये नीयत करते हुए के तुम्हारी पिछली फ़र्ज़ नमाज़ का जो कर्ज़ है वो तुम अदा कर रहे हो। तुम ऐसा इतने सालों तक करते रहो जैसे के जितने साल तुमने अपनी नमाज़ें कज़ा के लिए छोड़ीं। कज़ा की नमाज़ें अदा करने के बाद तुम मामुल के मुताबिक सिर्फ़ अपनी सुन्नतें पढ़नी शुरू कर सकते हो। अगर एक शख्स के पास ख़ाली वक़्त है, तो उसे हर मौके पर अपनी कज़ा नमाज़ें अदा करनी चाहिए, और छोड़ी हुई नमाज़ों का कर्ज़ अदा करना चाहिए। अदा न की गई कज़ा नमाज़ों का गुनाह हर दिन एक गुना बढ़ता है।

छठा हिस्सा

वो जो नमाज़ नहीं पढ़ते

हज़रत अबू बकर-ए सिददीक रज़ी-अल्लाहु अन्ह ने कहा, के जब रोज़ाना की नमाज़ की इबादत का वक्त आता है, फरिश्तें कहते हैं, “ए आदम के बेटे, खड़े हो जा! नमाज़ अदा करके, आग को बुझाओ जो इंसानी मखलूक को जलाने के लिए बनाई गई है।” एक हदीस-ए शरीफ़ में ये बयान थाः (ईमान वाले और काफ़िर के बीच में जो फर्क है वो है नमाज़,) यानी, एक ईमान वाला नमाज़ अदा करता है, और काफ़िर नहीं। मुनाफ़िक, हालांकि, कभी इसे अदा करता है और कभी नहीं। मुनाफ़िक दोज़ख़ में सख़्त अज़ाब में मुवतला होंगे। अब्दुलाह इबन अब्बास रज़ी-अल्लाहु अन्ह, मुफ़सीरों के उस्ताद, ने कहा के उन्होने सुना के रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने फरमाया, (वो जो नमाज़ अदा नहीं करते जमा किए जाने वाले दिन अल्लाह तआला को गुस्से में पाएंगे।)

हदीस के इमामों ने एक राए से बयान दियाः (एक शख्स जो एक नमाज़ उसके मुकर्रर वक्त में जानबुझकर अदा न करें; यानी, अगर वो एक नमाज़ अदा न करने के लिए माफ़ी न मांगे जबकि उसका मुकर्रर वक्त खत्म हो गया हो, वो एक काफ़िर बन जाता है और अपनी मौत के दौरान एक काफ़िर बन जाता है।) उनका क्या होता है जो नमाज़ याद नहीं रखते या नमाज़ को एक फर्ज़ की तरह नहीं देखते? अहल अस सुन्नत के आलिमों ने एक इतफ़ाक राए से कहा, “इबादत (इबादतें) ईमान का हिस्सा नहीं हैं।” लेकिन नमाज़ के मामले में वहाँ एक इतफ़ाक राए नहीं है। फिकह के इमामों इमाम अहम इबन हंबल, इस्हाक इबन राहवेह, ‘अब्दुल्लाह इबन मुबारक, इब्राहिम नेहाई, हकीम

इबन हुतेबा, अय्यूब सहतियानी, दाऊद ताई, अबू बकर इबन शएबा और जुबेर इबन हर्ब और कई दूसरे बड़े आलिमों ने कहा के एक मुसलमान जो जानबुझकर नमाज़ छोड़ता है एक काफिर (बे-ईमान वाला) बन जाता है। फिर, ऐ मुसलमान भाई, कोई नमाज़ मत खोओ और गाफिल मत रहो; प्यार से इसे अदा करो! अगर अल्लाह तआला सज़ा देगा इन आलिमों के इजतिहाद के मुताबिक इंसाफ़ वाले दिन, तुम क्या करोगे?

हंबली मसलक में एक मुसलमान जो बगैर किसी उज़र के नमाज़ अदा नहीं करता वो मुरतदद की तरह मरेगा, और उसका जनाज़ा न ही धोया जाएगा या कफ़नाया जाएगा, न ही उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ाई जाएगी। उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में नहीं दफ़नाया जाएगा, और उसकी कब्र को शनाख़्रती नहीं बनाया जाएगा। उसे एक पहाड़ पर एक खोखल में डाला जाएगा।

शाफ़िई मसलक में, एक शख्स जो नमाज़ अदा न करने पर कायम रहता है वो एक मुरतदद नहीं बन जाता, बल्कि उसकी सज़ा मौत है। मालिकि मसलक इस मामले में शाफ़िई की तरह है।

हन्फ़ी मसलक में, उसे कैद कर दिया जाएगा जब तक के वो नमाज़ पढ़नी शुरू न करदे या खून निकलने तक मारा जाएगा।

वो जो पाँच चीज़ों को नहीं करता उसे पाँच चीज़ों से महरूम रखा जाएगा:

1- वो जो अपने माल में से ज़कात नहीं देगा उसे उसके माल में से कोई फ़ाएदा नहीं मिलेगा।

2- एक शख्स की ज़मीन और कमाई में से जो उसका अंश नहीं देता, तो वहाँ कुछ ज़्यादा नहीं बचता ।

3- एक शख्स के जिस्म से सेहत ग़ायब हो जाती है जो ख़ैरात नहीं देता ।

4- वो जो दुआ नहीं करता उसकी इच्छा उसे हासिल नहीं होती ।

5- वो जो एक नमाज़ अदा नहीं करना चाहता जब उसका वक्त आता है तो अपनी आख़िरी सांस में वो कलिमा-ए शहादत कहने में नाकाम रहता है ।

एक हदीस-ए शरीफ़ में ये वाज़ेह है: (अगर एक शख्स नमाज़ अदा नहीं करेगा अगरचे उसके पास कोई ठोस उज़र नहीं होगा, अल्लाह तआला उसे पन्द्रह किस्म के ताऊन देगा । उनमें से छः इस दुनिया में आएंगे, तीन मौत के वक्त, आएंगी, तीन कब्र में आएंगी, और तीन आएंगी जब कब्र से उठेंगे ।

दुनिया में छः ताऊन ये हैं:

1- वो जो नमाज़ अदा नहीं करेगा वो अपनी पूरी ज़िंदगी बरकत नहीं पाएगा ।

2- उसके पास खुबसूरती नहीं होगी, नरमाई उनके पास होगी जिन्हें अल्लाह तआला चाहेगा ।

3- उसे उसके किसी भी किए गए अच्छे काम का सवाब नहीं मिलेगा ।

4- उसकी दुआएँ कुबूल नहीं होंगी ।

5- उसे कोई पसंद नहीं करेगा ।

6- दुआएँ जो (दूसरे) मुसलमान उसे देंगे वो उसके लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगी।

अज़ाब की किस्में जो वो मरते वक्त झेलेगाः

- 1- वो नफरत, बदनुमा मुखालिफ़ तरीके से खल होगा।**
- 2- वो भूखा मरेगा।**
- 3- उसके पास ज़्यादा पानी होगा, वो दर्द भरी शिददत की प्यास से मरेगा।**

अज़ाब की किस्में जो वो कब्र में सहेगाः

- 1- कब्र उसे दबाएगी। उसकी हड्डियाँ आपस में घुस जाएंगी।**
- 2- उसकी कब्र आग से भर जाएगी, जो उसे दिन और रात जलाएगी।**
- 3- अल्लाह तआला एक बड़ा साँप उसकी कब्र में भेजेगा। वो दुनियावी साँपों की तरह नहीं होगा। वो उसे हर नमाज़ के वक्त रोज़ाना डसेगा। वो उसे किसी भी पल अकेला नहीं छोड़ेगा।**

अज़ाब की किस्में जो वो उठाए जाने पर सहेंगेः

- 1- अज़ाब के फरिश्तों जो उसे दोज़ख में ले जाएंगे, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे।**
- 2- अल्लाह तआला गुस्से के साथ उससे मिलेगा।**
- 3- उसका हिसाब बहुत सख्त तरीके से हिसाब किया जाएगा, और उसे दोज़ख में फेंक दिया जाएगा।**

जो नमाज़ अदा करते हैं उनके फ़ज़ाइल

यहाँ पर बहुत सारी हदीस-ए शरीफ़ हैं जो नमाज़ अदा करने के फ़ज़ाइल और उनके इनामात के बारे में बताती हैं जो उन्हें दी जाते हैं जो नमाज़ अदा करते हैं। अबदुलहक़ विन सेफ़उददीन दहेलवी के ज़रिए (इशाअत-उल-लेमआत) किताब में, उस हिस्से में जिसमें कुछ हदीस-ए शरीफ़ हैं जो नमाज़ की अहमियत के बारे में नशरोइशाअत हैं, उसका बयान है:

1- अबू हुरेरा “रज़ी-अल्लाहु अन्ह” ने वाज़ेह किया: रसूलुल्लाह “सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम” ने फरमाया: (पाँच रोज़ाना की नमाज़ें और जुमे की नमाज़ अगले जुमे तक गुनाहों के लिए कफ़ारा हैं और रमज़ान के रोज़ें अगले रमज़ान तक गुनाहों के लिए कफ़ारा हैं। वो उनके संगीन गुनाहों के लिए जो बड़े गुनाह करने से परहेज़ करते हैं माफ़ी की वजह बनते हैं। वो उन संगीन गुनाहों को- इस दौरान अदा किए गए- जो अल्लाह तआला के बंदों के हुकूक को शामिल नहीं करते उन्हें ख़त्म करते हैं। उनके लिए जिनके संगीन गुनाह माफ़ किए गए और ख़त्म किए गए, नमाज़ पँचगाना और नमाज़ें जुमा बड़े गुनाहों की सज़ा को हल्का करने का सबब बनती हैं। ये ज़रूरी है के बड़े गुनाहों को माफ़ किए जाने के लिए तौबा की जाए। अगर किसी के कोई संगीन गुनाह नहीं है, तो वो उसे ऊँचे दरजे/मरतबे पर पहुँचा सकती है। ये हदीस-ए शरीफ़ (मुस्लिम) किताब में लिखी हुई है। जुमे की नमाज़ें एक शख्स को जिसे पँचगाना नमाज़ें अदा करने की कमियाँ हो उसे माफ़ी दिला सकती हैं। अगर उसकी जुमे की नमाज़ों में भी कमियाँ हों तो, उसके रमज़ान के रोज़ें उसकी माफ़ी की वजह बनते हैं।

2- अबू हुरेरा “रज़ी अल्लाहु अन्ह” ने दोबारा वाज़ेह किया: रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने फरमाया: “अगर एक शख्स के घर

के सामने एक दरिया हो और अगर वो रोज़ाना पाँच वक्त अपने आपको इसमें धोए, तो क्या कोई गंदगी उसपर रहेगी?” असहाब-ए किराम ने जवाब दिया: “नहीं, या रसूलुल्लाह, वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा।” आपने फरमाया: “पँचगाना नमाज़ें इसी तरह हैं। अल्लाह तआला उनके काबिले माफी गुनाह खत्म कर देता है जो रोज़ाना पाँच नमाज़ें अदा करते हैं।” ये हदीस-ए शरीफ़ [बुख़ारी और मुस्लिम] किताबों में लिखी हुई है।

3- अबदुल्लाह इबन मसूद “रज़ी-अल्लाहु अन्ह” ने कहा के एक आदमी ने एक ना-महरम औरत को चूमा। यानी, जबकि एक शख्स अनसार में से ख़जूरें बेच रहा था, एक औरत कुछ ख़रीदने आई, उस शख्स की जन्सी जज़वा जाग गया। उसने उससे कहा: “इससे अच्छी घर पर हैं। मेरे साथ आओ ताकि मैं तुम्हें वो ख़जूरें दे दूँ।” जब वो घर पर आ गए, उसने औरत को गले लगाया और चूमा। औरत ने कहा: “तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह तआला का ख़ौफ़ करो!” उसे नदामत हुई। वो रसूलुल्लाह के पास आया और आपको बताया के उसने क्या किया। रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। आप अल्लाह तआला की तरफ़ से वही [पिग़ाम] का इंतज़ार कर रहे थे। फिर, उस शख्स ने रस्मी नमाज़ पढ़ी। अल्लाह तआला ने सूरह हूद की एक सौ पन्द्रहवीं आयत भेजी जिसका मतलब है: “दिन के दो तरफ़ नमाज़ अदा करो और जब सूरज ढल जाए। बेशक, अच्छे काम बुरे कामों को खत्म कर देते हैं।” दिन के दो तरफ़ से पहले और दोपहर के बाद है। यानी, सुबह, दोपहर और देर दोपहर की नमाज़ें। नमाज़ें जो दिन की रोशनी के नज़दीक है वो मगरिव और इशा की रस्मी नमाज़ें हैं। इस आयत-ए करीमा में, ये बताया गया है के पँचगाना नमाज़ें जो रोज़ाना अदा की जाए जो गुनाहों की माफी की वजह बनते हैं। उस शख्स ने पूछा: “या रसूलुल्लाह! क्या ये खुशी की ख़बर सिर्फ़ मेरे लिए है, या, सारी उम्मत [कौम] के लिए है? आपने

फरमायाः “ये मेरी सारी उम्मत के लिए है।” ये हदीस-ए शरीफ़ दो किताबों जिन्हें सहीहेन [बुखारी और मुसलिम] कहते हैं में लिखी हुई है।

4- अनस बिन मालिक “रज़ी अल्लाहु अन्ह” ने कहाः “एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम” के पास आया और कहाः (मेने एक गुनाह कर दिया है जो हद्द की सज़ा से सज़ा पाएगा। मुझे हद्द सज़ा दिजिए!) रसूलुल्लाह ने उस शख्स से नहीं पूछा के उसने क्या गुनाह किया है। नमाज़ का वक्त आ गया। हमने एक साथ नमाज़ अदा की। जब रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने रसी नमाज़ पूरी कर चुके, वो शख्स खड़ा हुआ और बोलाः (या रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’! मेने एक गुनाह किया है जिसकी सज़ा हद्द की सज़ा से मिलनी चाहिए। मुझे सज़ा दिजिए ये अल्लाह तआला की किताब में हुकूम है! आपने पूछाः “क्या तुमने हमारे साथ नमाज़ अदा नहीं की?” उसने कहाः “हाँ, मेने की है।” आपने कहाः “उदास मत हो! अल्लाह तआला ने तुम्हारा गुनाह माफ़ कर दिया!” ये हदीस-ए शरीफ़ इस्लाम की दो बुनियादी किताबों सहीहेन [बुखारी और मुसलिम] में लिखी हुई है। उस शख्स ने सोचा मेने बड़ा गुनाह किया था जिसमें हद्द की सज़ा की ज़रूरत थी। हकीकत ये है के जब उसने नमाज़ अदा की तो उसे माफ़ कर दिया गया ये इस बात की तरफ़ इशारा करता है के वो असल में काबिले माफ़ी गुनाह था। या, उसका मतलब होगा (ताज़ीर) की सज़ा बजाए “हद्द” लफ़ज़ को इस्तेमाल करने के। दर हकीकत उसने हद्द की सज़ा पर ज़ोर नहीं दिया ये इस बात की तरफ़ इशारा करता है। [हद्द एक सज़ा है जिसका दर्जा इस्लाम में ज़ोर दे कर वाज़ेह किया गया है। ताज़ीर की बहुत सारी सज़ाएँ हैं; ये उतनी ही नाफ़िज़ की जाती हैं जितनी के इस्लामी जज ने हुकूम दिया हो। ताज़ीर का मतलब है के किसी को अच्छे चाल चलन का बनाना। इस्लाम में, इससे सज़ा देना हद्द से हल्की सज़ा देना है।]

5- अबदुल्लाह इबन मसूद “रज़ी-अल्लाहु अन्ह” ने कहा: “मैंने रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ से पूछा वो कौन सा काम है जो अल्लाह तआला सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने कहा: “रस्मी/फ़र्ज़ नमाज़ जो उसके मुकर्रर वक्त के अंदर ही पढ़ ली जाए।” दूसरी कुछ हदीस-ए शरीफ़ में ये इस तरह बयान था: “वो उस फ़र्ज़ नमाज़ को ज़्यादा पसंद करता है जो उसके मुकर्रर वक्त के शुरू में ही पढ़ ली जाए।” मैंने कहा “उसके बाद, कौन सी उसे सबसे ज़्यादा पसंद है?” आपने फरमाया: “अपने वालदेन पर महरबानी करना।” मैंने कहा “इसके बाद, कौन सा काम उसे सबसे ज़्यादा पसंद है?” आपने फरमाया: “अल्लाह की राह में जिहाद करना।” ये हदीस-ए शरीफ़ दो सहीह [(बुख़ारी) और (मुसलिम)] किताबों में, ये हवाला दिया गया है: “सब कामों से अच्छा है किसी को खाना देना।” एक दूसरी हदीस-ए शरीफ़ में, इस तरह बयान है: “सलामों के साथ अदब को फैलाओ।” एक दूसरी हदीस-ए शरीफ़ में, इस तरह बयान है: “रात में नमाज़ अदा करना जबकि सब सो रहे हों।” एक दूसरी हदीस-ए शरीफ़ में, ये इस तरह बयान है: “सबसे कीमती काम वो है के कोई तुम्हारे हाथ और/जुबान से ज़ख्मी न हो।” एक हदीस-ए शरीफ़ में, ये बयान है: “सबसे कीमती काम जिहाद है।” एक हदीस-ए शरीफ़ में, ये बयान है: “सबसे कीमती काम हज-ए मबरूर है।” यानी; एक हज अदा करना बग़ैर कोई गुनाह किए हुए। ये भी हदीस-ए शरीफ़ है के, “ये है के अल्लाह तआला को याद करो” और “ये है लगातार पाक काम करते रहो।” बहुत सारे जवाबात दिए गए हैं जिन्होंने पूछा उनकी हालतों को देखते हुए। या, वक्त के हिसाब से जवाब दिया गया। मिसाल के तौर पर, इस्लाम के शुरू में, सबसे आला और कीमती काम जिहाद था। [हमारे वक्त में, सबसे कामों में अफ़ज़ल काफ़िरों और लामज़हबी लोगों की नशरों इशाअत का जवाब देना है अहल-ए सुन्नत के उसूलों को फैलाकर। वो जो माली तौर पर या अपने माल के ज़रिए इस तरह मदद करते हैं, उनकी जो जिहाद कर रहे हैं, तो वो भी उनके ज़रिए कमाए गए सवाब में हिस्सेदार होंगे। आयत-ए करीमा, हदीस-ए

शरीफ़ ये बताती हैं के नमाज़ ज़कात और ख़ैरात से ज़्यादा अहम है। अगरचे, एक मरते हुए शख्स को कुछ देना और इस तरह उसको बचाना नमाज़ अदा करने से ज़्यादा कीमती है। इस तरह, मुख्तलिफ़ हालतों और वाक्यात में, मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़्यादा कीमती बन जाती हैं।]

6- ज़ाविर बिन अबदुल्लाह ने बताया: रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ने फरमाया: (आदमी और कुफ़्र के बीच में हद नमाज़ को छोड़ देना है।) इस लिए, नमाज़ एक परदा है जो आदमी को काफ़िर बनने से रोकता है। अगर ये परदा हट जाए, तो आदमी कुफ़्र में फिसल जाता है। ये हदीस-ए शरीफ़ (मुसलिम) किताब में लिखी हुई है। ये हदीस-ए शरीफ़ दिख़ाती है के नमाज़ को अदा करना छोड़ना बहुत गलत है। बहुत सारे असहाब-ए किराम का कहना है के वो जो बग़ैर उज़र के नमाज़ छोड़ता है एक काफ़िर बन जाता है। शाफ़िई और मालिकी मसलकों में, वो एक काफ़िर नहीं बनता, अगरचे, ये वाजिब है के उसे कल्ल कर दिया जाए। हन्फ़ी मसलक में, उसे मारा जाए और कैद कर लिया जाए जब तक के वो नमाज़ शुरू न करदे।

7- उवएद बिन सामित "रज़ी-अल्लाहु अन्ह" ने कहा: रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ने फरमाया: "अल्लाह तआला ने नमाज़ अदा करने का अहक़ाम दिया है। अगर एक शख्स बग़ैर नुक़स के बुज़ू करता है और उनके मुकर्रर वक्त में अदा करता है, और अगर वो अपने रूकू और खुशुअ पूरे करता है, अल्लाह तआला वादा करता है के वो उस शख्स को माफ़ कर देगा। वो ये वादा उनसे नहीं करता जो ये चीज़ें नहीं करता। अगर वो चाहे तो वो उसे माफ़ कर सकता है। अगर वो चाहे तो उसे वो अज़ाब दे सकता है।" इमाम-ए अहमद, अबू दाऊद और नेसाई ने इस हदीस-ए शरीफ़ को बताया। ऐसा देख़ा गया है, ये ज़रूरी है के नमाज़ के रूकू और सज्दों की हालतों को देख़ा जाए। अल्लाह तआला अपने वादे से मुंकर नहीं होते। वो बेशक उन्हें माफ़ कर देगा जो अपनी फ़र्ज़ नमाज़ें सही अदा करते हैं।

8- हज़रत अबू इमाम-ए बाहिली “रज़ी-अल्लाहु अन्ह” ने बताया: “रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: “अपनी पँचगाना नमाज़ें अदा करो! अपने एक महीने में रोज़े रखो! अपने माल की ज़कात दो! अपने हुकाम की फरमावरदारी करो। अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओ।” ऐसा देखा गया है, एक मुसलमान जो रोज़ाना पाँच वक्त की नमाज़ें अदा करता है और जो रमज़ान के महीने में रोज़ें रखता है और जो अपनी जाएदाद में से ज़कात देता है और जो हुकाम के ज़रिए दिए गए हुकूम को जो इस्लाम के मुताबिक हों उन्हें माने जो ज़मीन पर अल्लाह तआला के खलीफ़ा हैं वो जन्नत में दाखिल होगा। ये हदीस-ए शरीफ़ इमाम-ए अहमद और तिरमज़ी से वाज़ेह हुई है।

9- बुरेदा-ए इस्लामी “रज़ी-अल्लाहु अन्ह”, असहाब-ए किराम में एक जाने माने लोग ने कहा: रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने फरमाया: “तुम्हारे और हमारे बीच में जो वादा है वो रस्मी/फ़र्ज़ नमाज़। वो जो फ़र्ज़ नमाज़ छोड़ता है वो काफ़िर बन जाता है।” ऐसा देखा गया है, ये समझ वाली बात है के एक शख्स जो फ़र्ज़ नमाज़ अदा करता है वो एक मुसलमान है। वो जो रस्मी/फ़र्ज़ नमाज़ को कोई अहमियत नहीं देता, वो जो इसे अदा नहीं करता क्योंकि वो इसे पहले फ़र्ज़ के तौर पर कुबूल नहीं करता तो वो एक काफ़िर बन जाता है। इमाम-ए अहमद और तिरमज़ी और नेसाई और इबन माजे ने ये हदीस-ए शरीफ़ बताई।

10- अबू ज़र-ए ग़िफ़ारी ने कहा: “पतझड़ के एक दिन के दौरान, हम रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ के साथ बाहर जा रहे थे।” पत्तियाँ झड़ रही थी। आपने एक पेड़ की दो शाख़े तोड़ लीं। उनकी पत्तियाँ फ़ौरन गिर गईं। आपने फरमाया: “ए अबू ज़र! जब एक मुसलमान अल्लाह तआला की रज़ा हासिल/जितने करने के लिए फ़र्ज़ नमाज़ अदा करता है, तो

उसके गुनाह इसी तरह झड़ जाते हैं जिस तरह इन शाखों की पत्तियाँ झड़ें।”
इमाम-ए अहमद ने इस हदीस-ए शरीफ की खबर दी।

11- जैद बिन खालिद जुहेनी ने कहाः रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने फरमायाः “जब एक मुसलमान अपनी फर्ज नमाज़ की दो रकाअत सही तरीके से अदा करता है, गहराई और आजिज़ अहतराम के साथ, तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।” यानी, अल्लाह तआला उस शख्स के सारे काबिले माफ़ी गुनाहों को माफ़ कर देता है। इमाम-ए अहमद ने इस हदीस-ए शरीफ की खबर दी।

12- अबदुल्लाह इबन अमर-इबनि आस ने कहाः रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने फरमायाः “अगर एक शख्स रस्मी/फर्ज नमाज़ अदा करता है, तो ये फर्ज नमाज़ उसके लिए हिसाब वाले दिन एक रौशनी बन जाएगी और ये उसे दोज़ख से बचाने का सबब बनेगी। अगर वो फर्ज नमाज़ अदा नहीं करता, तो ये एक रौशनी नहीं बनेगी और उसे निजात नहीं मिलेगी। वो कारून, फिरओन, हामान और उबेए बिन हलफ़ के साथ रहेगा” ऐसा देखा गया है, अगर एक शख्स रस्मी/फर्ज नमाज़ को उसके फराइज़ वाजिबात, सुन्नतें और अदाव को ध्यान में रखते हुए करता है, तो ये फर्ज नमाज़ उसे हिसाब वाले दिन रौशनी देने का वजह बनेगी। अगर वो इस तरह अपनी फर्ज नमाज़ को जारी नहीं रखता तो, वो ऊपर बताए गए काफ़िरों के साथ रहेगा। यानी, वो दोज़ख में सख्त अज़ाब झेलेगा। उबेए बिन हलफ़ मक्का में खुंगवार काफ़िर था। जंगे ओहद में, रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने इसे खुद कल्ल किया था। इमाम-ए अहमद और बएहकी और दारिमी ने इस हदीस-ए शरीफ को नशर किया।

13- अबदुल्लाह बिन शकीक, ताबिईन में से खास एक ने कहाः “असहाब-ए किराम “रज़ी-अल्लाहु अन्हुम” ने कहा के सब इबादतों में, सिर्फ़

फर्ज नमाज़ को छोड़ना कुफ़्र है।” तिरमज़ी ने इसकी ख़बर दी। अबदुल्लाह विन शकीक ‘उमर’, ‘अली’, ‘उस्मान’ और ‘आएशा’ “रज़ी-अल्लाहु अन्हुम” की हदीस-ए शरीफ़ बयान करते थे। वो 108ह में रहलत फरमा गए थे।

14- अबूदरजा “रज़ी-अल्लाहु अन्हु” ने कहाः “एक शख्स जिसे मैं बहुत चाहता था उसने मुझ से कहाः “चाहे अगर तुम्हें छोटे हिस्सों में बाँट दिया जाए, चाहे अगर तुम आग में जल जाओ, किसी भी चीज़ को अल्लाह तआला का शरीक खुदा न बनाना! फर्ज रस्मी नमाज़ों को मत छोड़ना! वो जो फर्ज रस्मी नमाज़ें छोड़ता है वो जानबूझकर इस्लाम को तर्क करता है! शराब मत पीना! शराब सब बुराईयों की चाबी है।” ऐसा देखा गया, वो जो फर्ज रस्मी नमाज़ें उनकी बेहुरमती करते हुए छोड़ते हैं वो एक काफ़िर बन जाता है। वो जो उन्हें काहली की वजह से छोड़े वो एक काफ़िर नहीं बनता। अगरचे, ये एक बड़ा गुनाह है। ये कोई गुनाह की बात नहीं है के फर्ज रस्मी नमाज़ों का मुकर्रर वक्त निकलने के बाद उन्हें अदा करना पाँच काबिले कुबूल उज़र की वजह से जो इस्लाम ने बताया है। शराब और सारी नशीली चीज़ें अकल को हटा देती हैं। वो बग़ैर अकल के कोई भी गुनाह कर सकते हैं।

15- अली “रज़ी-अल्लाहु अन्हु” ने बतायाः रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने फरमायाः (ए अली! तीन चीज़ों को करने में देरी मत करोः जब इसका वक्त आ जाए, तो रस्मी नमाज़ फौरन अदा करलो! जब भैय्यत तैयार हो जाए, उनकी (जनाज़ा) नमाज़ फौरन अदा करो! जब तुम एक लड़की का कुफ़व ढूँढ लो तो फौरन उसकी शादी करदो।) इमाम-ए तिरमज़ी रहिमा-हुल्लाहु तआला ने इस हदीस-ए शरीफ़ को बताया।

[ऐसा देखा गया है, ये ज़रूरी है के एक लड़की, या औरत की उसके कुफ़व से शादी कर दो, यानी, उसका हमसफ़र। कुफ़व का मतलब ये नहीं है के अमीर होना, बड़ी आमदनी होना। कुफ़व का मतलब है आदमी के लिए सालिह

[निक] मुसलमान होना, अहल-अस मुन्नत पर अकीदा होना, रस्मी नमाज़ अदा करना, नशीली चीज़ें न पीना, यानी, इस्लाम को मानना और एक कारोवार होना जिसके ज़रिए वो अपनी रोज़ी कमाता हो। वो जो सिर्फ़ दौलत जाएदाद चाहते हैं अपने दामादों से अपनी बेटियों को आफतों में डालते हैं। वो अपनी बेटियों को दोज़ख में फ़ैकते हैं। लड़की के लिए, वो रस्मी नमाज़ अदा करती हो, वो नंगे सिर, खुले बाजू बाहर नहीं जाती हो, और वो अकेली न छोड़ी जाए, चाहे उसका ना-मेहरम मर्द रिश्तेदार ही क्यों न हो।]

16- अबदुल्लाह बिन 'उमर "रज़ी-अल्लाहु अन्ह" ने बताया: रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ने फरमाया: (अल्लाह तआला उन्हें मंजूरी देता है जो अपनी रस्मी नमाज़ें फौरन अदा करते हैं जब उनका मुकर्रर वक्त शुरू होता है। वो उन्हें माफ़ कर देता है जो उन्हें उसके मुकर्रर वक्त के खालें पर अदा करें।) तिरमज़ी "रहिमा-हुल्लाहु तआला" ने इस हदीस-ए शरीफ़ का हवाला दिया।

शाफ़ि-ई और हंबली मसलकों में, ये अच्छा है के हर रस्मी नमाज़ उसका मुकर्रर वक्त शुरू होते ही पढ़ ली जाती है। मालिकी मसलक में भी यही कानून है। अगरचे, ये एक शख्स के लिए अच्छा है जो दोपहर की नमाज़ अकेले अदा कर रहा हो [यानी, एक शख्स जो जमाअत में एक इमाम की तकलीद नहीं कर रहा] के उसे मुकर्रर वक्त के शुरू होने में अदा न करे अगर मौसम बहुत गर्म हो। हन्फ़ी मसलक में, ये अच्छा है के सुबह और रात की नमाज़ें मुकर्रर औकात के शुरू में अदा न की जाएँ और ये अच्छा है के असर की नमाज़ अदा करना जब गर्मी कम हो जाए, अगर मौसम गर्म हो। [बहरहाल, ये अहतियात है दोपहर की नमाज़ इसके मुकर्रर वक्त के अन्दर अदा करली जाए जैसे के इमामेन की खबर के ज़रिए बयान किया गया और अस्र की नमाज़ और इशा की नमाज़ जब उसका वक्त शुरू हो तो अदा करली जाए इमाम-ए

आज़म के मुताबिक। ये अच्छा है। वो जो तकवा रखते हैं अपने हर काम में अहतियात बरतते हैं।

17- उमम-ए फरवा “रज़ी-अल्लाहु अन्ह” से बयान है: उन्होने रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ से पूछा सबसे अफ़ज़ल काम के बारे में। आपने फरमाया: “सब कामों में सबसे अफ़ज़ल रस्मी नमाज़ है जोकि उसके मुकर्रर वक्त के शुरू में अदा करली जाए।” इमाम-ए अहमद, तिरमज़ी और अबू दाऊद “रहिमा-हुमुल्लाह तआला ने इस हदीस-ए शरीफ़ की ख़बर दी। नमाज़ (रस्मी इबादत) सब इबादतों में सबसे अफ़ज़ल है। जब तक शख्स इसे इसके वक्त में शुरू होने के बाद फ़ौरन अदा करता है, तो ये ज़्यादा अफ़ज़ल हो जाती है।

18- आएशा “रज़ी अल्लाहु अन्ह” ने कहा: “मैंने दो बार रसूलुल्लाह को अपनी रस्मी नमाज़ उसके मुकर्रर वक्त के आख़िर में पढ़ते हुए नहीं देखा।”

19- हज़रत उमम-ए हबीबा “रज़ी-अल्लाहु अन्ह” ने ख़बर दी: रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने फरमाया: “अगर अल्लाह तआला का एक मुसलमान गुलाम बारह रकाअतें नमाज़ की ततव्वो से पढ़े, वो जो फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा हैं, तो अल्लाह तआला जन्नत में उसके लिए एक महल तामीर करेंगे।” ये हदीस-ए शरीफ़ (मुसलिम) किताब में लिखी हुई है। ऐसा देखा गया, रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने मुन्नत नमाज़ों को जो रोज़ाना की पाँच फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ अदा की जाती हैं उन्हें ततव्वो बुलाया, यानी नाफ़िला [ज़ाइद] नमाज़।

20- अबदुल्लाह बिन शकीक, ताविईन में खास एक ने कहा: मैंने ततव्वो, यानी नफ़िली, रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ की नमाज़ों के

वारे में हज़रत आएशा “रज़ी अल्लाहु अन्ह” से पूछा। उन्होंने कहा: “आप चार रकाअत पहले और दो रकाअत बाद में जुहर की नमाज़ के फर्ज़ के बाद, दो रकाअतें मगरिव और इशा की हर फर्ज़ के बाद, दो रकाअतें सुबह की नमाज़ के फर्ज़ से पहले पढ़ते हैं।” मुसलिम और अबू दाऊद “रहिमा-हुमल्लाहु तआला” ने इसकी ख़बर दी।

21- आएशा “रज़ी-अल्लाहु अन्ह” ने कहा: “नफ़िली इवादतें जो रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ जारी रखते थे सबसे ज़्यादा करना वो थी सुबह की नमाज़ की जाइद रस्मी इवादत।” ये ख़बर (बुख़ारी) और (मुसलिम) दोनों में लिखी है। ऐसा देखा गया, आएशा “रज़ी अल्लाहु अन्ह” ने कहा सुन्नत नमाज़ों के लिए जो रोज़ाना की पाँच फर्ज़ नमाज़ों के साथ अदा की जाती हैं उनके लिए नफ़िली कहा। इमाम-ए रब्बानी, मुजदददि-ए अलफ़-ए सानी, अहमद बिन अबदुलअहद फ़ारूकी सरहंदी, एक बड़े इस्लामी आलिम, मज़हबी आदमियों के रहनुमा, इल्हादियों और ला-मज़हबियों के ख़िलाफ़ अहल-ए सुन्नत के मज़बूत मुहाफ़िज़, एक आला मुजाहिद, जिन्होंने उस मज़हब को फैलाया जिसे अल्लाह तआला ने चुना, अपनी किताब (मकतूबात) की पहली जिल्द के उन्नतीसवें ख़त में लिखा जिसके बराबर इस्लाम में अभी तक नहीं लिखा गया:

वो काम जो अल्लाह तआला ने मंजूरी दिए वो हैं फर्ज़ और नाफ़िलें (जाइद इवादतें)। जब उन इवादतों से मुवाज़ना किया जाता है जो फर्ज़ हैं, तो नफ़िली इवादतों की कोई कीमत नहीं रह जाती। एक फर्ज़ को उसके मुकर्रर वक्त में कर लेना ज़्यादा कीमती है उन नफ़िली इवादतों को करने से जो बग़ैर रूके एक हज़ार सालों तक की गई हों। हर किसम की नाफ़िला, मिसाल के तौर पर नमाज़, ज़कात, रोज़ा, ज़िकर, फ़िकर (सोचना/असबाब) सब इसी तरह है इसके अलावा, फर्ज़ अदा करते वक्त, उसकी सुन्नतें या अदाब का ध्यान रखना कई गुना ज़्यादा कीमती है दूसरी नाफ़िलें करने से। सुबह की नमाज़

जमाअत से अदा करने के बाद हज़रत उमर, अमीर-उल-मोमिनीन “रज़ी-अल्लाहु अन्ह,” ने जमाअत को देखा और, देखा के एक रूकन उसमें से ग़ैर हाज़िर है, उन्होंने पूछा वो कहा है। उसके साथियों ने कहा, “वो हर रात नाफिली इबादत करता है। हो सकता है वो सो गया हो और जमाअत में न आ सक हो।” अमीर-उल-मोमिनीन ने कहा, “अगर वो पूरी रात सोता और सुबह की नमाज़ जमाअत से पढ़ता तो ज़्यादा बेहतर होता।” ऐसा देखा गया, के एक अदब को करना और फ़र्ज़ को अदा करते वक्त मकरूह को नज़रअंदाज़ करना कई गुना ज़्यादा कीमती है ज़िकर, तफ़क्कुर और मुराकबा (वाकफ़ियत) के। हाँ, अगर ये सब एक साथ ही जाए पूरे अदाब के साथ और मकरूहात को छोड़ते हुए, तो ये सब बेशक बहुत कीमती हैं। अगरचे, उनके बग़ैर वो किसी फ़ाएदे के नहीं हैं। इस वजह से, एक सोने के सिक्के की ज़कात देना हज़ारों सोने के सिक्कों को नाफिली ख़ैरात में देने से बहतर है। उस ज़कात के सिक्के को देते वक्त, उसके अदब का ध्यान रखा, मिसाल के तौर पर, अपने किसी नज़दिकी रिश्तेदार को दिया ये ज़्यादा कीमती है बनिस्वत नाफिली ख़ैरात देने के। [इसलिए, ये समझ आया के वो जो आधी रात के बाद नाफिली नमाज़ें अदा करना चाहते हैं उन्हें कज़ा नमाज़ें अदा करनी चाहिए। अल्लाह तआला के अहकाम (फ़र्ज़) कहलाए जाते हैं, उसकी मुमानियतें (हराम) कहलाई जाती हैं। हमारे पैग़म्बर के अहकाम (सुन्नत) कहलाए जाते हैं और मुमानियतें (मकरूह) कहलाई जाती हैं। ये सब एक साथ (अहकाम-ए इस्लामिया) कहलाती है। अच्छे अख़लाक रखना और लोगों पर महरबानी करना फ़र्ज़ है। वो जो यकीन नहीं रखता या जो किसी कानून को नापसंद करता है जो अहकाम-ए इस्लामिया से मुंसलिक है तो वो एक (काफ़िर) [यकीन न रखने वाला, मुशिरक, काफ़िर], (मुरतदद) [विदअती, मुंकरे दीन] बन जाता है। वो जो इन सब में यकीन रखता है वो (मुसलिम) कहलाता है। एक मुसलमान जो अपनी मुस्ती की वजह से इस्लाम की फरमावरदारी नहीं करती वो (फ़ासिक) कहलाती है। एक फ़ासिक जो फ़र्ज़ अदा नहीं करता या जो एक हराम करता है वो दोज़ख़ में

जाता है। कोई काम उस शख्स का, कोई सुन्नत उस शख्स की कुबूल नहीं की जाती। उनके लिए उसे कोई ईनाम नहीं मिलता। एक शख्स जो अपनी ज़कात नहीं देता, चाहे अगर वो एक सोने का सिक्का हो, तो कोई भी उसके अच्छे काम जो उसने लाखों खर्च करके किए कुबूल नहीं होंगे। कोई भी ईनाम उसे नहीं दिया जाएगा उसके मस्जिदें, स्कूल अस्पतालें बनवाने की वजह से या खैराती तंज़ीमों को मदद करने के लिए। एक शख्स की नमाज़ें तरावीह कुबूल नहीं होंगी अगर उसने इशा की नमाज़ अदा नहीं की है। वो काम इबादत के जो किए गए- फ़र्ज़ या वाजिब के अलावा दूसरे- वो **(नाफ़िला)** [जाइद] कहलाते हैं। सुन्नतें नाफ़िला इबादत हैं [इबादत के काम]। इस तारिफ़ के मुताबिक, वो जो क़ज़ा नमाज़ें अदा करते हैं वो जो सुन्नतें हैं उन्हें भी उसी वक्त में अदा कर सकते हैं। फ़र्ज़ अदा करने का ईनाम या हराम करने से परे रहने का ईनाम लाखों नाफ़िली इबादत करने से ज़्यादा है। एक शख्स जो एक फ़र्ज़ नहीं करता या जो एक हराम करता है वो दोज़ख़ में जलेगा। उसकी नाफ़िली काम उसे दोज़ख़ में जलने से नहीं बचा सकते। इबादात में जो तबदिलियाँ होती हैं वो **(बिदअत)** कहलाती हैं। एक बिदअत करना जबकि इबादत का काम कर रहे हो और ये इबादत को ख़ारिज करने की वजह बनता है। एक शख्स को उस इमाम की तकलीद करते हुए नमाज़ अदा नहीं करनी चाहिए जो फ़ासिक हो, मिसाल के तौर पर जिसकी बेटियाँ या बीवी अपने आपको बुरके में न रखें, या एक बिदअत रखने वाला हो, मिसाल के तौर पर जो इबादात में लाऊड स्पीकर का इस्तेमाल करे। एक शख्स को उस शख्स के वाअज़ को नहीं सुनना चाहिए, उसकी मज़हब पर बनाई हुई तकरीरों को नहीं सुनना चाहिए। एक शख्स को उसकी किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए। एक शख्स को लोगों को- चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन- मुसकुराते हुए चेहरे और मीठे लफ़्ज़ों के साथ मिलना चाहिए। एक शख्स को किसी के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। एक हदीस-ए शरीफ़ में, ये बयान है: **(एक बेवकूफ़ के साथ बहस न करो)**। इबादत के काम दिल की पाकी बढ़ाते हैं। गुनाह दिल का सियाह करते हैं, ये कोई फ़ैज़ नहीं

उठा पाते। ये हर मुसलमान के लिए फर्ज है ईमान, फराईज़, हराम के ज़रूरयात को याद करना। ये कोई जाईज़ उज़र नहीं है उसके लिए के वो उन्हें नहीं जानता। यानी, ये जानने की तरह है लेकिन उसको यकीन न करना।] (मकतूबात) किताब फ़ारसी जुवान में है। हज़रत इमाम-ए रब्बानी 1034हि [1624 ए.डी.] में सरहंद (इंडिया) में। उनकी तफ़सीली सवानेह हयात तुर्की किताबों (हक सोजुन वेसीकलारि), (सआदत-ए एबदिया) और (असहाब-ए किराम) और फ़ारसी किताब (बरकात) में लिखी है।

नमाज़ की हकीकी नोय्यत

हज़रत अबदुल्लाह दहलवी, एक आला इस्लामी आलिम, ने अपनी किताब (मकातिब-ए शरीफ़ा) के 85वीं खत में लिखा था:

हमें अल्लाह के पैग़म्बर ने जमाअत में नमाज़ अदा करने से और पूरी तमानीनत (अपने अज़ा को रूकू में, सज्दे में, क़ौमा में बेहरकत रखते हुए) और जल्सा में (दो सज्दों के बीच में थोड़ी देर बैठना) क़ौमा पूरा करने के लिए (रूकू के बाद सीधे और बेहरकत खड़े होना) रूकू के बाद (नमाज़ के दौरान झुकना) और दो सज्दों के दौरान जल्सा (फर्श पर झुकाना) के साथ अदा करने का हुकूम दिया। वहाँ पर आलिम भी हैं जिन्होंने कहा, और जल्सा फर्ज हैं। कादिहान हन्फ़ी मसलक के मुफतियों में से एक ने बताया के ये दो वाजिब हैं, के सज्दा-ए सहव वाजिब है जब एक शख्स दो में से कोई एक भूल जाए, वो जो उनको जानबूझकर छोड़े उसे नमाज़ दोबारा अदा करनी होगी। वो जो ये कहते हैं के ये सुन्नत-ए मुअक्किदा हैं वो ये भी कहते हैं के ये सुन्नतें हैं जो वाजिब के नज़दीक है। ये कुफ़्र है के सुन्नत को हल्का समझकर नज़रअंदाज़ करना, इसे ग़ैर अहम तजवीज़ करना है। मुख्तलिफ़ अलग किसम की केफ़ियात (हालतें) और हाल (जोशिली हालत) कियाम के दौरान (खड़े होने की हालत),

रुकू, कौमा, जलसा, सजदे, और बैठने की हालतें नमाज़ में खुशी हासिल होना। नमाज़ में हर तरह की इबादतें शामिल हो सकती हैं। कुरआन को पढ़ना, कहना मुव्हानल्लाह [जिसका मतलब है, “मैं अल्लाह को किसी भी नुक़्स रसूलुल्लाह की रूह के लिए सलवात कहना, इस्तग़फ़ार की दुआ पढ़ना (अल्लाह से माफ़ी की भीख़ माँगना) अपने गुनाहों के लिए, और जो चाहिए वो सिर्फ़ अल्लाह तआला से माँगना और सिर्फ़ उसी की इबादत करना, सब चीज़ें नमाज़ में शामिल हैं। पेड़, पौधे सीधे खड़े होते हैं जिस तरह नमाज़ में खड़े होते हैं। जानवर रुकू की हालत बयान करते हैं, और बेजान, ज़मीन पर फ़ैल जाते हैं, कअदा, बैठी हुई हालत को बयान करने के लिए नमाज़ में। वो जो नमाज़ अदा करता वो ये सारी इबादत करता है जो उनके ज़रिए की जाती है। मेराज की रात में नमाज़ अदा करना फ़र्ज़ किया गया। एक मुसलमान जो नमाज़ अदा करता है अल्लाह के प्यारे नबी की तकलीद की नीयत के साथ, उस रात मेराज के साथ ताज़ीम बख़्शी गई, वो बुलंद दर्जे पर पहुँच जाता है बुलंद किए गए पैग़म्बर की तरह।

वो जो संजीदगी के साथ नमाज़ अदा करते हैं, अल्लाह तआला की तरफ़ और उसके पैग़म्बर की तरफ़ अदब (इज़ज़त) रखते हुए, वो समझते हैं के वो खुद इन दर्जों तक पहुँच गए। इस उम्मत पर रहम करते हुए, अल्लाह तआला और उसके पैग़म्बर ने आला रहमतें उन पर नाज़िल कीं, और उनके लिए ये फ़र्ज़ कर दिया के नमाज़ अदा करे। हम और शुक्रिया हमारे अल्लाह को इन सब चीज़ों के लिए! हम अपने सलवात, तहियात (ताअज़ीना) और दुआएँ उसके प्यारे पैग़म्बर को भेजते हैं!

जो आराम और संजीदगी जब नमाज़ अदा करते हैं हासिल करते हैं वो कोई चीज़ सबसे अफ़ज़ल है। मेरे मुर्शिद [हज़रत मज़हर-ए जानान] ने कहा, “अगरचे ये नामुमकिन है के नमाज़ अदा करते वक्त अल्लाह तआला को देखना, कुछ हाल (जोशिली हालत) ऐसा हो जाता है जैसे उसे देख लिया हो।]

तसव्वुफ़ के वड़ो ने एक राए से वताया के ये हाल रोनुमा होता है। इस्लाम के आगाज़ में नमाज़ को कुदस (जेरूसलेम) की तरफ़ रूख़ करके अदा किया जाता है।

जब मुसलमानों को हुकूम दिया गया इसे बैत-उल मुकददस की तरफ़ से तर्क करने का और हज़रत इब्राहिम के किवले की तरफ़ घूमने का, तो मदीना के यहूदी नाराज़ हो गए और मज़ाक उड़ाकर कहने लगे, “तुम्हारी उन नमाज़ों का क्या होगा जो तुमने बैत-उल-मुकददस की तरफ़ अदा की?” सूरह बकरा की एक सौ तैतलिसवीं आयत नाज़िल हुई ये बताने के लिए के: **“अल्लाह तआला तुम्हारा ईनाम ज़ाया नहीं करेगा!”** इसलिए इतलाह दी गई के नमाज़ बग़ैर ईनाम के नहीं छोड़ी जाएगी। नमाज़ को “ईमान” के लफ़ज़ के साथ वाज़ेह किया गया। इसका मतलब हुआ के नमाज़ को सुन्नत के साथ मौज़ू न अदा करना ईमान को ख़ोना है। हमारे आका रसूलुल्लाह ने फरमाया: **“नमाज़ में मेरे आख़ों की रोशनी और ज़ाएका है।”** इस हदीस का मतलब है, अल्लाह तआला ज़ाहिर है और महसूस किया जाता है नमाज़ में। इसलिए, मेरी आँखें आराम महसूस करती हैं। दूसरी हदीस से बयान है; **“ए बिलाल! मुझे आराम पहुँचा!”** जिसका मतलब है, “ए बिलाल, मुझे आराम/चैन दे अज़ान देकर और नमाज़ की इकामत कहकर।” एक शख़्स जो नमाज़ के अलावा किसी और चीज़ में आराम ढूँढता है वो कोई अच्छा नहीं है। वो जो ज़ाया करता है, छोड़ देता है नमाज़ों को वो हमेशा के लिए दूसरे इस्लामी कामों को भी खो देता है।

नमाज़ की खुबियाँ/फज़ाइल

इमाम-ए रब्बानी “रहमतुल्लाही अलैहि” ने अपनी किताब (मकतूबात) की पहली जिल्द के 261वें खत में इस तरह बयान किया: एक शख़्स को पूरी तरह जानना चाहिए के दीन की पाँच बुनियादों में से, नमाज़ इस्लाम के पाँच

सतूनों में से नमाज़ दूसरी है। ये अपने अंदर हर तरह की इबादतें रखती है। अगरचे ये इस्लाम का पाँच में से एक हिस्सा है, लेकिन ये अपने आप इस्लाम बन गई है। ये सब कामों में अक्वल हो गई है जो आदमी को अल्लाह तआला का प्यार हासिल करवाती है। रूयत की इज़्जत, जोकि दुनियाओं के मालिक, सारे नवियों अलैहि व अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम से अफ़ज़ल, मेराज की रात जन्नत में, आपको बख़्शी गई, दुनिया की हालत के मुताबिक, दुनिया में वापिस आने के बाद, वो सिर्फ़ नमाज़ नहीं थी। इसी वजह से आपने फरमाया: “नमाज़ ईमान वालों की मेराज है।” आपने एक दूसरी हदीस-ए शरीफ़ में फरमाया: “ये नमाज़ में ही होता है के आदमी अल्लाह तआला के नज़दीक होता है।” नमाज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो वो रूयत की किस्मत से हासिल करती है जो उन आला लोगों को मिलती है जो अपने आपको उसके तरीके, उसके रास्ते पर चलाते हैं। हाँ, अल्लाह तआला को इस दुनिया में देखना नामुमकिन है। दुनिया इसके काबिल नहीं है। लेकिन वो आला लोग जो आपकी तकलीद करते हैं वो रूयत के एक हिस्से की खुशी हासिल करते हैं। अगर वो हमें नमाज़ अदा करने का हुकूम नहीं देता, तो कौन इस अंजाम के खुबसूरत चेहरे से परदा उठाता? किस तरह प्यार करने वाले अपने प्यारे से मिलते? नमाज़ सारी परेशान रूहों को मज़ा देने वाली है। नमाज़ सारे दुखों को मदावा है। नमाज़ रूह की गिज़ा है। नमाज़ दिल का इलाज है। ये हदीस, “ए बिलाल, मुझे खुशी दो,” जो अज़ान का हुकूम देती है, इस हकीकत को बताती है, और ये हदीस, “नमाज़ मेरे दिल की खुशी, और मेरी आँख की पुतली है,” इस इच्छा की तरफ़ निशानदही करती है।

अगर कोई भी ज़ोक, वज्द, इल्म, मारिफ़ात, मकामात, नूर और रोशनियाँ, तलवीन और तमकीन दिल में, समझा जाने के लायक और नासमझे जाने के लायक तजलीस, काबिल और नाकाबिल जुहूर नमाज़ के बाहर वाक्या हुआ और अगर नमाज़ की अंदरूनी खसलत से कुछ महसूस न हो, तो जो कुछ

भी वाक्ये होगा वो गौर करने, रंगों से और दिखाई देने से ज़ाहिर होगा। शायद ये कुछ भी नहीं बल्कि एक वहम, एक धोका हो।

एक समझदार शख्स जो नमाज़ के अंदरूनी वस्फ़ को महसूस करता है, इस किस्म का होता है के इस दुनिया से बाहर चला गया और आखिरत में पहुँच गया, इस तरह आखिरत की बरकतों से वो कुछ हासिल कर लेता है।

वो आगाज़ से ज़ाएका और एक हिस्से का मज़ा हासिल करता है बग़ैर किसी वहम, गौर की मदाख़लत के। क्योंकि, सारे कमालात और बरकतें दुनिया में गौर और ज़ाहिरदारी से आते हैं। ये आखिरत के लिए अपनी मिसाल आप है उनके लिए बराहेरास्त इबतिदा से जारी होने के लिए बग़ैर किसी सायों और ज़ाहिरदारियों की मदाख़लत के। आगाज़ से हासिल होने के लिए, दुनिया में मेराज ज़रूरी है। ये मेराज ईमान वाले की नमाज़ है। ये रहमत सिर्फ़ इस उम्मत के लिए अनौग़री है। वो अपने नबी की फरमावरदारी करके इसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि, उनके नबी 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' इस दुनिया से बाहर गए और दूसरी दुनिया में दाख़िल हुए मेराज की रात में [रजब के मुबारक महीने की सत्ताइसवीं रात में]

आप जन्नत में दाख़िल हुए और रूयत (अल्लाह तआला को देखना) की किस्मत से नवाज़े गए। ए हमारे अल्लाह! उस आला नबी 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' पर रहमत हो, हमारी तरफ़ से महरबानी जो आपकी वड़ाई के लायक हो!

इसलिए, अपनी महरबानी, अच्छाई उन सारे दूसरे पैग़म्बरों आला नबीय्यना व अलैहिमुस्सलावातु वतसलीमात पर भी कर, क्योंकि उन्होने लोगों को तुझे जानने की और तेरा प्यार हासिल करने की दावत दी, और उन्होने लोगों को उस रास्ते की तरफ़ रहनुमाई की जो तुझे पसंद है।

तसव्वुफ़ के ज़्यादातर मानने वाले अपनी बीमारियों के लिए दवाई ढूँढते हैं दूसरी जगहों पर क्योंकि उन्हें नमाज़ की अंदरूनी सिफ़त का नहीं पता, क्योंकि उन्हें नमाज़ की अनौखी फ़ज़ाईल के बारे में नहीं बताया गया।

वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए दूसरी चीज़ों पर रोज़ा रखते हैं। उनमें से कुछ चाहे इस तरीके पर नमाज़ को अलैहदा समझते हैं, जैसे के मकसद के साथ इसको कुछ लेना देना नहीं। वो रोज़े को नमाज़ से अफ़ज़ल समझते हैं। दूसरे कुछ जो नमाज़ की अंदरूनी ख़सलत को नहीं समझते वो अपनी परेशानियों की तसल्ली के लिए और अपनी रूहों की तशफ़ी के लिए मौसिकी में सरमस्ती में, वेखुदी में आराम ढूँढते हैं। वो समझते हैं के प्यारे इन मौसिकी की तरंगों में छुपे हैं। इस वजह से, वो नाचते वक़्त रोज़ा रखते हैं। अगरचे उन्होने ये हदीस सुनी हुई है, “अल्लाह तआला ने हराम में कोई शिफ़ा देने वाला असर नहीं डाला।” हाँ, नोसख़िया तैराक जो डूबने वाला हो वो एक तिनका पकड़ता है। किसी भी चीज़ का प्यार आशिक को अंधा, बहरा कर देता है। अगर उन्हें नमाज़ के फ़ज़ाइल का कुछ ज़ाएक़ा मिल जाता, तो वो कभी मौसिकी के बारे में ज़िक़र नहीं करते, ना ही वो सरमस्ती के बारे में सोचते।

ए मेरे भाई! नमाज़ से हासिल कमाल और मौसिकी की वजह से उदासी दोनो एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर हैं जितना नमाज़ और मौसिकी के बीच का फ़ासला। वो जो ज़्यादा अकल वाला होगा वो इस जताने से नतीजा निकाल लेगा।

इबादत का मज़ा लेना और जब तुम इसे अदा कर रहे हो तो सुस्त महसूस न करो तो ये अल्लाह तआला की आला बरकतों में से एक है। खासतौर से, नमाज़ के ज़ाएक़े को चख़ना उनको हासिल नहीं होता जो ख़ात्मे तक न पहुँचे हों। फ़र्ज़ नमाज़ों के ज़ाएक़े को महसूस करना उनके लिए

अपनी मिसाल आप है जिन्होंने आखिर हासिल कर लिया हो। इस वजह से, उनके लिए जो ख़ात्मे के नज़दीक हों वो नाफ़िल नमाज़ों का मज़ा महसूस करते हैं। बहरहाल, आखिर में सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ों का मज़ा महसूस किया जाता है। आखिर में, नफ़िल नमाज़ों का कोई मज़ा नहीं रहता, फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करना बड़ी किस्मत की बात है।

[नफ़िल नमाज़ का मतलब है वो नमाज़ें जो न तो फ़र्ज़ है नही वाजिब। सुन्नतें जो रोज़ाना की पाँच वक्त की नमाज़ों के फ़र्ज़ नमाज़ के पहले और बाद में हैं और दूसरी ग़ैर-वाजिब नमाज़ें वो सब नफ़ली नमाज़ हैं। सारी सुन्नत नमाज़ें, चाहे मुअक्किद हों या ग़ैर-मुअक्किद वो सब नाफ़िला हैं]।

नमाज़ों से जो मज़ा महसूस होता है उसका नफ़स में कोई हिस्सा नहीं है। जबकि एक इंसानी मख़लूक इस ज़ाएक़ा का मज़ा लेती है, उनका नफ़स आहोज़ारी करता है और होता है। ए हमारे अल्लाह! कितना बड़ा दर्जा है ये! हमारे जैसे लोगों के लिए जिनकी रूहें बीमार हैं, ये एक बड़ी रहमत और एक सच्ची खुशी है इन लफ़ज़ों को सुनकर।

ये अच्छी तरह जान लो, के दुनिया में नमाज़ का दर्जा उस ऊँची सन्द के बराबर है के आख़िरत में अल्लाह तआला को देखना। इस दुनिया में, आदमी का अल्लाह तआला से कुरबत का वक्त वो है जब वो नमाज़ अदा करता है। आख़िरत में, ये वक्त है जब वो अल्लाह तआला को देखता है।

इस दुनिया में सारी किस्म की इबादतें आदमी को उस हालत में मोड़ने के लिए है जिसमे वो नमाज़ अदा कर सकता है। असली मक़सद नमाज़ अदा करना है। एक शख़्स लामहदूद खुशी और अबदी रहमतें सिर्फ़ नमाज़ अदा करके हासिल कर सकता है।

नमाज़ सारी दूसरी इबादतों और रोज़े से कीमती है। कुछ खास नमाज़ों टूटे दिलों को खुशी से भरती हैं। कुछ नमाज़ गुनाहों को तवाह करती हैं, आदमी को बुराई से परे रखती हैं। एक हदीस-ए शरीफ़ से वाज़ेह है: 'नमाज़ मेरे दिल की शादमानी है, ये खुशियों का ज़रिया है।' नमाज़ परेशान रूहों को मज़ा देने वाली है। नमाज़ रूह की गिज़ा है। नमाज़ दिलों का इलाज है। नमाज़ में कभी ऐसा वक्त आ जाता है के एक शख्स की ज़वान एक पेड़ की तरह हो जाती है जो मूसा अलैहिस-सलाम से बातें करती है।

इमाम-ए रब्बानी "रहमतुल्लाही अलैह" ने अपनी किताब (मकतूबात) की पहली जिल्द के दो सौ सड़सठ खत में लिखा:

वेशक ये ज़रूरी है के फिकह के उसूलों [यानी, काम या मुमानियतें जो हमारे मज़हब के ज़रिए हुकूम किए गए] को याद/सीखना चाहिए ईमान और एतिकाद को सही करके [अकीदे ईमान रखे जाएँ] एक शख्स को, जितना ज़्यादा उसकी हालात की ज़रूरत हो, फराईज़, वाजिबात, हलाल और हराम, सुन्नतें और मकरूहात और मुश्तवह चीज़ों को सीखना चाहिए और उसे इस इल्म के मुताबिक काम करना चाहिए। ये हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है के फिकह की किताबों में जो इल्म है उसे सीखें। [उनको जाने वगैर, एक शख्स मुसलमान नहीं हो सकता।] एक शख्स को अल्लाह तआला के अहकामात को करने की कोशिश करनी चाहिए और जो तरीका उसे खुश करे उसमें ज़िंदगी गुजारे। चीज़ें जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद हैं और उसने सबसे ज़्यादा हुकूम दिया है वो है पाँच वक्त की रोज़ाना की नमाज़ उसके मुकरर वक्त में अदा करना। नमाज़ मज़हब का सुतून है। मैं कुछ चीज़ें नमाज़ की अहमियत के बारे में बता रहा हूँ और किस तरह इसे अदा करते हैं। ग़ौर से सुनो! सबसे पहले, एक शख्स को रस्मी वुजू करना है जोकि पूरे तौर पर सुन्नत के लायक/मुताबिक हो [यानी, जो फिकह की किताबों में लिखा है।] एक शख्स अपने अज़ा को तीन बार धोने की तरफ़ खास ध्यान दे जेकि रस्मी वुजू करते वक्त धोना

चाहिए और उसके हर हिस्से को पूरे तरीके से धोना चाहिए। इस तरह, एक शख्स को रसमी वुजू ऐसे अदा करना चाहिए जो सुन्नत के मुकाबले हो। जबकि एक शख्स अपने सिर का मसह कर रहा हो, तो उसे अपने हाथों को पूरे सिर पर मलना चाहिए। एक शख्स को अपने कानों और गले का मसह भी अच्छी तरह करना चाहिए। पंजों के बीच में तखलील की जाए, [यानी, पंजों के बीच के हिस्सों को साफ करते वक्त], तो एक शख्स को अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली को पंजों के नीचे से फिराना चाहिए। एक शख्स को इस बात को अहमियत देनी चाहिए, उसे इस बात को ये कहते हुए नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए के ये मुस्तहब है। एक शख्स को मुस्तहबात को हल्का नहीं समझना चाहिए। ये चीज़ें हैं जो अल्लाह तआला को बहुत पसंद है। अगर ये पता चल जाते के खास काम जो उसे प्यारे हैं वो पूरी दुनिया को कुरबान करके अदा किए जा सकते हैं, तो जो कोई भी ऐसा करता वो बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा कमाता, इस तरह के एक कीमती हीरा हासिल करता टूटे हुए गुलदान के कुछ टुकड़ों के बदले में, या अपनी प्यारी मरी हुई जान को जिलाता मुड़ी भर चिकने पत्थरों के देने के बदले में।

नमाज़ ईमान वाले की मेराज [चढ़ाई] है। यानी, नएमतें जो हमारे पैग़म्बर “सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम” को मेराज की रात में बख़्शी गई वो आपकी उम्मत [कौम] के ज़रिए इसी दुनिया में चख़ ली जाएंगी वो भी सिर्फ़ नमाज़ के ज़रिए। आदमियों को कोशिश करनी चाहिए के फ़र्ज़ रसमी नमाज़ें जमाअत से अदा करें और उन्हें इमाम के साथ पहली तकवीर में शामिल होने का मौका भी नहीं छोड़ना चाहिए। [ये औरतों के लिए गुनाह से भरा है के मस्जिदों में आदमियों के साथ मिले जमाअत से नमाज़ अदा करने के लिए या उन लोगों को सुनने के लिए जो कुरआन अल-करीम की तिलावत करें या मक्लीद सुनने के लिए या खासतौर-जुमें की नमाज़ों में जाना सवाब कमाने के लिए।]

एक शख्स के लिए ये ज़रूरी है के नमाज़ों को उनके मुकर्रर औकात में अदा करें [और ये जानना के वो उनके मुकर्रर वक्त में अदा हो गई।] [जबकि अकेले, एक शख्स हर नमाज़ उसके मुकर्रर वक्त के शुरू में ही पढ़ले और एक शख्स असर और इशा की नमाज़ें इमाम-ए आजम की ख़बर के मुताबिक अदा करे। एक नमाज़ देर से अदा की गई, तो उसका ईनाम भी कम होगा। मुसतहब वक्त है नमाज़ को जमाअत में अदा करना, मस्जिद में जाने के लिए। अगर एक नमाज़ का मुकर्रर वक्त निकल जाए बग़ैर उसे अदा किए हुए, तो एक शख्स इस तरह गुनहगार हो जाएगा जैसे अगर उसने एक आदमी का कल्ल कर दिया हो। ये गुनाह माफ़ नहीं किया जा सकता उस शख्स के ज़रिए उस नमाज़ की कज़ा अदा करके भी। इस मामले में, सिर्फ़ उसका कज़ा अदा होता है। इस गुनाह को माफ़ किए जाने के लिए, एक शख्स को तौबा-ए न सूह या हज-ए मबरूर करना होगा। (इबन-ए आबिदीन)।]

नमाज़ में, एक शख्स को इतना कुरआन अल-करीम पढ़ना चाहिए जितना के सुन्नत है। हर हालत के नीचे, एक शख्स को रूकू और सज्दों में बेहरकत रहना है। क्योंकि, या तो ये फ़र्ज़ है या वाजिब। जब एक शख्स रूकू से सीधा होता है, तो उसे इतना सीधा खड़ा होना चाहिए के उसकी सारी हड्डियाँ अपनी कुदरती जगह पर हों। ये कहा जाता है के इसके बाद, एक लम्हे के लिए ऐसा खड़ा होना फ़र्ज़, वाजिब या सुन्नत है। इसी तरह, दो सज्दों के बीच में बैठने का वक़फ़ा है। एक शख्स को हर हालत में इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। रूकू और सज्दों में कम अस कम तीन बार तसबीहात पढ़नी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उनका नम्बर सात या ग्यारह हो सकता है। इमाम के लिए, ये जमाअत की हालत पर मुनहसिर करता है। एक मज़बूत आदमी के लिए कितने शर्म की बात है, के जबकि वो किसी मुशिकल में न हो, तसबीहात को उसके कम से कम नम्बर पर पढ़ना, जबकि वो नमाज़ अकेले पढ़ रहा हो [जमाअत में इमाम के साथ शरीक न हो]। एक शख्स को उसे कम से कम पाँच

बार कहना चाहिए। जबकि सज्दा कर रहे हो, तो एक शख्स को पहले अपने वो अज़ा ज़मीन पर रखने चाहिए जो ज़मीन के नज़दीक हों। इसलिए, सबसे पहले घुटनों, फिर हाथों को, फिर नाक को और आखिर में माथे को ज़मीन पर रखना चाहिए। सज्दे से उठते वक़्त, जो अज़ा ऊपरी सतह पर हों उन्हें पहले उठाना चाहिए। इसलिए, सबसे पहले माथे को उठाना चाहिए। जब एक शख्स खड़ा हो, तो उसे अपने सज्दे की जगह पर देखना चाहिए, जब एक शख्स रूकू में हों तो उसे अपने पैरों को देखना चाहिए, जब एक शख्स सज्दे में हो उसे अपनी नाक की नौक को, देखना चाहिए, और जबकि वो बैठा हुआ हो तो उसे अपने हाथों या अपने पेट को देखना चाहिए। अगर एक शख्स इन सब जगहों को देखता है जो मैंने बताई हैं और आँखें इधर उधर न घूमी हों, तो नमाज़ जमाअत के साथ अदा की गई। यानी, दिल भी दुनियावी सोचों से ख़ाली हो। खुशूअ [गहरा और आजिज़ अदब] हासिल हुआ। दरहकीकत, हमारे पैग़म्बर “सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम” ने ऐसा फरमाया था। रूकू के वक़्त उंगलियों को खोलना और सज्दों के वक़्त उन्हें बंद कर लेना सुन्नत है। एक शख्स इन दोनों की तरफ़ भी ध्यान देना चाहिए। उंगलियों को खोलना या बंद करना बग़ैर वजह के नहीं है, ना ही ख़ाली चीज़ है। इस्लाम के मालिक [यानी, हमारे पैग़म्बर “सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम”] उनके फ़ायदों को सोचते हुए ऐसा करते थे। हमारे लिए, इससे बड़ा फ़ाएदा कोई नहीं के इस्लाम के मालिक “अलैहिस्सलेवातु वसल्लाम” की तकलीद की जाए। ये चीज़ें जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ आगे बढ़ाने के लिए, तुम से तकाज़ा कर रहा हूँ इन चीज़ों को करने के लिए जो फिकह की किताबों में बताई गई हैं। अल्लाह तआला हमें और तुम्हें इन पाक चीज़ों को हासिल करके करने के काबिल बनाए जो इस्लाम के मालिक के ज़रिए दिखाई गई। सब से अफ़ज़ल, सब नबियों से बहतर “अलैहि व अलैहिम व अला आलि कुल्लिन मिनससलेवाति अफ़ज़ालुहु व मिनततसलीमाति अकमलुहु,” वो मेरी इस दुआ को कुबूल फरमाए! आमीन।

इमाम-ए रब्बानी “रहमतुल्लाही अलैह” ने अपनी किताब (मकतूबात) की दूसरी जिल्द के उन्सठवें खत में लिखाः

“अल्लाह तआला पर हम्द हो! सलाम हो [अदाव] और उसके गुलामों पर आसानी हो जिन्हें वो चुने और वो चाहे प्यार करे! तुम्हारा खत पहुँच गया। ये समझ आ गया के हमारे दोस्तों ने सीधा रास्ता नहीं छोड़ा और हम खुश हैं। अल्लाह तआला तुम्हारे वस्फ को जो सही है और तुम्हारे सही रास्ते पर कयाम को और ज़्यादा बढ़ाए! “हम और हमारे दोस्त उस फर्ज को जारी रखे हुए हैं जो आपने हमें सोंपी थी। हम हर दिन पाँच वक्त की नमाज़ें पचास से साठ लोगों तक की जमाअत से अदा कर रहे हैं,” आप बताइए। अल्लाह तआला पर सारी हमद-ओ सना इसके लिए! कितनी बड़ी नएमत है ये के दिल अल्लाह तआला के साथ है और जिस्म, एक साथ सारे अज़ा के साथ शरीअत [इस्लाम] के उमूलों को करना और खुबसूरत बनाता है। उन औकात में, ज़्यादातर लोग नमाज़ अदा करने में सुस्त हैं। इस वजह से, इस मामले में, मेरे प्यारों, मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ। गौर से सुनो! हमारे पैग़म्बर “सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम” ने फरमायाः “सबसे बुरा चोर वो है जो अपनी ही नमाज़ में से चोरी करे।” उन्होने पूछा, “या रसूलुल्लाह! किस तरह एक शख्स अपनी नमाज़ में से चुरा सकता है?” आपने कहा, “नमाज़ का रूकू और सज्दा सही तरीके से अदा न करने पर।” एक दूसरे वक्त में आपने वाज़ेह कियाः “अल्लाह तआला उस शख्स की नमाज़ कुबूल नहीं करता जो अपनी कमर उसकी सही हालत में नहीं लाता और रूकू और सज्दे में थोड़े वक्फे के लिए ऐसा नहीं रहता।” एक बार, एक शख्स को रूकू और सज्दा सही अदा न करते हुए देखकर जबकि नमाज़ अदा कर रहा था, हमारे पैग़म्बर ने फरमाया; “क्या तुम्हें डर नहीं लगता के तुम किसी और मज़हब में मर जाओगे बजाए मौहम्मद “अलैहिस्सलाम” के दीन [मज़हब] में क्योंकि तुम अपनी नमाज़ की इबादत इस तरह कर रहे हो?” एक बार दोबारा, आपने कहा, “जब नमाज़ अदा कर रहे हो,

अगर तुम अपने जिस्म को पूरी तरह सीधा नहीं करते रूकू के बाद, अगर तुम्हारा हर एक अज़ा अपनी हालतों में आराम नहीं करता एक लम्हें के लिए जब तुम खड़े हो, तो तुम्हारी नमाज़ पूरी नहीं होगी।” एक बार दोबारा, आपने फरमाया, “जबतक के तुम दो सज्दों के बीच में सीधे नहीं बैठते तो तुम्हारी नमाज़ अधूरी रहेगी।” एक दिन, किसी को देखते हुए जो रूकन के उसूलों का ध्यान नहीं रख रहा था [नमाज़ के पाँच फराईज़ जो नमाज़ के अंदर हैं। इन पाँच फराईज़ में से हर एक “रूकन” कहलाता है] नमाज़ अदा करते हुए, रूकू के बाद सीधा नहीं खड़ा हुआ और सज्दों के बीच सीधा नहीं बैठा, तो हमारे पैग़म्बर “सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम” ने फरमाया, “अगर तुम इस तरह अपनी नमाज़ अदा करते रहे, तो ज़िंदा किए जाने वाले दिन तुम्हें मेरी उम्मत का नहीं कहा जाएगा।” एक दूसरे वक्त में आपने फरमाया, “अगर तुम इसी तरीके पर चलते रहे और मर गए, तो तुम मौहम्मद (अलैहिस्सलाम) के मज़हब में नहीं मरोगे।” अबू हुरैरा (रज़ी-अल्लाहु अन्ह) ने कहा, “वो शरख़ साठ सालों तक सारी नमाज़ें पढ़ता रहा लेकिन उसकी नमाज़ कभी भी कुबूल नहीं हुई ये वो शरख़ है जिसने रूकू और सज्दा सही नहीं किया।” ज़ैद इबनि वहाब “रहमतुल्लाही तआला अलैहि” ने किसी को देखा नमाज़ अदा करते हुए लेकिन वो रूकू और सज्दा सही नहीं कर रहा था। उन्होने उसे बाहर बुलाया और उससे पूछा, “कितने अरसे से तुम इस तरीके से नमाज़ अदा कर रहे हो?” जब उसने जवाब दिया, “चालीस सालों से,” तो उन्होने कहा, “तुम ने चालीस साल तक नमाज़ अदा नहीं की। अब अगर तुम मर गए तो तुम मुहम्मद रसूलुल्लाह “सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम” की सुन्नत (यानी, मज़हब) में नहीं मरोगे।

ये तबरानी के ज़रिए अवसात किताब में लिखा है के अगर एक ईमान वाला अपनी नमाज़ खुबसूरती के साथ अदा करता है और उसके रूकू और सज्दे सही ढंग से करता है, तो नमाज़ खुश होती है और चमक से भर जाती है। फरिश्ते नमाज़ को जन्नत तक ले जाते हैं। नमाज़ एक शरख़ पर सलामती

भेजती है जिसने उसे अदा किया हो और कहेगी, “जैसे के तुमने मुझे नुक्स से बचाया, इसी तरह अल्लाह तआला तुम्हारी हिफाज़त करे।” अगर नमाज़ सही ढंग से अदा न की जाए, तो ये काली हो जाती है। फरिश्ते उस नमाज़ से सख्त नफरत करते हैं और उसे आसमानों तक नहीं ले जाते। ये नमाज़ उस शख्स को बददुआ देती है जिसने इसे अदा किया हो और कहेगी, “जैसे के तुमने मुझे बरवाद किया और मुझे गंदे मकाम पर रखा, इसी तरह अल्लाह तुझे बरवाद करे।” फिर, हमें अपनी नमाज़ें सही तरह से अदा करने की कोशिश करनी चाहिए, तादील-ए अरकान का ध्यान रखते हुए, रूकू, सजदा, कौमा [रूकू के बाद सीधे और बेहतर खड़े होना।] और जलसा [दो सज्दों के बीच में एक लम्हे के लिए बैठना।] अच्छे से करना चाहिए। और, हमें दूसरों को खबरदार करना चाहिए अगर हम उन्हें इनको नुक्स के साथ करते हुए देखें। हमें अपने बरादरान-ए इस्लाम को नमाज़ सही अदा करने में मदद करनी चाहिए। हमें तादील-ए अरकान [इतना लम्बा बेहरकत रहना जितना के “सुब्हानल्लाह” कहा जाए] और तमानीनात [अपने सारे अज़ा को बेहरकत रखना] का ध्यान रखते हुए मिसाल बनना चाहिए। ज़्यादा मुसलमान अपने आपको इन सबको करने की ताज़ीम से महरूम रखते हैं। ये रहमत पहले से ही खो गई। ये बहुत अहम के इस अच्छे काम को दोबारा शुरू किया जाए। हमारे पैग़म्बर ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने फरमायाः “वो जो मेरी भुलाई हुई सुन्नतों में से किसी एक को भी दोबारा तजदीद करेगा उसे सौ शहीदों का सवाब मिलेगा।”

इसके अलावा, जब हम जमाअत में नमाज़ अदा करते हैं तो सफ़हों को तरतीब से लगाने में मुहतात होते हैं। हम जिस सफ़ में खड़े होते हैं न तो उससे आगे होते हैं और नाही पीछे। हर कोई एक सी सीधी सफ़ में खड़ा होना चाहता है। हमारे पैग़म्बर ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ पहले खुद सफ़े सीधी करते थे और फिर नमाज़ शुरू करते थे। आप फरमाते थे, “सफ़ों को सीधा करना नमाज़ का एक हिस्सा है।” ए हमारे अल्लाह! अपनी शफ़क़त के

लामहदूद ख़ज़ाने से हमें भी हिस्सा दे! हम में से किसी को भी सीधे रास्ते से न भटकने देना!

अगर एक मुसलमान इस दुनिया में कदर चाहता है और आखिरत में खुश रहना चाहता है, तो उसमें ये तीन अख़लाक होने चाहिएँ:

दूसरे बंदों से कुछ उम्मीद न रखें। मुसलमानों की चुगली न करें [या ज़िम्मी बग़ैर ईमान वालों की, चाहे अगर वो मर भी गए हों]। किसी चीज़ पर कबज़ा न रखें जिस पर के किसी दूसरे का हक़ हो।

नमाज़ के राज़

हज़रत इमाम-ए रब्बानी ने अपनी (मकतूबात) की पहली जिल्द के तीन सौ-चौथे ख़त में लिखा: अल्लाह तआला का शुक्र अदा करने के बाद और अपनी दुआएँ हमारे पैग़म्बर की रूह को पहुँचाकर, मैंने तुम्हारे लिए रहमत माँगी ताकि तुम लामहदूद खुशियाँ हासिल कर सको। बहुत सारी आयत-ए करीमा में, अल्लाह तआला ने वाज़ेह किया के वो ईमान वाले जो आमाल-ए सालिह (नैक काम) करते हैं वो जन्नत में दाख़िल होंगे। मैं इतने दिनों से इस को ढूँढने में लगा हूँ के वो नैक काम कौन से होंगे। मैं हैरान हूँ के वो सारे नैक काम होंगे या उनमें से सिर्फ़ कुछ होंगे। अगर वो सारे अच्छे काम हैं, तो कोई भी उनको सारा नहीं करेगा। अगर उनमें से कुछ ही हैं, तो वो अच्छे काम क्या थे? आख़िरकार, अल्लाह तआला ने मुझे समझदारी के अमर से नएमम दी के ये सालिह काम पाँच बंधे हुए उसूल हैं, पाँच इस्लाम के बुनियादी सुतून। अगर एक शख़्स इन इस्लाम के पाँच सुतूनों को पूरे तौर पर और कामिल तरीके से करता है, तो शायद वो दोज़ख़ से बच जाए। ये असली सालिह काम हैं और आदमी को गुनाह करने से और नागवार हरकतें करने से बचाते हैं। दरहकीकत, कुरआन-अल करीम की सूरत-उल-अंकबूत की पैतालिसवीं आयत में वाज़ेह है:

“एक नमाज़ की इबादत मुकम्मल तरीके से अदा की गई बेशक आदमी को फहशा (बुरे) और मुंकर (हकीर हरकातें) करने के खिलाफ बचाती हैं।” अगर ये एक शख्स के नसीब में हो के इस्लाम के पाँच उमूलों को आगे बढ़ाए, तो वो इस रहमत के लिए शुक्रिया ज़ाहिर करे। सूरत-उन-निसा की एक सौ और छयालीसवीं आयत का मतलब है: “**मैं तुम्हें अज़ाब नहीं दूँगा अगर तुम ईमान रखते हो और मेरा शुक्रिया करते हो।**” फिर, एक शख्स पूरे मन से इस्लाम के इन पाँच उमूलों को आगे बढ़ाएगा।

इन पाँच में से, नमाज़ सबसे अहम है। ये मज़हब का बुनियादी सुतून है। एक शख्स को कोशिश करनी चाहिए के नमाज़ के एक भी अदाब को खोए नहीं। अगर नमाज़ सही तरीके से अदा होगी, तो बुनियादी और सबसे बड़ा इस्लाम का सुतून कायम होगा। मज़बूत रस्मी जो एक शख्स को दोज़ख़ से बचाएगी उसे पकड़ लिया जाए। अल्लाह तआला हम सब पर अपनी रहमत बनाए नमाज़ को सही अदा करने के साथ!

जब नमाज़ शुरू करें, “**अल्लाहु अकबर**” कहकर इसका मतलब इस बात का इकरार करना के “अल्लाह तआला को अपने किसी बंदे की इबादत की ज़रूरत नहीं है; उसे किसी भी मामले में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है; आदमियों का नमाज़ पढ़ना उसे कोई फ़ाएदा नहीं देता।” और तकवीरें (“अल्लाहु अकबर” कहना) जो नमाज़ में हैं वो बताती हैं के, “हम अल्लाह तआला के लायक इबादत करने के काबिल नहीं हैं।” चूँकि रूकू की तसबीहात (नमाज़ अदा करते वक्त झुकना) यही मतलब रखती हैं, हमें “अल्लाहु अकबर” कहने का हुकूम नहीं है, जब रूकू से सीधे खड़े होते हैं। बहरहाल, हमें सज्दे (नीचे झुक जाना) में तसबीहात के बाद इसे कहने का हुकूम है, क्योंकि सज्दा सबसे निचला आजज़ी का अदना और रूतबा घटाने का दर्जा है। इसे करके एक शख्स को ये मान लेना चाहिए के उसने सही और मुकम्मल इबादत की है। इस अरकल से अपने आपको बचाने के लिए, ये न

सिर्फ एक मुन्नत है तकबी कहना जब झुको और सीधे खड़े हो इन सज्दों के दौरान, लेकिन हमें “अला” कहने का भी हुकूम है सज्दे की तसबीहात में। क्योंकि नमाज़ एक ईमान वाले की मेराज है, हमें हुकूम दिया गया है “अततहिय्यातु...” के लफ्जों को कहने का जिन्हें हमारे पैग़म्बर को कहने की इज़्जत बख़्शी गई मेराज की रात में। फिर, एक शख्स जो नमाज़ अदा करता है उसे नमाज़ को अपने लिए एक मेराज बना लेना चाहिए। उसे अल्लाह तआला से नज़दीकी का आख़िरी नमाज़ में देखना चाहिए।

हमारे पैग़म्बर (अलैहिस्सलाम) ने वाज़ेह किया: “**वो वक्त जब आदमी अल्लाह से नज़दीक होता है वो वक्त है जब वो नमाज़ अदा करता है।**” एक शख्स जो नमाज़ अदा करता है वो अपने अल्लाह से बातें करता है, उससे मिननत करता है, और देखता है के उसके अलावा हर चीज़ किसी के बराबर नहीं। इसलिए, क्योंकि नमाज़ में डर है, हैबत है, और दहशत है, हमें हुकूम दिया गया के नमाज़ के आख़िर में हम दो बार सलाम पेश करें ताकि हमें तसल्ली और आराम मिले।

हमारे पैग़म्बर ने हुकूम दिया, एक हदीस-ए शरीफ़ में, तिलावत करने की: “**33 तसबीह (सुब्हानल्लाह), 33 तहमीद (अलहम्दुलिल्लाह), 33 तकबीर (अल्लाहु अकबर) और एक तहलील (ला इलाहा इल्ल-अल्लाह) हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद।**” इसकी वजह ये है के नमाज़ अदा करने में नुक्स तसबीह के साथ ढक जाते हैं। इस तरीके से ये इकरार कर लिया जाता है के एक लायक या मुकम्मल इबादत नहीं की गई। ये जानकर के नमाज़ अदा करके रहमत हासिल होना उसकी मदद के ज़रिए और वही इसे मुमकिन बनाएगा, इस बड़ी रहमत के लिए उसका शुक्रिया अदा किया जाता है **तहमीद** कहने के ज़रिए। और **तकबीर** कहने से, इस बात का इकरार होता है के उसके बराबर कोई इबादत किए जाने के लायक नहीं है।

जब एक शख्स नमाज़ अदा करता है उसकी शराइत और अदाव के साथ, और ताहम, जो गलतियों की जाए वो ढक ली जाएँ, जब एक शख्स अल्लाह तआला का शुक्रिया अदा करता है के उसने नमाज़ बख़्शी, जब वो वाज़ेह करता है, कलिमा-ए तौहीद दिल से संजीदगी के साथ पढ़के, के कोई नहीं सिर्फ अल्लाह तआला इबादत के लायक है, वो नमाज़ कुबूल हो सकती है। वो शख्स उनमें से बन जाता है जो नमाज़ अदा करते हैं और जो निजात पाते हैं। ए मेरे रब! तेरे पैगम्बरों में से सबसे अफ़जल की रज़ा के लिए “अलैहि व अला अलैहिमुस्सलावातु वतसलीमात,” हमें अपने खुशकिस्मत बंदों में से जो नमाज़ अदा करते हैं और जो निजात हासिल करते हैं! आमीन (आमेन)

हज़रत इमाम-ए मुहम्मद मासूम ने अपनी (मकतूबात) की दूसरी जिल्द के ग्यारहवें खत में लिखाः

अल्लाह तआला इंसानों को बगैर दिमाग के तरीके पर रहने के लिए नहीं छोड़ता। वो उन्हें इजाज़त नहीं देता के वो जो चाहे करते फिरें। वो उन्हें नहीं चाहता के वो अपनी नफ़स की इच्छाओं के ताबेदार बनें, उनके कुदरती, वहशी मज़ों को ज़्यादती और बेअकल तरीके से करने पर और तबाहियों में घिर जाएँ। वो उन्हें रास्ता दिखाता है के अपनी इच्छाओं और खुशियों को किस तरह इस्तेमाल करें आराम और अमन से रहने के लिए और वो उन्हें फाएदेमंद चीज़ें करने का हुकूम देता है जो दुनिया में और आख़िरत में खुशी का बाइस बने। वो उन्हें नुकसान वाले काम करने की मुमानियत करता है। ये अहकामात और मुमानियतें (अहकाम-ए इस्लामिया) कहलाती हैं। एक शख्स जो चाहता है के दुनिया में आराम से रहे और जो बेहद खुशियाँ चाहता है उसके पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाए इस्लाम की ताबेदारी के। एक शख्स को अपने नफ़स और अपनी फ़ितरत की इच्छाओं को छोड़ना होगा वो सब इस्लाम के मुताबिक नहीं है। अगर वो इस्लाम को नहीं मानता, वो अपने ख़ालिक का गुस्सा और अज़ाब सहेगा। अल्लाह तआला का एक बंदा जो इस्लाम की फरमावरदारी

करता है, चाहे वो एक मुसलमान हो या काफिर, वो इस दुनिया में खुश और आराम से रहेगा। उसका मालिक उसकी मदद करेगा। ये दुनिया खेती की जगह है। वो जो खेत में काम नहीं करेगा, जो दुनियावी खुशियों में जिएगा बीजों को खाकर, उसे फसल नहीं मिलेगी। इसी तरह, वो जो दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है आरज़ी खुशियों के चक्कर में, अपनी नफ़स की इच्छाओं को ज़रूरत से ज़्यादा और बेअकल तरीके से मुतमईन करेगा, उसे अवदी खुशियाँ और लामहदूद मज़े नहीं मिलेंगे। ये हालत ऐसी नहीं है के कोई समझदार आदमी इसे कुबूल करले। वो ये नहीं चाहेगा के आरज़ी मज़े नुकसानदायक तरीके से लिए जाएँ, जो उसे लामहदूद खुशियाँ हासिल करने से परे रखेंगे। [अल्लाह तआला ने न तो बंद किया है, नाही कोई चीज़ दुनियावी मज़ों से मना की है, वो चीज़ों जो नफ़स को मठिए महसूस होती हों। वो उन्हें उनका इस्तेमाल करने देता है, सिर्फ अगर वो इस्लाम के काबिल हैं तो, बगैर नुकसान पहुँचाएँ।] इस्लाम को सही तरीके से मानने के लिए, पहले, एक शख्स को ये यकीन होना चाहिए (अकाईद) [ईमान] के मुताबिक जोकि अहल-ए अस सुन्नत के आलिमों ने असहाब-ए किराम से सीखा और जो उन्होंने कुरआन अल करीम और हदीस-ए शरीफ़ से समझा, फिर, एक शख्स को सीखना चाहिए के हराम क्या है, वो चीज़ें जो मना की गई हैं और उनसे दूर रहें, और फिर एक शख्स को फ़र्ज़ सीखने चाहिए जिनका हुकूम दिया गया है करने का और उन्हें करना चाहिए। ये करना (इबादत) किया जाना कहलाता है। उससे रोकना जो हराम है इसे (तक़वा) कहते हैं।

इस्लाम के उसूलों की तावेदारी करना नीयत करके ऐसा करना इबादत करना [ताज़ीम देना] कहलाता है। एहकामात और मुमानियतें अल्लाह तआला की (अहकाम-ए इस्लामिया) या (अहकाम-ए इलाहिया) कहलाती हैं। वो जो हुकूम दिए गए हैं वो फ़र्ज़ कहलाते हैं, वो जो मुमानियत किए गए हैं वो हराम हैं। सबसे ज़्यादा कीमती इबादत का काम और मज़हब-ए इस्लाम की बुनियाद

रोज़ाना की पाँच वक्त की नमाज़ अदा करना है। [नमाज़ अदा करने का मतलब है के फातिहा को किव्ले की तरफ़ रूक करके खड़े होकर पढ़ना, किव्ले की तरफ़ झुकना और किव्ले की तरफ़ ही सिर को ज़मीन पर रखना। अगर एक शख्स ये सारी चीज़ें किव्ले की तरफ़ रख करके नहीं करता तो, ये नमाज़ की अदाएंगी नहीं है।] एक शख्स जो नमाज़ अदा करता है वो मुसलमान है। वो जो नमाज़ अदा नहीं करता वो या तो एक मुसलमान है या काफ़िर। पाक नज़दीकी [यानी, अल्लाह तआला का प्यार हासिल करना] जोकि नमाज़ अदा करके हासिल की जाए वो कभी कभार ही दूसरे इबादत के काम करके हासिल होगी। एक शख्स को रोज़ाना पाँच वक्त की नमाज़ें अदा करनी चाहिए दुनियावी मामलात को न सोचते हुए, जमाअत में और तादील-ए अरकान का ध्यान रखते हुए, और रस्मी वुजू पूरे ध्यान से करते हुए, उनके मुस्तहब औकात में। जबकि नमाज़ अदा की जाती है, तो अल्लाह तआला और उसके बंदे के बीच से परदे हट जाते हैं। एक शख्स जो रोज़ाना पाँच वक्त की नमाज़ें अदा करता है वो गुनाहों से उस शख्स की तरह पाक हो जाता है जो अपने आपको दिन में पाँच बार धोए। एक शख्स जो रोज़ाना की पाँचो नमाज़ें सही अदा करे उसे सौ शहीदों का सवाब मिलता है।

एक शख्स को अपनी इच्छा से करोबारी जाएदाद से और जानवरों की जो मैदानों में चरते हैं [और काशत की जिसे फार्म की ज़मीनों और पेड़ों से हासिल किया जाता है और कागज़ी पैसा और हासिल किए हुए पर] ज़कात देनी चाहिए उनको जो ज़कात लेने के लिए मुस्तहिक हैं। एक जाएदाद जिसकी ज़कात नहीं दी जाती वो दोज़ख में जलेगी। अल्लाह तआला बहुत रहम वाला है, वो जाएदाद की ज़कात देना का हुकूम देता है जो ज़रूरी कीमत से परे है

एक साल बाद, अगर वो निसाब की कीमत को पहुँच जाए। वो जो जान और माल देने वाला है। अगर वो हुकूम दे के सारी जान और माल दे दो, तो वो जो उससे प्यार करते हैं फ़ौरन उन्हें दे देंगे।

एक शख्स रमज़ान के मुबारक महीने में मर्ज़ी से रोज़ा रखता है, इस वजह से के अल्लाह तआला ने इसका हुकूम दिया। एक शख्स को जानना चाहिए के ये भूख और प्यास एक खुशी है। इस्लाम का ढाँचा पाँच चीज़ें हैं: पहला है (अशहदु अल-ला-इला-ह-इल्लल्लाहु व अशहदु अन-न मुहम्मदन अबदुहु व रसूलुहु) कहना, उसको जानना और उसके मआनी पर यकीन रखना। इसे (कलिमए शहादत) कहते हैं। दूसरे चार हैं नमाज़, ज़कात, रोज़ा और हज। अगर इन पाँच सुतूनों में से कोई एक भी गलत हुआ, तो उस शख्स का इस्लाम भी गलत होगा। अकीदे को सही करने के बाद और इस्लाम पर गौर करते हुए, एक शख्स सूफिया-ए अलिया [तसव्वुफ़ के आला आदमी] के रास्ते पर बढ़ सकता है। एक शख्स इस रास्ते पर मारिफ़तुल्लाह हासिल कर सकता है और एक शख्स अपने नफस की इच्छाओं से पीछा छुड़ा सकता है। एक शख्स जो अपने मालिक को नहीं जानता, वो किस तरह ज़िन्दा रह सकता है, वो किस तरह आराम पा सकता है! इस रास्ते पर मारिफ़त हासिल करने के लिए, (फना बिल-मारुफ़) ज़रूरी है। यानी, ये ज़रूरी है के सब चीज़ें भूल जाए सिवाए अल्लाह तआला के। वो जो अपने आपको मौजूद समझता है मारिफ़त हासिल नहीं कर सकता। (फना) और (बका) एक शख्स के ज़मीर में उसके दिल में ज़ाहिर होता है। ये सुनकर समझ नहीं आएगा। वो जो मारिफ़त की नएमत हासिल नहीं करता उसे हमेशा उसके लिए देखना चाहिए। एक शख्स को किसी चीज़ को सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिसे एक शख्स को हुकूम दिया गया हो के उसे कमतर और आरज़ी के रूप में देखे।

नमाज़ अदा करने के बाद दुआ करना

अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिना मुहम्मदिन व आलिही व साहबिही अजमईन। या रब्बि! इस रस्मी नमाज़ को कुबुल कर जो मैंने अदा की! मेरी आखिरी साँस को कलिमत अश-शहादा

कहने के लायक बना और ईमान के साथ मुझे दूसरी दुनिया में पहुँचा। जो मेरे रिश्तेदार मर गए हैं उन्हें सज़ा न दे और माफ़ कर दे। अल्लाहुम्माग़फ़िर वरहम व अंता खैरुरराहिमीन। तवेफ़फ़नी मुसलिमन वइलाहिकनी विससालिहीन। अल्लाहुम्माग़फ़िर-ली व ली-वालिदेई व ली- उसताज़िए व लिलमुमिनीन वल मुमिनात यौमे यक़मुल हिसाव। या रब्बि! मुझे शैतान की बुराई, दुश्मनों की बुराई और मेरे नफ़स की बुराई से बचा (एक मंफ़ी ताकत आदमी के अंदर जो उसे बुराई करने के लिए उकसाती है)! हमारे घर को अच्छाई, हलाल और नैक साअत ग़िज़ा अता फरमा! मुसलमानों को निजात दे! मुसलमानों के दुश्मनों को दुखी और तितर बितर करदे! अपनी रूहानी मदद से मुसलमानों की मदद कर जो काफ़िरों के खिलाफ़ जिहाद कर रहे हैं! अल्लाहुम्मा इन्नाका अफ़वुन करीमुन तुहिब्वुल अफ़वा फ़ा फु अननी। या रब्बी! हमारे दरमियान जो बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमा, हमारे दरमियान जो मुश्किलों में उन्हें राहत अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस अलुकससिहहात वल-आफ़ियत वल-अमानते व हुस्नेलग़ुलकी वररिदाए विलकादेरि वेरहमतेका या अरहमरराहिमीन। या रब्बी! एक मुफ़िद ज़िन्दगी, अच्छे अख़लाक, सही दिमाग़, आफ़ियत (अच्छी सेहत) और इस्तिकामत (सही, सच्चे रास्ते पर चलाना जिसे अल्लाह तआला पसंद करता है) अता फरमा, मेरे वालदैन और मेरे बच्चों को और मेरे रिश्तेदारों को ओर मेरे दोस्तों को और मेरे सारे मज़हबी भाइयों को। आमीन! वलहम्दुलिल्लाहि रब्बिलआलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला..., अल्ला हुम-म बारिक अला..., अल्ला हुम-म रब्बना आनिा..., वल हम्दु लिल्लाही रब्बिलआलमीन। अस्तख़फ़ेरुल्लाह, अस्तख़फ़ेरुल्लाह, अस्तख़फ़ेरुल्लाह, अस्तख़फ़ेरुल्लाहिल अज़ीम अलकरीम अल्लज़ी ला इल्लाह इल्ला होवुल-हय्युल-कय्यूम व अतूबु इलेह।

वज़ाहतः (दुआएँ कुबूल होने की शर्तें)

1- एक मुसलमान होना।

2- अहल-ए मुन्नत का अकीदा रखना। इसके लिए, ये ज़रूरी है के चार मसलकों में से एक की तकलीद करना।

3- फाराईज़ अदा करना। एक शख्स को अपनी कज़ा नमाज़ों का कर्ज़ चुकाना होगा चाहे उन्हें रातों में और मुन्नत रस्मी नमाज़ों की जगह अदा करे। जिनकी फर्ज़ कज़ा नमाज़ें हैं उनकी मुन्नत और नाफिली नमाज़ें कुबूल नहीं होंगी। यानी, चाहे अगर वो सही हों, उन्हें कोई सवाब नहीं दिया जाएगा। मुसलमानों को धोका देने के लिए, शैतान, फर्ज़ों को ग़ैरअहम बताएगा और मुन्नत और नाफिलों को करने की तरफ़ रहनुमाई करेगा। एक शख्स को नमाज़ उसके वाजिब वक्त के शुरू होते ही अदा कर लेनी चाहिए ये जानते हुए के उसका मुकर्रर वक्त आ गया है।

4- एक शख्स को हराम को नज़रअंदाज़ करना चाहिए। जो हलाल खाना खाते हैं उनकी दुआएँ कुबूल होती हैं।

5- एक शख्स अल्लाह तआला से दुआ मांगने में औलिया-ए किराम (जो अल्लाह तआला के ज़रिए चाहे गए और बचाए गए) में से एक को राबता बनाए।

मुहम्मद अहमद बिन ज़ाहिद, इंडिया में आलिमों में से एक ने अपनी किताब (तरगीब-उस-सलात) के चौव्वनवें सबक में फारसी ज़वान में कहाः “ये एक हदीस-ए शरीफ़ में बयान थाः (दुआ के कुबूल होने के लिए वहाँ पर दो चीज़ें हैंः पहली, एक शख्स दुआएँ इखलास के साथ माँगे। दूसरी, जो एक शख्स क्या खा रहा है और पहन रहा है हलाल होना चाहिए। एक ईमान वाले के कमरे में एक हराम का धागा है, उसकी दुआएँ जो उस कमरे में माँगी गई

कभी कुबूल नहीं होगी)। इख्लास का मतलब है अल्लाह तआला के अलावा किसी और चीज़ के बारे में न सोचना और सिर्फ अल्लाह तआला से चीज़ें माँगना। इस वजह से, ये ज़रूरी है के अहल-ए सुन्नत के आलिमों ने जो वाज़ेह किया उसके मुताबिक यकीन रखा जाए, खासतौर से बंदों के हुकूक दिए हों और पाँच रोज़ाना की नमाज़ें अदा की हों।

तजदीद-ए ईमान नमाज़

या रब्बी (ए मेरे अल्लाह)। मैं अफ़सोस करता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने सारे गलत, ख़राब अकीदों की जो इस्लाम के दुश्मनों के ज़रिए और इलहदि लोगों के ज़रिए मेरे पास धोके से आई, और सारी बिदअती, गुनाह वाली चीज़ें जो मेने कही, मेने सुनी, मेने देखी और मेने की अपनी सने बलूगत शुरू होने के बाद से इस लम्हे तक। मैं तजवीज़ करता हूँ, मुस्ततहकम हूँ और पक्का इरादा करता हूँ के उस गलत तरीके पर यकीन नहीं रखूँ और न ही काम करूँगा। पहले पैग़म्बर आदम अलैहिस्सलाम हैं और आख़िरी पैग़म्बर हमारे नबी, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम हैं। मैं दोनों पैग़म्बरों पर यकीन रखता हूँ और सारे पैग़म्बरों पर भी जो उनके बीच में गुज़रे। वो सारे सच्चे और सही हैं। उन्होने जो बताया वो सब सही है। आमन्तु बिल्लाहि व बि-मा जाए मिन इंज़िल्लाह, अला मुराज़िल्लाह, व आमन्तु बि-रसूलिल्लाह व-बि मा जाए मिन इन्ज़ि रसूलिल्लाह अलाह मुराद-ए रसूलिल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइ-कतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आख़िरि वल कद्रि ग़ैरिही वशरिही मिनल्लाहि तआला वल वअसि व-अ-दल मौत हक्कुन अशहदु अन ला इलाह इल्लल्लाह व अशहदु अन-न मुहम्मदन अबदुहु व रसूलुहु।

नमाज़ में पोशिता असबाब (नमाज़ और हमारी सेहत)

मुसलमान नमाज़ अदा करते हैं क्योंकि ये अल्लाह तआला का अहकाम है। वहाँ पर बहुत सारे छुपे हुए सबब, बहुत सारे फ़ाएदे हैं हमारे रब के एहकामात में। बेशक, जो चीज़ें उसने मना की हैं उसमें बहुत नुकसान है। इनमें कुछ फ़ाएदे और नुकसानात आप के तिब्बी माहिरीन ने मालूम किए हैं। इस्लाम में जो अहमियत सहत से मुंसलिक की गई हैं वो किसी और मज़हब या फिलोसफ़ी से मेल नहीं खाती। हमारे मज़हब ने हमें हमारी ज़िंदगियों के खात्में तक, नमाज़ अदा करने का हुकूम दिया जो इबादतों में सबसे कीमती है। वो जो नमाज़ अदा करता है वो अपनी सहत के लिए भी फ़ाएदे हासिल करता है। कुछ नमाज़ के सहत के फ़ाएदे नीचे बताए गए हैं:

1- नमाज़ में हरकात धीरे की जाती है इसलिए वो हमारे दिल को थकाती नहीं। चूँकि नमाज़ें एक दिन में मुख़तलिफ़ औकात में अदा की जाती हैं, ये आदमी को हर वक्त चुस्त रखती हैं।

2- एक शख्स का दिमाग जो अपने सिर को एक दिन में अस्सी बार ज़मीन पर रखता है उसके खून का दौरान बहाओ का वज़न बढ़ता है। क्योंकि उनके दिमाग के ख़लियों को अच्छी गिज़ा मिलती है इसलिए, याददाश्त और शख्सि नाहमवारी उनमें कम दिखाई देती है जो नमाज़ अदा करते हैं। ये लोग ज़्यादा सेहतमंद ज़िंदगी जीते हैं। उन्हें कोई पागलों वाली बीमारी नहीं होती, जिसे आज की तिव में बुढ़ापे की दिमाग की कमज़ोरी/बुढ़ापे का पागलपन कहते हैं।

3- नमाज़ की अदाएगी करने वाले की आँखों का दौराने खून नमाज़ के वज़नी हरकात की वजह से मज़बूत होता है। इस तरह, आँख के अंदरूनी हिस्से में खून का दबाओ नहीं बढ़ता और आँख के ऊपरी हिस्सों में बहने वाली शए लगातार पूरी भरी रहती है। ये आँखों को मोतिया बिंद की बीमारी से बचाता है।

4- रस्मी नमाज़ में हरकात में बराबरी से नापतोल खाने को पेट में मिलाती है, तैज़ाबी सफ़रे को आसानी से बाहर निकालती है और पित्ते में नुकसान के साथ शामिल नहीं होती। ये लबलबा में प्रोटीन को निकालने में मदद करती हैं। ये कब्ज़ को ख़त्म करने में बड़ा किरदार निभाती हैं। ये गुरदे और पैशाब की नाली को एक मददगार हरकत अदा करता है। ये गुरदे में पत्थरी बनने से बचाता है। ये मसाने को ख़ाली करने में मदद करता है।

5- रस्मी नमाज़ों में वज़नी हरकात दिन में पाँच नमाज़ें अदा करना जोड़ों और नसों/पट्टों को काम कराते हैं जोकि लगातार रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं होते और जोड़ों को गढिढया, कढ़ा हो जाना और नसों की अकड़न जैसी बीमारियों से बचाती है।

6- जिस्म की सहत के लिए सफ़ाई बिल्कुल चाहिए। वुजू और गुस्ल दोनो माद्दी और रूहानी पाकिज़गी है। इसलिए, नमाज़ दुरुस्त सफ़ाई है। इस वास्ते, नमाज़ जिस्मानी और रूहानी पाकी के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकती। वुजू और गुस्ल जिस्मानी सफ़ाई देते हैं। कोई भी जो अपनी इबादत का फ़र्ज़ निभाते हैं वो आराम पाते हैं और रूहानी तौर पर पाक हो जाते हैं।

7- दवाई से बचने के लिए, ये बहुत अहम हो जाता है के कुछ ख़ास वक्त में वरज़ीश की जाए। नमाज़ के औकात सबसे ज़्यादा मौज़ू हैं खून के दबाव और साँस को बहाल करने के लिए।

8- सबसे अहम हिस्सा जो सोने को मज़बूती देती है वो है नमाज़। सज़दा करने से, जिस्म में शामिल साकन वरकी कुव्वत कायम होती है। इस तरह, जिस्म अपनी कुव्वत दोबारा हासिल करता है। नमाज़ के इन सारे फायदों को हासिल करने के लिए, ये दोनो ज़रूरी हैं कि इसे इसके दुरुस्त वक्त पर अदा किया जाए और सफ़ाई का ध्यान रखा जाए, ख़ाना ज़्यादा न ख़ाया जाए और असली और हलाल ख़ाना ख़ाया जाए।

दुनिया की जाएदाद, सोना या चाँदी किसी के साथ हमेशा नहीं रहेंगे,
कलाकारी एक टूटे हुए दिल को जोड़ने में है, और किसी में नहीं।

सातवाँ हिस्सा

इस्कात-ए नमाज़

मरने वाले के लिए इस्कात और दोर

नूर-उल इज़ाह में तहतावी के ज़रिए उसके हाशियाई नोटस में लिखा है कि कज़ा नमाज़ के ख़ात्मे पर हलबी और दुरर-उल मुख्तार में, मुलतका में, दुरर-उल मुन्तका में, विकाया में, दुरेर में, ज़ोहरा में, और दूसरी कीमती किताबों में भी ये ज़रूरी है कि मरे हुए शख्स के लिए इस्कात और दोर किया जाए जो इसे (अपनी वसीयत में) कह गया है। मिसल के तौर पर, तहतावी के ज़रिए हाशियाई नोटस में लिखा है, “वहाँ पर नास है (आयत और हदीसों में) साफ़ मआनी के साथ इस्कात के वारे में (मुकम्मल तौर पर आज़ाद) (गुनाह उसके लिए) रोज़ें छोड़ना फ़िदया देने के ज़रिए। सारे आलिमों ने एक राये होकर इस बात को वाज़ेह किया के, क्योंकि नमाज़ रोज़े रखने से ज़्यादा अहम है, जैसे के रोज़े के साथ, इस्कात अदा किया जाए नमाज़ की इबादत के लिए

जोकि एक शख्स ने छोड़ी हों किसी वजह से और जिसे शरीअ ने भी मंजूर किया हो और जिसकी वो वाद में कज़ा भी अदा न कर पाया हो क्योंकि वो विस्तरे मरग पर चला गया अगरचे वो उन्हें अदा करना चाहता था। एक शख्स जो कहे के नमाज़ की इस्कात अदा नहीं की जा सकती वो एक ला इल्म है। इस मकसद के लिए वो आलिमों की रज़ामंदी को देखता है। एक हदीस-ए शरीफ़ ये वाज़ेह करती है: **‘एक शख्स एक दूसरे शख्स के वास्ते रोज़ा या नमाज़ अदा नहीं कर सकता। लेकिन वो अपने (दूसरे शख्स के लिए) रोज़े या नमाज़ के लिए गरीब को खिला सकता है।’** जैसे के हमने अभी हाल ही में सुना, कुछ लोग, जो अहल-अस सुन्नत के आलिमों की अफ़ज़लियत को नहीं गरदानते और जो समझते हैं के हमारे मसलकों के इमाम अपने ज़ाती दिग्बावे के ज़ाहिर करते हैं, जैसे कि वो खुद करते हैं, उनका कहना है, “इस्लाम में कोई इस्कात या दोर नहीं होता। इस्कात ईसाइयों की खुलासी से मिलती हुई है।” ऐसे उनके लफ़ज़ उन्हें ख़तरे में डाल देते हैं। इस वजह से हमारे पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने वाज़ेह किया, **“मेरी उम्मा एक साथ गुमराही में नहीं आएगी।”** इस हदीस-ए शरीफ़ से ये ज़ाहिर हुआ के जो चीज़ों मुजतहीदों के ज़रि एएक राए से बनाय की गई वो बेशक सही हैं। वो जो इन हदीस-ए शरीफ़ में यकीन नहीं रखते वो ऊपर कही गई हदीस-ए शरीफ़ से इंकार करते हैं। **इबन अबिदीन** के ज़रिए वितर की नमाज़ के बारे में जो लिखा गया था उसके खात्से पर उन्होने लिखा, **“एक शख्स जो इजमाअः यानी ज़रूरी मज़हबी इल्म जोकि एक जाहिल को भी पता होता है, के इल्म पर यकीन नहीं रखता, वो एक काफ़िर (इल्हादी) बन जाता है।”** **इजमा** का मतलब है आलिमों की एक राए। किस तरह इस्कात को तलाफी से मवाज़ना कर सकते हैं? तलाफी की आइ में, पादरए लोगों को धोका दे रहे हैं। लेकिन इस्लाम मज़हब में आदमी इस्कात अदा नहीं करते। इस्कात सिर्फ़ मरने वाले के वली (देख रेख करने वाले) के ज़रिए अदा की जा सकती है और पैसा मज़हबी आदमियों को नहीं बल्कि गरीब को दी जाती है। अगर वो जो इस्कात की मुख़ालफ़त कर रहे हैं

कहते हैं “इस्कात और दोर जो आज अदा किए जा रहे हैं वो इस्लाम के साथ नामुनासिव हैं” वजाए इस्कात और दोर की मुखालफत करने के, वो इसे सही तरीके से अदा करें, और हम उन्हें मदद कर रहे हैं, ऐसा कहकर, वो दोनों ही बड़े खतरे से बच जाएंगे और इस्लाम की सेवा करेंगे। हमारे मज़हब के मुताबिक किस तरह इस्कात और दोर की जाए ये मंदरजाज़ेल हिस्से में बताया गया है। इबन आविदीन ने कज़ा नमाज़ के ख़ात्म पर वाज़ेह किया है किस तरह इस्कात और दोर अदा किया जाएः

अगर एक शख्स की फाइता सलात हों, [यानी, सलात की इबादत जिसने उसने कज़ा के लिए छोड़ा क्योंकि वो उन्हें किसी उज़र की वजह से अदा नहीं कर पाया], और अगर वो उन्हें अदा नहीं कर पाया हो चाहे इशारो से अगरचे वो ऐसा कर सकता हो, जब वो मरने वाला हो तो ये उस पर वाजिब हो जाता है के वो अपनी वसीयत में तजवीज़ करे के उनकी कफ़ारे की इस्कात की जाए। लेकिन वो इस्कात का हुकूम नहीं दे सकता अगर उसके पास उन्हें अदा करने की ताकत न हो। इसी तरह, अगर एक मुसाफ़िर या एक बीमार शख्स जिसने रमज़ान-ए शरीफ़ में रोज़े नहीं रखे और कज़ा करने से पहले मर गया, तो वो इस्कात का हुकूम देने वाला नहीं हो सकता। अल्लाह तआला ऐसे लोगों के उज़र कुबूल फरमाते हैं। एक बीमार शख्स के कफ़ारे की इस्कात उसका वली अदा कर सकता है उसकी मौत के बाद। उसके मरने से पहले इसे अदा नहीं किया जा सकता। इस बात की इजाज़त नहीं है एक ज़िंदा शख्स के लिए अपने लिए इस्कात अदा करे। **जिला-उल कुलूब** किताब में बयान है (अगर एक शख्स का अल्लाह तआला की तरफ़ कर्ज़ा हो, या किसी लोगों की तरफ़, तो उसके लिए ये वाजिब है के अपनी वसीयत को दो गवाहों की मौजूदगी में कहे या उन्हें पढ़कर सुनाए जो उसने लिखा है। इसी तरह, (कहना या लिखा) एक वसीयत का उस शख्स के ज़रिए मुस्तहब है जो बग़ैर कर्ज़े के हो)। कफ़ारे की इस्कात के लिए, मरे हुए शख्स का वली, यानी, वो शख्स

जिसे उसने हिदायत दी हो उसकी जाएदाद को सही जगहों, या उसके वारिसों में तकसीम करने की, फितरे की मिकदार के मुताबिक खैरात देने की, यानी, आधा सैर [पाँच सो बीस दरहम या सात सो पचास ग्राम] गेहूँ का हर सलात की इबादत के लिए और ऐसी ही मिकदार हर वितर की सलात के लिए और इतनी ही मिकदार एक दिन के रोजे के लिए जिसके लिए कज़ा ज़रूरी है, फिदया के तौर पर गरीब को [या उसके नायब को], जाएदाद में से देते हैं।

हन्फ़ी मसलक में अगर एक मुर्दा शख्स अपनी वसीयत में कफ़ारे की इस्कात को करने का हुकूम नहीं देता तो, उसके वली को कफ़ारे की इस्कात अदा नहीं करनी होगी। शाफ़ी-ए मसलक में, वली को कफ़ारे की इस्कात अदा करनी होगी चाहे अगर मुर्दा शख्स ने उसे हुकूम दिया हो या नहीं। इसी तरह हन्फ़ी मसलक में, मरे हुए शख्स का कर्ज़ा मख़लूख़ (लोगों) को उसकी जाएदाद में देना होगा जो वो पीछे छोड़ गया है चाहे अगर मरे हुए शख्स ने अपनी आख़िरी अलतमास में हुकूम न किया हो। असल में, कर्ज़ देने वाले अपने बकाया बग़ैर कानूनी अदालत के फैसले के ठीक कर सकते हैं अगर वो जाएदाद हासिल करलें। अगर वो जो रोज़े छोड़ गया है कज़ा के लिए तो वो उसका फिदया देने का हुकूम दे सकता है, यानी, वो जाएदाद देकर अदा करें, उसे पूरा करना वाजिब है। इस वास्ते के ये अएकाम-ए इस्लाम है। अगर वो नमाज़ की (अदाएगी के लिए) हुकूम नहीं देता (जो वो चूक गया), तो इसकी इजाज़त है, लेकिन ये वाजिब नहीं है, के इसके लिए फिदया दिया जाए। चाहे अगर आख़िरी दो अदाएगियाँ (अल्लाह तआला) को मंज़ूर न हो, वो कम से कम खैरात का सवाब, जो बदले में मरे हुए शख्स के गुनाहों को भूलाने में मदद करता है। हज़रत इमाम-ए मोहम्मद ने भी ऐसा कहा है। ये **मजमउल-अनहुर** में लिखा है, “अगर एक शख्स अपने नफ़स और शैतान से धोखा खाए अपनी सलात की इबादत अदा नहीं करे और फिर, अपनी ज़िंदगी के आख़िर में, नादिम बन जाए [और रोज़ाना की सलात की इबादत करनी शुरू करदे और

पिछली वालों की कज़ा अदा करे], ये **मुस्तसफ़ा** किताब में लिखा है के इस शख्स को इजाज़त है के अपनी सलात की इबादत की इस्कात अदा करने का हुकूम दे सकता है जिसकी वो कज़ा भी अदा नहीं कर पाया। ये **जिलाल उन कुलूब** में लिखा है: “दूसरों के हुकूम में कज़ा अदा करना भी शामिल है, आदात की वजह से बकाया जैसे के माल की सपरुदगी, ज़बरदस्ती छीनना, चोरी, रोज़गार और ख़रीदारी, जिस्मानी हुकूम दस्तअंदाज़ी के कामों की वजह से कारवाई किए गए जैसे की मोर्चा, नुकसान और नामुनासिब रोज़गार, और रूहानी हुकूम जोकि गलत कामों को करने की वजह से पीछे पड़े जैसे के कालावाज़ारी, चुगलखोरी और बदनामी।

और एक तिहाई मरने वाले की जाएदाद का हिस्सा इस्कात के लिए काफी है, तो वारिस उस जाएदाद में से फिदया दे सकता है। ये **फह-उल कदीर** में लिखा है के, अगर ये काफी न हो, तो वारिस एक तिहाई का घाटा भर सकता है। इसी तरह, अगर मरा हुआ शख्स अपनी वसीयत में हज अदा करने का हुकूम दे जो उसके ऊपर फर्ज थी, तो उसके वारिस या किसी और के लिए हज के लिए पैसे देना मंज़ूर नहीं है। अगर वो मरने से पहले इसका हुकूम नहीं देता और अगर उसका वारिस इस्कात या हज अदा कर देता है अपने खुद के पैसे से तो, उसके हज का कज़ा अदा हो जाएगा। कुछ (आलिमों) ने कहा के इन चीज़ों वारिस के बनाए किसी और के पैसे से इसकी इजाज़त नहीं है। **दुर-उल मुख़्तार, मराकिल-फलाह** और **जिला-उल कुबूल** के लिखने वालों (रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन) ने कहा के इन सब की इजाज़त है।

गैहूँ, आटा, एक सैर जौ, सूखी ख़जूरें या किशमिश गिनी जा सकती है और कफ़फ़ारे की इस्कात अदा करने के लिए दी जाकती हैं। [क्योंकि ये चीज़ें गैहूँ से ज़्यादा कीमती हैं, ये गरीबों के लिए ज़्यादा फायदेमंद हैं]। इनमें से किसी एक के बजाए, सोना या चाँदी इसी की कीमत का दिया जा सकता

है। [इस्कात कागज़ी पैसे से अदा नहीं किया जा सकता]। सज्दा-ए तिलावत के लिए फिदया देना ज़रूरी नहीं है।

इस्कात और दोर कैसे करें

अगर फिदए के तौर पर दिया गया पैसा जाएदाद की एक तिहाई से ज़्यादा बढ़ जाए तो, वली वारिसों की रज़ामंदी के बग़ैर एक-तिहाई से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये **कुनया** किताब में लिखा है कि अगर मरने वाले पर कर्ज़ था, तो इस बात की इजाज़त नहीं है के उसकी वसीयत को आगे बढ़ाया जाए चाहे कर्ज़ख़वाह ने वसीयत पूरी करने की इजाज़त ही क्यों न दी हो। इस वजह से, इस्लाम ने हुकूम दिया है के कर्ज़ पहले अदा किया जाए। कर्ज़ अदा करना कर्ज़ख़वाह की मर्ज़ी के साथ मुल्लवी नहीं करना चाहिए।

इस मामले में के ये पता न हो की एक शख्स किस उमर में मरा, जिसने अपनी सारी नमाज़ की इबादतों की इस्कात का हुकूम दिया हो, उसकी वसीयत मानी जाएगी जब उसने जो एक-तिहाई जाएदाद छोड़ी है वो उसकी नमाज़ की इबादतों की इस्कात अदा करने के लिए काफी न हो। अगर जाएदाद का एक-तिहाई बराबर हो और चाहे ज़्यादा हो (जो रकम खर्च की जानी है) इस्कात से, तो उसकी वसीयत कुबूल नहीं की जाएगी; ये बातिल हो जाएगी। इस वजह से, जब एक-तिहाई इस्कात के लिए काफी न हो, तो नमाज़ की इबादतों का शुमार जिसके लिए इस्कात अदा की जाएगी एक-तिहाई के साथ जानी जाए, और इसलिए उसकी वसीयत उन नमाज़ की इबादतों के लिए सही (पक्की) होंगी, और उसकी वसीयत (का हिस्सा) बाकी नमाज़ की इबादतों के लिए लगव, यानी खाली लफ़ज़ हो जाएंगे। जब एक तिहाई उसकी पूरी

ज़िंदगी से ज़्यादा हो, और इसलिए इसकी नमाज़ की इबादतों का शुमार पता न हो, और इसलिए उसकी वसीयत वातिल हो जाएगी।

अगर मरने वाले शख्स के पास कोई जाएदाद नहीं थी, या अगर एक-तिहाई जाएदाद जो उसने छोड़ी है वो इस्कात करने के लिए काफी नहीं है, या अगर उसने कोई वसीयत नहीं बनाई है और वली (सरपरस्त) अपनी खुद की जाएदाद से इस्कात अदा करना चाहता है, तो वो दोर अदा कर सकता है। लेकिन वली को दोर अदा नहीं करना पड़ेगा। दोर अदा करने के लिए, वली को इतना सोना या चाँदी-सोने के सिक्के, कढ़े, अंगूठियाँ, सही चाँदी के सिक्के खरीदने चाहिए, जितने के एक महीने के या एक साल की इस्कात के लिए ज़रूरी हों। कर्जे के सालों में बारह सालों घटा कर जोड़ा जाता है- अगर मरने वाला शख्स एक आदमी है- या नौ सालों का- अगर मरने वाला शख्स एक औरत है- उनकी पूरी ज़िंदगी से। दस किलोग्राम गेहूँ एक दिन की छः नमाज़ की इबादतों के लिए और तीन हज़ार और छः सौ किलोग्राम एक शामसी साल के लिए।

मिसाल के तौर पर, जब एक किलोग्राम गेहूँ 1.85 लिरा का है तो एक साल की नमाज़ की इस्कात के लिए छः हज़ार पाँच सौ और अड़्ठासी या, ये कहना चाहिए के, छः हज़ार छः सौ लिरा चाहिए होंगे।

ये कहिए के एक सोने का सिक्का [जिसका वज़न सात ग्राम और बीस सेंटिग्राम] एक सौ और बीस लिरा की कीमत है, एक साल की नमाज़ की इस्कात के लिए पचपन, या हालात के मुताबिक, साठ सोने के सिक्कों की ज़रूरत है। मरने वाला का वली पाँच सोने के सिक्के (या दूसरा सोना उसी वज़न के बराबर) खरीद सकता है। और एक या ज़्यादा, मिसाल के तौर पर, चार, गरीब लोगों को दूँढे जिन्हें दुनियावी चीज़ों से प्यार न हो और जो अपना मज़हब जानते हों और उससे प्यार करते हों।

[ये लोग इतने ज़्यादा गरीब हों के जो फितरा देने की ज़िम्मेदारी से फारिख़ हों और उन लोगों में शुमार हों जिन्हें ज़कात दी जाती हो। अगर वो (इतने ज़्यादा) गरीब न हों, तो इस्कात कुबूल नहीं होगी]। मरने वाले शख़्स का सरपरस्त, यानी, वो शख़्स जिसे उसने अपनी वसीयत बनाई है, या उसके वारिसों में से एक या वो शख़्स जिसे नायब बनाया गया हो, वो पाँच सोने के सिक्के पहले गरीब शख़्स को देगा, ख़ैरात देने की नीयत से, कहते हुए, “मैं तुम्हें ये सोना मरने वाले शख़्स जिसको जाना जाता था..... उसकी इस्कात-ए सलात के लिए बदला दे रहा हूँ।”

फिर गरीब शख़्स, (सोने के सिक्के अपनी तहवील में ले लेगा), कहेगा, “मैं इसे कुबूल करता हूँ और लेता हूँ, और मैं इन्हें तुम्हें तोहफ़े की तरह देता हूँ,” और उन्हें वारिस या वारिस के नायब को दे देगा, जो उनको अपनी तहवील में ले लेगा।

फिर, वारिस या वारिस का नायब सोने के सिक्कों को उसी गरीब शख़्स को दे देगा या दूसरे शख़्स को और उसे तोहफ़े के तौर पर वापिस ले लेगा।

इस तरह, एक दौर (घूमेगा; चक्कर) एक गरीब शख़्स को (सोना) देते हुए चार बार पूरा करेगा या चार गरीब लोगों को एक एक बार देगा और उन्हें वापिस लेगा।

एक दौर के साथ (मरने वाला शख़्स) सलात के कफ़ारत के बीस सोने के सिक्कों से आज़ाद हो जाता है। अगर मरने वाला शख़्स एक आदमी हो और साठ साल का हो, तो $48 \times 60 = 2880$ सोने के सिक्के अढ़तालीस सालों की सलात के लिए ज़रूरी हैं। इसलिए, दौर $2880:20 = 144$ किया जाएगा। अगर सोने के सिक्के दस हैं, तो 72 दौर किए जाएंगे, और अगर सोने

के सिक्के बीस हों तो, छत्तीस दोर पूरे किए जाएंगे। अगर गरीब लोगों का तादाद दस है और सोने के सिक्कों की तादाद भी दस है, तो उन्तीस दोर अढ़तालीस सालों को सलात की कज़ा का इस्कात-ए कफ़रत पूरा किया जाएगा। क्योंकि: उन सालों का नंबर जिसके दौरान उसने (मरने वाले शख्स ने) नमाज़ अदा नहीं की \times तो सोने के सिक्कों का नंबर एक साल के लिए = गरीब का नंबर \times सोने के सिक्के जो घुमाए गए उनका नंबर \times दोरों का नंबर। ये उस मिसाल पर लागू होता है जो हमने दिया है: $48 \times 60 = 4 \times 5 \times 144 = 4 \times 10 \times 72 = 4 \times 20 \times 36 = 10 \times 10 \times 29$

जैसा के देखा गया है, दोर के नंबरों को तए करने के लिए (जो किए जाएंगे) सलात की इस्कात के लिए, सोने के सिक्के (जो चाहिए) एक साल के लिए वो सलात की कज़ा के सालों से ज़रब किए जाएंगे। फिर सोने के सिक्कों के नंबर जो घुमाए गए उन्हें गरीब मुंफ़रिद के नंबर से ज़रब किया जाएगा। पहले ज़रब के नतीजे को दूसरे वाले के ज़रिए तकसीम किया जाएगा। तकसीम का नतीजा दोरों के नंबर की निशानदही करेगा। गैहूँ और सोना कागज़ी पैसे में बराबर वक्त के साथ साथ अंदाज़न उसी कीमत पर आ जाते हैं। दूसरे लफ़ज़ों में, सोने की कीमत और गेहूँ की कीमत हमेशा एक साथ राबते से ऊपर और नीचे जाते हैं। इस वजह से, एक साल की इस्कात के लिए गेहूँ की कीमत में कोई तबदिली नहीं होती, इसलिए इस साल की इस्कात के लिए सोने के सिक्कों का नंबर, यानी साठ सोने के सिक्के जैसे के हमने ऊपर जोड़े हैं, वो तकरीबन एक जैसे ही रहते हैं। इसलिए, इस्कात की गिनती के लिए हालात के मुताबिक कुबूल किया हुआ फारमुला है, सिवाए कुछ गैरमामुली हालतों के: एक महीने की सलात की इस्कात के लिए पाँच सोने के सिक्के। रमज़ान में एक महीने के रोज़ों की इस्कात के लिए एक सोने का सिक्का। इस तरह, सोने के सिक्कों का नंबर का फिरना और घूमने का नंबर इसके मुताबिक गिनती किया जाता है।

नमाज़ की इस्कात पूरी होने के बाद, अढ़तालीस सालों के छोड़े हुए रोज़ों, यानी, उनके लिए जिसकी कज़ा बनाई गई वो, (वारिस या उसका नायब तीन दोर बनाएगा

पाँच सोने के सिक्कों और चार गरीब लोगों के सात। इस वास्ते, एक साल के रोज़ों के (तीस दिन के) कफ़ारों के लिए 52.5 साढ़े बावन किलोग्राम गेहूँ, या 5.25 ग्राम सोना, यानी 0.73 सोने के सिक्के चाहिए। इसलिए, हन्फ़ी मसलक में, **एक सोने का सिक्का एक साल के रोज़े के कफ़ारत को अज़ाद करता है**, और इसलिए, ये ज़रूरी है के अढ़तालीस सालों के लिए अढ़तालीस सोने के सिक्के देना ज़रूरी हैं। एक दोर पाँच सोने के सिक्कों और चार गरीब लोगों के साथ पूरा करने का मतलब है के बीस सोने के सिक्के देना रोज़ों की इस्कात जिनकी कज़ा चाहिए थी अदा करने के बाद, कुछ दोर पहले ज़कात के लिए और फिर कुरबान के लिए अदा किए जाएँ।

एक कसम के कफ़ारत के लिए एक दिन में दस लोगों की ज़रूरत है, और एक दिन के रोज़े के कफ़ारे के लिए जिसे बग़ैर किसी काबिले कुबूल उज़र के तोड़ा गया और जिसके लिए कफ़ारा ज़रूरी है उसके लिए एक दिन में साठ मिसकीन/गरीब लोग चाहिए; और, एक गरीब शख्स को एक दिन में आधे सेर से ज़्यादा गेहूँ न दिया जाए। यानी, कई कसमों का कफ़ारा उसी दिन के अंदर दस गरीब लोगों को न दिया जाए। फिर, कसमों के कफ़ारे और (टूटे) रोज़ों को एक दिन में न किया जाए। अगर (मरने वाला शख्स) अपनी कसमों के लिए (इस्कात का) हुक्म दे, तो तुम दो किलोग्राम गेहूँ का आटा, या उसके बराबर दूसरी जाएदाद जैसे के सोना और चाँदी, दस में से हर एक गरीब लोगों को एक दिन में। या, तुम एक जैसी कीमत लगातार दस दिनों के लिए रोज़ाना एक ही गरीब शख्स को दे सकते हैं। या, (गिनती करते हुए और) देते हुए (पूरा खर्चा) एक गरीब शख्स को कागज़ी पैसे में, तुम्हें उससे कहना चाहिए, “मैं तुम्हें अपना नायब बनाता हूँ। इस पैसे के साथ तुम अपने खाना

खरीद सकते हो और दस दिनों के लिए इसे खा सकते हो, दिन में दो बार, एक बार सुबह में और एक बार शाम में!” अगर वो दूसरी चीज़ें खरीदता है, जैसे के कॉफी और अखबार वजाए अपने आपको खिलाने के जैसे के उसे सलाह दी गई है, तो ये काविले कुबूल नहीं है। सबसे अच्छा तरीका इसे करने का ये है के एक रेस्टरण्ट से सौदा करले और दस दिन का खर्चा उस रेस्टरण्ट को दे दे और गरीब शख्स वहाँ हर सुबह और हर शाम खाना खाए दस दिनों के लिए यही मामला रोजे के कफ़ारे के लिए है जो नीयत (इरादा) करने के बाद टूट जाए और ज़िहार के कफ़ारे के साथ; इन दोनो मामलों में से हर एक में, एक दिन के कफ़ारे के लिए तुम्हें आधा सेर गेहूँ या इतनी ही कीमत की कोई दूसरी मिलकियत हर एक साठ मिसकीनों गरीब लोगों को एक दिन में देने होंगे या एक गरीब शख्स को साठ दिनों के लिए या (साठ दिन के लिए) उसे एक दिन में दो बार खाना खिलाए।

ज़कात की इस्कात (मैय्यत के ज़रिए) हुकूम नहीं दी गई तो उसे अदा करना ज़रूरी नहीं है। फतवा वारिस को इजाज़त देता है के ज़कात की इस्कात का दोर वो अदा कर सकता है अपनी खुद की इच्छा से।

जब दोर किया जाए, तो हर बार गरीब लोगों को सोना दिया जाए, वली सलात या रोजे की इस्कात की नीयत करे। गरीब शख्स को ये भी कहना चाहिए, “मैने (ये) तोहफे के तौर पर दिया,” जैसे वो सोने को वापिस देगा और वली को ये कहना चाहिए, “मैने (इसे) हासिल किया।” अगर वली इस्कात अदा करने के लायक नहीं है, तो वो दूसरे शख्स को अपना नायब बना सकता है मरने वाले शख्स की इस्कात अदा करने के लिए।

इमाम बिरगिवी के ज़रिए **वसीयतनामे** के आखिरी हिस्से में और कादीज़ादे अहमद अंफ़दी रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम के ज़रिए उसकी वज़ाहत में लिखा गया है: ये पहले से शर्त है के गरीब लोगों के पास निसाब

(जाएदाद की) की रकम हो। उनके लिए इजाज़त है के वो मरने वाले शख्स के रिश्तेदार हो सकते हैं। जब गरीब शख्स को (सोने के सिक्के) दिए जाएँ तो वली को ये कहना चाहिए, “मैंने तुम्हें ये फलौं और फलौं की इस्कात के लिए फलौं और फलौं कई सलात की इबादतों के लिए दिया है।” और गरीब शख्स को कहना चाहिए, “मैं इन्हें कुबूल करता हूँ,” और जब वो उन्हें अपनी तहवील में ले ले तो ये जान ले के ये सोने के सिक्के उसके हैं। अगर वो ऐसा नहीं जानता है तो उसे पहले से इसके बारे में बताया जाए। और ये गरीब शख्स, रहमदिली दिखाते हुए, अपनी ही जैसे दूसरे गरीब शख्स को सोने के सिक्के दे दे, ये कहते हुए, “मैं तुम्हें ये फलौं-फलौं की सलात की इस्कात के लिए दे रहा हूँ।” बाद वाला, उनको अपनी तहवील में लेते हुए, ये कहेगा, “मैंने इन्हें कुबूल किया।” जब वो उनको अपनी तहवील में ले तो उसे ये जान लेना चाहिए वो उसकी जाएदाद है। दोर कुबूल नहीं किया जाएगा अगर वो उन्हें हिफाज़त के तौर पर जमा करे या तोहफे की तरह देने के लिए। और ये दूसरा गरीब शख्स, ये कहने के बाद, “मैं लेता हूँ और उन्हें कुबूल करता हूँ,” तीसरे गरीब शख्स को इन्हें देते हुए ये कहे, “मैं तुम्हें इसी तरीके से इन्हें दे रहा हूँ।” इस तरह, दोर नमाज़ की इबादतों, रोज़ों के लिए, ज़कात के लिए, कुरबानियों के लिए, सद्का फितरों के लिए, अदक के लिए (कसमों की अदाएगी), इंसानी और सारी दूसरी मखलूक के हुक्क (तोड़ने) के लिए किए जाते हैं। फासिद और बातिल खरीदो, और फरोख्त इंसानी हुक्क तोड़ने वाले ज़मरे में आते हैं। एक हल्फ रोज़े के कफ़ारों के लिए दोर करने की इजाज़त नहीं है।

दोर के मुकम्मल होने के बाद, आखिरी गरीब शख्स सोने के सिक्कों को अपनी तहवील में लेगा और रहमदिली दिखाते हुए अपनी खुद की मरज़ी से और अपनी खुद की इच्छा से वली को उन्हें तोहफ़ा दे सकता है। सरपरस्त उन्हें ले लेगा, ये कहते हुए, “मैं इन्हें कुबूल करता हूँ।” अगर वो (गरीब शख्स)

उन्हें तोहफ़ा नहीं देता, तो उन्हें ज़बरदस्ती नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये उसकी अपनी मिल्कियत है। सरपरस्त इन गरीब लोगों को कुछ सोने के सिक्के या कुछ कागज़ी रकम या मरने वाले शख्स की जाएदाद में से कुछ उन्हें दे दें और इस ख़ैरात का सवाब करने वाले शख्स की रूह को पहुँचाए। एक गरीब शख्स जो कर्ज़ में हो या एक बच्चा जो बलूग़त की उमर को न पहुँचा हो वो दोर में शामिल नहीं हो सकते। इस वास्ते के, जैसे ही वो सोने के सिक्के अपने तहवील में लेगा उसके लिए ये फ़र्ज़ हो जाएगा के वो अपना कर्ज़ा पहले चुकाए। उसे इस बात की इजाज़त नहीं होगी के वो दूसरे शख्स को सोने के सिक्के पकड़ाए मरे हुए शख्स का कफ़ारा अदा करने के लिए बजाए अपने कर्ज़ को चुकाने के। दोर कुबूल हो सकता है, लेकिन वो खुद, अकेले कोई सवाब कमाएगा, वो गुनहगार बन जाएगा।

अगर मरने वाला शख्स बग़ैर किसी जाएदाद के, अपनी वसीयत में दोर करने का हुक्म देता है, तो वली के लिए ये वाजिब नहीं है के दोर को करे। मरते हुए शख्स के लिए ये वाजिब है के वो इतनी जाएदाद की वसीयत करे जो इस्कात के लिए काफ़ी हो, बशर्त ये के विरसे से एक-तिहाई से ज़्यादा न हो। इसलिए, इस्कात बग़ैर दोर के अदा करना ज़रूरी हो जाएगा। वो गुनहगार होगा अगर वो एक तिहाई से कम जाएदाद होने पर दोर करने का हुक्म देगा जबकि एक-तिहाई उसकी जाएदाद इस्कात के लिए काफ़ी है। इबने आबिदीन की पाँचवी जिल्द के एक-दो सौ और तेहत्तर सफ़हे पर लिखा है, “अगर एक बीमार शख्स के छोटे बच्चे हैं या गरीब बड़े बच्चे जिन्हें उसकी विरासत की ज़रूरत है, जो सने बलूग़ को पहुँच चुके हों और जो पाक हों, तो उसके लिए बहतर है के अपनी जाएदाद अपने पाक बच्चों के लिए छोड़ जाए बजाए इसके के नफ़ली पाक कामों और ख़िदमात की (अदाएगी के लिए) वसीयत करे।” **बज़़ाज़िय्या** किताब में तोहफ़ों की गुफ़तगू में लिखा है, “एक शख्स को उसकी मिल्कियत को नेक कामों और ख़िदमत पर लगाना चाहिए

बजाए इसके के वो इसे अपने गुनहगार (अगर वो ऐसे हों) बच्चों के लिए छोड़ जाए। इस लिए, इसका मतलब हुआ गुनाह का साथ देना। और एक शख्स को अपने गुनहगार बच्चे को रकम या जाएदाद उसके रिज़क से ज़्यादा नहीं देना चाहिए।”

अगर एक शख्स के बहुत ज़्यादा सलात, रोज़े, ज़कात, कुरबान और कसम की कज़ाएँ हों तो उसे अपनी वसीयत में ये हुक्म नहीं देना चाहिए के उसकी छोड़ी हुई विरासत में से एक तिहाई से कम में दोर किया जाए और ये के बाकी बची हुई जाएदाद को नेक कामों में लगा दिया जाए जैसे के कुरआन अल-करीम की किरअत, ख़त्स-ए तहलील और मोलीद उसे इस बात की इजाज़त नहीं है। एक शख्स जो ऐसी मज़हबी ख़िदमत के लिए पैसे देता है या लेता है वो गुनहगार बन जाता है। इस बात की इजाज़त है के कुरआन अल-करीम को (किस तरह पढ़ा जाए) पढ़ाने यानी सिखाने के पैसे दिए या लिए जाएँ। ताहम इसको पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं है।

वारिसों के लिए किसी दूसरे शख्स के लिए मरने वाले की छोड़ी हुई नमाज़ की इबादतों या रोज़ों की कज़ा अदा करने की इजाज़त नहीं है। ताहम इस बात की इजाज़त है और वल्लि अच्छा है के नफ़ली सलात और रोज़े अदा करके और उसका सवाब मरने वाले की रूह को पहुँचा दे।

मरने वाले के ज़रिए मुंतख़िब किए गए नायब को इस बात की इजाज़त है के मरने वाले के हज के कर्ज़ की वो कज़ा अदा करदे। ये मरने वाले को उसके (हज के) कर्ज़ से छुटकारा दिलाएगा। इस वास्ते, के हज एक इबादत है जो दोनो से की जाती है जिस्म के साथ और जाएदाद के साथ भी। नफ़ली हज हमेशा किसी के बदले में किया जा सकता है। लेकिन हज जोकि फ़र्ज़ है वो एक नायब के ज़रिए सिर्फ़ उस शख्स के बदले किया जाएगा जो शख्स अपने मरने तक उसे अदा करने के काबिल न हो।

मजमा उल अनहुर और दुर्-उल मुनतका में ये लिखा है कि, “मरने वाले की इस्कात तदफ़ीन से पहले अदा कर देनी चाहिए। कुहिस्तानी में ये लिखा है के तदफ़ीन के बाद भी इसकी इजाज़त है।”

मरने वाले की नमाज़, रोज़े, ज़कात और क़ुरबान के क़फ़ारों की इस्कात अदा करने के लिए, एक गरीब शख्स को उसके निसाब से ज़्यादा रकम देनी चाहिए। असल में, सारे सोने के सिक्के एक ही गरीब आदमी को दे देने चाहिए।

इस बात की इजाज़त नहीं है के एक शख्स मरते वक्त अपनी छोड़ी हुई नमाज़ की इबादतों का फ़िदया अदा करे। अगर एक शख्स इतना बूढ़ा हो के वो रोज़े न रख सके, तो उसके लिए इस बात की इजाज़त है के वो अपने रोज़ों का फ़िदया अदा करे जोकि वो अदा नहीं कर सकता। एक बीमार शख्स को अपनी सलात कम से कम सिर को हिलाकर अदा कर लेनी चाहिए। अगर एक शख्स इतना बीमार हो के वो अपनी सलात की इबादतों को एक दिन से ज़्यादा अदा न कर पाए चाहे इन सब हरकात (अपने सिर के) के साथ भी, तो वो इन सलात की इबादतों के फ़र्ज से अज़ाद हो जाता है। अगर वो बाद में ठीक हो जाए तो उसे इन इबादतों की कज़ा अदा नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब वो ठीक हो जाए तो उसे अपने रोज़े रखने होंगे जो उसने नहीं रखे थे। अगर वो ठीक होने से पहले मर जाए, (उसके गुनाह इन्हें न अदा करने के) तो ये रोज़े उसके माफ़ हो जाएंगे।

आठवाँ हिस्सा

बत्तीस और चौब्वन फराइज़ (अहकामात)

जब एक बच्चा जो, सिने बलूगत को पहुँचता है, या एक काफिर, कलिमात अल-तौहीद (ला इल्लाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह) कहता है, समझता है और उसके मआनी में यकीन रखता है, वो मुसलमान होते हैं। जब एक काफिर एक ईमान वाला बनता है, उसके सारे गुनाह फौरन माफ़ कर दिए जाते हैं लेकिन, किसी भी दूसरे मुसलमान की तरह, जब उसको मौका मिले तो आमन्तु की दुआ को याद करे और उसके मआनी की हू बहू याद करे। वो उसमें यकीन रखे और कहे: “मैं ईमान रखता हूँ के सारा इस्लाम, यानी, अहकामात और मुमानिआत मुहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़रिए फरमाई गई सब अल्लाह तआला के ज़रिए हुकूम की गई हैं।” जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, उसे फराइज़ (अहकामात) और हराम (मुमानिआत) और अख़लाकी सिफ़ात जो हालात उसने तर्जुबा किए उनसे जुड़े हुए सबको उसे सीखना चाहिए। ये फर्ज़ है। अगर वो इन्कार करे, यानी, अगर वो यकीन न करे और इस असलियत को अहमियत न दे के फर्ज़ को अदा करने और सीखना और हराम को नज़रअंदाज़ करना फर्ज़ है, तो वो अपना ईमान खो देता है, वो एक **मुरतद्** [बिदअती, मुंकर] बन जाता है। यानी, अगर वो उन चीज़ों को जो उसने सीखी हैं उनमें से कोई एक को भी नहीं मानता, मिसाल के तौर पर, औरतों का बुरका ओढ़ना- तो वो एक मुरतद् बन जाता है। जब तक के वो तौबा (पछताताप) न करले उस चीज़ के लिए जिसने उसे मुंकर बनाया, तो एक मुरतद् “**ला इल्लाह इल्लल्लाह**” कहने से और इस्लाम के कुछ अहकामात को करने से जैसे के नमाज़, रोज़ा या हज या अच्छे काम करने से वो मुसलमान नहीं बन

जाता। आखिरत में, उसे ऐसे अच्छे काम करने के कोई फ़ाएदे नहीं मिलेंगे। उसे तौबा करनी होगी, उसके इंकार करने से, उसकी बेयकीनी के लिए, उसे माफ़ी मांगनी होगी।

इस्लाम के आलिमों ने बत्तीस और चौब्वन ज़ाएद फ़राइज़ (अहक़ामात) चुने हैं जो हर मुसलमान को याद करने हैं यकीन करने हैं और मानने हैं।

बत्तीस फ़र्ज़/फ़राइज़

ईमान की बुनियादेः छः (6)

इस्लाम की बुनयादः पाँच (5)

नमाज़ के वाजिबात [रस्मी इबादत, सलात]ः बारह (12)

वुजू के रस्मी वाजिबातः चार (4)

गुस्ल के वाजिबात [रस्मी गुस्ल]ः तीन (3)

तय्यमम के वाजिबातः दो (2)

यहाँ पर ऐसे भी आलिम हैं जिन्होंने कहा के तय्यमम के वाजिबात बताए हैं। उस मामले में, ये 33 तक जुड़ जाता है।

ईमान की बनियादेँ (6)

1- अल्लाह तआला के वुजूद और उसकी वहदानियत पर यकीन रखना।

2- उसके फ़रिश्तों में यकीन रखना,

3- अल्लाह तआला के ज़रिए नाज़िल किताबों पर यकीन रखना।

4- अल्लाह तआला के ज़रिए भेजे गए पैग़म्बरों पर यकीन रखना।

- 5- आखिरी दिन (अल-योमिल-आखिर) पर यकीन रखना।
6- इस बात पर यकीन/ईमान रखना के कदर, खैर (अच्छ) और शरे (बुरा), सब अल्लाह तआला की तरफ से आता है।

इस्लाम की बुनियादें (5)

- 7- कलिमा अस-शहादत का इकरार करना,
8- पाँच रोज़ाना की नमाज़ों को उनके मुकरर वक्त में अदा करना।
9- अपनी जाएदाद की ज़कात देना।
10- रमज़ान के महीने के हर दिन का रोज़ा रखना।
11- (उस शख्स के लिए जो इस लायक हो) हज अदा करना [बड़ी ज़ियारत] अपनी ज़िंदगी में एक बार।

नमाज़ के वाजिबात (12)

A. नमाज़ में 12 फर्ज़ हैं, 7 जिसमें से पहले हैं, यानी नमाज़ शुरू करने से पहले। उन्हें शर्ते [शराइत] भी कहा जाता है।

12- तहारत [पाक होना] हदस से [वुजू या गुस्ल की हालत के बग़ैर होने से],

13- नजासत से तहारत [चीज़ें जो इस्लाम ने नापाक बताई हैं],

14- सतर-ए अवरत [जिस्म के उन हिस्सों को छुपाना जिन्हें अवरत कहा जाता है],

15- इस्तिकबाले किब्ला [किब्ले की तरफ मुँह करना],

16- वक्त [मुकरर वक्त],

17- नियत [इरादा],

18- तकवीर-ए तहरीमा [इसे तकवीर-ए इफतिताह भी कहते हैं जिसका मतलब है नमाज़ शुरू करने से पहले अल्लाहु अकबर कहना],
B. नमाज़ के अंदर पाँच फराइज़/फर्ज़ हैं। इनको रूकन कहा जाता है।

- 19- कयाम [खड़े होना],
- 20- किरअत [कुरआन को पढ़ना],
- 21- रूकू [झुकना],
- 22- सज्दा [माथे को ज़मीन पर टिकाना],
- 23- आखिरी क़अदा [आखिरी बैठना],

वुजू के वाजिबात (4)

- 24- मुँह को धोना,
- 25- दोनों हाथों को कोहनियों तक धोना,
- 26- मसह करना [अपने गीले हाथों को रगड़ना] एक-चौथाई सिर का,
- 27- पैरों को गद्दों की हड्डियों तक दोनों तरफ़ से धोना,

गुस्ल के वाजिबात (3)

- 28- चेहरे को धोना,
- 29- नाक के अंदर धोना,
- 30- जिस्म के हर हिस्से को धोना,

तय्यमुम के वाजिबात (2)

31- अपने आपको जनावत से पाक करने या वगैर वुजू की हालत से पाक करने की नीयत करना।

32- दोनो हथेलियों को साफ़ मिट्टी पर रगड़ना और चेहरे का मसह [रगड़ना] करना। फिर दूसरी बार दोनों हाथों को मिट्टी पर रगड़ो और दोनों हाथों को कोहिनियों से लेकर हथेलियों तक मसह करो।

चौव्वन फर्ज/फराइज़

- 1- अल्लाह तआला की वहदानियत में ईमान रखना।
- 2- हलाल चीज़ों को खाना और पीना।
- 3- वुजू अदा करना [धोना]।
- 4- पाँच रोज़ाना की नमाज़ अदा करना जब उनका वक्त आ जाए।
- 5- गुस्ल करना।
- 6- इस बात पर ईमान रखना के रिज़क (गिज़ा) सिर्फ़ अल्लाह तआला के ज़रिए दी जाती है।
- 7- साफ़ और हलाल कपड़े पहनना।
- 8- अपना काम करते वक्त अल्लाह में भरोसा (तवक्कुल) करना।
- 9- जो तुम्हारे पास है उस पर राज़ी रहना।
- 10- अल्लाह तआला की नएमतों के लिए शुक्रिया अदा करना [उसकी नएमतों को इस्लाम के हुकूम के मुताबिक़ इस्तेमाल करना]।
- 11- कज़ा और कदर के साथ राज़ी रहना।
- 12- तकलीफ़ में सवर करना।
- 13- अपने गुनाहों के लिए तौबा [तासीफ़] करना।

- 14- अल्लाह तआला की रज़ा हासिल करने के लिए इबादत करना ।
- 15- शैतान को दुश्मन मानना ।
- 16- कुरआन अल-करीम के हुकूम पर रज़ामंदी करना ।
- 17- मौत के लिए अपने आपको तैयार करना, यानी, कोशिश करना ईमान के साथ मरने की फ़र्जों को अदा करते हुए और हराम को नज़र अंदाज़ करते हुए ।
- 18- अल्लाह तआला जिन्हें प्यार करता है उन्हें प्यार करना और जिन्हें वो प्यार नहीं करता उनसे प्यार न करना और परे रहना [इसे हुब्व-ए फिल्लाह और बुग़द-ए फिल्लाह कहते हैं] ।
- 19- अपने वालदेन पर रहम करना और उन पर महरबानी करना ।
- 20- अमर-ए-मारूफ़ (हुकूम देना और इस्लाम को फैलाना) और नहीं-ए-अन-इल-मुंकर (लोगों को उन चीज़ों के करने से रोकना जो इस्लाम ने ममनुअ करार दी हैं) ।
- 21- उन महरम रिश्तेदारों से मिलने जाना जो इस्लाम को मानते हैं ।
- 22- भरोसे (अमानत) को न तोड़ना ।
- 23- अल्लाह तआला से डरना और ज़्यादती और गुनाह वाली चीज़ों से परे रहना ।
- 24- अल्लाह और उसके पैग़म्बर की फरमावरदारी करना ।
- 25- गुनाहों से बचना और इबादत के कामों को अदा करना ।
- 26- मुसलमान हुकूमरानों की इताअत करना ।
- 27- आसमानी और ख़ाकी मख़लूकात को देखना सबक लेने के लिए ।
- 28- अल्लाह तआला की मौजूदगी के बारे में सोचना ।
- 29- अपनी ज़वान को हराम, फहश लफ़्ज़ों को कहने से महफूज़ रखना ।
- 30- अपने दिल को बेकार चीज़ों और नुकसानदेह दुनियावी इच्छाओं

से पाक और परे रखना ।

31- किसी भी शख्स का मज़ाक न उड़ाना ।

32- हराम चीज़ों को न देखना ।

33- अपने वादे पर कायम रहना ।

34- हराम चीज़ों का न मुनना ।

35- इल्म सीखना ।

36- नापने या तौलने में ईमानदार रहना ।

37- अल्लाह के अज़ाब से अपने आपको महफूज़ न समझना, अल्लाह तआला के गुस्से से ख़ौफ़ज़दा होना ।

38- अपनी जाएदाद में से गरीब मुसलमानों को ज़कात देना और उनकी मदद करना ।

39- अल्लाह के रहम से नाउम्मीद न होना ।

40- अपने नफ़ज़ की ज़ाएद अय्याश इच्छाओं की तकलीद मत करो ।

41- अल्लाह की रज़ा के लिए भूखे शख्स को खाना दो ।

42- वाफ़िर रिज़क (एक शख्स के गुज़ारे के लिए) को हासिल करने के लिए काम करना ।

43- अपनी जाएदाद की ज़कात देना और अपनी फ़सल की अशर देना ।

44- जिमा से परे रहने जबकि एक शख्स की बीवी माहवारी की या दूध पिलाने की हालत में हो ।

45- अपने दिल को बेकार चीज़ों और नुकसान वाली दुनियावी इच्छाओं से पाक करें ।

46- अपने आपको घमंड से रोकना ।

47- यतीम की जाएदाद की हिफ़ाज़त करना ।

48- ऐसी हालतों और हरक़ात से रूकना जो जवान लड़कों की तरफ़

जिस्मानी महसूसात को उभारने का सबब बनें।

49- पाँच रोज़ाना की नमाज़ों को उनके मुकर्रर वक्त में अदा करना, उन्हें छोड़ना नहीं।

50- दूसरों के असासे को नाइंसाफ़ी के साथ ज़बत न करना या लड़ाई झगड़े, यानी गलत हथकंडों के ज़रिए।

51- अल्लाह तआला के साथ किसी को साथी न बनाना।

52- ज़िना, करने से बचना

53- शराब या दूसरी नशीली चीज़ों को न पीना।

54- जब तक के जाइज़ वजह न हो कसम न खाना। (मामूली वजूहात के लिए कसमों को न खाना।)

कुफ़ (बेयकीनी)

सब बुराइयों में सबसे खराब बात है अल्लाह तआला (के मौजूदगी से) से इंकार करना, यानी एक काफ़िर होना। ये कुफ़ है के जिन चीज़ों पर ईमान होना चाहिए उनमें से किसी एक पर कुफ़ करना। मुहम्मद अलैहिस्सलाम पर ईमान न रखना कुफ़ है। (ईमान) का मतलब है दिल से सारे अहकामात को मानना जो मुहम्मद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तआला की तरफ़ से नाज़िल हुए और आपके ज़रिए हम तक पहुँचाए गए, और इस हालत को जुवान से यकीन करना। जब वहाँ पर कोई रूकावट हो इसको खुले तौर पर कहने में तो, इसकी इजाज़त है के इसे जुवान से न कहा जाए। ईमान रखने के लिए, ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करना या कहना जिन्हें इस्लाम ने कुफ़ की अलामतें बताया है तो इन्हें भी नज़र अंदाज़ करना चाहिए। अहकाम-ए इस्लामिया से ग़फ़लत बरतना भी कुफ़ है, यानी इस्लाम के अहकाम या मुमानियत में से किसी भी एक की, कुरआन अल-करीम, फ़िश्रतों या किसी भी पैग़म्बर का मज़ाक उड़ाना, या उनके ज़रिए कही गई किसी भी बात से इंकार करना। इंकार करने का मतलब

है यकीन न रखना, उसको सुनने के बाद उसको कुबूल न करना। उन चीज़ों पर शक करना जो ज़रूरी हैं यकीन रखना इसका मतलब की कुफ़ होता है।

यहाँ पर तीन किस्म के कुफ़ हैं: 1) लाइल्मी की वजह से कुफ़ (जहली), 2) सरकशी की वजह से कुफ़ (जहूदी), और 3) राए के ज़रिए कुफ़ (हुकमी)।

1- लाइल्मी की वजह से कुफ़ (कुफ़-ए जहली): ये उन लोगों का कुफ़ है जिन्होंने (एक खास इस्लामी अकीदे) उसके बारे में नहीं सुना और न ही उसके बारे में सोचा। “जहल” का मतलब है लाइल्मी। दो किस्म की जिहालत है। पहली वाली सादा लाइल्मी है। इस जिहालत के सात लोग ये जानते हैं के वो लाइल्म हैं। उनका कोई यकीन नहीं होता। वो जानवरों की तरह होते हैं क्योंकि इंसानों और जानवरों को जो चीज़ तफरीक करती है वो है इल्म और समझदारी। ये लोग उन जानवरों से भी नीचे हैं क्योंकि हर जानवर अपनी खास बुसअत में जिसके लिए उसे तख़लीक किया गया वो तरक्की पर है। दूसरी किस्म की जिहालत/लाइल्मी मिली हुई जिहालत है (जहल अल-मुरक़ब), जिसका मतलब है गलत और ख़राब ईमान रखना। पुराने ग्रीक फलसफियों का अकीदा और बहत्तर इलहादी मुसलमानों के फिरकों में लोगों के गलत ईमान जो उस रज़ामंदी के मुताबिक नहीं हैं जो इस्लाम में साफ़ बताई गई हैं ओर इस तरह अपना ईमान खो दिया इस किस्म की जिहालत की मिसाल देकर। इस किस्म की लाइल्मी पहली किस्म से ज़्यादा ख़राब है। ये एक बीमार है जिसका कोई ईलाज नहीं।

2- सरकशी की वजह से कुफ़ (कुफ़-ए जहूदी): लोग जो इस गुप में होते हैं कुफ़ को जानबुझकर चुनते हैं या तो क्योंकि वो दुनियावी मरतबों को चाहते हैं या वो घमंडी होते हैं या वो ख़ौफ़ज़दा होते हैं के लोग उन्हें नफ़रत

करेंगे जब वो नए मज़हब में शामिल होंगे। मिसाल के तौर पर, फिरओन और वाएज़नटिन वादशाह हराक़लिस इस किस्म के कुफ़र रखते हैं।

3- राए के ज़रिए कुफ़र (कुफ़र-ए हुक़मी): एक शख़्स जो कुछ कहे या करे जिसे इस्लाम ने कुफ़र की अलामत बताया है वो एक काफ़िर बन जाता है चाहे अगरचे वो दिल से असली में यकीन रखता हो और मुसलमान होने का इकरार करे। ये कुफ़र है के जिसे इस्लाम ने हमें हुकूम दिया है के ज़लील करो उसकी हम इज़ज़त करे और उसकी बेइज़ज़ती करें जिसे इस्लाम ने हमें हुकूम दिया है के इज़ज़त करो।

1- ये कहना “अल्लाह तआला हमें अर्श से या जन्नत से देख रहा है” तो ये कुफ़र है।

2- ये कहना, “अल्लाह तआला तुम्हारे साथ बुरा करे जैसे के तुमने मेरे साथ बुरा किया” कुफ़र है।

3- किसी ख़ास मुसलमान का नाम लेना और कहना, “ये मेरे लिए एक यहूदी की तरह है” कुफ़र है।

4- एक झूठ बोलना और फिर कहना, “अल्लाह जानता है ये सच है” कुफ़र है।

5- फ़रिश्तों के लिए बेहुरमती वाले फ़िकरे कहना कुफ़र है।

6- कुरआन अल-करीम के बारे में कम करके बोलना या चाहे उसके किसी एक हुरूफ़ के बारे में ही क्यों न कहे, इसके चाहे एक हुरूफ़ में यकीन न करे ये भी कुफ़र है।

7- कुरआन अल-करीम को गानों के साज़ों के साथ पढ़ना कुफ़र है।

8- वाएबल और तौरह के असली बयानों से इंकार या रददोबदल कुफ़र है। [आज, वाएबल और तौरह के असली बयान मौजूद नहीं हैं।]

9- कुरआन अल-करीम को उन हुरूफ़ों के साथ पढ़ना जिन्हें शाज़ कहते हैं और ये दावा करना के असली कुरआन पढ़ लिया कुफ़र है।

- 10- पैग़म्बरों के बारे में छोटा बोलना कुफ़्र है।
- 11- पच्चीस पैग़म्बरों अलैहिम-उस-सलवात-उ-व-त-तसलीमात में से किसी एक से भी मुंकर होना जिनके नाम कुरआन अल-करीम में ज़िक्र किए गए हैं तो ये कुफ़्र है।
- 12- ये कहना, “वो एक पैग़म्बर से बहतर है,” एक शख्स के ख़ैराती कामों के बारे में जानकर ये कुफ़्र है।
- 13- ये कुफ़्र का काम है कहना के पैग़म्बर अलैहिम-उस-सलवात-उ-व-त-तसलीमात ज़रूरतमंद लोग थे, पैग़म्बरों के लिए गरीबी उनकी अपनी मर्ज़ी थी।
- 14- अगर एक शख्स दावा करे के वो पैग़म्बर है, तो वो और जो उस पर यकीन करें वो काफ़िर बन जाते हैं।
- 15- आख़िरत में जो वाक्यात होंगे उनका मज़ाक उड़ाना कुफ़्र है।
- 16- कब्र में या आख़िरत में जो अज़ाब नाज़िल होगा उससे इंकार करना कुफ़्र है, [या ये कहना के माकूल नहीं है]।
- 17- इस बात से इंकार करना के ईमान वाले अल्लाह तआला को जन्नत में देख पाएँगे या ये कहना, मिसाल के तौर पर, “मैं जन्नत नहीं चाहता। मैं अल्लाह को देखना चाहता हूँ।” ये कुफ़्र है।
- 18- लफ़ज़ जो इस्लाम से मुनहरिफ़ होने के अलामतें हैं, मिसाल के तौर पर ये कहना, “साईसी इल्म इस्लामी इल्म से बहतर हैं” ये कुफ़्र है।
- 19- ये कहना, “इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे मैं (रोज़ाना की इबादत जिसे कहते हैं) नमाज़ अदा करूँ या नहीं,” ये कुफ़्र है।
- 20- ये कहना “मैं नहीं दूँगा (इस्लाम की ज़रूरी ख़ैरात जिसे कहते हैं) ज़कात,” कुफ़्र है।
- 21- ये कहना, “मेरी इच्छा है के रिवा (सूद) हलाल होता” कुफ़्र है।
- 22- ये कहना, “मेरी इच्छा है जुल्म (बेइरहमी) हलाल होती” कुफ़्र है।
- 23- ये कुफ़्र का काम है के सवाब की उम्मीद रखना (आख़िरत में ई

नाम मिलना) खैरात देने के काम से जो उस जाएदाद से दी गई जिसे इस्लाम के मना किए गए ममनुअ काम जिसे हराम कहते हैं उससे कमाया गया हो, या फिर एक गरीब शख्स से खैरात देने वाले के लिए रहमत मांगी जाए अगरचे जो खैरात दी गई है वो उस माल से आई है जो इस तरह के नाजाइज तरीके से कमाई गई है और वो ये जानता है।

24- ये दावा करना के इमाम आजम अबू हनीफ़ा रहिमाहुल्लाहु तआला के ज़रिए किया गया कियास जाइज़/सही नहीं है कुफ़्र है। इस वजह से, वहाबी काफ़िर बन गए हैं।

25- किसी भी जानी मानी सुन्नतों को नापसंद करना कुफ़्र है।

26- अगर एक शख्स हदीस-ए शरीफ़ सुनता है, “**भेरी कब्र और भेरे मिनबर के बीच में जन्नत के बाग़ों में से एक बाग़ है**” और कहता है, “**मैं कुछ नहीं देखता सिवाए एक कब्र, एक चटाई, और एक मिनबर के,**” तो वो एक काफ़िर बन जाता है।

27- इस्लाम की इस्लामी तालीमात से इंकार करना या इस्लामी तालीमात या इस्लामी आलिमों को हकीर मानना कुफ़्र है।

28- कोई भी जो ये इच्छा रखता हो के एक काफ़िर बन जाए ऐसा बन जाता है जैसे ही वो ये इरादा करता है के एक काफ़िर बन जाए।

29- कोई भी जो ये इच्छा रखता है के दूसरे काफ़िर बन जाएँ वो खुद एक काफ़िर बन जाता है अगर वो उनको काफ़िर इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि वो खुद कुफ़्र को पसंद करता है।

30- एक शख्स काफ़िर बन जाता है अगर वो ऐसे लफ़ज़ कहे जो कुफ़्र का सबब बने इरादतन और इच्छा से। अगर वो ये लफ़ज़ कहता है क्योंकि वो नहीं मानता के इन लफ़ज़ों को कहने से कुफ़्र होता है, तो भी वो शख्स ज़्यादातर इस्लामी आलिमों के मुताबिक एक काफ़िर बन जाता है।

31- जानबुझकर अमल में लाया गया कोई भी काम जोकि कुफ़्र का सबब जाना जाता है उसे करने से उसका नतिजा कुफ़्र ही निकलता है। बहुत

सारे आलिम ऐसे भी हैं जिनका कहना है के ये कुफ़्र का सबब है चाहे जब एक शख्स को ये पता भी न हो के ये काम करना कुफ़्र की वजह बन सकता है।

32- कमर के इरद गिरद एक रस्सी की तरह बेलट (जुन्नार) पहनना या कोई भी ऐसी चीज़ पहनना जो कुफ़्र की अलामत है तो वो एक शख्स को काफ़िर बनने का वाइस हो सकती है। अगर एक कारोबारी/ताजिर इन सबको काफ़िरों के मुल्क में अपने आपको छुपाने के लिए पहने/इस्तेमाल करे, तो वो एक काफ़िर बन जाएगा। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल चुटकलों में या दूसरों को हँसाने के लिए करना भी एक शख्स के लिए काफ़िर बनाने का सबब बन सकता है।

33- जब काफ़िर लोग अपने मज़हबी दिनों का जश्न मना रहे हों, तो उन मज़हबी चीज़ों को करना जिन्हें वो अमल में लाते हैं उस खास दिन में तो ये भी कुफ़्र का सबब बनता है। इसलिए भी, उन चीज़ों को देना, इन मज़हबी पाक दिन में उनके लिए खास है, उन्हें तोहफे के तौर पर देना भी कुफ़्र का वाइस है।

34- बयानात जो ये दिखाने के लिए दिए जाएँ के एक शख्स अदबी आदमी है ये बहुत जानकारी वाला है और अकलमंद शख्स है, या सिर्फ़ दूसरों को हैरान करने के लिए या दूसरों को हँसाने के लिए या दूसरों को खुश करने के लिए ऐसा करना, कुफ़्र का सबब हो सकता है राए के ज़रिए (कुफ़्र-अल हुकमी)। कुछ खास चीज़ों को कहना जबकि एक शख्स तैश में हो तो ये भी राए के ज़रिए कुफ़्र का वाइस है।

35- अगर एक चुगली करने वाला ग़ीबत न करने से इंकार करे और दावा करे के उसने सिर्फ़ एक असलियत बताई थी एक खास शख्स के बारे में, तो ये इंकार भी कुफ़्र का वाइस है।

36- अगर एक लड़की, जिसकी शादी (उसके वालदेन के ज़रिए) एक मुसलमान लड़के के साथ (इस्लामी शादी के मुहाएदे जिसे कहते हैं) निकाह कर दिया गया जब वो बच्ची थी, वो इस्लाम को उसके अकीदे उसूलों को नहीं

जानती, या उनके बारे में पूछे गए सवालों के जवाब नहीं देती, शअर और सिने बलूगत को पहुँचने के बाद, उसका निकाह (शादी का मुहाएदा जिसे इस्लाम के ज़रिए माना गया) वातिल और मंसूख़ माना जाएगा। वो लड़की एक मुस्तदद (विदअती) है। यही कानून एक लड़के पर भी नाफ़िज़ होता है।

37- जब एक शख्स [नाइंसाफी से] एक मुसलमान का कल्ल करता है या कोई किसी दूसरे को फरमान देता है एक मुसलमान को कल्ल करने का, तो अगर एक शख्स ये देख रहा है और अपनी रज़ामंदी के अल्फ़ाज़ बुदबुदाता है, जैसे के, “बहुत अच्छा!” तो वो एक काफ़िर बन जाता है।

38- ये कहना के फलौं फलौं शख्स कल्ल कर दिया जाएगा कुफ़्र का सबब बन जाता है अगर इस्लाम के पेनल कॉड के मुताबिक वो शख्स कल्ल नहीं किया गया।

39- अगर एक शख्स दूसरे को नाइंसाफी के साथ मारे या कल्ल करे, तो उसके इस बेरहम काम को सही करार देना कुफ़्र (बईमानी) है इस तरह कहते हुए, मिसाल के तौर पर, “तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये इसी के लायक था!”

40- अल्लाह के नाम पर झूठ बोलना ये कहकर, मिसाल के तौर पर, “जैसे के अल्लाह जानता है, मैं तुम्हें अपने बच्चों से ज़्यादा चाहता हूँ,” कुफ़्र है।

41- अगर एक शख्स उँचा मरतबा रखने वाला छींक दे और कोई उसकी मौजूदगी में उसे कहदे, (यरहमुकुल्लाह) तो उस शख्स को बेरहमी से ये कहना, मिसाल के तौर पर, “तुम्हे इतने बड़े नरतबे वाले के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए! ये कुफ़्र है। [जब एक मुसलमान छींके, तो ये उसके लिए सुन्नत का काम है कहना। “अलहमुदुलिल्लाह”। और ये फ़र्ज़ का काम (किसी के लिए भी) है उनके लिए जो उसे सुने ये कहना “यरहमुकुल्लाह”।]

42- इस्लाम के अहकामात को संजीदगी से ना लेना भी कुफ़्र है।

43- अल्लाह तआला के रहम से नाउम्मीद होना भी कुफ़्र है।

44- पैसा, जाएदाद या सामान जो आमतौर पर ममनुअ (हराम) नहीं हैं लेकिन बाद में बाहरी सबब या वजह से जिसे (हराम लि-गैरिहि) कहते हैं, मिसाल के तौर पर, चोरी की चीजें या चीजें जिन्हें मना किए हुए तरीकों से हासिल किया गया हो वो ममनुअ बन जाती हैं। उनको न जानना और उन्हें जाइज़ (हलाल) कहना कुफ़्र का वाइस नहीं है। चीजें जैसे सड़ा मांस, मुअर का गोश्त, और शराब जो महक में ममनुअ है उन्हें कहते हैं (हराम लि-अएनिहि) जाइज़ बताना कुफ़्र है।

45- किसी भी बिना शक बताए गए गुनाहों को जाइज़ बताना कुफ़्र है।

46- इस्लाम के ज़रिए इज़्जत दी गई चीजों को छोटा बताना या उनका मज़ाक उड़ाना, मिसाल के तौर पर, अज़ान (नमाज़ के लिए बुलाना) मस्जिदें, फिक्ह-की किताबें, ये सब कुफ़्र का वाइस हैं।

47- रस्मी इबादतों को अदा करना जबकि एक शख्स को पता है के वो पाक (वुज़ू) नहीं है ये भी कुफ़्र का वाइस है।

48- ये भी कुफ़्र है के अगर एक शख्स को पता है के वो किव्ले के खूब के अलावा दूसरे खूब पर रस्मी इबादत कर रहा है। ये कहना के नमाज़ (रस्मी इबादत) को किव्ले की तरफ खूब करके अदा करना ज़रूरी नहीं है कुफ़्र है।

49- एक मुसलमान को काफ़िर कहना उसकी बुरी शख्सियत को खोलने के लिए कोई कुफ़्र का वाइस नहीं होता। ये कुफ़्र का वाइस तब है अगर उसे ऐसा कहना उस शख्स की अपनी इच्छा का इरादा ज़ाहिर करना है के वो मुसलमान एक काफ़िर था।

50- एक गुनाह करना कुफ़्र का वाइस नहीं बनता; ताहम ये कुफ़्र की वजह बनता है इसे हकीर करने के लिए या बेध्यानी में क्या ये एक गुनाह है या नहीं।

51- इस बात पर यकीन न रखना के इबादत करना ज़रूरी है या ये

के गुनाहों से परे रहना ज़रूरी है, ये कुफ़्र का वाइस है।

52- ये मानना के जो लोगों से टेक्स जमा किया जाता है वो हुक्मरों (सुल्तान) की जाएदाद बन जाता है, ये कुफ़्र का वाइस है।

53- काफ़िरों के मज़हबी रसूम को पसंद करना, जुन्नार पहनना या कुफ़्र वाले निशान इस्तेमाल करना बग़ैर शख्स ज़रूरत के, उनको इज़्जत देना, ये सब कुफ़्र है।

54- कोई भी एक शख्स जो अपनी इच्छा से कसम खाए के, “फलों फलों के पास ये चीज़ है या फलों फलों के पास वो चीज़ नहीं है अगर ये सही नहीं है, तो मैं चाहे एक काफ़िर हो या मैं चाहे एक यहूदी हो,” वो एक काफ़िर बन जाता है, चाहे उसका दावा सही है या नहीं।

55- किसी भी चीज़ को चाहना जोकि हराम (ममनुअ) है हर मज़हब में- जैसे के मिलावट, सौदमी, रिबा (सूद), झूठ, के वो हलाल (मंज़ूर) हो जाएँ, ये कुफ़्र (गैर मज़हबी) है।

56- ये कहना “मैं सारे पैग़म्बरों में ईमान रखता हूँ, अगरचे, मुझे ये नहीं पता के क्या आदम अलैहिस-सलाम एक पैग़म्बर हैं या नहीं” ये कुफ़्र है।

57- कोई भी जो ये नहीं मानता के मुहम्मद अलैहिसलाम आख़िरी ज़माने के पैग़म्बर हैं (इंसाफ़ के दिन तक की मुददत) तो एक काफ़िर बन जाता है।

58- कोई भी जो कहे, “अगर जो पैग़म्बरों ने हमें इतलाअ दी है वो सही है, तब हम लोग वो हैं जो आख़िरत में अज़ाब से बच जाएँगे,” वो एक काफ़िर बन जाएगा। [इस मामले में, कुफ़्र ये है के अगर पैग़म्बरों के लफ़्ज़ों की सच्चाई को ऐसे शक के साथ कहा गया था।]

59- अगर किसी को कहा जाए, “आओ, नमाज़ (रस्मी इबादत) अदा करो,” और वो जवाब दे, “मैं नहीं,” तो वो एक काफ़िर बन जाएगा। ताहम, अगर उसका मतलब है “मैं इसे तुम्हारे हुक्म से नहीं पढ़ूँगा, मैं इसे अल्लाह तआला के हुक्म से अदा करूँगा, तो वो एक काफ़िर नहीं बनता।

60- अगर किसी को कहा जाए, “अपनी दाढ़ी को मुट्टी भर से छोटी मत छाँटो” या “अपनी दाढ़ी के हिस्से को अपनी मुट्टी से लम्बी छाँटो” या “अपनी नाग्वून काटो,” क्योंकि ये सब चीज़ें रसूलुल्लाह (अलैहिस-सलाम) की सुन्नत हैं, और जवाब हो, “मैं नहीं,” तो वो एक काफ़िर बन जाएगा। यही उसूल बाकी दूसरी सुन्नतों पर भी नाफ़िज़ होता है। (ये कहना कुफ़र/कुफ़र नहीं है “मैं इसे अदा नहीं करता तुम्हारी हिदायत की वजह से, मैं इसे अदा करूँगा क्योंकि ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। ये कुफ़र है अगर इसे सुन्नत या रसूलुल्लाह के हुक्म के इन्कार करने के इरादे से किया जाए।)

61- जब एक शख्स अपनी मूँछ अरास्ता करता है और दूसरा शख्स उससे कहे “ये बेकार है,” तो दूसरा शख्स अपना ईमान खो देगा। [अपनी मूँछ को तराशना/आरास्ता करना सुन्नत है। वो दूसरा शख्स सुन्नत को हल्का समझता है।]

62- कोई भी जो ये कहे “मैं तुम्हारे लिए बरकत वाला हूँ” उस आदमी को जिसने पूरे सिल्क के कपड़े पहने हों, तो वो अपना ईमान खो देगा।

63- अगर एक शख्स मकरूह काम करता है, जैसे के किल्ले की तरफ़ टाँगें फैलाकर लेट जाए या किल्ले की तरफ़ थूके या पैशाब करे, और कहे, “ये चीज़ें मत करो, ये मकरूह हैं;” और दूसरा जवाब दे, “मेरी इच्छा है के मेरे सारे गुनाह इसकी तरह हों,” वो अपना ईमान खो सकता है क्योंकि उसने मकरूह को ग़ैरअहम समझा।

64- अगर एक नौकर कमरे में दाख़िल होता है और अपने मास्टर/मालिका को इस्लाम के ज़रिए बताए गए अख़लाक के मुताबिक़ सलाम करता है, और कोई उसके मास्टर की मौजूदगी में उससे कहे, “मत बात करो! ये किस तरह एक नौकर के लिए ठीक हो सकता के वो अपने मालिक को कैसे सलाम करे?” वो शख्स जिसने ये कहा वो एक काफ़िर बन जाता है। बहरहाल, अगर उसका मतलब उसे तमीज़ सीखाना है और कहे के उसे अपने मास्टर को संजिदगी के साथ, अपने दिल से सलाम करना चाहिए, तो वो एक काफ़िर नहीं

बन जाता।

65- ये कहना कुफर है के “ईमान बढ़ रहा है या घट रहा है।” अगर एक शख्स इसे ईमान के कामल और यकीन के वास्ते से कहता है तो, ये कुफर नहीं है।

66- ये कुफर है कहना “किब्ले दो हैं। एक काबा, दूसरा जरूसलाम/जरूसलेम।” ये कुफर है अगर एक शख्स अब कहे के यहाँ पर दो किब्ले हैं। अगर उसका मतलब हो के पहले बैत मुकददस जरूसलेम में काबा था, फिर काबा, किब्ला बन गया, तो ये कुफर नहीं है।

67- ये कुफर है के इस्लाम के एक आलिम के खिलाफ बुग़ज़ रखना बग़ैर किसी जाइज़ वजह के, या उसे कोसना।

68- अगर एक शख्स कहे, “आग की इबादत करने वालों का ये माकूल रिवाज है के जब खा रहे होते हैं तो बात नहीं करते,” या, “ये अच्छा बरताव है आग की इबादत करने वालों का के जब एक शख्स की बीबी महीने से होती है या दूध पिलाने वाली हालत में होती है तो उसके बराबर में नहीं सोते,” तो वो एक काफ़िर बन जाता है।

69- अगर एक शख्स से पूछा जाए क्या वो एक ईमान वाला है, और वो जवाब दे “इंशाअल्लाह,” अगर वो जवाब के तौर पर “हाँ,” के अलावा और कोई वज़ाहत नहीं जानता, तो वो एक काफ़िर बन जाएगा।

70- अगर एक शख्स दूसरे से कहे जिसका बच्चा मर गया हो, “अल्लाह तआला को तुम्हारे बच्चे की ज़रूरत थी,” वो शख्स जिसने ये कहा वो एक काफ़िर बन जाएगा।

71- अगर एक औरत अपनी कमर के इतराफ़ काली रस्सी बाँध ले, ओर जब पूछा जाए तो वो जवाब दे “ये जुन्नार है (एक पादरी की कमर की रस्सी),” वो काफ़िर बन जाएगी।

72- कोई भी जो हराम खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े वो एक काफ़िर बन जाता है। ये उसूल उन हराम पर नाफ़िज़ हैं जो महक में हराम हों,

जैसे सड़ा गोश्त और शराब। ये दूसरी और हराम चीज़ों पर आएद नहीं होता जो महक में हराम नहीं। मिसाल के तौर पर, जवरन/छीने हुए खाने को खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना कुफ़र नहीं है। क्योंकि छीनना हराम हैं, न की खाना।

73- ये कुफ़र है के अपने कुफ़र के साथ राज़ी रहना। आलिम एक शख्स के बारे में इस फैसले पर राज़ी नहीं है जो दूसरे पर लानत भेजे ये कहते हुए, “अल्लाह तआला तुम्हारी रूह जब निकाले जब तुम कुफ़र की हालत में हो।” अगरचे, अगर एक शख्स दूसरे के कुफ़र के साथ राज़ी हो, क्योंकि आखिरत में अज़ाब दाएमी और शदीद होगा उस शख्स की बेरहमी और गुनाहों की वजह से, तो ये कुफ़र नहीं है।

74- अगर एक शख्स कहता है “अल्लाह तआला जानता है के मैने फलॉ फलॉ चीज़ नहीं की,” चाहे अगरचे वो जानता है के उसने वो चीज़ की है, वो एक काफ़िर बन जाएगा। उसने अल्लाह तआला के साथ लाइल्मी मंसूब की है।

75- अगर एक शख्स एक औरत के साथ बगैर गवाहों के शादी करता है और अगर आदमी और औरत कहते हैं: “अल्लाह तआला और पैग़म्बर अलैहिस् सलाम हमारे गवाह हैं,” दोनो मर्द और औरत काफ़िर बन जाते हैं। इस वास्ते के, हमारे पैग़म्बर “सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम” ग़ैब (पौशिदा) नहीं जानते थे जब आप ज़िंदा थे। ये कुफ़र है इस बात का दावा करना के आप ग़ैब जानते थे। [सिर्फ़ अल्लाह तआला जिन्हें वो बताता है वो ग़ैब जानते हैं।]

76- अगर एक शख्स कहे के वो चोरी या खोई हुई चीज़ों के बारे में जानता है, वो और जो उस पर यकीन करते हैं काफ़िर बन जाते हैं। चाहे वो कहे जिन्नों ने उसे बताया, वो फिर भी एक काफ़िर है। जिन्नात और पैग़म्बर ग़ैब नहीं जानते। [सिर्फ़ अल्लाह तआला और जिन्हें वो आगाह करे वो ग़ैब जान सकते हैं।]

77- अगर एक शख्स अल्लाह तआला के नाम से हल्फ़ लेना चाहे

और दूसरा उससे कहे, “मैं नहीं चाहता के तुम अल्लाह तआला के नाम से हल्फ लो। मैं चाहता हूँ के तुम अपने अएजाज़ पर हल्फ लो,” वो एक काफिर बन जाता है।

78- अगर एक शख्स दूसरे शख्स से कहे जिसे वो पसंद नहीं करता, “मेरे लिए तुम्हारा चेहरा मौत के फरिश्ते की तरह है,” वो एक काफिर बन जाता है। मौत के फरिश्ते [इज़राईल अलैहिस्सलाम] एक बुलंद फरिश्ते हैं।

79- कोई भी जो ये कहे, “नमाज़ अदा न करना एक अच्छी चीज़ है,” एक काफिर बन जाता है। अगर किसी को बताया जाए, “आओ, नमाज़ (रस्मी इबादत) अदा करो,” ओर जवाब में वो कहे, “नमाज़ अदा करना मेरे लिए मुसिवत का काम है,” वो एक काफिर बन जाएगा।

80- कोई भी जो कहे “अल्लाह तआला आसमान में मेरे गवाह होंगे,” वो एक काफिर बन जाएगा क्योंकि उसने एक जगह अल्लाह तआला से मंसूब करदी। अल्लाह तआला जगह के साथ नहीं है।

81- कोई भी जो कहे “बाप” अल्लाह तआला के बारे में, वो एक काफिर बन जाता है।

82- अगर एक शख्स कहे: “रसूलुल्लाह अलैहिस-सलाम खाने के बाद अपनी मुबारक उंगलियाँ चाटते थे,” और दूसरा शख्स कहे, “ये तो ग़ैर मुनासिब चीज़ ऐसा करना,” तो दूसरा शख्स एक काफिर बन जाएगा।

83- कोई भी ये कहे “हमारे पैग़म्बर अलैहिस-सलाम काले थे,” वो एक काफिर है। [काले कुत्तों को “अरब” कहना, या दूसरी ऐसी फैली हुई आदात को, नज़र अंदाज़ करना चाहिए।]

84- अगर एक शख्स कहे, “रोज़ी अल्लाह तआला बनाता है और उसी के ज़रिए भेजी जाती है। अगरचे, इसके लिए चाहिए के उसके बन्दे काम करें,” ये बुत परस्ती है। इस वास्ते के, बंदों का काम अल्लाह तआला के ज़रिए तखलीक किया जाता है।

85- कोई भी जो ये कहे “यहूदी से बहतर इसाई होना है, या एक

इशतराकी होने से बेहतर है के एक अमरिकन काफिर बन जाए,” तो वो एक काफिर बन जाता है। एक शख्स को इस तरह कहना चाहिए “यहूदी इसाईयों से ज़्यादा खराब हैं, इशतराकी इसाईयों से ज़्यादा खराब हैं।”

86- कोई भी जो कहे “एक काफिर होना भरोसा तोड़ने से बेहतर है,” वो एक काफिर बन जाता है।

87- अगर एक शख्स कहे, “मैं इस्लामी तालीम की तकरीरों के साथ क्या करूँ?” या “इस्लामी आलिम जिसके बारे में बात कर रहे हैं कौन इस काबिल है जो इसे कर पाए,” या वो एक तहरीरी शहादत इस्लामी फरमान के साथ को ज़मीन पर फेंक दे, तो वो एक काफिर बन जाता है।

88- कोई भी जो दूसरे शख्स के लफज़ जो कुफ़र का सबब बने उस पर हँसे, तो वो एक काफिर बन जाता है उस शख्स की तरह जो उसे कह रहा हो। अगर वो पहले से हँस रहा था वो अपनी हँसी रोक नहीं पाया तो, वो एक काफिर नहीं होता।

89- अगर एक शख्स कहे “मज़हब के आला आदमियों की रूहें हमेशा मौजूद रहती हैं,” तो वो एक काफिर बन जाता है। अगर वो कहे “वो मौजूद हो सकते हैं,” ये कुफ़र नहीं है। [अल्लाह तआला के महबूब बंदों की रूहें हाज़िर और दिखाई नहीं देती अल्लाह तआला की तरह। जब उनके नाम लिए जाते हैं वो हाज़िर होती हैं। उनके नाम लेने से पहले, वो वहाँ मौजूद/हाज़िर नहीं होतीं।]

90- कोई भी जो कहे “मैं नहीं जानता के इस्लाम क्या है,” या “मैं इस्लाम नहीं चाहता,” वो एक काफिर बन जाता है।

91- कोई भी जो कहे “अगर आदम अलैहिस-सलाम वो गैहूँ न खाते, तो हम गुनहगार नहीं होते,” वो एक काफिर बन जाता है। ताहम, अगर वो कहता “हम ज़मीन पर न होते,” ये मशकूक है के क्या वो एक काफिर बन जाएगा।

92- अगर एक शख्स कहे “आदम अलैहिस-सलाम कपड़े बुनते थे,”

और दूसरा जवाब दे, “तो, हम वैज़ बनाने वाले के बेटे हैं,” तो जवाब देने वाला एक काफ़िर बन जाएगा।

93- जब एक शख्स काविले माफ़ी गुनाह करता है और दूसरा उसे तौबा करने के लिए कहता है, अगर वो जवाब दे, “मैंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए तौबा करने की ज़रूरत है,” वो एक काफ़िर बन जाएगा।

94- अगर एक शख्स दूसरे से कहे, “चलो इल्म हासिल करें इस्लाम के एक आलिम की तकरीरों में हाज़िरी देकर या फ़िकह की किताबों को पढ़कर और ज़रूरी मज़हबी इल्म हासिल करके,” और दूसरा ये जवाब दे “मैं इल्म के साथ क्या करूँगा,” तो जवाब देने वाला एक काफ़िर बन जाएगा। इस वास्ते, इल्म को कमतर करना हुआ।

95- कोई भी जो तफ़सीर और फ़िकह की किताबों की बेहुरमती करे, इन किताबों को नापसंद करे, तो एक काफ़िर बन जाता है।

96- अगर एक शख्स पूछे “तुम किसकी नसल से हो (आदम अलैहिस-सलाम)?” या “तुम किसकी कौम (इब्राहिम अलैहिस-सलाम) से तअल्लुक रखते हो?”, “ईमान के रास्ते में तुम्हारा रहनुमा कौन है (अबू मंसूर-ए मातुरीदी या अबूल हसन अली असहारी दो में से हर एक),” “तुम्हारे कामों के रास्ते में कौन रहनुमा है” (यानी इमाम-ए आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक बिन अनस, इमाम मुहम्मद बिन इदरीस शाफ़िई या इमाम अहमद बिन हनबल (रहमत-अल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन), वो जो पूछ रहा है और जवाब नहीं जानता, तो वो एक काफ़िर बन जाता है।

97- कोई भी जो दावा करे एक खास हराम को के हलाल है काफ़िर बन जाता है। [ये ख़तरनाक है दावा करना के सिग़ेट पीना हराम है।]

98- ये चाहना के कोई चीज़ जो सारे मज़ाहिब में हराम है और जो अकल के मुताबिक नहीं है, उसे हलाल मानना कुफ़र है। मिसाल के तौर पर; ये चाहना के मिलावट, सौडमी, पूरा भरने के बाद भी खाना, सूद लेना या देना हलाल होता। जैसे के शराब हर मज़हब में हराम नहीं है, तो ये चाहना के ये

हलाल होती, कुफर नहीं है।

99- ये कुफर है के जबकि बेकार बातें की जा रही हों या मज़ाक हो रहा हो तो कुरआन अल-करीम का इस्तेमाल किया जाए।

100- अगर एक शख्स दूसरे शख्स का नाम पुकारे याहया (या याहया! हुज़-इल-किताबे), वो एक काफिर बन जाएगा। उसने कुरआन अल-करीम का मज़ाक उड़ाया। इसी तरह, कुरआन अल-करीम को पढ़ना मयुज़िक के साज़ों के साथ, जोकि डरामों, या गानों में इस्तेमाल होते हैं।

101- ये एक शख्स के ईमान खोने का सबब बन सकता है अगर वो कहे: “मैं आ गया अब विस्मिल्लाही” अगर एक कुछ चीज़ ज़्यादाती/वाफिर मिकदार में देखे और कहे: (माहलअकल्लाहु) और वो इस लफज़ का मतलब नहीं जानता, वो एक काफिर बन जाएगा।

102- अगर एक शख्स दूसरे से कहे: “मैं तुम्हें अब बददुआ नहीं दूँगा। वो कहते हैं कोसना गुनाह से भरा है।” वो अपना ईमान खो सकता है।

103- कोई भी जो कहे “तुम फरिश्ते जिब्रईल के बछड़े की तरह नंगे हो” वो एक काफिर बन जाएगा। ये लफज़ फरिश्ते का तमस्वर है।

104- यहाँ ये डर है के एक शख्स अपना ईमान न खो दे अगर वो हलफों को अल्लाह तआला के नाम में जोड़ दे ऐसे लफज़ों पर जैसे: “मेरे बेटे के सिर पर” या “मेरे सिर पर।” मिसाल के तौर पर, अगर वो कहे: “वल्लाही, मेरे बेटे के सिर पर,” वो अपना ईमान खो देगा।

105- कुरआन अल-करीम, मिलाद या इलाहीस को मौसिकी के साज़ों के साथ पढ़ना कुफर है।

106- ये हराम है के कुरआन अल-करीम, मिलाद, इलाहीस, सलवात-ए शरीफास को गुनाह से भरी महफिल में पढ़ना, चाहे अगर इसे इज़्जत के साथ किया जा रहा हो। इन्हें मज़े या तफरीह के लिए पढ़ना कुफर है।

107- अगर एक शख्स अज़ान को न सुने और उसकी कदर न करे

जिसे सुन्नत के मुताबिक कहा जाए, वो फौरन एक काफिर बन जाता है।

108- वो जो कुरआन अल-करीम को अपनी समझ के मुताबिक वज़ाहत करे एक काफिर बन जाता है।

109- एक शख्स जिसका ईमान उन अकीदों की रज़ा के मुताबिक नहीं है जो कुरआन अल-करीम में और हदीस-ए शरीफ़ में साफ तौर पर बताए गए हैं, या जो एक राए से मुजतहीदों के ज़रिए नशर किए गए हैं और जो मुसलमानों के बीच में जाने जाते हैं, वो एक काफिर बन जाता है। इस तरह का कुफर (इल्हाद) कहलाता है और कोई भी जो इस तरह के तरीके में यकीन करता है वो (मुल्हिद) बन जाता है।

110- कोई भी जो एक काफिर को इज़ज़त देते हुए मुख़ातिब करता है वो एक काफिर बन जाता है।

111- एक काफिर को इज़ज़त से भरी चीज़ें कहना, मिसाल के तौर पर “मास्टर”, कहना कुफर है।

112- कोई भी जो किसी दूसरे शख्स के कुफर को रज़ामंदी दे वो खुद एक काफिर बन जाता है।

113- कुरआन अल-करीम जिन कैसेट्स और रिकार्ड्स में रिकार्ड किए जाते हैं वो भी मुसहाफ़-ए शरीफ़ (एक किताब जिसमें कुरआन अल करीम लिखा गया वो मुसहाफ़ कहलाता है) की तरह कीमती हैं। उनकी बेहुरमती करना कुफर है।

114- पैशनगाई करने वाले जो जिनों से मिलते हैं, या वो लोग जो जन्म पत्री इस्तेमाल करते हैं, और हर पूछे गए सवाल का जवाब देते हैं उनपर यकीन करना, या ये जादू देखने वाले क्या कहते हैं और करते हैं, चाहे अगर वो जो कहते हैं कभी सही भी हो सकता है, इसका मतलब हुआ के अल्लाह तआला के अलावा कोई दूसरा भी सब कुछ जानता है और जो वो चाहे कर सकता है। ये कुफर है। [साईन्सी इल्म से इंकार करना कोई कुफर नहीं है।]

115- ये कुफर है के एक सुन्नत को कमतर जानते हुए इसे ग़ैर अहम

जानते हुए छोड़ देना।

116- ये कुफ़र है एक पादरी की कमर की रस्सी (जुन्नार कहते हैं) को पहनना, मुरतियों की इबादत करना या इज़्ज़त देना, यानी, सलीबें, बुत या उनकी तस्वीरें, मज़हबी किताब की बेहुरमती करना जो इस्लामी उसलों को बताए, इस्लामी आलिम का मज़ाक उड़ाना, ऐसा कुछ कहना जिससे कुफ़र का सबब बने, किसी चीज़ की बेइज़्ज़ती करना जिसे हमें इज़्ज़त करने का हुकूम दिया गया हो और किसी चीज़ की इज़्ज़त करना जिसकी बेइज़्ज़ती करने का हमें हुकूम दिया गया हो।

117- कोई भी जो कहे “एक जादूगर, अपने जादू के साथ, कुछ भी कर सकता है जो वो चाहे। उसकी जादूगरी मुकम्मल असर रखेगी,” और वो जो इन लफज़ों को मानेंगे, वो काफ़िर बन जाएँगे।

118- अगर एक मुसलमान पक्के तौर पर जवाब दे जैसे के “हाँ,” उस शख्स को जिसने उसे काफ़िर पुकारा, वो एक काफ़िर होगा।

119- ये कुफ़र है के अपनी जाएदाद में से जोकि हराम मानी जाती है उसमें से मस्जिदें तामिर कराने या ख़ैरात देने या कोई और ख़ैरात का काम उसमें से करने के बदले सवाब की उम्मीद रखना।

120- अगर एक शख्स अपनी जाएदाद में से ख़ैरात देता है जोकि बेशक हराम है, और बदले में सवाब कमाने की उम्मीद रखे, और वो गरीब जो ख़ैरात लेता है, वो ये जानता है के उस माल में से है जो हराम है, वो कहता है: “अल्लाह तआला की रज़ा हो,” और ख़ैरात देने वाला या दूसरा शख्स कहे: “आमीन (आमेन),” वो सब काफ़िर बन जाएँगे।

121- ये कुफ़र है के दावा करना के एक औरत से शादी करलो जो हराम है शादी करने के बाद वो हलाल है।

122- ये कुफ़र है के कुरआन अल-करीम को और मोलिद को मज़े के लिए रेडियो और लाऊड स्पीकरों में शराब खानों में या गुनाह वाली मजलीसों में सुनना।

123- ये कुफ़र है के कुरआन अल-करीम को म्यूज़िक के साज़ों के साथ पढ़ना ।

124- कुरआन अल-करीम जो रेडियो या लाऊड स्पीकरों से सुनाई दे रहा है उसकी बेहुरमती करना चाहे अगरचे जो आवाज़ सुनी जा रही है वो कुरआन अल-करीम की अपनी नहीं है, लेकिन मकनातीसी लहरें ये भी कुफ़र है ।

125- ये कुफ़र है किसी को या किसी चीज़ को “खालिक” कहना अल्लाह तआला के अलावा, कोई फ़र्क नहीं के एक शख्स ने क्या दलालत दी ।

126- ये कुफ़र (ग़ैर मज़हबी) का वाइस है कहना अब्दुलकोएदुर, बजाए अब्दुलकादिर के, जब इरादतन कहा जाए । इसी तरह ये कहने के साथ है अबदो बजाए अब्दुल उज़ैज़ के, मेमो बजाए मुदम्मद के, हस्सो बजाए हसन के, और इवो बजाए इब्राहिम के । कुछ ताजिर लोग इन मुबारक नामों को अपने जूतों या चप्पलों पर लिखते हैं इशतेहारों के लिए क्योंकि ये उनके नाम हैं, और वो जो इन्हें ख़रीदते हैं उन्हें अपने पैरों में पहनते हैं, और, इस तरह, उन पर चढ़ जाते हैं । ये डर होता है के दोनो ही जिसने उसे लिखा और वो जो उन पर चढ़ रहा है वो अपना ईमान खो सकते हैं ।

127- नमाज़ अदा करना जबकि एक शख्स जानता है के उसने रस्मी वुजू अदा नहीं किया है तो ये कुफ़र है । एक सुन्नत को नापसंद करना कुफ़र है । सुन्नत को अहमियत न देना भी कुफ़र है ।

128- ये दावा करना “हम पीरों की कब्रों को गिरा रहे हैं क्योंकि हमें खतरा है के जाहिल ये समझेंगे के ये खालिक हैं,” कुफ़र है ।

129- किसी को भी, खासतौर से अपने खुद के बच्चे को काफ़िर बनने का सबब बनना कुफ़र है ।

130- ये कुफ़र है के दावा करना के ज़िना और लोंडियावाज़ी/सौडमी की इजाज़त है ।

131- ये कुफ़र है के हराम को अहमियत न देना जिसे नास [यानी, आयत या हदीस] के ज़रिए या इजमा [सहाबत अल-करीम और ताविअन के एक act या वयान के ज़रिए, मुतफिक राए, या ऐसे मामलों पर रज़ामंदी] के ज़रिए बताया गया।

132- बड़े गुनाहों को मसलसल करते रहना, उनको करने में वज़िद रहना, एक शख्स को काफिर बनने की तरफ मोड़ देती है। ये कुफ़र है नमाज़ की तरफ अहमियत को न मिलाना।

133- ये कुफ़र है एक कागज़, कवर, या इबादत की दरी को ज़मीन पर रखना, अगर उन पर एक इस्लामी तहरीर है या चाहे एक इस्लामी हुरूफ़ ही क्यों न हो [अगर ये काम उनकी बेहुरमती करने के लिए किया गया।]

134- ये कहना “अबू बकर सिददीक़ और उमर अल फारूक को ख़ालीफ़ा बनने का कोई हक़ नहीं था,” ये कुफ़र है।

135- ये कुफ़र है के एक मरे हुए आदमी से कुछ उम्मीद करना, अगर एक शख्स ये माने के मरा हुआ शख्स कुछ तख़लीक कर सकता है। [सिर्फ़ अल्लाह तआला ख़ालिक है।]

136- ये बहुत नामुनासिब और कुफ़र है अल्लाह तआला को “बड़ा बाप पुकारना जो चीज़ें जल्दी बख़्श देता है।”

137- ये फ़र्ज़ है के मरे हुए को ज़मीन में दफ़नाना। अगर एक शख्स जो इस काम से परे रहे, इसे कोई अहमियत न दे और साईन्स के बारे में उज़र दे, कहे: “ये दकियानूसी है मरे हुए को दफ़नाना। ये ज़्यादा बहतर है के उन्हें बुधों, ब्राहमणों या इशतराकी का काफ़िरों की तरह जला दो,” वो एक काफ़िर बन जाता है।

138- ये कुफ़र है के अल्लाह तआला के एक प्यारे बंदे को दिल से या जुबान से इंकार करना, चाहे वो प्यारा बंदा जिंदा हो या मुरदा।

139- ये कुफ़र है के अल्लाह तआला के प्यारे बंदों की तरफ़ और इस्लामी आलिमों की तरफ़ नापसंदिदगी रखो जो इस्लामी तालीम के मुताबिक

काम कर करते हैं।

140- ये कुफ़र है कहना के औलिया (फकीर) इस्मा (पाकी) की सिफ़त रखते हैं। [इस्मा का मतलब है किसी भी वक्त कोई भी गुनाह नहीं करते। ये सिफ़त सिर्फ़ पैग़म्बरों के लिए खास है।]

141- ये डर है के कोई भी जिसने वातिन के इल्म से कोई हिस्सा नहीं लिया [अंदरूनी, पौशिदा इल्म दिल और रूह से ताअल्लुक रखने वाली] वो एक काफ़िर की तरह मर जाएगा। इस इल्म में सबसे कम दर्जे का हिस्सा रखने वाला इसकी मौजूदगी में ईमान रखने वाला है।

142- ये कुफ़र है के कुरआन अल-करीम को इस तरह पढ़ना जिस तरह इससे पहले किसी भी इस्लामी आलिम ने नहीं पढ़ा, चाहे अगर इस तरह किरअत करने से उसके मआनी और लफ़्ज़ों में कोई बिगाड़ पैदा न हुआ हो।

143- ये कुफ़र है के इसाई पादरियों की किसी खास इबादत की चीज़ को इस्तेमाल किया जाए।

144- ये कुफ़र है ये मानना के एक वाक्या अपने आप रोनुमा होता है, इस तरह कहना के जानवरों का एक अकेले ख़लिए से जानदार चीज़ों से पनपना और आख़िर में इंसानी मख़लूक।

145- कोई भी जो नमाज़ अदा नहीं करता मकसद से, जो उसकी कज़ा की नीयत नहीं करता, जो डरता नहीं के आख़िरत में उसे सज़ा मिलेगी इस छोड़ने की वजह से, वो हनफ़ी मसलक के मुताबिक़ एक काफ़िर होता है।

146- ये कुफ़र है काफ़िरों की इबादत करना, जैसे के म्युज़िक के साज़ों को बजाना एक अज़ा या एक घंटी की तरह, जो वो अपने गिरजाघरों में खेलते हैं, मस्जिदों में, या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना जिन्हें इस्लाम ने कुफ़र की अलामते बताया है, जबकि उनकी वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं (सख़्त ज़रूरत या ज़वरदस्ती)।

147- वो जो असहाब-ए किराम को कोसते हैं वो मुल्हिद कहलाते हैं। मुल्हिद एक काफ़िर होता है।

148- ये कुफ़र है के एक काफ़िर को उसकी तस्वीर टॉग कर इज़्जत देना।

149- ये कुफ़र है सलीबों, सितारों, सूरज, गायों या ऐसी कोई दूसरी चीज़, तस्वीरें या बुत को इज़्जत देना, ये मानते हुए के ये या वो जो उन्होने बनाए हैं वो रूहानी सिफ़ात रखते हैं जैसे के तख़लीक करना वो जो चाहें या वीमारी का इलाज करना।

150- कोई भी जो हज़रत आएशा पर बोहतान लगाए [कोई जो कहे वो एक मिलावटी/बनावटी थीं] या वो जो ये नहीं मानते के उनके बाप एक सहाबी हैं वो एक काफ़िर बन गया।

151- ये एक यकीनी इल्म है के इसा अलैहिस-सलाम आसमान से उतरेंगे। कोई भी जो ये नहीं मानता वो एक काफ़िर बन जाता है।

152- एक शख्स को जिसे कुरआन अल-करीम में या हदीस-ए शरीफ़ में जन्नत की खुशी की खबर सुनाई गई हो उसे एक काफ़िर बुलाना, कुफ़र का वाइस है।

153- ये एक बहुत बड़ा जुर्म है के आयत-ए करीमाओं और पाक सलफ़ के ज़रिए (मुसलमानों की पहली तीन नसलें) उनकी वज़ाहत को बिगाड़ने की कोशिश करना, जोकि साईन्स और साईन्सी तर्जुबात से परे हैं और साईन्स से उसका कुछ लेना देना नहीं, इस तरह साईन्सी इल्म में वो रज़ा के साथ महसूस किए जा सकते हैं। जो कोई भी ऐसी तफ़सीर या तर्जुमा करता है काफ़िर बन जाता है।

154- अगर एक लड़की जो मुसलमान कहलाई जाती है जब बाशअर होती है और सिने बलूग़त को पहुँचती है इस्लाम को नहीं जानती, तो वो एक काफ़िर होती है बग़ैर मज़हब के। यही उसूल/कानून एक मर्द बच्चे पर भी आएद होता है।

155- ये एक मुसलमान औरत के लिए हराम और गुनाह से भरा है बाहर जाना जबकि उसका सिर, बाजू और टॉग खुली हों और उन्हें मर्दों को

दिखाना। अगरचे वो इस हकीकत को कमतर जानती है, अगर वो इसे कोई अहमियत नहीं देती तो, वो अपना ईमान खो देती है, वो एक काफिर बन जाती है।

156- फर्ज और हराम जो हमारे पैगम्बर अलैहिस-सलाम ने बताया वो कुरआन अल-करीम में साफ़ बताया गए फर्ज और हराम की तरह कीमती हैं। वो जो उन्हें नहीं मानते, वो जो उनसे इंकार करते हैं अपना ईमान खो देते हैं।

157- एक शख्स को रूकू की तसवीह में अजीम 'ज़ी' के साथ कहना चाहिए जिसका मतलब है मेरा रब अफ़ज़ल है। अगर, इसके बजाए, इसे 'ज़े' के साथ बोल दिया तो इसका मतलब है, 'मेरा रब मेरा दुश्मन है', और सलात (नमाज़) बातिल और ख़ारिज हो जाएगी, मआनी किसी चीज़ से बदल जाना कुफ़र का बाइस था।”

158- एक शख्स अपना ईमान खो देता है अगर कहे, 'कितनी खुबसूरती से तुमने किरअत की!' एक हाफिज़ को जो कुरआन अल-करीम को खुश आहंगी से किरअत कर रहा था। ये इसलिए क्योंकि वो जो किसी चीज़ के लिए 'अच्छा' कह रहा है जोकि हराम है, चारों मसलकों के मुताबिक, वो एक काफिर (ग़ैर मज़हबी) बन जाता है। अगर उसका मतलब है उसकी अवाज़ तो वो एक काफिर नहीं बनता।

159- कोई भी जो ये न माने के फरिशतें और जिन्नात मौजूद हैं वो एक काफिर बन जाता है।

160- कुरआन अल-करीम सतरें साफ़ और मशहूर मआनी देती हैं। कोई भी जो मज़हबी फिरके जिसे कहते हैं बातनीस (इसमाइलीस) उनकी तकलीद करते हैं उनके मआनी को बिगाड़ते हुए तो वो एक काफिर बन जाता है।

161- जादू से सलूक करते वक्त, अगर एक शख्स कहे या कुछ ऐसा करदे जिससे कुफ़र की वजह बने, वो एक काफिर बन जाता है।

162- अगर एक शख्स एक मुसलमान को “काफिर” कहे [या अगर एक शख्स एक मुसलमान को एक पादरी या इशतराकी बुलाए], और ये माने के वो मुसलमान एक काफिर है असल में, वो खुद एक काफिर बन जाता है।

163- एक शख्स जो इवादतें करता है और फिर भी शुबह में रहता है क्या उसका ईमान कायम है, महसूस करता है के उसके बहुत सारे गुनाह हैं और सोचता है के उसकी इवादतें उसे नहीं बचा पाएंगी, तो उसके ईमान की मज़बूती पर सवाल है।

164- पैग़म्बरों को नम्बर देने का मतलब ये हो सकता के एक ग़ैर-नबी भी एक नबी थे या इसका मतलब ये हो सकता है के नबी की नब्बुवत को कुबूल न करना। ये कुफ़र है। इस वास्ते, एक पैग़म्बर से मुंकर होने का मतलब है सारे/हर एक पैग़म्बर से इंकार करना।

एक मुसलमान, मर्द या औरत, अपना ईमान खो देता/दिती है जब वो ये कहे या कुछ चीज़ करे जिसे इस्लामी आलिमों के ज़रिए मुतफ़िक़ राए से कुफ़र की वजह बयान किया गया, और जो वो जानता/जानती है के अगर करेंगे तो कुफ़र का वाइस होगा, लेकिन वो इसे जानबुझकर [इच्छा से, किसी दबाव के बग़ैर] करता/करती है, चाहे वो इसे करे या कहे संजिदगी के साथ या मज़ाक के साथ, इस बात से परे के कोई क्या कह रहा है ये कोई इसका कानून नहीं है। वो शख्स एक (मुर्तद) (मुशिरक) बन जाता है। कुफ़र का ये दरजा (कुफ़र-ए इलादी) कहलाता है। उस शख्स के पिछले सवाब जो कुफ़र-ए इलादी के ज़रिए एक मुर्तद बन गया सब बातिल और ख़ारिज हो जाएंगे। अगर ये मुर्तद तौबा करले, तो उसकी पिछली इवादतों के सवाब वापिस नहीं मिलेंगे। अगर वो मालदार है, उसे हज़ दोबारा करना होगा। ये उसके लिए ज़रूरी नहीं है के अपनी साबका सलात को दोबारा अदा करे, जो ज़कात दे चुका है उसे दोबारा दे, या वो रोज़े दोबारा रखे जो वो अदा कर चुका है उस दौरान जबकि वो एक मुर्तद था। लेकिन ये ज़रूरी है के अपने मुर्तद होने से

पहले जो इबादत के काम उसने नहीं किए थे उन्हें अदा करे। तौबा के लिए सिर्फ कलिमा-ए शहादत कह लेना काफी नहीं है। जिन चीजों की वजह से मुरतदद बना था उनकी भी तौबा करनी चाहिए। [उसे उसी दरवाजे से इस्लाम में दाखिल होना होगा जिस से वो बाहर निकला था।]

अगर एक शख्स कहे या कुछ चीज करे जिसका उसे पहले पता नहीं था के ये मुरतदद की वजह बन सकता है, या एक शख्स जानबुझकर एक लफ़ज़ कहे जोकि इस्लामी आलिमों के ज़रिए मुतफ़िक़ राए से बयान नहीं किया गया वो मुरतदद का सबब हो सकता है, इस मामले में, ये शुबह वाली बात है के क्या उसने अपना ईमान खो दिया या अगर उसका निकाह ख़त्म हो गया। अहतियात के तौर पर, ये बहतर है के वो अपना ईमान और निकाह दोबारा कायम करे। इसे (कुफ़र-ए जहली) (कुफ़र-ए लाइल्मी) कहते हैं किसी लफ़ज़ को जाहिर करना जिसे तुम नहीं जानते के वो लादीन का सबब बन सकती है। इन मामलों से लाइल्मी जाहिर करना एक उज़र नहीं है, और ये एक बड़ा गुनाह है एक मुसलमान के लिए। इस वास्ते एक मुसलमान के लिए ये फ़र्ज़ है के उन चीजों को सीखना जो हर किसी के लिए जानना ज़रूरी हैं। एक शख्स का निकाह और ईमान बातिल नहीं होता जब वो एक लफ़ज़ को जाहिर करे जो लादीनी का सबब बनता है। अगर हादसाती तौर पर कहे, घबराहट में या वज़ाहत करने की हालत में। इस मामले में, ये अहतियात करना चाहिए के तौबा और इस्तिग़फ़ार करले, वो तजदीद-ए ईमान (एक शख्स के ईमान को बहाल करना) करना हुआ।

एक काफ़िर एक मुसलमान बन जाता है कलिमा-ए तौहीद को कहकर। इसी तरह, एक मुसलमान एक लफ़ज़ कहकर काफ़िर बन सकता है। अगर एक मुसलमान की हरकत या बयान से एक सौ मआनी निकलते हैं, और अगर उनमें से एक लफ़ज़ ये निशानदही करे के वो एक मुसलमान है जबकि उनमें से निन्यानवें ने दिखाया के वो एक काफ़िर है, तो हमें कहना

पढ़ेगा के वो एक मुसलमान हैं। यानी, निन्यानवें मआनी जो कुफ़र की मौजूदगी की निशानदही करते हैं वो हिसाब में नहीं लिए जाते। बाकी वचा हुआ एक मआनी जो ईमान की मौजूदगी की निशानदही करता है वो हिसाब में लिया जाता है। हमारे ये लफ़ज़ गलत न समझे जाएँ। इसे गलत न समझे जाने के तरीके से, दो नुक़तों पर ग़ौर करना चाहिए। पहला, वो शख़्स जिसका बयान या हरकत सवाल में है उसका मुसलमान होना। जब एक फ़्रेंच आदमी कुरआन अल-करीम की तारीफ़ करता है, या एक अंग्रेज़ शख़्स कहे के वहाँ सिर्फ़ एक ख़ालिक है, तो ये नहीं कहा जा सकता के वो मुसलमान हैं। दूसरा नूक़ता जिस पर के ग़ौर दिया जाए वो है के वाहिद बयान या एक अकेली हरकत से एक सौ मआनी के बारे में क्या कहा गया। अगर, ताहम, सौ बयानात में से एक ईमान की निशानदही करता है जबकि बिन्यानवें उनमें से कुफ़र दिख़ाते हैं, तो हम ऐसे शख़्स को मुसलमान कहने का हुकूम नहीं दे सकते।

हर मुसलमान को हर सुबह और शाम मंदरजाज़ेल ईमान की दुआ कहनी चाहिए और इस तरह एक शख़्स को तौबा करनी चाहिए और अपना ईमान और निकाह तजदीद कराना चाहिए:

“अल्ला हुम-म इन्नी अऊज़ु बिक मिन अन उशिरक-बि-क शै अंव वअना आलमु व अस्तग़िफ़रुक लिमा ला-आलमु इन्नी-क अनता आलमुल-गुयूब।”

“अल्ला हुम-म इन्नी उरीदु अन उजददिदल ईमाने व-इन्नी का हा तजदीदेन बि-कोलि ला-इलाहि इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह।”

अपने ईमान को खोना नहीं और बराबर बनाए रखना

1- हमें ग़ैब में यकीन रखना चाहिए। [ग़ैब में ईमान रखना यानी साबित करना, के माना और मंजूरी के साथ यकीन किया उस मज़हब में जिसे रसूलुल्लाह ने पैग़म्बर के तौर पर बताया उसे बग़ैर दिमाग़, तर्जुबे और फ़लासफ़ी की सलाह से ये देखना के वो उसके मुताबिक है भी या नहीं।]

2- हमें ये मानना चाहिए के सिर्फ़ अल्लाह तआला और वो जो उसके ज़रिए आगाह किए गए ग़ैब को जानते हैं।

3- हमें यकीन रखना चाहिए, यानी, हराम को हराम मानना चाहिए।

4- हमें यकीन रखना चाहिए, यानी, हलाल को हलाल मानना चाहिए।

5- हमें अल्लाह तआला के गुस्से से डरना चाहिए और अपने आपको उसके आज़ाब से महफूज़ नहीं समझना चाहिए।

6- हमें उसकी शफ़क़त से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इस हालत में के एक शख्स इस बात से मुंकर हो के उसने कुछ किया है जो लादीनी का सबब बने, इसका मतलब है तौबा (तासीफ़)। अगर एक मुरतदद (एक शख्स जो इस्लाम से मुंकर हो गया हो) बग़ैर तौबा (माफ़ी) के मर जाए, तो उसे दोज़ख़ में हमेशा के लिए आज़ाब हासिल झेलना पड़ेगा। इसलिए, हमें कुफ़र से डरना चाहिए और कम बोलना चाहिए। एक हदीस-ए शरीफ़ में ये अहक़ाम हैः (हमेशा वो कहो जो इकाबल मंद हो, फ़ाएदे वाली चीज़ें बताओ। या ख़ामोश

रहो!) हमें संजिदा होना चाहिए, मज़ाक नहीं करना चाहिए। हमें सबब और अकल के साथ नामुनासिब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें अल्लाह तआला से लगातार ये दुआ माँगते रहना चाहिए गिड़गिड़ा कर के वो हमें कुफ़र से बचाए।

चीज़ें जो एक ईमान वाले के मौजूदा ईमान को खोने का सबब बन

1- बिदअत रखने वाला बनना। यानी, गलत यकीन रखना। [कोई भी जो भटक जाए, चाहे एक ज़रा सा, उस अकीदे से जिसे अहल अस-सुन्नत के आलिमों ने बताया तो वो एक बिदअती या एक काफ़िर बन जाता है।]

2- कमज़ोर ईमान रखना, यानी, एक ईमान बग़ैर अमल के।

3- एक शख्स के जिस्म के नौ रूकनों में किसी सही रास्ता भटक जाना।

4- एक बड़ा गुनाह लगातार करते रहना।

5- अपना एक मुसलमान होने के लिए शुक्रिया अदा न करना।

6- बग़ैर ईमान के मरने का ख़ौफ़ न होना।

7- जुल्म करना।

8- अज़ान को न सुनना जो सुन्नत के मुताबिक अदा की जाए।

9- अपने वालदेन से बागी होना।

10- कस्मों को अकसर खाना, चाहे अगर वो सही हों।

11- नमाज़ में तादील-ए अरकान को छोड़ना। [तादील-ए अरकान का मतलब है बेहरकत रहना इतना लम्बा जितना के “मुद्धानल्लाह” कह सके नमाज़ में चार जगहों पर साकन रहकर, नाम के तौर पर रूकू में, रस्सी बाँधले।

12- ये मानना के नमाज़ ग़ैर अहम है और नमाज़ को सीखने में और अपने बच्चों को उसे सीखाने में कोई अहमियत न देना। जो नमाज़ अदा करते हैं उनकी नमाज़ में रुकावटें पैदा करना।

13- नशीली चीज़ों को पीना।

14- ईमान वालों को अज़िज़यते देना।

15- मज़हबी तालीम को बेचने के लिए अल्लाह तआला का प्यारा नौकर होने का झूठा दावा करना।

16- अपने गुनाहों को भूल जाना, उन्हें हलका समझते हुए।

17- गमंडी होना, अपने आप से प्यार होना।

18- अपने आपको अपनी तालीम और इबादत के कामों की वजह से दूसरों से बरतर समझना।

19- मुनाफ़िक होना, दोहरे चेहरे वाला।

20- लालची होना, मुसलमान दोस्तों से हसद रखना।

21- अपनी हुक्ूमत या अपने मालिक के अएकामात जो इस्लाम के मुनासिब हों उन पर अमल न करना।

- 22- ये दावा करना, ये जानने से पहले, के फलौं शख्स “अच्छा” है।
- 23- लगातार झूठ बोलते रहना।
- 24- अहल अस-मुन्ना के आलिमों की मज़हबी तालीम को नज़रअंदाज़ करना।
- 25- जो मुन्नत है उससे लम्बी मूँछे रखना।
- 26- आदमियों के लिए, सिल्क/रेशमीन कपड़े पहनना।
- 27- चुगलखोरी पर डरे रहना।
- 28- अपने दुश्मनों से बुरा बरताव करना। ये एक गुनाह है चाहे अगर वो काफ़िर ही क्यों न हों।
- 29- दुनियावी नतीजों/मामलों के लिए अकसर गुस्सा हो जाना।
- 30- फ़ैज़ [सूद] देना या लेना।
- 31- गमंड के लिए लम्बे लिबास पहनना।
- 32- जादू के अमल करना।
- 33- अपने महरम रिश्तेदारों से मिलना छोड़ देना जो इस्लाम पर अमल करते हों।
- 34- जिन्हें अल्लाह तआला प्यार करता है उनसे प्यार न करना, और उन्हें प्यार करना जो इस्लाम के खिलाफ़ हों। [हुब्ब-ए फिल्लाह, बुगहद-ए फिल्लाह ईमान के लिए लाज़मी है।]

35- तीन दिन से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई से नफरत रखना ।

36- ज़िना, ज़िनाकारी का इतकाव करते रहना ।

37- लोंडियाबाज़ी का इतकाव करना और उसके लिए तौबा न करना ।

38- फ़िकह की किताबों में दर्ज और सुन्नत के मुताबिक अज़ान को न देना । सुन्नत के मुताबिक दी गई अज़ान को न सुनना ।

39- एक शख्स को देखते हुए जो हराम का इतकाव कर रहा हो, और चाहे अगरचे उसके बस में हो, फिर भी उसे रोकने की कोशिश न करना, कम से कम गन के मश्वरे के साथ, उस चीज़ से रोकने के लिए जोकि हराम है ।

40- अपनी बीबी, बेटी या दूसरी किसी भी औरत को रज़ामंदी देना के उसे खबरदार करने का हक है के, सड़कों पर जा सकती हैं जबकि उनके सिर, बाजू, टाँगे न ढंकी हों, या ज़ेवर पहनकर और खुशबूदार लिबास पहनकर और लोगों से बात करना जो उनके लिए महरम न हों ।

**बहुत संगीन गुनाह हैं [बहत्तर उनमें से
नीचे हैं ।]**

- 1- कल्ल का इतकाव करना ।
- 2- ज़िना, ज़िनाकार का इतकाव करना ।
- 3- लोंडियाबाज़ी करना ।
- 4- नशीली चीज़ें पीना । [बीयर पीना हराम है ।]

- 5- चोरी करना ।
- 6- खुशी के लिए मनशियात का इस्तेमाल करना ।
- 7- ग़ज़व का इरतकाव करना ।
- 8- एक झूठा गवाह बनना ।
- 9- रमज़ान के महीने में मुसलमानों के दरमियान अवाम में खाने के लिए ।
- 10- फ़ैज़ [सूद] की अदाएगी करना या लेना ।
- 11- अकसर कसमों की कसम खाना ।
- 12- अपने वालदेन के बागी होना ।
- 13- अपने महरम रिश्तेदारों से मिलना तर्क कर देना जो इस्लाम को मानते हों ।
- 14- जंग के दौरान, लड़ाई छोड़ना और दुश्मन से भाग जाना ।
- 15- यतीमों के माल को हड़पना ।
- 16- नापने या तौलने में धोका करना ।
- 17- नमाज़ों को उनके मुकर्रर औकात से पहले या बाद में अदा करना ।
- 18- अपने साथी मुसलमान का दिल तोड़ना । [ये कावे को ख़त्म करने से ज़्यादा गुनहगार है ।] [कुफ़र के बाद, एकदिल तोड़ने से ज़्यादा कोई गुनाह नहीं जिससे अल्लाह तआला नफ़रत करता है ।
- 19- किसी चीज़ को करना जो रसूलुल्लाह “सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम” ने नहीं कही और ये दावा करना के ये एक हदीस-ए शरीफ़ है ।
- 20- रिश्वत कुबूल करना ।
- 21- सच्ची गवाही देने से बचने के लिए ।
- 22- अपनी जाएदाद की ज़कात और अशर को न देना । [ज़कातः एक खास रकम को जाएदाद की खास इकसाम के लिए लोगों की बाअस इकसाम को देना (जोकि सालाना दिया जाता है और एक फ़र्ज़ है); अशरः

पैदावार की ज़कात जो एक शख्स की ज़मीन से हासिल होती है।]

23- उनके लिए जिनके पास ताकत है, किसी को न रोकना जबकि वो एक गुनाह का इरतकाब कर रहा हो।

24- जानदार जानवर को जलाना।

25- कुरआन-अल करीम को याद करने के बाद भूल जाना के उसे किस तरह पढ़ते हैं।

26- अल्लाह तआला की शफ़कत से नाउम्मीद होना।

27- लोगों को धोका देना, चाहे वो मुसलमान हों या ग़ैर मुस्लिम हों।

28- सुअर/खिज़्रि र खाना।

29- असहाब-ए किराम की तरफ़ नापसंदिदगी रखना। उनमें से किसी एक के बी वारे में बुरा बोलना।

30- जब किसी का पेट भर जाए, उसके बाद भी खाते रहना।

31- औरतों के लिए, अपने शौहरों के विस्तर से परहेज़ करने के लिए।

32- औरतों के लिए, अपने शौहरों की इजाज़त के बग़ैर दूसरों से बाहर मिलने के लिए जाना।

33- एक पारसा औरत को बदकार कहना।

34- नमीमा करना, यानी, औरतों के बीच में अलफ़ाज़, गपशप जैसी चीज़ें।

35- अपने अवरत (शर्मगाहों) हिस्सों को खोलना। [एक आदमी के अवरत हिस्से उसकी नाभी घुटनों के निचले हिस्सों के बीच में होते हैं। एक औरत के अवरत हिस्सों में बाल, बाजू और टाँगे शामिल हैं।] एक शख्स के अवरत हिस्सों को देखना हराम है।

36- सड़ा हुआ गोशत खाना, या दूसरों को इसे खिलाने की वजह बनना।

37- अमानत में ख़यानत करना।

- 38- एक मुसलमान की चुगलखोरी करना ।
- 39- हासिद होना ।
- 40- अल्लाह तआला का साथी मंसूब करना ।
- 41- झूठ बोलना ।
- 42- अपने आपको दूसरों पर अफज़ल समझना ।
- 43- वारिस को उसकी विरासत से महरूम रखना जो किसी ने अपने मरते वक्त दी थी ।
- 44- कंजूस होना ।
- 45- दुनिया के लिए चाह होना ।
- 46- अल्लाह तआला के अज़ाब से न डरना ।
- 47- एक हराम को [एक चीज़ जो ममनुअ है] हराम न जानना ।
- 48- हलाल को [एक चीज़ जिसकी इजाज़त दी गई है] हलाल न समझना ।
- 49- ज्योतिष में यकीन रखना, और वो जो कहें नामानूम के बारे में ।
- 50- इस्लाम को छोड़ना, एक मुरतदद बनने के लिए ।
- 51- नामहरम औरतों और लड़कियों को देखना, यानी, (लालसा) से देखना उन्हें जिन्हें देखना हराम है ।
- 52- औरतों के लिए, आदमियों की तरह पहनना ।
- 53- आदमियों के लिए, औरतों की तरह पहनना ।
- 54- हरम-ए काबा कौ हदूद के अंदर एक गुनाह का इरतकाब करना ।
- 55- अज़ान [इबादत के लिए बुलाना] अदा करना या नमाज़ें [रस्मी इबादतें] अदा करना उनके मुकरर औकात से पहले ।
- 56- रियास्त, कबानिन के हुकूम से बागी होना ।
- 57- अपनी बीवी के अवरत हिस्सों को अपनी माँ के अवरत हिस्सों के साथ मवाज़ना करना ।

- 58- अपनी सास की कसम खाना ।
- 59- किसी भी औज़ार से एक दूसरे पर निशाना लगाना ।
- 60- कुत्ते के ज़रिए कुछ भी छोड़ा गया खाना और पीना ।
- 61- जो तुमने महरवानियों की हैं उनका फ़ायदा उठाने पर ज़ोर देना ।
- 62- [आदमियों के लिए] रेशमीन कपड़े पहनना ।
- 63- जिहालत पर ज़ोर देना [अहल अस-सुन्नत के अकीदे, फ़र्ज़, हराम, और सारे ज़रूरी इल्म को न सीखना] ।
- 64- एक कसम उठाना कुछ कहते हुए जो अल्लाह तआला के नाम में नहीं हो या जिसे इस्लाम के ज़रिए न बताया गया हो ।
- 65- इल्म (तालीम) को नज़रअंदाज़ करना ।
- 66- ये न समझना के लाइल्मी एक दर्द है ।
- 67- काविले माफ़ी गुनाहों को बार बार इरतकाब करने पर ज़ोर देना ।
- 68- अकसर ज़ोर से हँसना ।
- 69- जुनूब की हालत में इतना लम्बा रहना के एक रस्मी इबादत (सलात) को उसके मुकर्रर वक्त में न पढ़ पाए ।
- 70- जिमा करना जबकि एक शख्स की बीबी हैज़ की हालत में हो या ज़च्चाह हो ।
- 71- तगन्नी (कुरआन में से हम आहंगी पढ़ना) ग़ैर अखलाकी गाने गाना । मौसिक के साज़ों को बजाना और सुनना ।
- 72- खुदकुशी करना ।

निकाह जिसे मुतअ या मवाक्कत (आरज़ी) कहते हैं हराम है । जैसे के औरतों के लिए खुले सिर, बाल, बाजू और टाँगों के बाहर जाना हराम है इसी

तरह उनके लिए हराम है जेवरों को पहनकर, खुशबू वाले तंग कपड़े ज़ाहिर करते हुए बाहर जाना।

एक औरत को देखना हराम है, चाहे बगैर हवस के, जिसने कपड़े पहने हुए हों लेकिन उसके कवा अवरत हिस्से (जिस्म के वो हिस्से जिन्हें ढापना ज़रूरी है) बहुत कम ढके हुए हों। नामहरम औरत के अंदरूनी कपड़ों को हवस के साथ हराम है। उसके हिस्सों को जो उसके कवा अवरत हिस्से नहीं हैं और जो चुस्त हों या कम ढके हों उन्हें हवस के साथ देखना हराम है। ऐसी तस्वीरें बनाना या छापना जो हवस और हराम का बाइस बने ये हराम है। [ये कुफ़र (गैर-मज़हबी) है “तो क्या हुआ”? कहना हराम के बारे में]।

ये इस्राफ़ (खर्च करना या बेकार इस्तेमाल करना) और हराम है पानी को वुजू और गुस्ल की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना।

(अल्लाह तआला के प्यारे बंदों) पिछले औलिया के बारे में बुरा बोलना, उन्हें लाइल्मी का ताना देना, उनके लफ़्ज़ों से ऐसे मआनी निकालना जो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक न हों, इस बात पर यकीन न रखना के उनके गुज़र जाने के बाद भी वो करामात रखते हैं, ये मानना के वो एक औलिया हैं जब वो मर जाते हैं तो ये चीज़ खत्म हो जाती है, लोगों को उनकी कबरों पर जाने से रोकना उनके ज़रिए सलामती हासिल करने के लिए, ये सब हराम है जैसे के एक मुसलमान के बारे में बुरा सोचना बिल्कुल वैसे ही, जुल्म, नाहक छीनना, हसद, तोहमतें, झूठ बोलना या वुग़लीख़ोरी करने का इरतकाब करना।

एक शख्स की आखिरी सांस में दस चीज़ें जो कुफ़र का सबब बनती हैं

- 1- अल्लाह तआला के अहकामात और मुमानियत को न सीखना ।
- 2- अहल अस-सुन्नत के अकीदे के मुताबिक अपने ईमान को सही न करना ।
- 3- दुनियावी दौलत, मंसब, शौहरत से प्यार करना ।
- 4- लोगों, जानवरों, की और ज़ालिम होना ।
- 5- अल्लाह तआला और दूसरों का शुक्रिया अदा न करना जो सलामती की दुआ में बीच में थे ।
- 6- अपने ईमान को खोने का डर न होना ।
- 7- पाँच रोज़ाना की नमाज़ों को उनके मुकरर औकात में अदा न करना ।
- 8- सूद (फ़ैज़) लेना या अदा करना ।
- 9- पाक मुसलमानों को कमतर समझना उनके बारे में बुरी चीज़ें, जैसे के “असर डालने वाला” बोलना ।
- 10- कहना, लिखना या वेशर्म अलफ़ाज़, तहरीरें या तस्वीरें बनाना ।

अहल अस-सुन्नत के अकीदे को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है के इन मसलों पर गौर किया जाए

- 1- अल्लाह तआला सबव रखता है। वो उसकी खुदी से अलग हैं
- 2- ईमान बढ़ता या घटना नहीं है।
- 3- संगीन गुनाह करना कुफ़र नहीं है।
- 4- एक शख्स को गायब पर यकीन रखना।
- 5- ईमान के मज़मून पर कोई काबिले कुबूल दूसरा जवाब नहीं है।
- 6- अल्लाह तआला जन्नत में दिखाई देंगे (यानी, ईमान जब जन्नत में दाखिल होंगे तो उसे देखेंगे। अल्लाह तआला किसी जगह या वक्त के ज़रिए बर्धे नहीं है। जैसे के उसकी मखलूक।)
- 7- ईमान के लिए तवक्कुल लाज़मी है।
- 8- अमल (इबादतों) ईमान का हिस्सा नहीं है।
- 9- कदर में यकीन रखना ईमान के बुनियादी उसूलों में से एक है।
- 10- चारों मसलों में से एक को मानना ज़रूरी है।
- 11- सारे असहाब-ए किराम, अहल-ए बैत और हमारे पैग़म्बर अलैहिस-सलाम की वीवियों से प्यार रखना ज़रूरी है।
- 12- चारों खलीफ़ाओं के रूतबे ख़िलाफ़त में उनके वाक्यात के रोनुमा होने के मुताबिक हैं।
- 13- एक शख्स की फ़ाज़िल/नफ़ली इबादतों, जैसे के नमाज़, रोज़ा और दी हुई ख़ैरात का सवाब, दूसरे शख्स को दिया जा सकता है।
- 14- मेराज में यकीन रखना चाहिए [हज़रत मुहम्मद का आसमानों पर

तशरीफ़ ले जाना] जिस्मानी और रूहानी इरतफ़ा ।

15- औलिया [अल्लाह तआला के प्यारे बंदे] के करामात [मोज़िज़ों] को भी सच मानना ।

16- इस बात पर यकीन रखना चाहिए के आख़िरत में वहाँ पर शिफ़ाअत [सिफ़ारिश] होगी ।

17- मसत (जिसपर पानी न ठहरे ऐसे जूते जो पाँव के उस हिस्से को ढके जो वुजू में धोना फ़र्ज़ हो) पर मसह करने की इजाज़त है (अपने गीले हाथों को रगड़ना) ।

18- कबर में सवालात सच है ।

19- कबर में अज़ाब जिस्म और रूह दोनो पर नाफ़िज़ है ।

20- अल्लाह तआला ने इंसानी मख़लूक और उसके अमाल दोनों को तख़लीक़ किया । लोगों (जानिबदार इच्छा) इरादा-ए जज़िय्या रखते हैं ।

21- रिज़क़ (ख़ुराक) या तो हलाल या हराम तरीके से आता है ।

22- एक शख्स के लिए ये पूछने की इजाज़त है के उसकी दुआएँ [अलतमास, इबादतें] औलिया [अल्लाह तआला के प्यारे बंदे] की रज़ा के लिए कुबूल हो जाएँ ।

*उस मुअज़्ज़िन ने पुकारा, वो खड़ा हुआ और अदा की इकामत,
उसने अपना चेहरा काबे की तरफ़ किया, उसने बांधी नीयत ।
ईमान वालो ने जब इसे सुन, उन्होने इसे इज़्ज़त से सुन,
फिर शुरू की उन्होने दुआएँ, अल्लाह तआला की इबादत ।*

बुरे अख़लाक

1- वेमज़हवी (कुफ़र) ।

2- लाइल्मी ।

3- गलतियाँ होने पर मलामत मिलने का डर होना [सच्चाई को कुबूल न करना तंकीद पर रंज करते हुए, लोगों के ज़रिए बुरा बोलना] ।

4- तारीफ़ किए जाने से प्यार होना । [अपने आप से प्यार होना, तारीफ़ और बड़ाई किए जाने से प्यार होना] ।

5- इलहादी ईमान (विदअत) । [गलत यकीन]

6- नफ़स की इच्छाएँ । [नफ़स की मसती भरी इच्छाओं के मुतालवे की तकलीद करना]

7- नकली [तकलीद] ईमान । [अपने ईमान की बुनियाद अनजाने लोगों की नकल पर रखना ।]

8- शैख़ीबाज़ी (रिया) । [गमंड करना/शैख़ी मारना, दुनियावी इच्छाओं को मज़हबी कामों के अमल के ज़रिए हासिल करना ।]

9- दुनियावी मक़सद (तूल-ए अमल) । [दुनियावी अज़ाइशों में रहने के लिए एक लम्बी ज़िंदगी चाहना] ।

10- तमअ । [मना किए गए ज़रियों का इस्तेमाल करना दुनियावी अज़ाईशों को हासिल करने के लिए] ।

11- गुज़र (किब्र) । [अपने आपको दूसरों पर बरतर रखना ।]

12- तज़ल्लुल । [ज़रूरत से ज़्यादा आजिज़ी ।]

13- खुद से प्यार (उजब) । [अपने खुद के अच्छे कामों और इबादतों से खुश होना] ।

14- पामाल जलन (हसद) । [उजाड़ने वाली हसद रखना, ये चाहना के हसद किए जाने वाले शख़्स को रहमतों से महरूम रखा जाए] । अबुल-लेस समरकंदी रहमतुल्लाही तआला अलैह ने कहाः “तीन लोगों की दुआएँ कुबूल नहीं होंगीः एक शख़्स जो हराम पर गुज़ारा करता है, वो जो चुगली करता है, और वो शख़्स जो पामाल हसद रखता है ।”]

15- नफ़रत (हिकद) । [दूसरों को हकीर जानते हुए, उन्हें नीचा देखना । ये चाहना के दूसरों पर नुकसान वाकेय हो ।

- 16- शूमयत । [दूसरे शख्स पर सज़ा होने से खुशी महसूस करना ।]
- 17- हिजर । [दोस्ती छोड़ देना, गुस्से में बने रहना ।]
- 18- बुज़दिली (जुवन) । [थोड़ी या विल्कुल भी बहादुरी न रखना ।]
- 19- तहव्वुर । [ज़ाइद और नुकसानदह गुस्सा होना]
- 20- ग़दर । [अपने लफ़ज़ और कसम को न रखना ।]
- 21- भरोसे को तोड़ना/अमानत में ख़यानत । [धोकेवाज़ी की अलामतें; अमल या लफ़ज़ जो भरोसे को तोड़ें ।]
- 22- वादे को तोड़ना/वादा ख़िलाफ़ी । [अपने वादे को तोड़ना । ये एक हदीस-ए शरीफ़ में लिखा है: (धोके की तीन अलामतें हैं: झूठ बोलना, वादे को कायम न रखना, भरोसे को तोड़ना) ।]
- 23- दूसरे लोगों के वारे में बुरी राए रखना (सू-ए ज़न) । [सू-ए ज़न हराम (ममुनअ) है । ये मान लेना के एक शख्स के गुनाह माफ़ नहीं हो सकते मतलब अल्लाह तआला से सू-ए ज़न रखना । ये मान लेना के पक्के ईमान वाले गुनहगार हैं मतलब सू-ए ज़ना]
- 24- जाएदाद का प्यार । [दुनियावी चीज़ों और जाएदाद, पैसे, से प्यार होना ।]
- 25- नेक कामों (तसवीफ़) को अदा करने में टाल मटोल करना [अच्छे अमाल की अदाएगी मुलतवी करना] । ये एक हदीस-ए शरीफ़ में हवाला दिया गया है: (पाँच चीज़ों के आने से पहले पाँच चीज़ों की कीमत जान लो: मौत से पहले ज़िंदगी की कीमत; बीमारी से पहले सेहत की कीमत; दुनिया में आखिरत (बाद की) कमाना; बुढ़ापे से पहले जवानी की कीमत; और गरीबी से पहले दौलत की कीमत ।)
- 26- फ़ासिक के लिए हमदर्दी रखना । [बेरहमी, जुल्म सबसे बुरा फ़िस्क है । वो जो हराम का इस्तकाब करते हैं वो फ़ासिक कहलाते हैं ।]
- 27- आलिमों की तरफ़ हसद रखना । [इस्लामी तालीम और आलिमों का मज़ाक उड़ाना कुफ़र है ।]

28- शर जगाना (फितना) । [लोगों में मुश्किलें और परेशानियों की वजह बनना । एक हदीस-ए शरीफ में हवाला है: (फितना सो रहा है । अल्लाह तआला उनपर लानत भेजे जो इसे जगाएँ!) ।]

29- मुलह करना (मुदाहना) और फरेव (मुदारा) । [दुनियावी फायदे हासिल करने के लिए अपने मज़हब की कुरवानी देना ।]

30- सरकशी (इनाद) और तकव्वुर (मुकव्वर) । [जो सही है उसे कुबूल नहीं करना ।]

31- हीला (निफाक) ।

32- गहराई से न सोचना, ज़रूरी न जानना । [अपने गुनाहों, बंदो और खुद के बारे में न सोचना ।]

33- एक मुसलमान को बददुआ देना ।

34- एक मुसलमान को ग़ैर मुनासिब नामों को देना ।

35- एक उज़र को मना करना ।

36- कुरआन अल-करीम की गलत वज़ाहत देना ।

37- ममनुअ (हराम) कामों को करने के लिए ज़ोर देना ।

38- चुगलखोरी (गीबत) ।

39- तौबा (तासीफ़) न करना ।

40- दौलत, ताकत, मरतबा या ओहदों की लालच करना ।

[हमें बुरे अख़लाक से अपने आपको रोकना है और कोशिश करनी है अच्छे अख़लाक रखने की । ये एक हदीस-ए शरीफ़ से वाज़ेह है, (उसकी खुबसूरत अख़लाकी किरदार की वजह से, एक बंदा जिसकी इबादतें कम हैं वो जन्नत में उँचा मक़ाम पाएगा ।)

(सबसे आसान और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद इबादात कम बोलना है और अच्छा अख़लाक रखना है ।) (अच्छे अख़लाक रखने का मतलब है जो

लोग तुम से दूर हैं उन तक रसाई करना, जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी उन्हें माफ़ कर देना, उन्हें फायदा पहुँचाना जो तुम्हें उनसे महरूम रखने का सबब बने।)

नवाँ हिस्सा

नमाज़ की सूरह और दुआएँ

क्या सूरतों और दुआओं को लेटिनी हर्फों के साथ लिख सकते हैं?

अगरचे सूरतों और दुआओं को लेटिनी हर्फों में लिखने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। जो कुछ भी निशानियाँ लातेनी हर्फों में इजाफ़ा किए गए हैं, लेकिन सूरतों और दुआओं को सही तरीके से पढ़ना मुमकिन न हो सका। कुरआन अल-करीम के हर्फों की तरह पढ़ने के लिए ये ज़रूरी है के लगातार एक माहिर शख्स से सीखे और काविल हो। क्योंकि ये अमल पूरे तौर पर चाहिए, यकीन करलें, एक वाकिफ़ शख्स के लिए, मुमकिन है और नएमत है के कुरआन अल-करीम के हर्फों को बराहेरास्त सीखाए। हदीस-ए शरीफ़ और फिकह की किताबों में इस नएमत की बरतरी तफ़सील से वाज़ेह है। ये वाज़ेह हुआ है के ये ज़्यादा सवाब लाता है। इसलिए, हर मुसलमान को अपने बच्चों को मस्जिदों में या कोर्सीस में भेजना चाहिए कुरआन अल-करीम की तालीमात के लिए। वो अपने बच्चों को कुरआन अल-करीम के हर्फों को सीखाएँ और किस तरह उन्हें पढ़ना हैं। उन्हें इन बड़ें सवाबों को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए।

एक हदीस-ए शरीफ़ में ये वाज़ेह है, (वो जो अपने बच्चों को कुरआन अल-करीम सीखाते हैं या कुरआन अल-करीम के उस्तादों के पास

भेजते हैं, कुरआन अल-करीम के हर हर्फ के लिए उन्हें ईनाम दिया जाएगा जैसे के उन्होंने इस बार काबे की ज़ियारत करली, और योमुलहशर में हाकमियत का ताज उनके सिर पर रखा जाएगा। सारे लोग ये देखेंगे और तारीफ करेंगे।) एक और हदीस-ए शरीफ में, ये वयान है के (वो लोग जो अपने बच्चों को अपना मज़हब नहीं सीखाते वो दोज़ख में जाएँगे)।

जब एक शख्स कुरआन अल-करीम को पढ़ रहा हो या किरअत कर रहा हो तो दस अदब का ध्यान रखे:

1- एक शख्स जब वुजू के साथ हो तो उसे इसकी तिलावत करनी चाहिए। किल्बे की तरफ और इज़्जत के साथ इसकी किरअत करनी चाहिए।

2- एक शख्स को इसे अहिस्ता और उसके मआनी के बारे में सोचते हुए पढ़ना चाहिए।

3- एक शख्स को इसे रोते हुए पढ़ना चाहिए।

4- हर आयत को मुनासिब अदा करो। यानी, एक अज़ाब की आयत को डरते हुए किरअत करना चाहिए, रहम की आयत को उम्मीद के साथ, तनज़ीह की आयत अल्लाह तआला की तारीफ करते हुए पढ़नी चाहिए। कुरआन अल-करीम पढ़ने या किरअत करने से पहले आऊज़ो और विस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए।

5- अगर एक शख्स के अंदर गमंड आ जाए, या अगर एक शख्स नमाज़ अदा करने वालो को फेरे, तो एक शख्स को उसे अहिस्ता से पढ़ना या किरअत करना चाहिए। उनके लिए जिन्होंने कुरआन अल-करीम याद कर लिया है, मुसहाफ़ [कुरआन अल-करीम की किताब] को देखते हुए कुरआन अल-करीम को किरअत करने का सवाब उसे मुह ज़वानी किरअत करने से ज़्यादा है। क्योंकि आँखें भी इबादत करती हैं।

6- ये ज़रूरी है के कुरआन अल-करीम को ख़ुबसूरत आवाज़ के साथ और मुनासिब तजवीद के साथ पढ़े। कुरआन अल-करीम को तग़ननी के साथ

हर्फों और लफ़्ज़ों को विगाड़ा न जाए तो ये मकरूह है।

7- कुरआन अल-करीम अल्लाह तआला के लफ़्ज़ हैं, ये इससे मंसूब है, ये अवदी है। हर्फ़ जो मुँह से बाहिर आते हैं वो इसी तरह हैं जैसे कहना “आग”। “आग” कहना आसान है। बहरहाल, कोई भी आग को बरदाश्त नहीं कर सकता। इन हर्फ़ों का मतलब (कुरआन अल-करीम से) इसी तरह ये हर्फ़ दूसरे हर्फ़ों की तरह नहीं हैं। अगर इन हर्फ़ों के मआनी ज़ाहिर हो जाएँ, तो ज़मीन की सातों परतों और आसमान की सातों परतों इसे बरदाश्त नहीं कर पाएँगी। अल्लाह तआला ने अपने लफ़्ज़ की खुबसूरती और अफ़ज़लियत इंसानों को भेंजी इन हर्फ़ों के अंदर छुपाकर।

8- कुरआन अल-करीम को पढ़ने या किरअत करने से पहले, एक शख्स को उसकी बड़ाई के बारे में सोचना चाहिए जिसने इसे कहा, अल्लाह तआला। ये ज़रूरी है के कुरआन अल-करीम को छूने के लिए साफ़ हाथ होने चाहिए और इसी तरह, इसे पढ़ने के लिए पाक दिल होना चाहिए। वो, जो अल्लाह तआला की बड़ाई को नहीं समझता वो, कुरआन अल-करीम की भी बड़ाई को नहीं समझेगा। ये ज़रूरी है के अल्लाह तआला की सिफ़ात को समझना और उसकी मख़लूक को अल्लाह तआला की बड़ाई को भी समझना चाहिए। एक शख्स कुरआन अल-करीम को ये जानते हुए पढ़े के ये उसके लफ़्ज़ हैं जो मालिक और हाकिम है इस सारी मख़लूक का।

9- एक शख्स जब कुरआन अल-करीम की तिलावत कर रहा हो तो उसे दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर एक शख्स ये नहीं सोचे के जब वो बाग़ में चल रहा है तो उसे क्या नज़र आ रहा है, तो वो उस बाग़ के इतराफ़ नहीं चल सकता। इसी तरह, कुरआन अल-करीम एक जगह है जहाँ ईमान वालो का दिल चारों तरफ़ चलता है। वो जो इसे पढ़ रहा हो उसे उसके अंदर की ग़ैर मामूली खुसूसियात और हिकमत (फ़ाएदे; अंदरूनी, खुफ़िया वजूहात; इंतैहाई पाक असबाव) के बारे में सोचना चाहिए।

10- एक शख्स को इसके हर एक लफ़्ज़ के मआनी के बारे में सोचना चाहिए और तो इसे दोहराता रहे जब तक के वो इसे समझ न ले।

नमाज़ में दुआओं के मआनी सुबहानका

ऐ मेरे अल्लाह! मैं तेरी तनज़ीह करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ के तू हर नुक्स से पाक है। मैं तौसिफ़ करता हूँ इज़्ज़त करता हूँ के तेरे साथ तमाम सिफ़ाते कमालिया हैं। मैं तेरी तारीफ़ करता हूँ। तेरा नाम आला है। (और तेरी शौहरत सब चीज़ों से अफ़ज़ल है) [ये हिस्सा जनाज़े की नमाज़ अदा करते वक्त शामिल किया जाता है।] तेरे सिवा कोई मावूद नहीं।

अत्तहिय्यातु

तमाम ज़वानी और फ़ेली (कर्म वाली) इबादतें और तमाम माली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। सलाम तुम पर ऐ नबी और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें। सलाम हो हम पर और अल्लाह के ने बन्दों पर। गवाही देता हूँ मैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और गवाही देता हूँ मैं कि मुहम्मद (अलैहिस-सलाम) अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं।

अल्लाहुम्मा सल्लि

ऐ मेरे अल्लाह! जैसे के तूने रहमत नाज़िल फरमाई इब्राहिम “अलैहिस-सलाम पर और उनकी औलाद पर, रहमत नाज़िल फरमा (हमारे

आका) मुहम्मद “अलैहिस्सलाम” पर और उनकी औलाद पर भी। वेशक तू तारीफ़ के लायक और बुजुर्गी वाला है।

अल्ला हुम-म बारिक

ऐ मेरे अल्लाह! जैसे के तूने बरकत नाज़िल फरमाई इबाहिम “अलैहिस्सलाम पर उनकी औलाद पर, बरकत नाज़िल फरमा (हमारे आका) मुहम्मद “अलैहिस्सलाम” पर और उनकी औलाद पर। वेशक तू तारीफ़ के लायक और बुजुर्गी वाला है।

रब्बना आतेना

या रब! (ऐ मेरे अल्लाह)! हमें इस दुनिया में और आखिरत में अच्छाई अता फरमा और हमें दोज़ख़ के अज़ाब से बचा। ऐ मेरे रहमदिलों के रहमदिल, अपनी शफ़कत से

दुआए कुनूत

ऐ मेरे अल्लाह! हम तुझे से मदद चाहते हैं। हम तुझ से मग़फ़िरत चाहते हैं। हम तेरी रहनुमाई चाहते हैं। हम तुझ से माफी चाहते हैं और हम तुझ पर तवक्कुल रखते हैं। हम तेरी अच्छी तरह तारीफ़ करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं (तेरी रहमत के लिए), हम तेरी रहमत से मुंकर नहीं होते। हम उसको मना कर देते हैं और छोड़ देते हैं जो तेरे खिलाफ़ फिस्क और फुजर का इरतकाब करते हैं। [फिस्क का मतलब गुनाह। फुजर का मतलब अय्याशी, नफ़स की इच्छाओं की तकलीद करना और गुनाह करना।]

ऐ मेरे अल्लाह! हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, हम सिर्फ तेरे लिए नमाज़ अदा करते हैं, हम सिर्फ तेरे लिए सज्दा करते हैं, हम सिर्फ तेरी तरफ़ दौड़ते हैं और तेरे ही पनाह लेते हैं। हम तेरी रहमत की उम्मीद करते हैं और तेरे अज़ाब से डरते हैं। बेशक तेरा अज़ाब काफ़िरों को पहुँचने वाला है जो सच्चाई को छुपाते हैं।

التلغين للميمية

عَلَيْكَ سَلَامُ اللَّهِ يَا عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ (٣ دفعه) كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا
 وَجْهَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. فَاعْلَمْ يَا هَذَا آخِرُ مَنْزِلِكَ مِنْ
 مَنْزِلِ الدُّنْيَا وَ أَوَّلُ مَنْزِلِكَ مِنْ مَنْزِلِ الآخِرَةِ. وَ اعْلَمْ بِأَنَّكَ خَرَجْتَ مِنْ دَارِ
 الدُّنْيَا الدُّنْيَا وَ وَصَلْتَ إِلَى دَارِ الْعُقُوبِ الْأَبَدِيَّةِ. خَرَجْتَ مِنْ دَارِ الْغُرُورِ وَ وَصَلْتَ
 إِلَى دَارِ السُّرُورِ. خَرَجْتَ مِنْ دَارِ الْفَنَاءِ وَ وَصَلْتَ إِلَى دَارِ الْبَقَاءِ. وَ اعْلَمْ يَا
 الْآنَ الْآنَ قَدْ يَنْزِلُ بِكَ الْمَلَكَيْنِ الرَّفِيعَيْنِ الشَّهِيدَيْنِ الْأَسْوَدَانِ الرَّجْهَانِ وَ
 الْأَزْرَقَانِ الْعَيْنَانِ، أَحَدُهُمَا مُنْكَرٌ وَ آخَرُهُمَا نَكِيرٌ لَا تَخَفُ عَنْهُمَا وَ لَا تَحْزَنُ فَإِنَّهُمَا
 عَبْدَانِ مَأْمُورَانِ مِنْ قِبَلِ الرَّحْمَنِ، سَأَلَانِ عَنْكَ وَ قَائِلَانِ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ وَ مَنْ
 نَبِيُّكَ وَ مَا دِينُكَ وَ مَا إِمَامُكَ وَ مَا قَبْلُكَ وَ مَنْ إِخْوَانُكَ وَ مَنْ أَخَوَاتُكَ فَقُلْ فِي
 جَوَابِهِمَا بِلَفْظِ فَصِيحٍ وَ لِسَانٍ صَرِيحٍ: اللَّهُ رَبِّي وَ مُحَمَّدٌ نَبِيِّ، وَ الْإِسْلَامُ دِينِي
 وَ الْقُرْآنُ إِمَامِي وَ الْكُتُبُ قَبْلَتِي وَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَانِي وَ الْمُؤْمِنَاتُ أَخَوَاتِي. فَاعْلَمْ
 بِأَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَ الْقَبْرَ حَقٌّ وَ سُؤَالَ الْمُنْكَرِ وَ النَّكِيرِ حَقٌّ وَ الْحَفْشَةَ حَقٌّ وَ النَّشْرَ حَقٌّ
 وَ الْحِسَابَ حَقٌّ وَ الْمِيزَانَ حَقٌّ وَ الصِّرَاطَ حَقٌّ وَ الْجَنَّةَ لِلْمُؤْمِنِينَ حَقٌّ وَ النَّارَ لِلْكَافِرِينَ
 حَقٌّ. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَ فِيهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. أَذْكَرُ الْعَهْدِ
 الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ فِي دَارِ الدُّنْيَا الدُّنْيَا وَ هُوَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا
 رَسُولُ اللَّهِ. اللَّهُمَّ نَبِّئْهُ عَلَى الْجَوَابِ وَ انْقِطِعْ بِالصِّدْقِ وَ الْعَصْرَابِ [اللَّهُمَّ إِنْ
 كَانَ مُحْسِنًا فَرِّدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئًا فَاعْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ]

٣ دفعه آمين. وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

التلقين للميت

عَلَيْكَ سَلَامُ اللَّهِ يَا عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ (٣ دفعه) كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا
وَجْهَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. فَاعْلَمْ يَا هَذَا آخِرُ مَنْزِلِكَ مِنْ
مَنَازِلِ الدُّنْيَا وَ أَوَّلُ مَنْزِلِكَ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ. وَ اعْلَمْ يَا نَفْسَ خَرَجْتَ مِنْ دَارِ
الدُّنْيَا الدُّنْيَةِ وَ وَصَلْتَ إِلَى دَارِ الْعُقُوبِ الْأَبَدِيَّةِ. خَرَجْتَ مِنْ دَارِ الْغُرُورِ وَ وَصَلْتَ
إِلَى دَارِ السُّرُورِ. خَرَجْتَ مِنْ دَارِ الْفَنَاءِ وَ وَصَلْتَ إِلَى دَارِ الْبَقَاءِ. وَ اعْلَمْ يَا
الآنَ الْآنَ قَدْ يَنْزِلُ بِكَ الْمَلَكَيْنِ الرَّفِيعَيْنِ الشَّفِيعَيْنِ الْأَسْوَدَانِ الْوَجْهَيْنِ وَ
الْأَزْرَقَانِ الْعَيْنَيْنِ، أَحَدُهُمَا مُنْكَرٌ وَ آخَرُهُمَا نَكِيرٌ لَا تَخَفْ عَنْهُمَا وَ لَا تَحْزَنْ فَاتَهُمَا
عَبْدَانِ مَأْمُورَانِ مِنْ قِبَلِ الرَّحْمَنِ، سَائِلَانِ عَنْكَ وَ قَائِلَانِ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ وَ مَنْ
نَبِيُّكَ وَ مَا دِينُكَ وَ مَا إِمَامُكَ وَ مَا قَبْلُكَ وَ مَنْ إِخْوَانُكَ وَ مَنْ آخِرَاتُكَ فَقُلْ فِي
جَوَابِهِمَا بِلَفْظِ فَصِيحٍ وَ لِسَانٍ صَرِيحٍ: اللَّهُ رَبِّي وَ مُحَمَّدٌ نَبِيِّ، وَ الْإِسْلَامُ دِينِي
وَ الْقُرْآنُ إِمَامِي وَ الْكَعْبَةُ قِبْلَتِي وَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَانِي وَ الْمُؤْمِنَاتُ أَخَوَاتِي. فَاعْلَمْ
يَا الْمَوْتُ حَقٌّ وَ الْقَبْرُ حَقٌّ وَ سُؤَالُ الْمُنْكَرِ وَ النَّكِيرِ حَقٌّ وَ الْحَشْرُ حَقٌّ وَ النَّفْسُ حَقٌّ
وَ الْحِسَابُ حَقٌّ وَ الْمِيزَانُ حَقٌّ وَ الْعِصْرَاطُ حَقٌّ وَ الْجَنَّةُ لِلْمُؤْمِنِينَ حَقٌّ وَ النَّارُ لِلْكَافِرِينَ
حَقٌّ. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيهَا نَعْبُدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. اذْكُرْ الْعَهْدَ
الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ فِي دَارِ الدُّنْيَا الدُّنْيَةِ وَ هُوَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ. اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ عَلَى الْجَوَابِ وَ انْطِقْهُ بِالصِّدْقِ وَ الْعِصْرَابِ [اللَّهُمَّ إِنْ
كَانَ مُحْسِنًا فَرِّدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئًا فَاعْفُ عَنْهُ وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ]

«٣ دفعه» آمين. وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَالسَّابِقِينَ الْأَخْيَارِ وَالْأَبْرَارِ (رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ).
 أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْحَاضِرُونَ! اتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوهُ أَوْصِيَكُمْ عِبَادَ اللَّهِ
 بِتَقْوَى اللَّهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ إِلَى اللَّهِ الْمُنْتَهَى، وَ أَنَّهُ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا، إِنَّ
 هَذِهِ تَذْكِرَةٌ لِمَنْ يَخْشَى، وَإِلَى اللَّهِ الْمُنْتَهَى. (اعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
 الرَّجِيمِ): «يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ»

الخطبة الثانية

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِلْإِيمَانِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ الْمُرْتَلِّ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ
 كِتَابِهِ تَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا (اعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) «إِنَّ اللَّهَ وَ
 مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا
 تَسْلِيمًا».

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا
 مُحَمَّدٍ. يَا اللَّهُ بِكَ تَحَصَّنْتُ ۝ ۳ دفعه ۳ وَبِعَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَا
 مُحَمَّدٍ (ﷺ) اسْتَجَرْتُ ۝ ۳ دفعه ۳ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ أَمِينَ.
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

(اعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ): «إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
 يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ».

خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ

الخطبة الاولى

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَضْعَافَ مَا حَمِدَهُ جَمِيعُ خَلْقِهِ كَمَا يَجِبُ
وَيَرْضَى، وَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، كَلِمًا
ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَعَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ كَمَا يَنْبَغِي وَيَخْرَى، وَ
عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ أَزْوَاجِهِ وَ أَوْلَادِهِ الْبَسْرَةَ النَّعَى وَ النَّعَى،
خُصُوصًا مِنْهُمْ عَلَى الشَّيْخِ الشَّفِيعِ، قَاتِلِ الْكُفْرَةِ وَ الزَّنَادِقِ، الْمَلَقَّبِ
بِالْعَبْقِيِّ، فِي الْعَارِ الرَّفِيعِ الْإِمَامِ عَلَى التَّحْقِيقِ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ)
أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ). ثُمَّ السَّلَامُ مِنَ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ،
عَلَى الْأَمِيرِ الْأَوْابِ، زَيْنِ الْأَصْحَابِ، مُجَاوِرِ الْمَنْبَرِ وَ الْمُهْرَابِ، النَّاطِقِ
بِالْحَقِّ وَ الصِّدِّيقِ وَ الصَّوَابِ، أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُ). ثُمَّ السَّلَامُ مِنَ الْمَلِكِ الْمُنْتَانِ، عَلَى الْأَمِيرِ الْأَمَانِ، حَبِيبِ
الرَّحْمَنِ، صَاحِبِ الْحَيَاءِ وَ الْإِحْسَانِ، الشَّهِيدِ فِي أَنْشَاءِ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ،
أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ). ثُمَّ السَّلَامُ مِنَ الْمَلِكِ
الْوَلِيِّ، عَلَى الْأَمِيرِ الْوَصِيِّ، ابْنِ عَمِّ النَّبِيِّ، قَالِعِ الْبَابِ الْخَيْبَرِيِّ، زَوْجِ
فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ بِنْتِ النَّبِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَسَدِ اللَّهِ الْغَالِبِ، عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ). وَعَلَى الْأَمَامِينَ الْهَمَامِينَ السَّعِيدِينَ الشَّهِيدِينَ
الْمُظْلُومِينَ الْمُقْبُولِينَ، الْحَسْبِيِّينَ النَّسَبِيِّينَ، سَيِّدِي ثُبَّانِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَ
قُرَّتِي أَهْلِي الشَّنَقَةِ، الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا). وَعَلَى
الْعَمَمِينَ الْمُعْظَمِينَ الْأَسْعَدِينَ الْأَمْجَدِينَ، الْأَكْرَمِينَ عِنْدَ اللَّهِ وَ النَّاسِ،
حَمْرَةَ وَالْعَبَّاسِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) وَعَلَى جَمِيعِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ،

هَذَا الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيَاتِنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَعَائِلِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا
وَذَكَرِنَا وَأُنثَانَا • اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ (هَا) [1] مِتْنَا فَآخِيهِ (هَا) عَلَى
الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ (هَا) مِتْنَا فَتَوَفَّهُ (هَا) عَلَى الْإِيمَانِ • وَخُصَّ هَذَا
الْمَيِّتَ (هَذِهِ الْمَيِّتَةَ) بِالرُّوحِ وَالرَّاحَةِ وَالرَّخْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالرِّضْوَانِ •
اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ (كَانَتْ) مُخْسِنًا (مُخْسِنَةً) فَرِّدْ فِي إِحْسَانِهِ (هَا) وَإِنْ
كَانَ (كَانَتْ) مُسْبِقًا (مُسْبِقَةً) فَتَجَاوَزْ عَنْهُ (هَا) وَلَقِّهِ (هَا) الْأَمْنَ وَالرِّيحَ
الْبُشْرَى وَالْكَرَامَةَ وَالزُّلْفَى • اللَّهُمَّ اجْعَلْ قَبْرَهُ (هَا) رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ
الْجَنَّةِ وَلَا تَجْعَلْ قَبْرَهُ (هَا) حُفْرَةً مِنْ حُفْرِ النَّيِّرَانِ • رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ
لِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ
مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

[1] If the deceased is a woman, that which is indicated between the parantheses () is said.

تَسْبِيحَاتُ التَّرَاوِيحِ

١ - سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ، سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ
وَالْجَلَالِ وَالْجَمَالِ وَالْجَبَرُوتِ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْمَوْجُودِ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ
الْمَقْبُودِ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ السَّدِيِّ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ. سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ
رُبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.

٢ - مَرْحَبًا، مَرْحَبًا، مَرْحَبًا يَا شَهْرَ رَمَضَانَ، مَرْحَبًا مَرْحَبًا مَرْحَبًا
يَا شَهْرَ الْبَرَكَاتِ وَالْغُفْرَانِ، مَرْحَبًا مَرْحَبًا مَرْحَبًا يَا شَهْرَ التَّمْسِيحِ وَ
التَّهْلِيلِ وَالذِّكْرِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ. أَوَّلُ هُوَ آخِرُ هُوَ ظَاهِرُ هُوَ بَاطِنُ هُوَ،
يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ.

٣ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ
كُلِّ دَائٍ وَدَوَاءٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ كَثِيرًا.

٤ - يَا حَنَّانُ، يَا مَنَّانُ، يَا دَيَّانُ، يَا بُرْهَانَ، يَا ذَا الْفَضْلِ وَ
الْإِحْسَانِ، نَزَّجُو الْعَفْرَةَ وَالْغُفْرَانَ وَاجْعَلْنَا مِنْ عَتَقَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ،
بِحُرْمَةِ الْقُرْآنِ.

[1] Recited when one will perform Namâz of tarawih.

[2] After the 15th day of Ramadân, in place of (Merhabâ), (Elwedâ') is said.

[3] Recited between each Namâz of tarawih.

[4] Prayer said after performing Namâz of tarawih.

اللَّهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِي وَبَشْرِي عَلَى النَّارِ * وَأَظْلِنِي
تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ *

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ
فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ * اللَّهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ *

اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَنْزِلُ فِيهِ
الْأَقْدَامُ *

اللَّهُمَّ لَا تَطْرُدْ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَطْرُدُ
كُلَّ أَقْدَامٍ اَعْدَائِكَ * اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَعْيِي مَشْكُورًا
وَذَنْبِي مَغْفُورًا وَعَمَلِي مَقْبُولًا وَتِجَارَتِي لَنْ تَبُورَ *
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ * اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
وَخَدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

بِسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى دِينِ
الْإِسْلَامِ * وَعَلَى تَوْفِيقِ الْإِيمَانِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًا * وَجَعَلَ الْإِسْلَامَ نُورًا *

اللَّهُمَّ اسْقِنِي مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ كَأْسًا لَا
أَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا * اللَّهُمَّ ارْحِنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَ
ارْزُقْنِي مِنْ نَعِيمِهَا * وَلَا تُرْحِنِي رَائِحَةَ النَّارِ *

اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي بِنُورِكَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ
أَوْلِيَائِكَ وَلَا تُسَوِّدْ وَجْهِي بِذُنُوبِي يَوْمَ تَسْوَدُّ
وُجُوهُ أَعْدَائِكَ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَ
حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا * اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتَابِي
بِشِمَالِي وَلَا مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَلَا تُحَاسِبْنِي
حِسَابًا شَدِيدًا *

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَسْتَهِدُكَ ○ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنُؤْتِيكَ الْيَمِينَ ○ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ ○ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْحَمْدَ كُلَّهُ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ ○ وَنُحْمَلُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ ○
اللَّهُمَّ إِنَّاكَ نَعْبُدُ وَكَأَنَّكَ نُسَلِّدُ وَنَسْجُدُ ○ وَإِلَيْكَ نَسْعُ وَنَحْتَضِرُ ○ نَزْجُرُ رَحْمَتِكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ ○ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ ○
أَمِنْتُ بِاللَّهِ وَمَلِكِكَ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ○ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَسِتْرِهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌّ ○ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ○ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ○ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ○ وَتَعَالَى
جَدُّكَ ○ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ ○ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ○

الْحَيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ○ السَّلَامُ عَلَيْكَ
أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ○ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى
عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ○ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ○ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ○

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ○ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ○ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ○ كَمَا بَارَكْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ○ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ① اللَّهُ الصَّمَدُ ② لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُولَدْ ③ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ④

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ① مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ② وَمِنْ
شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ③ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي
الْعُقَدِ ④ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ⑤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ النَّاسِ ② إِلَهِ
النَّاسِ ③ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④ الَّذِي
يُوسَسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ⑤
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥

<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p> <p>إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ① فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ②</p> <p>إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ③</p>
<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p> <p>قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ① لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ②</p> <p>وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ③ وَلَا أَنَا عَابِدٌ لِمَا عَبَدْتُمْ ④</p> <p>وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ⑤ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ⑥</p>
<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p> <p>إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ① وَرَأَيْتَ النَّاسَ</p> <p>يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ② فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ</p> <p>وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ③</p>
<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p> <p>تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ① مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا</p> <p>كَسَبَ ② سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ③ وَامْرَأَتُهُ</p> <p>حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ④ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ⑤</p>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقُرْآنَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝ (١) الَّذِي جَعَلَ كِيدَهُمْ
فِي تَضَلُّلٍ ۝ (٢) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝ (٣) تَرْمِيهِمْ
بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ ۝ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ۝ (٥)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا يَلْفِيفُ قُرَيْشٍ ۝ (١) أَيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ
۝ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ
مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝ (٤)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۝ (١) فَذَلِكَ الَّذِي
يَدْعُ الْيَتِيمَ ۝ (٢) وَلَا يُحِضُّ عَلَى طَعَامِ الْيَتِيمِ ۝ (٣)
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝
(٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤُنَ ۝ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝ (٧)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ
لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا
بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ
مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٢٥٥)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢)
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ
فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ (٣)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ○

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ○ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ○
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ○ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ○

इस्तिग़फ़ार की दुआ (माफी के लिए मिन्नत)

[बहुत सारी आयत-ए करीमात में ये मआनी हैः “मुझे बारहा याद करो” और (इज़ा जाअ) सूरह में, ये मकसद हैः “माफी के लिए मुझ से मिन्नत करो। मैं तुम्हारी दुआएँ कुबूल करूँगा; मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दूँगा।” जैसे के देखा गया, अल्लाह तआला ने हमें उस से माफी माँगने के लिए मिन्नत करने का हुकूम दिया। इस वास्ते, हज़रत मौहम्मद मासूम ने अपने 80वें ख़त की दूसरी जिल्द में कहाः इस हुकूम को मानते हुए, मैं हर नमाज़ के बाद तीन बार इस्तिग़फ़ार की दुआ पढ़ता हूँ और मैं 67 बार “अस्तिग़फिरुल्लाह” कहता हूँ। इस्तिग़फ़ार की दुआ है “अस्तिग़फिरुल्लाह अज़ीम अल लज़ी ला इलाह इल्ला होवल हय्युल कय्युम व अतूबो अलैहि।”

तुम भी इसे अकसर पढ़ा करो। एक शख्स को इसके मआनी को दिमाग़ में रखना चाहिए इस तरह “ऐ मेरे अल्लाह! मुझे माफ़ कर दे!” इसे हर बार कहते हुए। ये एक शख्स को जो इसे पढ़ रहा है और जो उसके आस पास हैं उन्हें परेशानियों और मुश्किलों से बचाता है। बहुत सारे लोग इसे पढ़ते हैं। इसके फ़ायदे हमेशा नज़र आते हैं। [जब एक शख्स विस्तर पर जाए, तो वो कहे “या अल्लाह, या अल्लाह” और तीन बार “अस्तिग़फिरुल्लाह मिन कुल्ली मा करिहल्लाह” एक शख्स जब तक पूरा सो न जाए इसे पढ़ता रहे।] शैख़-उल-इस्लाम अहमद नामिकी जामी 536ह. [1142 ए.डी.] में रहलत फरमा गए। उन्होंने अपनी किताब (मिफ़ताह-उन-नजात) में कहाः “अगर एक शख्स तौबा करले और इस्तिग़फ़ार पढ़ता रहे और उनकी हालतों को देखता रहे, तो हर सड़क जहाँ से वो गुज़रे, हर जगह जहाँ वो रहे उस पर फख़र करे। चाँद, सूरज और सितारे उसके लिए दुआ करें। उसकी कबर जन्नत का बाग़ बन

जाए। वो जो एक असरदार तौबा हासिल न कर पाए हों, वो उनकी संगत में रहें जो ऐसा करते हैं। एक हदीस-ए शरीफ में वयान हैः (सबसे ज़्यादा कीमती इबादत [इबादत का काम] औलिया से प्यार करना है [अल्लाह तआला के प्यारे बन्दे]) और दोबाराः “वो जो तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।” [तौबा दिल से की जाती है। इस्तिग़फ़ार इसको कह कर अदा किया जाता है।]

तौहीद की दुआ

या अल्लाह, या अल्लाह। ला इला-ह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या रहमान, या रहीम, या अफ़ुवु या करीम, फ़ अफ़व अन्नी वरहमनी या अरहमरराहिमीन! तवफ़ेनी मुसलिमन व अलहिकनी बिस्सालिहीन। अल्लुम्मअग़फ़िरली व लि-आबाई व उम्महाती व लि आबा-ए व उम्महात-ए ज़ोजती व लि-अजदादी व जददाती व लि-अबनाई व बनाती व लि-इख़्वाती व एकहवाती व लि-अ मामी व अम्माती व लि अख़्वाली व हालती व लि-उसताज़ी अब्दुलहकीम-ए अरवासी व लि काफ़तिल मो भिनीन वल-मोभिनात। ” रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। ”

BOOKS PUBLISHED BY HAKIKAT KITABEVI

ENGLISH:

- 1- Endless Bliss I, 304pp.
- 2- Endless Bliss II, 400 pp.
- 3- Endless Bliss III, 336 pp.
- 4- Endless Bliss IV, 432 pp.
- 5- Endless Bliss V, 512 pp.
- 6- Endless Bliss VI, 352 pp.
- 7- The Sunni Path, 112 pp.
- 8- Belief and Islam, 128 pp.
- 9- The Proof of Prophethood, 144 pp.
- 10- Answer to an Enemy of Islam, 128 pp.
- 11- Advice for the Muslim, 352 pp.
- 12- Islam and Christianity, 336 pp.
- 13- Could Not Answer, 432 pp.
- 14- Confessions of a British Spy, 128 pp.
- 15- Documents of the Right Word, 496 pp.
- 16- Why Did They Become Muslims?, 304 pp.
- 17- Ethics of Islam, 240 pp.
- 18- Sahaba 'The Blessed', 384 pp.
- 19- Islam's Reformers, 320 pp.
- 20- The Rising and the Hereafter, 112 pp.
- 21- Miftah-ul-janna, 288 pp.

DEUTSCH:

- 1- Islam, der Wee der Sunniten, 128 Seiten
- 2- Glaube und Islam, 128 Seiten
- 3- Islam und Christentum, 352 Seiten
- 4- Beweis des Prophetentums, 160 Seiten
- 5- Gestandnisse von einem Britischen Spion, 176
Seiten
- 6- Islamische Sitte, 288 Seiten

EN FRANCAIS:

- 1- L'slam et la Voie de Sunna, 112 pp.
- 2- Foi et Islam, 128 pp.
- 3- Islam et Christianisme, 304 pp.
- 4- L'evidence de la Prophetie, et les Temps de
Prieres, 144 pp.
- 5- Ar-radd al Jamil, Ayyuha'l-Walad (Al-Ghazali), 96
pp.
- 6- Al-Munqid min ad'Dalal, (Al-Ghazali), 64 pp.

SHQIP:

- 1- Besimi dhe Islami, 96 fq.
- 2- Nibri Namazit, 208 fq.
- 3- Rrefimet e Agjentit Anglez, 112 fq.

ESPANOL:

- 1- Creencia e Islam, 112

По русски:

- 1- ВсеМ нУЖНаЯ Вепа. (128) сТр.
- 2- нрHSHdHHH AnrjiHftcKoro UlriHOHa, (144) сТр.
- 3- КнТа6-yc-СajiaТ (МојиHTсеHHHK) KHHra o HaMase, (224) сtd.
- 4- 4-OCbiH moh (256) срр.
- 5- PeJиHFfl McJiam (256) срр.

BOSHNJAKISHT:

- 1- Iman I Islama. (128) str.
- 2- Odgovor Neprijatelju Islam, (144) str.
- 3- Knjiga o Namazu, (192) str.
- 4- Nije Mogao Odgovoriti. (432) str.
- 5- Put Ehl-I Sunneta. (128) str.
- 6- Ispovijesti Jednog Engleskog Spijuna. (144) str.

عدد صفحاتها	اسماء الكتب
٤٤ -	النعمة الكبرى على العالم في مولد سيد ولد آدم ويليہ نبذة من الفتاوى الحديثة ويليها كتاب جواهر البحار..... ٣٢٠
٤٥ -	تسهيل المنافع وبهامشه الطب النبوي ويليہ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ويليها فوائد عثمانية ويليها خزينة المعارف..... ٦٢٤
٤٦ -	الدولة العثمانية من الفتوحات الاسلامية ويليہ المسلمون المعاصرون..... ٢٧٢
٤٧ -	كتاب الصلاة ويليہ مواقيت الصلاة ويليها اهمية الحجاب الشرعي..... ١٦٠
٤٨ -	الصرف والنحو العربي وعوامل والكافية لابن الحاجب..... ١٧٦
٤٩ -	الصواعق المحرقة ويليہ تطهير الجنان واللسان..... ٤٨٠
٥٠ -	الحقائق الاسلامية في الرد على المزامع الوهابية..... ١١٢
٥١ -	نور الاسلام تأليف الشيخ عبد الكرم محمد المدرس البغدادي..... ١٩٢
٥٢ -	الصراط المستقيم في رد النصارى ويليہ السيف الصقيل ويليها القول الثبت ويليها خلاصة الكلام للنهبان..... ١٢٨
٥٣ -	الرد الجميل في رد النصارى ويليہ ايها الولد للغزالي..... ٢٢٤
٥٤ -	طريق النجاة ويليہ المكتوبات المنتخبة محمد معصوم الفاروقي..... ١٧٦
٥٥ -	القول الفصل شرح الفقه الاكبر للامام الاعظم ابي حنيفة..... ٤٤٨
٥٦ -	حالية الاكدار والسيف البتار (مولانا خالد البغدادي)..... ٩٦
٥٧ -	اعترافات الجاسوس الانكليزي..... ١٩٢
٥٨ -	غاية التحقيق ونهاية التدقيق للشيخ السندی..... ١١٢
٥٩ -	المعلومات النافعة لأحمد جودت باشا..... ٥٢٨
٦٠ -	مصباح الانام وجلاء الظلام في رد شبه البدعي النجدي ويليہ رسالة فيما يتعلق بادلة جواز التوسل بالنبي وزيارته صلى الله عليه وسلم..... ٢٢٤
٦١ -	ابتغاء الوصول بحب الله بمدح الرسول ويليہ البنيان المرصوص..... ٢٢٤
٦٢ -	الإسلام وسائر الأديان..... ٣٣٦
٦٣ -	مختصر تذكرة القرطبي للشعراني ويليہ قررة العيون للسمرقندي..... ٣٥٢

عدد صفحاتها	اسماء الكتب
١٣٦	٢٢ - الحبل المتين ويليهِ العقود الدرية ويليهِما هداية الموقفين
٢٨٨	٢٣ - خلاصة الكلام في بيان امراء البلد الحرام ويليهِ ارشاد الحيارى في تحذير المسلمين من مدارس النصارى ويليهِما نبذة من الفتاوى الحديثية
٣٣٦	٢٤ - التوسل بالنبي وبالصالحين ويليهِ التوسل لشمس عبد القيوم القادري
٢٢٤	٢٥ - الدرر السنية في الرد على الوهابية ويليهِ نور اليقين في مبحث التلقين
٢٨٨	٢٦ - سبيل النجاة عن بدعة اهل الزيغ والضلال ويليهِ كف الرعاع عن الحرمات ويليهِما الاعلام بقواطع الاسلام
٢٤٠	٢٧ - الانصاف ويليهِ عقد الجيد ويليهِما مقياس القياس والمسائل المنتخبة
١٦٠	٢٨ - المستند المعتمد بناءً بحجة الابد
١٤٤	٢٩ - الاستاذ المودودي ويليهِ كشف الشبهة عن الجماعة التبليغية
٦٥٦	٣٠ - كتاب الايمان (من رد المحتار)
٣٥٢	٣١ - الفقه على المذاهب الاربعة (الجزء الاول)
٣٣٦	٣٢ - الفقه على المذاهب الاربعة (الجزء الثاني)
٣٨٤	٣٣ - الفقه على المذاهب الاربعة (الجزء الثالث)
	٣٤ - الادلة القواطع على الزام العربية في التواضع ويليهِ فتاوى علماء الهند على منع الخطبة بغير العربية ويليهِما الحظر والاباحة من الدر المختار
٦٠٨	٣٥ - البريقة شرح الطريقة (الجزء الاول)
٣٣٦	٣٦ - البريقة شرح الطريقة ويليهِ منهل الواردين في مسائل الحيض
٢٥٦	٣٧ - البهجة السنية في آداب الطريقة ويليهِ ارغام المريء
	٣٨ - السعادة الابدية فيما جاء به النقشبندية ويليهِ الحديثية الندية ويليهِما الرد على النصارى والرد على الوهابية
١٧٦	٣٩ - مفتاح الفلاح ويليهِ خطبة عبد الفطر ويليهِما لزوم اتباع مذاهب الائمة
٦٨٨	٤٠ - مفاتيح الجنان شرح شرعة الاسلام
٤٤٨	٤١ - الانوار المحمدية من المواهب اللدنية (الجزء الاول)
٢٨٨	٤٢ - حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين ويليهِ مسئلة التوسل
١٢٨	٤٣ - اثبات النبوة ويليهِ النبوة المكية بالمادة الغيبية

اسماء الكتب العربية التي نشرتها مكتبة الحقيقة

اسماء الكتب	عدد صفحاتها
١ - جزء عم من القرآن الكريم	٣٢
٢ - حاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى (الجزء الاول)	٦٠٤
٣ - حاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى (الجزء الثانى)	٤٦٢
٤ - حاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى، (الجزء الثالث)	٦٢٤
٥ - حاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى (الجزء الرابع)	٦٢٤
٦ - الايمان والاسلام ويليهِ السلفيون	١٢٨
٧ - نحة اللالى لشرح بدء الامالى	١٩٢
٨ - الحديقه النديه شرح الطريقة المحمديه (الجزء الاول)	٦٠٨
٩ - علماء المسلمين وجهلة الوهابيين ويليهِ شواهد الحق ويليهِما العقائد النسفيه ويليهِما تحقيق الرابطة	٢٢٤
١٠ - فتاوى الحرمين برجف ندوة المين ويليهِ الدرّة المضئمة	١٢٨
١١ - هدية المهديين ويليهِ المنتبى القاديانى ويليهِما الجماعة التبليغية	١٩٢
١٢ - المنقذ عن الضلال ويليهِ الجام العوام عن علم الكلام ويليهِما تحفة الارب	٢٥٦
١٣ - المنتخبات من المكتوبات للامام الربانى	٤٨٠
١٤ - مختصر (التحفة الاثني عشرية)	٣٥٢
١٥ - الناهية عن طعن امير المؤمنين معاوية ويليهِ الذب عن الصحابة ويليهِما الاساليب البديعة ويليهِما الحجج القطعية ورسالة رد روافض	٢٨٨
١٦ - خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق ويليهِ الحديقه النديه	٥١٢
١٧ - المنحة الوهيبية في رد الوهابية ويليهِ اشد الجهاد ويليهِما الرد على محمود الأوسى ويليهِما كشف النور	١٩٢
١٨ - البصائر لمنكري التوسل باهل المقابر ويليهِ غوث العباد	٤١٦
١٩ - فتنة الوهابية والصواعق الالهية وسيف الجبار والرد على سيد قطب	٢٥٦
٢٠ - تطهير الفؤاد ويليهِ شفاء السقام	٢٥٦
٢١ - الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والكرامات والخوارق ويليهِ ضياء الصدور ويليهِما الرد على الوهابية	١٢٨

